

मरलके अहनाफ

व

मरलके गैर मुकल्लिदीन

का

तक्वाबुली मुतालअ

(कुरआन व हदीस की शैनी में)

पसन्द फरमूदा

हजरत मौलाना मूहम्मद अबु बकर साहब
गाजीपुरी रह.

सोजल्लिफ

मुफती मुहम्मद रफीक साहब कारामी

उस्ताज मदरसा इरसन बरका, जामा मस्जिद दिल्ली-6

रब्बानी बुक डिपो

1813 कटरा शैखा चौद लाल कुओं दिल्ली 110006

मोबाईल न० 9811504821, 9873875484

मस्लके अहनाफ़
व
मस्लके ग़ैर मुक़ल्लिदीन,
का
तक़ाबुली मुतालअ
(कुरआन व हदीस की रौशनी में)

पसन्द फरमूदा

हज़रत मौलाना मूहम्मद अबु बकर साहब
गाज़ीपुरी रह.

मोअल्लिफ़

मुफ़्ती मुहम्मद रफ़ीक़ साहब कासमी

उस्ताज़ मदरसा हुसैन बख़्श, ज़ामा मस्जिद दिल्ली-6

रब्बानी बुक डिपो

1813 कटरा शेखा चाँद लाल कुआँ दिल्ली 110006

मोबाईल न० 9811504821, 9873875484

जुमला हुकुक बहकके मुअलिस्फ महफुज हैं।

रुख किताब : बरतके अहनाफ व बरतके गैद मुफ्तिदीन कय तफ्सीली मुतअरर

मुअलिस्फ : अबू अजैद मुहम्मद रफीक खसमी (जातिषी मेवाती)

मोबाइल: 8285805441, 9582786854

कम्प्यूटिंग : तबानी कम्प्यूट, देहली-6 फोन : 23217840

रुख तबाअत : अक्टूबर 2012 हैं.

तबाअत : तबानी प्रिंटेर्स, दिल्ली-110006 मोबाइल: 9811504821

बहरतमान : अब्दुद हयान मोबाइल: 9873875484

पेगीमत : 120 रुपये

किताब मिलने के दीगर पते

- ☆ देहली व देवबन्द के तमाम मकतबों में दस्तियाब
- ☆ मेवात में: कासमी कुतुबखाना, बड़ा मदरसा मार्किट

फिहरिस्त

1. इत्तिसाब 7
2. माख़ज़-व-मराज़ेअ तअस्सुरात अकाबिरीन चलमा 8
3. हज़रत मौलाना अब्दुल ख़ालिक् साहब सम्मली, नाइब मोहतमिम दाऊल उलूम देवबन्द 12
4. हज़रत मौलाना मुहम्मद इस्हाक साहब उटावड़ी, शैख़ुल हदीस दाऊल उलूम मेवात नूह हरियाणा 13
5. हज़रत मौलाना अबू-बकर गाज़ीपुरी र०, मुदीर माहनामा "ज़मज़म" 14
6. हज़रत मौलाना क़ारी क़ासिम साहब, सदरुल्ल-मुदरिसीन मदरसा हुसैन बख़्श, देहली 16
7. हज़रत मौलाना मुफ़्ती नसीरुद्दीन साहब, शैख़ुल हदीस मदरसा हुसैन बख़्श, देहली 16
8. हज़रत मौलाना राशिद साहब, नायब मुहतमिम, मील खेड़ला 17
9. हज़रत मौलाना बशीर साहब, इमाम व ख़तीब, मस्जिद मदरसतुल उलूम मदरसा हुसैन बख़्श, देहली 19
10. आगाज़े गुफ़्तगू 20
11. षोढ़ा पानी निजासत गिरने के बाद पाक रहेगा या नापाक 22
12. मनी पाक है या नापाक 26
13. फ़ुत्ता व ख़िनज़ीर का झूटा पाक है या नापाक 29
14. हलाल जानवरों का पेशाब पाक है या नापाक 30
15. क्या कुत्ताने पाक को बग़ैर वुजू के छूना जाइज़ है? 34
16. रूँ और खून से वुजू टूटता है या नहीं? 37
17. वुजू में नाक में पानी डालना, कुत्ती करना और निबत करना फ़र्ज़ है या सुन्नत? 40
18. वुजू में दाढ़ी का खिलाल करना कैसा है? 42
19. जुमे के दिन ग़ुस्ल करना वाजिब है या सुन्नत? 44

20. नमाज़े फ़जर में इसफ़ार मुस्तहब है या ग़ल्स अन्बेराद्द 48
21. गर्मियों में जुहर की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ना अफ़ज़ल है या जल्दी 49
22. अस्तर की नमाज़ को जल्दी पढ़ना मुस्तहब है या ताख़ीर से 51
23. नमाज़े इशा में ताख़ीर अफ़ज़ल है या ताजील 55
24. आमीन को आहिस्ता कहना मुस्तहब है या जोर से 57
25. रुकू के वक़्त रफ़ू यदीन करना मुस्तहब है या न करना? 59
26. रुकू पाने वाले की यह पूरी रक़अत शुमार होगी या नहीं? 62
27. तसवीह बीस रक़अत हैं या आठ? 66
28. वित्र की नमाज़ वाजिब है या नहीं? 71
29. वित्र की नमाज़ तीन रक़ात हैं या नहीं? 75
30. नमाज़ी के सामने से औरत, कुत्ता या ग़धा के गुज़रने से नमाज़ फ़ासिद होगी या नहीं? 77
31. फ़जर की सुन्नतों को नमाज़े फ़जर के बाद तुलूफ़ आफ़ताब से पहले पढ़ना जाइज़ है या नहीं? 81
32. फ़ौत शुदा नमाज़ों की रक़ा वाजिब है या नहीं? 85
33. वित्र की तीन रक़ातें एक सलाम से हैं या दो सलामों से? 87
34. तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथों को कानों तक उठाना सुन्नत के मुवाफ़िक़ है या कन्धों तक? 90
35. नमाज़ में हाथों को नाफ़ के नीचे बांधना सुन्नत के मुवाफ़िक़ है या सीने पर बांधना? 93
36. कलिमाते इक़ामत को दो-दो मस्तबा कहना अफ़ज़ल है या एक-एक मस्तबा? 98
37. क्या जुमे की नमाज़ को ज़वाल से पहले पढ़ना दुस्त है? 101
38. जुमे से पहले चार रक़अत सुन्नत हैं या नहीं? 103
39. क्या मरदों के लिए चांदी की अंगूठी के अलावा चांदी का ख़ेवर पहनना जाइज़ है? 105
40. क्या रात में मय्यत को दफ़न करना ममनूअ है? 107

41. अगवाले तिजारत में ज़कात फर्ज है या नहीं? 109
42. तसवीर वाली अशया का इस्तेमाल जाइज़ है या नहीं? 112
43. क्या मालदार अहले इल्म के लिए ज़कात का माल जाइज़ है? 114
44. शहीद को कफ़न दिया जाएगा या नहीं नीज़ उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी या नहीं? 116
45. दौराने खुतबा कलाम करने से क्या नमाज़े जुमा बातिल हो जाती है? 118
46. बस्ती में अज़ाने जुमा सुनने वाले पर नमाज़े जुमा बाजिब है या नहीं? 121
47. कुरबानी में एक बकरी सिर्फ़ एक आदमी की तरफ़ से काफी है या तमाम घर वालों की तरफ़ से? 123
48. जिस जानवर पर बवक्ते ज़बह बिस्मिल्लाह न पढ़ी गई हो क्या उसको खाने के वदत बिस्मिल्लाह का पढ़ना काफी होगा? 128
49. काफिर के कुत्ते का किया हुआ शिकार हलाल है या नहीं? 128
50. क्या इस्तिमना बिलयद बवक्ते ज़रूरत मुबाह है? 130
51. क्या पदों का हुक्म सिर्फ़ अज़वाजे मुतहहरात के साथ ख़ास है? 132
52. बग़ैर गवाहों के निकाह दुरूस्त होता है या नहीं? 133
53. जो मछली मरकर पानी के ऊपर आ जाए तो उसका खाना जाइज़ है या नहीं? 135
54. मत्से ज़कर नाकिज़े वुज़ु है या नहीं? 138
55. आक़िला बालिगा का निकाह दली की इज़ाज़त के बग़ैर दुरूस्त है या नहीं? 140
56. घाँदी सोने के ज़ेवर में ज़कात है या नहीं? 143
57. मिट्टी खाना जाइज़ है या नहीं? 146
58. मुज़तर के लिए हराम चीज़ का भरपेट खाना जाइज़ है या नहीं? 147
59. नमाज़े ईदैन में तकबीरात ज़वाइद 6 हैं या 12? 148
60. देहात के छोटे छोटे गाँवों में नमाज़े जुमा दुरूस्त है या नहीं? 153
61. इनाम के पीछे मुक़ादी का सुरेह फ़तेहा पढ़ना कैसा है? 162

62. मुसाफ़हा दो हाथों से है या एक से? 172
63. एक मजलिस की तीन तलाक़ें तीन वाक़े होती हैं या एक? 175
- ☆ आसारे सहाबा रज़ि. का फैसला 190
- ☆ एक मुग़लता और उस का ज़वाब 197
- ☆ एक मजलिस की तीन तलाक़ों से मुतात्तिक, उलमाए अरब का एक अहम फ़तवा 200
- ☆ मशहूर ग़ैर मुक़त्लिद आलिम मौलाना अबू सईद शरफ़ुद्दीन देहलवी रह. की मुनसिफ़ाना शहादत 202
- ☆ शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब और उन के साहबज़ादे शैख़ अबदुल्लाह का मसलक 205
- ☆ ग़ैर मुक़त्लिदों के लिए लमहाए फ़िक़ 206
- ☆ कारिईने किराम मुतवज्जह हों 207
- ☆ ग़ैर मुक़त्लिदीन इमाम बुख़ारी रह. की अदालत में 211
- ☆ ग़ैर मुक़त्लिदीन और मक़ामे सहाबा रज़ि. 232
- ☆ सहाबा किराम रज़ि. क़ुरान की रीशनी में 232
- ☆ सहाबा किराम रज़ि. अहादीस रसूल सल्ल. की रीशनी में 234
- ☆ मक़ामे सहाबा रज़ि. ग़ैर मुक़त्लिदीन की नज़र में 237
- ☆ क्या ग़ैर मुक़त्लिदीन का अपने आप को अहले हदीस कहना सही है? 239
- ☆ ग़ैर मुक़त्लिदीन की ख़िदमत में हमारे चन्द सवालात 240
- ☆ ग़ैर मुक़त्लिदीन की चन्द खुसूसियात 242
- ☆ फ़िरक़ए ग़ैर मुक़त्लिदियत के बारे में ज़रूरी मालूमात 243
- ☆ जमाअते ग़ैर मुक़त्लिदीन पर अँग्रेज़ों का साया 245
- ☆ अहले हदीस नाम की इब्तिदा 248
- ☆ जमाअते ग़ैर मुक़त्लिदीन अपने उलमा की नज़र में 251

इन्तिसाब

अबू उजैर मुहम्मद रफीक कासमी जालिकी मेवाती

छादिमे तदरीस मदरसा हुसैन बख़्शा, जामे मस्जिद, देहली-6

अहक़रूल-वरा अपनी इस अदना सी काविश को मरहूम वालिदैन, जमाब डॉक्टर ईसा ख़ी साहब मरहूम, जुमला असातिज़ए किराम बिल्ख़ुसूस शैख़ नसीर अहमद ख़ी साहब क़ुदिस सिरह, भाई डॉक्टर लियाक़त अली साहब दाम अलयना ज़िल्लुह और मादरे इल्मी दारुल-उलूम देवबन्द की तरफ़ मन्सूब करने को बाइसे सआदत समझता है।

मुअदिबाना दरख़्वास्त

मैं अपने जुमला कारिईन किराम-व-नाज़िरीने इज़ाम में से हर ख़ास-व-आम से रस्मन नहीं बल्कि निहायत ख़लूस के साथ आजिज़ाना व मुअदिबाना दरख़्वास्त करता हूँ कि ये हज़रात इस किताब में कोई लफ़्ज़ी या मअनवी ग़लती देखें तो बराए करम बन्दे को मुत्तलअ फ़रमाएं। ऐम नवाज़िश होगी।

बन्दा मुहम्मद रफीक कासमी मेवाती

मोबाइल: 8285805441, 9582786854

छादिमे तदरीस मदरसा हुसैन बख़्शा, जामे मस्जिद, देहली-6

माख़ज़-व-मराजेअ

1. क़ुरआन शरीफ़
2. बुख़ारी शरीफ़ : इमाम अबू अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद इस्माईल अल-बुख़ारी (194-252 हिजरी)
3. मुस्लिम शरीफ़ : इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल-निसाबुरी (206-261 हिजरी)
4. अबू दाऊद शरीफ़ : इमाम अबू दाऊद अल-अशअसुस-सजिसतानी (202-275 हिजरी)
5. तिर्मिज़ी शरीफ़ : इमाम अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा अल-तिर्मिज़ी (206-297 हिजरी)
6. नसई शरीफ़ : हाफ़िज़ अबू अबदुर्रहमान अहमद बिन श़ऐब बिन अली अल-निसाई (215-303 हिजरी)
7. इब्ने माजा : हाफ़िज़ अबू अबदुल्लाह मुहम्मद बिन ज़ैद-अल-कुजवेनी, (207-275 हिजरी)
8. मुअत्ता इमाम मालिक : इमाम अबू अबदुल्लाह मालिक बिन अनस अल-असबई (93-179 हिजरी)
9. मुअत्ता इमाम मुहम्मद : इमाम अबू अबदुल्लाह बिन हसन-शैबानी (135-189 हिजरी)
10. मुसनद अहमद : इमाम अहमद बिन हमबल-शैबानी (164-241 हिजरी)
11. सुनने बेहकी : हाफ़िज़ अबू बक्र अहमद बिन हुसैन बिन अली (458 हिजरी)
12. सहीह इब्ने हिब्बान : अमीर अलाउद्दीन क़यन बलबान अल-फ़ारसी, (739 हिजरी)
13. मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा : हाफ़िज़ अबू बक्र अबदुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अबी शैबा अल-क़ुफ़ी, (235 हिजरी)
14. ज़ादुल-मआद : इमाम रामसुद्दीन अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अबू बक्र

दमिशकी (691-751 हिजरी)

15. अत्तरगीबुल्-तरहीब : हाफिज़ जकीउद्दीन अब्दुल अजीम बिन अब्दुल कवी अल-मुन्जरी, (656 हिजरी)
16. किताबुल्-आसार
17. कनजुल्-आमाल : अल्लामा अलीउल-मुत्तकी अल-हनफी, (975 हिजरी)
18. मिश्कात शरीफ : शैख वलीउद्दीन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह तबरेज़ी (741 हिजरी)
19. फतहुल्-बारी : हाफिज़ अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी, (733-856 हिजरी)
20. उमदतुल्-कारि : इमाम बदरुद्दीन अबू मुहम्मद महमूद बिन अहमद अल-ऐनी, (855 हिजरी)
21. शरहे मुहजज़ब : शैख मुहीउद्दीन अबू ज़करया यहया बिन राफ़-नख्वी, (631-676 हिजरी)
22. आसारुस्-सुनन अल्लामा मुहम्मद बिन अली अन्नैमवी (1322 हिजरी)
23. अल-तालीक़ुल्-हसन अला आसारिस्-सुनन
24. फतहुल्-मुल्हिम : अल्लामा शम्बीर अहमद उसमानी
25. मआरिफ़ुस् सुनन : शैख सय्यिद मुहम्मद यूसुफ अल-बनूरी, (1297 हिजरी)
26. तोहफतुल्-अहवज़ी : शैख अबदुर्रहमान मुबारकपुरी, (1238-1353 हिजरी)
27. अवनुल्-माबूद : इमाम अबू तय्यिब मुहम्मद शम्सुल्-हक, अजीम आबादी, (1173-1250 हिजरी)
28. नयलुल्-अवतार : काज़ी मुहम्मद बिन अली मुहम्मद शोकानी (1255 हिजरी)
29. सुब्नुस्-सलाम : अल्लामा मुहम्मद बिन इस्माईल सनआनी, (1099-1182 हिजरी)
30. सुनने दारे क़ुतनी : शैखुल-इस्लाम अली बिन उमर दारे क़ुतनी, (306-385 हिजरी)
31. तलख़ीसुल्-हबीर : अल्लामा हाफिज़ इब्ने हजर (रह.), (733-856 हिजरी)
32. मोजिमे कबीर लिताबरानी : हाफिज़ अबू-कासिम सलमान बिन तबरानी, (260-360 हिजरी)

33. तहजीबुत्-तहजीब : अल्लामा हाफिज़ इब्ने हजर, (773-856 हिजरी)
34. मीज़ानुल्-दैतदाल : इमाम अबू अबदुल्लाह मुहम्मद बिन अहमद ज़हबी, (748 हिजरी)
35. इत्तिहाफ अल-महरा : अल्लामा हाफिज़ इब्ने हजर, (773-856 हिजरी)
36. अबुबाब-व-तराजिमुलि-सहीह-अल-बुख़ारी : शैख़ुल-हदीस अल्लामा ज़करिय्या कान्धलवी
37. हाशिया-ए-बुख़ारी : अल्लामा शैख़ अहमद सहारनपुरी
38. अल-जौहरुन्-नफी : अल्लामा अलाउद्दीन बिन अली उसमान अल-मार्दीनी, (683-750 हिजरी)
39. अल-अरफ़ुज्-शज़ी : अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी (रह.), (1252 हिजरी)
40. फ़ैजुल-कदीर शरहे जामे सगीर : इमाम मुहम्मद अल-मदऊ लि-अब्दुरऊफ़ अल-मनावी
41. फतहुल्-कदीर : इमाम कमालुद्दीन मुहम्मद बिन अब्द-अल-वाहिद.....अल-मादूम इब्ने हुमाम, (681 हिजरी)
42. अल-किफ़ायह : मौलाना जलालुद्दीन अल-ख़वारमी
43. अल-इनायह : इमाम अकमलुद्-दीन मुहम्मद बिन महमूद अल-बाबरती, (786)
44. हिदायह : शैख़ बुरहानुद्-दीन अबुल्-हसन अली इब्ने अबी बक्र अल-फ़र्ग़ानी अल-मर्ग़ीनानी, (593 हिजरी)
45. दसैं तिर्मिज़ी : हज़रत मौलाना तफी उसमानी साहब मदेज़िल्लाहुल आली
46. फतावा-ए-सनाइयह : हज़रत मौलाना अबुल्-वफ़ा सनाउल्लाह अग्रतसरी (रह.)
47. फतावा-ए-नज़ीरियह : शैख़ुल-कुल हज़रत मौलाना नज़ीर हुसैन देहलवी
48. फतावा-ए-रहीमियह : हज़रत मौलाना मुफ़्ती अब्दुरहीम साहब लाजपुरी (रह.)
49. अत्-तालीकुल-मुग़नी अला दारे-क़तनी : अल्लामा अबू लय्यब मुहम्मद शमसुल हक़ अज़ीम आबादी, (1173-1250 हिजरी)
50. तफ़सीर इब्ने कसीर : हाफिज़ इमादुद्दीन अबुल-फिदा इस्माईल बिन उमर बिन कसीर, (700-774 हिजरी)
51. अहकामुल्-कुरान : हुज्जतुल-इस्लाम इमाम अबू-बक्र अहमद बिन अली

जस्सास, (370 हिजरी)

52. ताहावी शरीफ : इमाम अबू जाफर अहमद बिन मुहम्मद अत्-ताहावी (रह.), (236-321 हिजरी)
53. मुहल्ला इब्ने हज्म : इमाम अबू मुहम्मद अली बिन अहमद बिन सईद बिन हज्म, (356 हिजरी)
54. फतावाए अल्लामा अब्दुल-अजीज़ इब्ने बाज़ (रह.)
55. शरहे विकायह : अल्लामा अब्दुल्लाह बिन मसूद बिन हज्जाज ताजुश-शरीअह सअद
56. अहसनुल्-फतावा : हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीदुद्दीन साहब
57. इगाशतुल्लुहफान : अल्लामा इब्ने कथ्थिम (रह.), (751 हिजरी)
58. तफसीरे-कुरतुबी : इमाम अबू अब्दुल्लाह बिन अहमद अल-कुरतुबी, (271 हिजरी)
59. तफसीरे-गराइबुल-कुरान
60. अज़वाउल-बयान : शौख मुहम्मद बिन अमीन अश्-शनक्वीती, (1353 हिजरी)
61. गैर मुकस्लिदीन की डायरी : हज़रत मौलाना अबू-बक्र गाज़ीपुरी र०
62. गैर मुकस्लिदीन पर एक नज़र : हज़रत मौलाना सय्यद असद मदनी र०
63. मुहाज़रा-ए-इल्मिय्यह बर मौजू-ए-रहे गैर मुकस्लिदिय्यत : हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब आज़मी (महेज़िल्लहुल आली)
64. अत्तिबुज़्-ज़की
65. ईगाहुत्-ताहावी
66. नज़्जुल-अबरा
67. अरफुल-जादी
68. हाशिया-ए-जलालैन
69. कन्जुल-हफाइक
70. ईलाउस्-सुनन
71. नम्बुर-रायह
72. अल-अस्माउ-वल-कबीर
73. अदिल्लाह-कामिला

74. अत्-तहकीक इब्ने जौजी
75. नुख्ततुल्-फिक्र
76. अन्-निहायह फी गरीबिल्-हदीस वल्-असर
77. इब्ने खुरैमह
78. फितावुल्-इलल
79. बुदुरुल्ल-अहिल्लाह
80. फैजुस्-समाई
81. भोजमुल्-बुलदान
82. तीन तलाक्
83. सुनन-ए-सईद बिन मनसूर
84. इतिहाफुन्-नुबला
85. अत्-ताजुल-मुकल्लल
86. तैसील्ल-बारी
87. फतावा-ए-सरतारियह
88. फतावा-ए-उलमा-ए-अहले हदीस
89. गैर मुकत्तिनदीन इमाम बुखारी की अदालत म
90. तरीके मुहम्मदी
91. तमबीहुल्-ज़ल्लीन
92. तरजुमाने वहाबियह

ताईद-व-तौसीक

फज़ीलतुश-शैख़ हज़रत मौलाना अब्दुल ख़ालिफ़ साहब
सम्भली मुहेज़िल्लुहुल आली

نائب محترم و استاذ دار العلوم دیوبند، یو۔پی۔ الہند۔

بِسْمِہِ تَعَالٰی

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ۔ وَبَعْد۔

बन्दे के पेशे नज़र किताब 'मसलके अहनाफ व मसलके गैर मुकल्लिदीन का तकाबुली मुतालिआ' का मुसव्वदा है जिस को अज़ीज़ मुकर्रम मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद रफीक कासमी हफ़िज़हुल्लाह (उस्ताज़ मदरसातुल उलूम मदरसा हुसैन बख़्श, देहली) ने तर्तीब दिया है, मुख़्तलिफ़ जगह से मैंने इसको देखा। यह किताब मिल्लते इस्लामिया के लिए इन्शाअल्लाह बेहद मुफ़ीद साबित होगी। इस किताब में मुअल्लिफ़ ने तकाबुली मुतालिआ पेश किया है। ऐहले हक़ के मसलक व नाम-निहाद ऐहले हदीस (गैर मुकल्लिदीन) के मसलक के दर्मियान तकाबुल दिखाया है जो सफ़हे के दो कालमों में नुमायीं किया गया है। मुरत्तिबे किताब ने दलाइल के साथ मसाइल ब-हवाला दर्ज किए हैं। किताब अपने मौजू पर निहायत उम्दा है। जिसे देख कर हर कल्बे सलीम रखने वाला ब-ख़ूबी यकीन कर लेगा कि

अहनाफ का मसलक और उन का अमल कुरान व सुन्नत के ऐन मुताबिक है और उस के मुक़ाबिल दूसरे कालम (मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन) को देख कर वह पहली नज़र में यह बावर कर लेगा कि ग़ैर मुक़ल्लिदीन का हदीस शरीफ़ से महज़ दिखावे का तअल्लुक है। नीज़ उन का अमल बिल-हदीस का दावा बिल्कुल खोखला है।

बहरहाल यह किताब उम्मत के लिए निहायत मुफ़ीद साबित होगी और भोले भाले मुसलमानों के ग़ैर मुक़ल्लिदीन की चालें, हदीस के साथ खिलवाड़ और उन का दीन के साथ मज़ाक़ अयीं हो जाएगा।

दुआ है कि अल्लाह तआला मुअल्लिफ़ की दीगर तालीफ़ात (ईसाइयत का शीश महल व तीन तलाक़ वग़ैरह) की तरह इस को भी मक़बूले आम फ़रमाए और मज़ीद इल्मी ख़िदमात की तौफीक़ बख़्शे।

अल्लाह करे जोरे क़लम और भी ज़्यादा

आमीन या रब्बल आलमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन

अब्दुल ख़ालिफ़ सम्भली
ख़ादिम दारुल उलूम देवबन्द, यू.पी.
अल-हिन्द
10.12.1431 हिजरी

इज़हारे मसरत

मुहद्दिसे कबीर हज़रत मौलाना मुहम्मद इस्हाक़ साहब

मद्देज़िल्लुहुल आली

बानी व शौख़ुल हदीस दाहल उलूम मेवात, नूह, हरियाना

व अमीरे शरीअत हरियाना, पंजाब व हिमाचल

मोहत्त्रम जनाब मौलाना मुहम्मद रफीक़ साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जनाब ने मुझ हेचमदों को अपनी गिराँकदरें तालीफ़ की ज़ियारत और उससे इस्तिफ़ादा का मौक़ा मरहमत फरमाया। जनाबे वाला का ज़ौक़ तालीफ़ तर्ज़े निगारिश दलाइले शरइया से इस्तिख़राज मनाते मुद्दआ व रद्दे दलाइले ख़ासम पर बसीरत अफ़रोज़ तबसरा व तशरीह से अज़ हद मसरत हुई। अल्लाह तआला मज़ीद दर मज़ीद तौफीक़ मरहमत फरमाए और शर्फ़े कुबूलियत से नवाज़े। आमीन!

मुहम्मद इस्हाक़ अफ़िय अन्हु

14 ज़िलहिज्जा 1430 हिजरी

इशादे आली

क़ातिए ग़ैर मुक़ल्लिदियत हज़रत मौलाना अबू बकर
गाज़ीपुरी रहमतुल्लाह अलैही
(मुदीर माहनामा ज़मज़म)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

अज़ीज़म मौलाना मुहम्मद रफीक सल्लमहू दारुल उलूम देवबन्द के फ़ज़िल हैं। मुतालिआ का ज़ौक है, तसनीफ़ व तालीफ़ का मिज़ाज है। बहुत थोड़ी सी मुदत में उन्होंने कई किताबें तालीफ़ फरमाकर अहले इल्म से दादे तहसीन हासिल की है। फ़ितना-ए-ग़ैर मुक़ल्लिदियत से ख़ूब वाकिफ़ हैं, और अपनी सलाहियतों का इस मैदान में ख़ूब मुज़ाहिरा किया है। इस मौजू पर मौलाना रफीक साहब की "मसलके अहनाफ़ और मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन का तक़्वाली मुतालिआ" दूसरी किताब है। तलाक़ के मौजू पर उन की एक किताब पहले शाए हो चुकी है।

मौलाना सन्जीदा अन्दाज़ में अपनी बात को बहुत साफ़ और चाज़ेह और मुदल्लल करके पेश करते हैं। दुआ है कि उनकी साबिका किताबों की तरह पेशे नज़र किताब को भी अल्लाह तआला मक़बूलियत से नवाज़े। उन के इल्म व अमल में बरकत दे और उन से इहफ़ाके हक़ इबताले बातिल का काम लेता रहे।

मुहम्मद अबू बकर गाज़ीपुरी

। ज़िलाहिज्जा 1430 हिजरी

कलिमाते आलिया

मुहसिन व मुशफिक हज़रत मौलाना कारी कासिम साहब
हफिज़हुल्लाह

सदरुल मुदरिसीन मदरसतुल उलूम मदरसा हुसैन बख़्श, जामे मस्जिद, देहली

باسمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

अम्मा बाद : "मसलके अहनाफ़ व मसलके गैर मुक़ल्लिदीन का तकाबुली मुतालिआ" नामी किताब का मुख्तलिफ मफामात से मुतालिआ किया।

अज़ीज़म मौलवी मुहम्मद रफीक साहब उस्ताज़ मदरसतुल उलूम मदरसा हुसैन बख़्श, देहली ने निहायत सन्जीदगी के साथ आम फहम ज़बान में मसाइल को हल करने की कोशिश की है, जो मौसूफ की इल्मी सलाहियत की दलील है।

मौजूदा दौर में अगरचे हर जमाअत अपने अपने मसलक की तरजीहात के लिए हद से तजाबुज़ कर जाती है जिस से मुसन्निफीन भी इनफिरादी तौर पर कलम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं।

बहरहाल तसनीफ़ व तालीफ़ में मुस्बत अन्दाज़े फिक्र उम्मत की इस्लाह के लिए ज़्यादा मुनासिब है और ख़ुद मुअल्लिफ़ के लिए भी जख़ीरा-ए-आख़िरत है।

दुआ है कि इस से हर आम व ख़ास नफ़ा उठाएँ।

आमीन, सुम्म आमीन

मुहम्मद कासिम

सदर मुदरिस व शैख़ सानी मदरसतुल उलूम

हुसैन बख़्श, देहली

27 ज़ी-कादा 1430 हिजरी

राए आलिया

हजरत मौलाना मुफ्ती नसीरुद्दीन साहब दाम अलैना जिल्लाह
शैखूल हदीस व मुफ्ती मदरसतुल उलूम मदरसा हुसैन बख्शा, देहली
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد۔

माशाअल्लाह अजीज़म मौलाना मुहम्मद रफीक उस्ताज़ मदरसतुल उलूम हुसैन बख्शा देहली की किताब "मसलके अहनाफ व मसलके गैर मुकल्लिदीन का तफ्सीली मुतालिआ" पढ़ कर मसरत व खुशी हुई। मौलाना मौसूफ ने बड़ी अर्क रेज़ी व जिद्-व-जहद से निहायत उम्दा तरीके पर कुरान व सुन्नत, अक्वाले सहाबा किराम से अपनी किताब को मुबारहन व मुदल्लल फरमाया है और यह वक़्त की अहम तरीन ज़रूरत है क्योंकि आजकल गैर मुकल्लिदीन सादा लौह लोगों को कुछ ज़्यादा ही गुमराह करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, अक्वाबिरीने उम्मत पर बिल्खुसुस उलमाए अहनाफ पर तानब तशानी करते रहते हैं।

मौलाना मौसूफ ने ज़ेरे नज़र किताब में दोनों मसलकों का तफ्सील पेश करके दलाइल से साबित कर दिया है कि अहले कुरान व अहले हदीस होने का शर्फ़ दरहकीकत अहनाफ को हासिल है। रहे यह इत्तिबाए हदीस का दावा करने वाले गैर मुकल्लिदीन, तो उन का कुरान व सुन्नत से साल्लुक महज़ दिख्लावे का है, हकीकत में यह लोग अपनी आरा व ख्वाहिशात के पैरोकार हैं।

दुआ है कि बारी तआला मौलाना को भज़ीद इस तरह के मसाइल पर लिखने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।

बन्दा नसीरुद्दीन गुफ़िरलह

मुफ्ती मदरसतुल उलूम मदरसा हुसैन बख्शा,
देहली

21 सफर 1431 हिजरी

इज़हारे एतमाद

जनाब हज़रत मौलाना राशिद साहब दाम अलैना ज़िल्लहलु आली
नाइब मोहतमिम दारुल उलूम मुहम्मदिया मील खेड़ला, भरतपुर, राजस्थान,
मेवात व शौखल हदीस कुल्लियतुत् ताहिरात, मील खेड़ला

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله
واصحابه اجمعين.

अजीज़म मौलाना मुहम्मद रफ़ीक़ कासमी सल्लमहू का तरतीब दादह
"मुसब्बदह मसलके अहनाफ़ व मसलके ग़ैर मुकल्लिदीन का तफ़ाबुली
मुतालिआ" बवास्ताए मौलाना मुहम्मद इम्राईल साहब नाज़िमे मदरसा मदीनतुल
उलूम बारा भड़कौल, ज़िला अलवर, दस्तियाब हुआ। मैं ने सोचा सरसरी नज़र
डाल लूँ। मैं ने पढ़ना शुरू किया तो छोड़ने को तबीअत ने ग़बारा नहीं किया,
यहाँ तक कि पूरा मुसब्बदह पढ़ डाला। लिखा ख़ूब लिखा उसलूबे तहरीर सादा
दिलचस्प, मौलवियाना तअल्ली से ऊपर होकर कहता हूँ कि मुसब्बदह के
मुतालिआ से जाती तौर पर मुझे बहुत फायदा हुआ है, और अगर हमारे अहले
हदीस भाई और बिलख़ुसूस इस जमाअत के उलमा तअस्सुब की ऐनक उतार
कर इस रिसाले का मुतालिआ करें तो वोह अपना नज़रया बदलने पर मजबूर हो
जाएंगे। कई मसाइल में ख़ुद मेरी ग़लत फहमी दूर हुई। क्या ख़ूब काम किया है,
अगर मैं कसम खाऊँ तो हानिस नहीं होऊँगा कि यह रिसालह मेरे बहुत ही देरीना
ख़ाब की ताबीर है। अल्लाह पाक इनकी ख़िदमत को क़बूल फरमाए।

अल्लाह जल्ल जलालुहू का हिफाज़ते दीन का वादा है, इस के असबाब
कें तौर पर हर दौर में इसी सलाहियत के अफ़राद को पैदा फरमाते हैं, जिस
नौइयत के फितने जन्म लेते हैं। जालिकी और उस के अतराफ़ में क़ूछ लोगों ने
फिकह हनफी के बारे में बहुत सी ग़लत फहमियाँ पैदा कर दी हैं, जिन से
मौलाना मुहम्मद रफ़ीक़ साहब को दोषार होना पड़ा। यह तो सबबे करीब है
वरना हिन्दुस्तान के तमाम सूबों व तमाम मुमालिक की मुस्लिम आबादियों में

यह फितना जोरों पर है। हमारी नई नसल के उलमा और तलबा को इस किसम के हालात से दोघार होना पड़ता है। मेरी तमन्ना है कि यह रिसाला तबाअत के मरहले से गुजर कर हर आलिमे दीन के हाथों में पहुँचे जिसे उनका यकीन में इजाफा होगा और दीन में तसल्लुब की कैफियत पैदा होगी। ऐहले इल्म की तरफ से मौलाना रफीक साहब मुबारकबादी के मुस्ताहिक हैं। मेरा एक ख़्याब और है, कि इस मौजू पर मज़ीद तहकीकी काम करके इस्त्रासार के साथ एक रिसालाह तरतीब दिया जाए, जिस की ज़बान अरबी हो, और उसको अरबी मदरिस के निसाब में दाख़िल करके अरबी चहारुम, या अरबी पन्जुम के तलबा को पढ़ाया जाए, और उस रिसाले को बुनयाद बनाकर मक़ाला तय्यार करने का मुक़ल्लफ़ बनाया जाए, तो इस फ़ितने की सरकूबी के लिए बहुत जल्द एक टीम तय्यार हो जाएगी। अल्लाह करे यह काम भी जल्द हो जाए।

मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मौलाना रफीक साहब को दीन की हिफ़ाज़त व सियानत और दावत के काम के लिए क़ुबूल फ़रमाए। और उन के कलम को जिला बख़्शे।

मुहम्मद राशिव

मुदरिसे दारुल उलूम मुहम्मदिया मील खेड़ला
14 ज़िल हिज्जा 1430 हिजरी अल मुवाफ़िक 2
दिसम्बर 2009 हिजरी

हौसला अफ़ज़ा कलिमात

हज़रत मौलाना बशीर अहमद साहब कासमी
इमाम व ख़तीब व मुहर्रिर मस्जिद मदरसतुल उलूम मदरसा हुसैन बख़्श,
देहली

بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى

अजीजुल क़दर जनाब मौलाना मुफ़्ती रफीक़ साहब कासमी उस्ताज़
मदरसतुल उलूम मदरसा हुसैन बख़्श, मटिया महल जामे मस्जिद, देहली-6 ने
अपनी दीगर मसरूफियात के बावजूद पूरी मेहनत व लगन और इल्मी क़द् व
काव्शिश व अक्र-रेज़ी से बेश-बहा गिरा-क़दर तालीफ़ का अनमोल इल्मी
गुलदस्ता -

“मसलके अहनाफ़ व मसलके ग़ैर मुक़त्लिदीन का तक़्वाली मुतालिआ”
पेश किया है। जो दौरे हाज़िर के अदीमुल फ़ुरसत अवाम व ख़वास के लिए
घश्म-ए-इल्मे-फ़ैज़ का अहम तरीन तोहफ़ा-ए-नायाब है।

अल्लाह रब्बुल इज़ज़त मौसूफ़ की मौजूदा किताब व दीगर तसानीफ़ व
तालीफ़ात व मसाई ए जमीला को क़बुल फ़रमाकर मज़ीद मक़बूलियत का
मक़ाम अता फ़रमाए, और उम्मतु मुस्लिमा के लिए नफ़ा बख़्श बनाकर सआदते
दारेन का ज़रीआ बनाए।

फ-जज़ाक़ल्लाहु अहसनल जज़ा!

बशीर अहमद कासमी

इमाम व ख़तीब व मुहर्रिर मस्जिद मदरसतुल
उलूम हुसैन बख़्श, जामा मस्जिद, देहली-6
8 रबीउस्सानी 1431 हिज़री, बरोज़ जुमेरात,

25-03-2010

بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى

आगाजे गुफ्तुगू

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَدَهُ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ - وَعَلَى آيَاتِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ - أَمَّا بَعْدُ .

फिरक-ए-गैर मुकल्लिदीन जो अपने आप को अहले हदीस कहता है, उसके तअल्लुक से हमारे अकाबिरीन उलमा ने बहुत कुछ लिख दिया है जो उम्मत की रहनुमाई के लिए काफी है। अकाबिरीन उलमा की तहरीरों के सामने मुझ जैसे अदीमुल इल्म व कलीलुल फहम का इस मौजू पर कलम उठाना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। मगर राकिमुल हुरूफ के अपने वतन (जालिकी) के अतराफ में इस फिरके के मौजूद होने और कई मर्तबा उनसे बाज मसाइल में बहस व मुबाहिसा होने की वजह से यह नाचीज मजीद इस मौजू पर लिखने की जुरअत करता है। अगर मैं यह कहूँ कि मेरे इस मौजू पर कलम को हरकत देने की वजह इन लोगों का बाज इख्तिलाफी मसाइल को छोड़ कर हनफी मसलक के बारे में अवामुन्नास के अन्दर गलत फहमियाँ पैदा करना है तो बजा होगा।

बहरहाल पेशे नज़र किताब में अहक़र ने मसलके अहनाफ़ और मसलके गैर मुकल्लिदीन को कुरआन-व-सुन्नत पर पेश करके तकाबुल कराया है, ताकि अवाम को भी मालूम हो जाए कि हनफी मसलक कुरान व सुन्नत के सबसे ज़्यादा करीब है। और गैर मुकल्लिदीन का कुरान व हदीस पर सबसे ज़्यादा अमल करने का दावा बिल्कुल खोखला है। नीज़ उनका हनफियों पर यह इल्जाम लगाना कि हनफी लोग कुरान व हदीस को छोड़ कर इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की तक्लीद करते हैं। उन के क़ौल के मुकाबले में (अलअयाज़ु बिल्लाह) सही हदीस को छोड़ देते हैं, यह हकीकत व वाक़ए के सरासर ख़िलाफ़ है और अहनाफ़ के ख़िलाफ़ प्रौपगैन्डा है। अल्लाह तआला इन के फरेब से उम्मत को महफूज़ फरमाए। आमीन।

अलगरज़ इस किताब को पढ़ने के बाद इन्शाअल्लाह रोज़े रौशन की तरह अयी हो जाएगा कि हकीकत में कुरआन व सुन्नत पर अमल करने वाले हनफी

लोग हैं और ग़ैर मुक़त्लिदीन का क़ुरान व हदीस पर अमल करने का दावा बेबुनियाद है। यह लोग क़ुरान व हदीस के ज़र्क-बर्क टाइटिल से लोगों को धोका देते हैं कि हम अहले हदीस हैं, जो क़ुरआन व हदीस पर अमल करते हैं।

बड़ी नासिपासी होगी अगर इस मौके पर मौलाना इमरान साहब कासमी (साबिक उस्तादे हदीस जामिअतुल क़ुरान व सुन्नह बिजनौर), मुफ़्ती इब्राहीम साहब (नाइब मुफ़्ती मदरसा मुईनुल इस्लाम, ज़िला मेवात, नूह, हरयाणा), मौलाना यामीन साहब, मौलाना ज़ियाउल हक साहब (उस्ताज़ मदरसा सुब्कानिया, कसाब पुरा, देहली), मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब (उस्ताज़ मदरसा अब्दुर्रब, देहली), मौलाना शाहिद अमीनी (राज०) और अज़ीज़म मौलाना इश्तियाक़ हरियानवी (मुतअल्लिम पन्जुम, अरबी मदरसा हुसैन बख़्श, देहली) का ज़िक्र न किया जाए कि इन हज़रात ने किताबे हाजा कि तसहीह वगैरह में तआवुन फरमाया है।

दुआ है कि अल्लाह तआला इस किताब को उम्मत के लिए रहनुमाई का ज़रीआ बनाए और इस नाचीज़ के लिए ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत बनाए।

وما ذالك على اللّٰه بعزيز- آمين- يا ربّ العالمين-

अबू उज़ैर मुहम्मद रफ़ीक़ कासमी
खादिमुत तदरीस मदरसतुल उलूम हुसैन बख़्श,

जामा मस्जिद, देहली-6

(1) थोड़ा पानी निजासत गिरने के बाद पाक रहेगा या नापाक ?

मसलक़े अहज़नाफ़

थोड़ा पानी निजासत गिरने से नापाक हो जाएगा।

दलील :-

عن ابي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال... وَإِذَا سَقَيْتَ أَحَدَكُمْ مِنْ نَوْبِهِ فَلْيَفْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنْ أَحَنَكَمْ لَا يَدْرِي أَيَّنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

(बुख़ारी शरीफ़ 28/1 बइश्शितल्लाफ़ अल्फ़ाज़ मुस्लिम 136/1 अबू दाऊद 14/1 निसाई 20/1 इब्ने माजा 32)

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अपनी नींद से बेदार हो तो वह अपने हाथ बरतन में डालने से पहले धो ले, क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि उस के हाथ ने रात कहीं गुज़ारी है।

عن ابي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليفسله سبعة.

(बुख़ारी शरीफ़ 29/1 बइश्शितल्लाफ़ अल्फ़ाज़ मुस्लिम 137/1 अबू दाऊद 10/1 तिर्मिज़ी 10/1 निसाई 22/1 इब्ने माजा 30 मुन्नादे अहमर 214/2)

मसलक़े ग़ैर मुक़ल्लिदीन

पानी ख़्वाह कम हो या ज़्यादा निजासत गिरने से नापाक नहीं होता है, इस्ला यह कि उस की बु, मज़ा और रंग में फर्क पड़ जाए।

(देखिए : फ़तावा सनायिह 1/414)

दलील :-

तिर्मिज़ी शरीफ़ की इस रिवायत को ये लोग इस्तदलाल में पेश करते हैं :

إنّ الماء طهور لا ينجسه شيء
कि पानी पाक है इस को कोई चीज़ नापाक नहीं करती।

वजह इस्तदलाल यह है कि इस हदीस शरीफ़ में कमी ज़्यादती की कोई क़ैद नहीं है जिस से मालूम हुआ कि निजासत गिरने से मुतलक़न पानी नापाक नहीं होगा ख़्वाह कम हो या ज़्यादा।

जवाब :-

यह है कि यह हदीस अपने ज़ाहिर पर महमूल नहीं है क्योंकि अगर हदीस के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ को देखा जाए तो निजासत से रंग, बु, मज़ा बदलने के बाद भी पानी को पाक कहना चाहिए क्योंकि हदीस में इसकी भी कोई क़ैद नहीं है हालांकि आप ख़ुद इसके फ़ाइल नहीं, रंग, बु, मज़ा बदलने के बाद तो आप भी पानी को नापाक कहते हैं।

तरजुमा :-

हजरत अबू हुरैरा (रजि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कुत्ता तुम में से किसी के बरतन से पी ले तो धो इस बरतन को सात भरतबा धोये।

फ़ाइदा :-

इन मज़कूरा दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि थोड़ा पानी निजासत गिरने से फौरन नापाक हो जाएगा। इस के लिए रंग, बु, मज़े का बदलना ज़रूरी नहीं। क्योंकि पानी में हाथ डालने और कुत्ते के बरतन में मूह डालने से रंग, बु, मज़े में कोई तब्दीली नहीं आती, इस के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदार होने वाले को हाथ धोने का और कुत्ते के झूटे बरतन को सात भरतबा धोने का हुक्म फरमाया।

नोट :

रंग, बु, मज़ा बदलने से पाने के जो नापाक होने का भ्रमला है वो ज़्यादा पानी के बारे में है यानी ज़्यादा पानी उस वक़्त नापाक होगा! अब इसके बाद आप अपनी पेशकदा

रिवायत की तौजीह सुनिए। यह रिवायत "अन الماء طهور لا ينجسه شئ" कि पानी पाक है, इसको कोई चीज़ नापाक नहीं करती आम पाकियों के बारे में नहीं है बल्कि यह खास है बीरे बुज़ाआ (बीरे बुज़ाआ मदीना मुनव्वरा में बहुत पुराना एक कुआँ है) के बारे में। जिस की तफ़सील यह है कि जम्हूर-ए-फ़ादिलियत में लोग इस में कूड़ा करकट डाला करते थे जिसकी वजह से सहाबा फिराम

मुमकिन है कि तगय्युरे औसाफ (रंग, बु, मज़ा बदलने) की कौद आप हज़रात "इब्ने मज़ा/39" की रिवायत "أَنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ" (बेशक पानी पाक है इस को कोई चीज़ नापाक नहीं कर सकती मगर जो (निजासत) उस के रंग, बु, मज़ा पर गालिब आ जाए) से लगाते हैं। लेकिन अल्सामा हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) ने "तल्खीजुल हबीर 26/1" में तफ़सील से साबित किया है कि यह रिवायत सही नहीं।

नीज़ इमाम दारे कुतनी इस ज़्यादाती "أَنَّ الْمَاءَ غَلَبَ عَلَيْهِ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ" को नकल करने के बाद लिखते हैं: لا يثبت هذا الحديث (दारे कुतनी 28/1) (यह हदीस साबित नहीं) लिहाज़ा तगय्युरे औसाफ की कौद से हदीस शरीफ़ को मुकय्यद करना किसी सही रिवायत की बुनियाद पर नहीं। औसाफ़े सलासा में से कोई वस्फ़ बदल जाएगा इस से पहले नहीं। तो आप भी पानी को नापाक कहते हैं।

☆☆☆

(रज़ि.) को शक हुआ कि हो सकता है कि अब भी यह नापाक हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन के इज़ाला-ए-शक की वजह से फरमाया :
 ھٰسِلِلْ یٰھٰ اَنْ ۤاَلْمَآءُ طَہُورٌ لَا یَنْجِسُ شَئٌ
 वसल्लम का "لَا یَنْجِسُ شَئٌ" फरमाना खास बीरे बुज़ाआ के पानी के मुतालिफ़ है आम पानियों के बारे में नहीं, जैसा कि मुत्ला अली कारी (रह.) ने फरमाया।

(देखिए : तोहफतुल अहबज़ी 170/1)

लिहाज़ा इस से आम पानियों के बारे में यह हुक्म लगाना कि वोह ख़ाह कम हो या ज़्यादा निजासत गिरने से नापाक नहीं होगा, दुरुस्त नहीं।

दूसरी तौजीह :

यह है कि "اَنْ ۤاَلْمَآءُ طَہُورٌ" से मुराद यह है कि पानी अपनी तबई एतबार से पाक होता है और ज़वाले निजासत के बाद नापाक बाकी नहीं रहता यानी निजासत गिरने से पानी नापाक तो हो जाता है मगर निजासत निकाल देने के बाद नापाक नहीं रहता और यह ऐसा ही है जैसा कि एक हदीस शरीफ में ज़मीन के मुतअल्लिक़ फरमाने रिसालत है: "اَنْ ۤاَلْاَرْضُ لَا تَنْجِسُ" कि ज़मीन नापाक नहीं होती। इस हदीस शरीफ से यह मुराद नहीं है कि ज़मीन पर नापाकी गिरने के बाद भी ज़मीन पाक ही रहती है बल्कि मुराद यह है कि ज़मीन से नापाकी दूर करने के बाद ज़मीन नापाक नहीं रहती बल्कि पाक हो जाती है, ऐसा ही पानी का मसला है।

(देखिए : तालीक़ुल हसन अला आसरिस सुनन/ 19 हाफ़ज़ा फिलहावी जिल्द 13/1)



(2) मनी पाक है या नापाक?

मसलके अहनाफ़

मनी नापाक है।

दलील :-

عن سليمان بن يسار سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كتبت اغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلوة واثر الغسل في ثوبه۔

(बुखारी शरीफ 36/1 बहखितालाफ अल्फज़ मुस्लिम 140/1 तिर्मिज़ी 31/1 निसाई 33/1 इने माना 40)

तरजुमा :-

हज़रत सुलैमान बिन यसार (रह.) फ़रमाते हैं कि मैं ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से उस मनी के बारे में पूछा जो कपड़े को लग गई हो तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया कि मैं रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से (मनी को) धोती थी फिर आप (सल्ल.) नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले जाते और धोने का असर आप (सल्ल.) के कपड़े में होता।

फ़ाहदा :-

हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि मनी नापाक है। इसी लिए तो हज़रत आइशा (रज़ि.) इस को नमाज़ के वक़्त धो डालती थीं धरना धोने की क्या ज़रूरत थी।

☆☆☆

मसलके जैर मुक़ल्लिदीन

मनी पाक है।

(देखिए : फ़तावा नज़ीरिया 335/1)

दलील :-

ये हज़रत इन तमाम रिवायात को इस्तदलाल में पेश करते हैं जिन में मनी को पाक करने का तरीका फर्क यानी रगड़ना आया है।

वजह इस्तदलाल यह है कि मनी अगर नापाक होती तो सिर्फ़ रगड़ना काफी न होता बल्कि खून की तरह धोना ज़रूरी होता।

(देखिए : तोहफ़तुल अहबज़ी 317/1)

जवाब :-

(1) यह है कि यह मनी को पाकी की दलील नहीं बन सकता क्योंकि नापाक अश्या को पाक करने के तरीके मुक़तलिफ़ हैं, बाज़ जगह पाक करने के लिए धोना ज़रूरी होता है, बाज़ जगह नहीं। घुनांधे रूई को पाक करने का तरीका यह है कि उसे धुन दिया जाए। इसी तरह ज़मीन सूखने से पाक हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह मनी को पाक करने का तरीका यह है कि उसे रगड़ दिया जाए बशर्ते कि वो ह़ुशक हो जिस की दलील हज़रत आइशा (रज़ि.) की यह हदीस है :

كُنْتُ أَفْرَكَ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَابِسًا
وَأَغْسَلَهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا.

(दारे इल्मी 125/1 तहावी 41/1)

तरजुमा :-

हजरत आइशा (रज़ि.) फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को रगड़ देती थी जबकि वोह खुरक होती और उस को धो देती थी जबकि वोह तर होती।

(2) मनी के अन्दर रगड़ने की इजाज़त बतीरे तख़फ़ीफ़ और रुख़सत के है लिहाज़ा इस से मनी की तहारत मफहूम नहीं होती।

(माख़ूज़ अज़ : अल्लयिबुज़् ज़की 278/1)

हजरत इमाम तहावी (रह.) ने रगड़ने वाली रिवायात का यह जवाब दिया है कि यह तमाम रिवायात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने के कपड़ों के मुतअल्लिक है। नमाज़ के कपड़ों के मुतअल्लिक नहीं हैं।

(देखिय : तहावी शरीफ़ 41/1)

यानी मतलब यह हुआ कि आप (सल्ल.) के पास दो तरह के कपड़े थे, सोने के और नमाज़ के। और सोने के कपड़ों में निजासत लग जाए तो उस के साथ सोने में कोई मुज़ाइका नहीं है।

(माख़ूज़ अज़ : इंग़दुर-तहावी 179-178/1)

नीज़ काबिले ग़ौर बात यह है अगर मनी पाक होती तो कहीं तो आप (सल्ल.) से मनी लगे हुए कपड़े में नमाज़ पढ़ना साबित होता, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मालूम हुआ कि मनी नापाक है।

ग़ौर मुकल्लिदों के एक बड़े जय्यद आलिम अल्लामा काज़ी शौकानी (रह.) भी यही फरमाते हैं कि मनी नापाक है।

घुनांचे मौसूफ़ अपनी किताब "नीलुल् अवतार" में तहरीर फरमाते हैं :
"فَالصَّوَابُ أَنَّ الْمَنِيَّ نَجَسٌ" यानी दुरुस्त बात यह है कि मनी नापाक है।

☆☆☆

(3) कुत्ता और खिन्जीर का झूठा पाक है या नापाक?

मसलके अहनाफ

कुत्ता और खिन्जीर का झूठा
नापाक है।

दलील :-

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب
فى اناء احدكم فليغسله سبعاً.

(बुखारी शरीफ 29/1)

तरजुमा :-

हजरत अबू हरैरा (रज़ि.) से
रिवायत है कि रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया कि जब कुत्ता तुम
में से किसी के बरतन से पी ले तो
वो उस बरतन को सात मरतबा
धोए।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम
हुआ कि कुत्ते का झूठा नापाक है
इसी लिए तो आप (सल्ल.) ने इस
के झूटे बरतन को सात-सात मरतबा
धोने का हुक्म फरमाया, वरना बरतन
धोने की क्या ज़रूरत थी।

जब मज़क़रा हदीस से कुत्ते का झूठा नापाक साबित हो गया तो खिन्जीर
का झूठा तो बदरज-ए-ऊला नापाक होगा।

☆☆☆

मसलके गैर मुक़त्लिदीन

कुत्ता और खिन्जीर का झूठा
पाक है।

اختلفوا فى لعاب الكلب والخنزير
وسورهما والازجح طهارته.

(नुज़ूलु अबरार 49/ बहवालह मसाहले गैर
मुक़त्लिदीन /249)

यानी कुत्ते और खिन्जीर के
लुआब और झूटे के बारे में
इफ़्तिलाफ़ है और राजह उस का
पाक होना है।

अल्लाह जाने इस बारे में इन
की क्या दलील है, हालांकि इन्ही के
एक जय्यिद आलिम शैख़ मुहम्मद
शमसुल हक़ "औनुल् माबूद 94/1"
में फरमाते हैं :

لكن القول المحقق نجاسة سور
الكلب.

यानी कौले मुहक़िकक़ यह है
कि कुत्ते का झूठा नापाक है।

☆☆☆

(4) हलाल जानवरों का पेशाब पाक है या नापाक ?

मसलक़े अहनाफ़

हलाल जानवरों का पेशाब

नापाक है।

दलील :-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حَيْطَانَ
الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ انْسَانَيْنِ
يَعْذِبَانِ فِي قَبُورِهِمَا فَقَالَ يَعْذِبَانِ
وَمَا يَعْذِبَانِ فِي كَبِيرٍ وَأَنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ
أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَقِرُّ مِنَ الْبَوْلِ وَكَانَ
الْآخِرُ يَمْشِي بِالنَّمِيْعَةِ.

(बुखारी शरीफ़ 894/1 बहख़िललाफ़ अल्फ़ाज़े
मुस्लिम 141/1 निसाई 16/1 इब्ने माजा 29/)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.)
फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.)
मदीना मुनध्वरा की एक चहारदीवारी
के पास से गुज़रे तो आप (सल्ल.)
ने दो इन्सानों की आवाज़ सुनी जिन
को उन की कबरों में अज़ाब हो रहा
था। तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया
कि उन दो कबर वालों को अज़ाब
हो रहा है और उन को किसी बड़ी
चीज़ की वजह से अज़ाब नहीं हो
रहा है। उन में से एक का बड़ा गुनाह
तो यह था कि वोह पेशाब से नहीं
बचता था और दूसरा चुगलख़ोरी
किया करता था।

मसलक़े ग़ैर मुक़ल्लिदीन

हलाल जानवरों का पेशाब
पाक है।

(देखिए : तोहफ़तुल अहयज़ी 206/1)

यह लोग हज़रत अनस (रज़ि.)
की इस रिवायत को दलील में पेशा
करते हैं :

إِنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ
فَاخْتَوَوْهَا فَبِعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آيْلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ
اشْرَبُوا مِنَ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا.

(तिर्मिज़ी 21/)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते
हैं कि उरयना से कूछ लोग मदीना
मुनध्वरा आए तो उन को मदीना को
आब-ब-हवा मुवाफ़िक़ न आई, तो
रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने उन को सद्के के ऊँटों
में भेज दिया और उन से फ़रमाया कि
तुम इन ऊँटों का दूध और पेशाब
पियो।

वजह इस्तदलाल यह है कि
अगर ऊँटों का पेशाब नापाक होता
तो आप (सल्ल.) उन को पेशाब पीने
का हुक़म न फ़रमाते। जिस से मालूम
हुआ कि ऊँटों का पेशाब पाक है
और रहा दूसरे हलाल जानवरों का
पेशाब, तो वोह इस पर क़्यास की
वजह से पाक है।

عن انس قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم تنزهوا من البول
فإن عامة عذاب القبر من البول.

(अल-तरगीब वत-तरहीब 139/1)

तरजूमा :-

हज़रत अनस (रह.) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पेशाब से बचो, इस लिए कि आम तौर से अज़ाबे क़ब्र पेशाब की वजह से होता है।

फ़ाइदा :-

दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि पेशाब मुतलकन नापाक है, चाहे हलाल जानवरों का हो या हराम जानवरों का।

☆☆☆

मजबूर हो जाओ उस के खाने पर।

इस आयते करीमा से मालूम हुआ कि हालते इज़्तारर (सख्त मजबूरी) में हराम चीज़ें भी हलाल हो जाती हैं। घुनांचे हालते इज़्तारर में (भूक की वजह से) मुरदार खाना भी जाइज़ हो जाता है। (देखिए : फतहूल बारी राहे सहीह अल-बुखारी 338/1)। पस इसी तरह अहले उरयना को पेशाब पीना जाइज़ हुआ था, लिहाज़ा इस को हलाल जानवरों के पेशाब पर पाकी की दलील समझना ग़लत है। वल्लाहु अलमु बिस्सवाब।

दूसरा जवाब :-

यह है कि हदीसे उरयना मनसूख़ है। (देखिए : अलताय्यिबुल्लकी 210/1)

यह लोग इस हदीस को भी दलील में पेश करते हैं : صَلُّوا فِي مَرَاهِضِ الْغَنَمِ
कि तुम लोग बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ो।

(देखिए : तोहफतुल अहवज़ी 204/1)

जवाब :-

यह रिवायत ऊँटों के पेशाब के पाक होने की दलील नहीं बन सकती, क्योंकि आप (सल्ल.) ने उन लोगों को पेशाब पीने का हुकम दफ़ा ए बीमारी के लिए ज़रूरतन दिया था। देखिए : (तहावी शरीफ 83/1)। और बबक़ते ज़रूरत बाज़ हराम चीज़ें मुबाह हो जाती हैं। घुनांचे फरमाने बारी तआला है :

قَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا
اضْطَرَرْتُمْ إِلَيْهِ.

(इनाम 120/)

और वोह (अल्लाह) वाज़ेह कर चुका है जो कुछ उस ने तुम पर हराम किया है, मगर जबकि तुम

वजहे इस्तदलाल यह है कि बकरियों का बाड़ा पेशाब व मँगनियों का मरफज़ होता है, अगर उन का पेशाब नापाक होता तो आप (सल्ल.) उस में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं देते। (देखिए : तोहफ़तुल अहवज़ी 205/1)

जवाब :-

यह है कि मराबिजे ग़नम में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मसाजिद बनने से पहले थी बाद में यह हुक़म मनसूख़ हो गया। (देखिए : मआरिफ़ुस् सुनन 390/3) इस की ताईद (बुख़ारी शरीफ़ 61/1) की इस रिवायत से होती है।

عن انس قال قال كان النّبىّ صلّى اللّٰه عليه وسلّم يصلىٰ فى مواضع الغنم—قبل ان يُبنى المسجد.

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बनने से पहले मराबिजे ग़नम में नमाज़ पढ़ते थे।

नीज़ यह भी मुमकिन है कि मराबिज़ से मुराद उस के आस-पास का हिस्सा हो। (देखिए : मआरिफ़ुस् सुनन 389/3)

यह हज़रत इस हदीस को भी इस्तदलाल में पेश करते हैं : **إِنَّ اللَّهَ لَمَّ** कि अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत के लिए शिफ़ा किसी ऐसी चीज़ में नहीं रखी जो उस पर हराम हो।

वजहे इस्तदलाल यह है कि अगर हलाल जानवरों का पेशाब नापाक होता तो उस को बतौर दवा भी इस्तेमाल करना जाइज़ न होता।

(देखिए : तोहफ़तुल अहवज़ी 205/1)

जवाब :-

यह है कि यह हदीस हालते इज़्तिरार पर महमूल है, न कि हालते इज़्तिरार पर और हालते इज़्तिरार में हराम चीज़ हराम ही नहीं रहती। (देखिए : फतहुल बारी 339/1) लिहाज़ा इस में शिफ़ा हो सकती है।

हासिल यह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी “अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत की शिफ़ा हराम चीज़ में नहीं रखी” इस वक़्त है जबकि हराम चीज़ को बाँध किसी सख़्त मज़बूरी के बतौर दवा इस्तेमाल

किया जाए, न कि ज़रूरते शदीदह के वक़्त। क्योंकि हालते इज्तिरार (सख्त मजबूरी) में हराम चीज़ हराम ही नहीं रहती बल्कि मुबाह हो जाती है, लिहाज़ा जानवरों के पेशाब पीने का हुक़म देना भी हालते इज्तिरार ही में था। पस मालूम हुआ कि इस हदीस से हलाल जानवरों के पेशाब के पाक होने पर इस्तदलाल करना दुरुस्त नहीं। अल्लाहु आलमु बिस्सवाब।

☆☆☆

(5) क्या कुरआने पाक को बगैर वुजू के छूना जाइज है?

मसलके अहनाफ

कुरआने करीम को बगैर वुजू के छूना जाइज नहीं।

दलील :-

لَا يَسْتَأْذِنُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ-

(बुखारी शरीफ 29/1)

तारजुमा :-

नहीं छूते इसे (कुरआन को), मगर पाक हो।

फाहदा :-

यहाँ लफ्ज़े "मुतहहरून" की तफसीर उलमा ने दो तरह से की है (1) इस से मुराद फरिश्ते हैं; (2) इससे मुराद वोह लोग हैं जो निजासते ज़ाहिरी व मानवी से पाक हों। यानी हदसे असग़र (बेवुजू होने) व हदसे अकबर (जुन्वी होने) से पाक हों।

(मआरिफुल कुरान 286/8)

इस दूसरी तफसीर के पंशे नज़र बगैर वुजू के कुरआने करीम को छूना जाइज न होगा।

(देखिए : हाशिय-ए-जलालैन /448)

عن محمد بن حزم قال ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا يمسه القرآن الا طاهر-

(देखिए : मुअत्ता मुहम्मद /163)

मसलके गैर मुकल्लिदीन

कुरआने करीम को बगैर वुजू के छूना जाइज है। (देखिए : अरफुल जादी/15 यहवालः मसाइल गैर मुकल्लिदीन/234)

दलील :-

यह लोग इस हदीस لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ (कि कुरआन को सिर्फ पाक आदमी ही छूए) से इस्तदलाल करते हैं।

वजहे इस्तदलाल यह है कि हदीस शरीफ में लफ्ज़े طاهر मुहदिसे असग़र (बेवुजू) को शामिल है, क्योंकि मुहदिसे असग़र के बदन पर बजाहिर कोई नापाकी नहीं होती।

(देखिए : तोहफतुल अहवजी 387/1)

जवाब :-

गैर मुकल्लिदीनों के ही एक बड़े आलिम शेख अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी इस के जवाब में तहरीर फरमाते हैं कि हदीस शरीफ में मजकूर लफ्ज़े طاهر से मुराद मुतवज्जी (बावुजू) है।

(देखिए : तोहफतुल अहवजी 387/1)

अब यह हदीस शरीफ हनफिया की दलील बन गई क्योंकि अब हदीस शरीफ का मतलब होगा कि

तारजुमा :-

हज़रत मुहम्मद बिन हज़म से रिवायत है कि इस तहरीर में लिखा हुआ था, जिस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर व बिन हज़म (रज़ि.) के लिए लिखा था कि कुरआन को सिर्फ़ ताहिर (बाबुजू) आदमी ही छुए।

عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سليمان في سفر فانطلق فقضى حاجته ثم جاء فقلنا له يا عبد الله توطأ لعنا نسئلك عن آي من القرآن فقال سلوا فإني لا أمسه و آية لا يمسه إلا المطهرون.

(बुखारे बेहिफ़ी 90/1)

तारजुमा :-

हज़रत अब्दुरहमान बिन यज़ीद फरमाते हैं कि हम लोग एक सफ़र में हज़रत सुलैमान के साथ थे तो वोह कज़ाए हाज़त के लिए तशरीफ़ ले गए, फिर जब वो आए तो हम ने उन से कहा कि ऐ अल्लाह के बन्दे बूजू कर लीजिए ताकि हम आप से कुरआने करीम की आयात के बारे में मालूम करें तो हज़रत सुलैमान ने फरमाया मालूम कर लो मैं तो कुरान को छू नहीं सकता।

क्योंकि कुरआन को सिर्फ़ पाक आदमी (बाबुजू) ही छू सकता है।

मालूम हुआ कि कुरआने करीम को बग़ैर बूजू छूना जाइज़ नहीं।

☆☆☆

“कुरआन को सिर्फ़ बाबुजू आदमी ही छुए”। बाज़ेह रहे कि शौख अब्दुर रहमान मुबारकपुरी (ग़ैर मुक़त्लिद आलिम) इस मसले में हनफ़िया के साथ हैं। (देखिए : तोहफ़तुल अहवज़ी 387/1) में मौसूफ़ तहरीर फरमाते हैं :

وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلسُّمُوحِ حَدِيثًا كَبِيرًا أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ..... وَأَمَّا الْمَحْدُوثُ حَدِيثًا أَصْفَرُ فَذَهَبَ أَبُو عَبَّاسٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالضُّحَّاكُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مَسُّ الْمَصْحَفِ وَقَالَ الْقَاسِمُ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي النَّيْلِ. قُلْتُ الْقَوْلَ الرَّاجِحُ عِنْدِي قَوْلَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ.

यानी इस बात पर इजमा है कि मुहदिसे अकबर (जुन्बी) के लिए कुरान को छूना जाइज़ नहीं। बहरहाल मुहदिसे असगर (बेबुजू) तो हज़रत इब्ने अब्बास, शौबी और ज़हहाक इस के लिए जाइज़ करार देते हैं और कासिम व अकसर फ़ुकह् नाजाइज़ करार देते हैं। मैं (शौख़ मुबारकपुरी) कहता हूँ कि मेरे नज़दीक अकसर फ़ुकह् का कौल राजेह है।

☆☆☆

(6) कौ और ख़ून से वुजू टूटता है या नहीं?

मसलक़े अहनाफ़

कौ और ख़ून से वुजू टूट जाता है।

दलील :-

عن ابى الدرءاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ - قال ابو عيسى وزائ غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القي والرعاف.

(तिर्मिज़ी 25/1, इसी मज़मून की एक रिबायत कन्ज़ुल् आमाल अला मस्नद अहमद 442/3, और दूसरी मुअत्ता मालिक में देखी जा सकती है।)

हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) से रिबायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिम ने कौ की और फिर वुजू फ़रमाया। हज़रत इमाम तिरमिज़ी (रह.) फ़रमाते हैं कि बहुत से सहाबा किराम (रज़ि.) से और अलाबा अर्ज़ी, हज़रत ताबईन की राय यह है कि कौ और नक़सीर से वुजू टूट जाता है।

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته قي أو رعات أو قلنس أو مذئ

मसलक़े ग़ैर मुक़ल्लिदीन

कौ और ख़ून से वुजू नहीं टूटता।

(देखिए : अरफ़ुल् जादी /14 बहवाग़ना यसाफ़ले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /173)

दलील :-

यह हज़रत बुख़ारी शरीफ़ कौ इस रिबायत से इस्तदलाल करते हैं :

عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة ذات الرقاع فرمى رجل بسهم فنزقه الدم فركع و سجد ومضى فى صلاته.

(बुख़ारी शरीफ़)

हज़रत जाबिर (रज़ि.) से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिम ग़ज़वाए ज़ातुरिक़्क़ुम् में थे तो एक शख़्स को (नमाज़ में) तीर आ लगा जिस की वजह से ख़ून बहने लगा तो उस शख़्स ने रुकूअ़ किया, सज़दा किया, और बराबर नमाज़ पढ़ता रहा।

वजहसे इस्तदलाल यह है कि अगर ख़ून नाकिज़े वुजू होता तो यह शख़्स ख़ून निकलने के बाद बराबर नमाज़ न पढ़ता रहता।

(देखिए : तोहफ़ुल्लू अहवज़ी 244/1)

जवाब :-

यह है कि इस वाक़ए में आप

فَلْيَنْصِرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنَ عَلَيَّ صَلَاتِهِ

(इसे पन्नाह / 85)

हज़रत आइशा (रजि.) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने (नमाज़ में) कूँ की, या उस की नक़्सीर छूटी या उसको मज़ी आई तो फिर जाए और चुज़ू करे और फिर अपनी नमाज़ पर बिना करे।

फ़ाइदा :-

इत दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि कूँ और खून से चुज़ू टूट जाता है।

☆☆☆

सके और यह ग़ल्बए हाल और इस्तिग़्राफ़ की कैफ़ियत थी जिस से कोई फ़िक़ही मसला मुस्ताम्बत नहीं किया जा सकता।

(इसे सिमिज़ी 1/219)

इस की ताईद उन सहाबी (रजि.) के इन अल्फ़ाज़ से होती है : كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَبُهَا فَلَمْ أَحِبَّ أَنْ أَقْطِعَهَا. (अब्दु दाऊद 1/26) कि मैं एक ऐसी सुरत पढ़ रहा था कि जिस को मैं तोड़ना नहीं चाहता था।

यह लोग हज़रत हसन (रह.) के इस कौल को भी दलील में पेश करते हैं : مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ कि मुसलमान बराबर अपने ज़ख़्मों के साथ नमाज़ पढ़ते रहते थे।

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीर साबित नहीं, यानी उन सहाबी (रजि.) ने खून की हालत में नमाज़ आप (सल्ल.) के सामने नहीं पढ़ी थी कि आप (सल्ल.) उस पर नकीर फ़रमाते बल्कि यह सहाबी (रजि.) का फ़ेअल है जो दूसरी अहादीस के मुक़ाबले में हुज़्जत नहीं हो सकता।

(इसे सिमिज़ी 219/1)

नीज़ दरहक़ीक़त यह सहाबी (रजि.) नमाज़ और तिलावते कुरान की लज़्ज़त में इस क़दर महव थे कि या तो उन्हें खून निकलने का पता ही नहीं चला, या चला भी तो ग़ल्बए लज़्ज़त की वजह से नमाज़ न तोड़

जवाब :-

या तो यही वोह ज़ख़्म मुराद हैं जिनसे ख़ून न थम रहा हो, तो ज़ाहिर है कि यह भाजूर हुए जैसे मुस्ताहाज़ा औरत या फिर कि उन ज़ख़्मों से मुराद वोह ज़ख़्म हैं जिन से ख़ून न बह रहा हो, जिस की दलील यह है कि "मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 127/1" में सही सनद के साथ हज़रत हसन बसरी (रह:) से मरवी है कि बहने वाला ख़ून नाकिज़े वुजू है।

(देखिए : उम्दतुल् कारी 51/3)

लिहाज़ा यह ग़ैर मुक़त्लिदीन के ख़िलाफ़ हनफ़िया की दलील हुई।

☆☆☆

(7) वुजू में नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, और नियत करना फ़र्ज़ है या सुन्नत

मसल्लके अहनाफ़

वुजू में नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, और नियत करना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं।

दलील :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

(अल-माइदह 16)

तरजुमा :-

ऐ ईमान वालों जब नमाज़ के लिए उठो तो अपने चेहरों को धोओ और अपने हाथों को भी कोहनियों समेत धोओ और अपने सिरों का मसह करो और अपने पैरों को टखनों समेत धोओ।

फ़ाइदा :-

इस आयते करीमा के अन्दर अल्लाह तआला ने वुजू का तरीका बयान फ़रमाया है, लेकिन इस में नियत करने, नाक में पानी डालने और कुल्ली करने का हुक्म नहीं दिया।

जिस से मालूम हुआ कि यह चीज़ें फ़राइज़े वुजू में से नहीं हैं।

मसल्लके ग़ैर मुक़त्लिदीन

वुजू में नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, और नियत करना फ़र्ज़ है। घुनांचे नवाब वहीदुज्जुमां हैदराबादी लिखते हैं :

فَرَضَ الْوُضُوءَ وَالنِّيَّةَ وَالْمَعْضُضَةَ وَالْإِسْتِنشَاقَ.

(कन्हुल् हक़ाइक 11 बहवालह मसज्दले ग़ैर मुक़त्लिदीन 1155)

यानी वुजू का फ़र्ज़ नियत करना, कुल्ली करना, और नाक में पानी डालना है।

दलील :-

यह हज़रात तिर्मिज़ी शरीफ़ की इस रिवायत को दलील में पेश करते हैं :

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ कि जब तू वुजू करे तो नाक में पानी डाल।

वजहे इस्तदलाल यह है कि फ़ेअले अम्र है और अम्र में असल वुजूब है।

(तोहफ़तुल अहबज़ी 99/1)

जवाब :-

यह है कि यह तो ठीक है **فَانْتَثِرْ** सेग-ए-अम्र है मगर यहीं यह अम्र वुजूब व फ़रज़ियत के लिए नहीं है, जैसा कि आप हज़रात ने समझा है, बल्कि नुदुब-व-इस्ताहबाब पर महमूल है।

वरना इन का हुक्म भी आयते करीमा में जरूर दिया जाता, जैसे दीगर फरमान का हुक्म मज़कूर है।

عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وتفت الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيبت العشرة إلا أن تكون المصتضة.

(मुस्लिम 129/1)

तरजुमा :-

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि दस चीज़ें सुन्नत में से हैं। (1) मूँछ काटना (2) दाढ़ी बढ़ाना (3) मिसवाक करना (4) नाक में पानी डालना (5) नाखून काटना (6) डैंगलियों के पोरों को धोना (7) बगल के बाल नोचना (8) ज़ेरे नाक के बाल मूँडना (9) कम पानी इस्तेमाल करना। हज़रत ज़करिय्या (रावी ए हदीस) फ़रमाते हैं कि हज़रत मुसअब (रह.) ने फ़रमाया कि मैं दसवीं चीज़ को भूल गया, मगर यह कि वोह "क़ल्ली करना" है।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि नाक में पानी डालना, क़ल्ली करना, सुनने वुजू में से हैं, फ़राइज़े वुजू में से नहीं। बल्लाहु आलमू बिस्सवाब।

☆☆☆

(8) वुजू में दाढ़ी का खिलाल करना कैसा है?

असलके अहमफ़

वुजू में दाढ़ी का खिलाल करना मुन्नत है।

दलील :-

عن انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفأين ماءً فأدخله تحت خنكته فخلل به لحيته وقال هكذا أمر ربي.

(अबू दाऊद 19/1)

असलके गैर मुकल्लिदीन

वुजू में दाढ़ी का खिलाल करना दुस्स नहीं, और इस सिलसिले में जो भी अहादीस हैं सब नाक़ाबिले इस्तदलाल और कमज़ोर हैं। घुनांघे नवाब साहब भोपाली लिखते हैं :

واهاديث فعلم تخليل لحيه خالي از مقال نيست.

(देखिए : अरफ़ुल्ला जादी 112 बहवल्लह

मसाहले गैर मुकल्लिदीन 1136)

☆☆☆

तरजुमा :-

हज़रत अनस बिन मालिक (रह.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू करते तो एक थुल्लू पानी लेते और फिर उस को अपनी ठोड़ी के नीचे दाखिल करके उस से अपनी दाढ़ी का खिलाल करते और यह इरशाद फ़रमाते कि इसी तरह मुझे येरे रख ने हुकम दिया है।

عن عثمان بن عفان أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُخلل لحيته - قال ابو عيسى لهذا حديث حسن صحيح.

(तिर्मिज़ी शरैफ़ 14/1)

तरजुमा :-

हज़रत उसमान बिन अफ़फ़ान (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी का खिलाल फ़रमाते थे।

हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन (सही) है।

عن عمار بن ياسر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخلل لحيته.

(इमने याज़र 134)

तरजुमा :-

हजरत अम्मार बिन यासिर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लुआह अलैहि वसल्लम को दाढ़ी का ख़िलाल करते हुए देखा है।

फ़ाइदा :-

इन हदीसों से मालूम हुआ कि दाढ़ी का ख़िलाल करना सुन्नत है और सही अहादीस से साबित है लिहाज़ा इस का इनकार करना दुरुस्त नहीं। ख़ुद एक ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम शैख़ अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी इस को मुस्ताहब करार देते हैं, नीज़ इस सिलसिले में रिवायात को काबिले इस्तदलाल समझते हैं।

(देखिए : तोहफतुल अहवज़ी 107/1)

☆☆☆

(9) जुमे के दिन गुस्ल करना वाजिब है या सुन्नत

मसलके अहनाफ

जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है, वाजिब नहीं।

दलील :-

عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل.

(अबू दाऊद 51/1 बहफितलाके अल्फाजे लिभिनी 111/1 निमाई 1155 इब्ने माजा 176 मुअता मुहम्मद 174 कन्जुल् आमाल मुसल्लामुसन्ने अहमद 296/3)

तरजुमा :-

हजरत समुरा रजियल्लाहु अन्दु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शरूस (जुमे के दिन) जुजु करे तो बेहतर है और जो शरूस गुस्ल करे तो गुस्ल करना अफजल है।

यस मालूम हुआ कि जुमे के दिन गुस्ल वाजिब नहीं बल्कि अफजल व सुन्नत है।

☆☆☆

नीचे यह लोग हजरत अबू सईद खुदरी (रजि.) की इस हदीस को भी पेश करते हैं : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ कि जुमे के दिन हर बालिग पर गुस्ल वाजिब है।

मसलके और मुकत्लिदीन

जुमे के दिन गुस्ल करना वाजिब है। चुनावे नवाब साहब धोपाली लिखते हैं :

غسل برائے جمعہ واجب است (अरफूल जादी 114 बहखालह मसाइले गैर मुकत्लिदीन 1126) कि जुमे के लिए गुस्ल करना वाजिब है।

दलील :-

यह हजरत बुखारी शरीफ की इस हदीस को इस्तदलाल में पेश करते हैं : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ إِذَا الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ कि जब तुम में से कोई शरूस जुमे में आने का इरादा करे तो उस को चाहिए कि वोह गुस्ल करे।

बजहे इस्तदलाल यह है कि فَلْيَغْتَسِلْ सेग-ए-अन्न है, और वोह जुजुब पर दलालत करता है।

जवाब :-

यही सेग-ए-अन्न जुजुब पर नहीं बल्कि नुदुब-व-इस्तिहबाब पर दलालत करने के लिए है।

(देखिए : उम्दतुल कारी 166/6)

जवाब :-

यह है कि यह हुकम शुरू में एक आरिज़ की वजह से था। जब वोह आरिज़ ख़त्म हो गया तो यह हुकम भी ख़त्म हो गया। जिस की तफ़सील (मुस्नदे अहमद 41/4) की एक हदीस शरीफ़ में मौजूद है। वहाँ मुलाहिजा कर लिया जाए।

वोह आरिज़ यह था कि इब्तिदा में लोग मोटे ऊनी कपड़े पहनते थे जिस की वजह से गर्मियों में पसीना बग़ैरह की बू बदन से आने लगती थी, जो दूसरे लोगों के लिए ईजा रसानी का सबब बनती थी बिल्ख़ुसूस ज़ुमे के दिन। घूँके भीड़ भी ज़्यादा होती थी, इसलिए आप (सल्ल.) ने ज़ुमे के दिन गुस्ल का हुकम फ़रमाया।

यही मस्लक एक ज़य्यद ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम साहिबे सुबुलुस्सलाम अल्लामा सनआनी (रह.) का है, चुनांचे मौसूफ़ मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत :

وفي هذه الرواية : من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة
بيان أن غسل الجمعة ليس بواجب (سبب لسلام 86/2) कि इस रिवायत में
बयान है कि ज़ुमे का गुस्ल करना याजिब नहीं।

☆☆☆

(10) नमाज़े फजर में इसफार मुस्तहब है या ग़ल्स (अन्धेरा)

मसलके अहनाफ़

फजर की नमाज़ में असफार यानी इस को उजाले में पढ़ना मुस्तहब है।

दलील :-

عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فانه اعظم لأجوركم أو اعظم للأجر.

(अब दाऊद 61/1 बइकितलाफे अल्फाजे तिमिजी 40/1 निसाई 65/1 मुस्तदे अहमद 465/3 मुसन्नफे इब्ने अबी शेबा 282/1 इब्ने मुसन्न 19/2)

तरजुमा :-

हज़रत राफ़े बिन ख़ादीज (रज़ि.) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजर की नमाज़ को खूब सुबह करके पढ़ो इस लिए कि यह तुम्हारे लिए ज़्यादाती ए अजर का सबब है।

हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि फजर की नमाज़ को इस्फार यानि उजाले में अदा करना मुस्तहब है।

عن علي بن ربيعة أنّ عليّاً قال يابن التياح أسوّر بالفجر.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शेबा 283/1)

मसलके वीर मुकल्लिदीन

फजर की नमाज़ को ग़ल्स यानी अन्धेरे में पढ़ना मुस्तहब है।

(देखिए : तोहफतुल महवज़ी 410/1)

दलील :-

यह लोग हज़रत आइशा (रज़ि.) की इस रिवायत को दलील में पेश करते हैं :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فتنصرت النساء متلففاتٍ يبروطين ما يعرفن من الغلس.

(तिमिजी 140)

तरजुमा :-

कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ पढ़ाते तो औरतें अपनी चादरों में लिपटी हुई आतीं, अन्धेरे की वजह से पहचानी न जातीं।

वजह इस्तादलाल यह है कि अन्धेरे की वजह से औरतों का न पहचाना जाना दलील है कि आप (सल्ल.) फजर की नमाज़ को अन्धेरे में पढ़ते थे।

जवाब :-

यह है कि दरहफ़ीक़त इस रिवायत में लफज़ "من الغلس"

तरजूमा :-

हज़रत अली बिन रबीआ (रह.) फरमाते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ने (इब्ने तयाह से) फरमाया ऐ इब्ने तयाह फज़र की नमाज़ को इस्फ़ार में पढ़ा करो।

عن عبد الرحمن بن الاسود ان ابن مسعود كان ينوّر بالفجر.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शीबा 283/1)

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन असबद फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने मसूद (रज़ि.) नमाज़े फज़र को उजाले में पढ़ते थे।

عن زياد بن المقطع قال رأيت الحسين بن علي أسفر.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शीबा 283/1)

हज़रत जिथाद बिन भक़ता (रह.) फरमाते हैं कि मैं ने हज़रत हुसैन बिन अली (रज़ि.) को सुबह की नमाज़ को उजाले में पढ़ते हुए देखा है।

इन आसारे सहाबा से भी मालूम हुआ कि फज़र की नमाज़ को उजाले में अदा करना मुस्ताहब है।

☆☆☆

इस हदीस शरीफ़ में मज़कूर "تعنى من الغلس" (यानी अन्धेरे की वजह से) लफज़ साफ़ बतला रहा है कि "من الغلس" रावी की ज़्यादती है।

(अन्धेरा) जो आप हज़रत की दलील है यह हज़रत आइशा (रज़ि.) का लफज़ नहीं है, उन का कौल तो "ما يعرفن" पर ख़तम हो गया और उन का मनशा यह था कि औरतें घादरों में लिपटी हुई आती थीं इस लिए उन्हें पहचाना न जाता था। किसी रावी ने यह समझा कि न पहचाने जाने की वजह अन्धेरा था, पस उन्होंने रिवायत में "من الغلس" का लफज़ बढ़ा दिया।

दलील इस की यह है कि यही रिवायत बसन्दे सही (इब्ने माजह 149) पर इन अल्फ़ाज़ के साथ मरवी है।

عن عائشة قالت كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوة الصبح ثم يرجعن الى اهلهن فلا يعرفهن احدٌ تعنى من الغلس.

हज़रत आइशा (रज़ि.) फरमाते हैं कि हम मोमिन औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिम के साथ सुबह की नमाज़ पढ़तीं, फिर घरों को लौटतीं तो कोई नहीं पहचानता, यानी अन्धेरे की वजह से।

नीज़ हज़रत इमाम ताहावी (रह.) ने यह रिवायत इन अल्फ़ाज़ के साथ नक़ल की है "ثُمَّ يَرْجَعْنَ وَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ" यानी हज़रत इमाम ताहावी (रह.) ने "من الغلس" के अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं किये जिस से पता चलता है कि "من الغلس" के अल्फ़ाज़ रावी की ज़्यादाती है, भरफू हदीस के अल्फ़ाज़ नहीं हैं।

(देखिए : "मआरिफ़ुम् सुनन 37/2")

जब यह साबित हो गया कि लफ़ज़ "من الغلس" जो इन हज़रात की दलील है हदीस का टुकड़ा नहीं है तो अब इस हदीस शरीफ़ को इस्तदलाल में पेश करना दुख़्त न होगा।

और अगर मान भी लिया जाए कि लफ़ज़ "من الغلس" हदीस का टुकड़ा है तब भी इस से इस्तदलाल ताम न होगा, क्योंकि उस ज़माने में मस्जिदे नबवी की दीवारें छोटी थीं, छत नीची और उस में खिड़कियाँ भी नहीं थीं इस लिए इस्फ़ार (उजाले) के बावजूद भी वहाँ अन्धेरा रहता था जिस की वजह से औरतें पहचानी न जाती थीं। वल्लाहु आलम।

(देखिए : दर्से शिबिनी 403/1)



(11) गर्मियों में जोहर की नमाज़ को ताखीर से पढ़ना

अफजल है या जल्दी

मसलके अहनाफ़

ताखीर से पढ़ना अफजल है।

दलील :-

عن ابى سعيد قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أتردوناً بالظهر
فإن شدة الحر من فيح جهنم.

(मुबारकी 77/1 बद्रिकुल्लाके अल्फाजे मुस्लिम
224/1 अबू दउद 58/1 तिमिज़ी 40/1 निसाई
59/1 इब्ने माज़ 149 मुन्बदे अहमद 256/2
मुसन्नाफ़ इब्ने अबी शेबा 286/1 तहावी शरीफ
138/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.)
से मरवी है कि रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया कि जोहर की नमाज़
को ठण्डी करके (ताखीर से) पढ़ा
करो। इस लिए कि गर्मी की शिहत
जहन्नम के जोश मारने से है।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम
हुआ कि गर्मियों में जोहर की नमाज़
को ताखीर से पढ़ना अफजल होगा।

☆☆☆

मसलके गैर मुकत्लिदीन

जल्दी पढ़ना अफजल है।

दलील :-

यह हज़रत तिमिज़ी शरीफ़ की
इस रिवायत को इस्तदलाल में पेश
करते हैं।

عن عائشة قالت ما رأيت أحداً كان
أشدّ تغجلاً للظهر من رسول الله
صلى الله عليه وسلم ولا من أبى بكر
ولا من عمر.

हज़रत आइशा (रज़ि.) फरमाती
हैं कि मैं ने जोहर की नमाज़ को
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम, हज़रत अबू बकर (रज़ि.)
और हज़रत उमर (रज़ि.) से ज्यादा
जल्दी पढ़ने वाला किसी को नहीं
देखा।

जवाब :-

यह हदीस शरीफ़ सर्दियों से
मुतअल्लिक है, गर्मियों के बारे में
नहीं है, जिस की दलील "तहावी
शरीफ़ 138/1" की यह रिवायत है :

عن انس بن مالك و ابن مسعود ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يُعجلها في الشتاء ويؤخرها في
الصيف.

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) और हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दियों में (ज़ोहर की नमाज़ को) जल्दी पढ़ा करते थे और गर्मियों में ताख़ीर से।

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि ताजीले ज़ोहर से मुतअल्लक़ रिवायात सर्दियों के बारे में हैं न कि गर्मियों से मुतअल्लक़, लिहाज़ा इन से इस्तदलाल करना दुरुस्त न होगा।

दूसरा जवाब :-

यह है कि गर्मियों में ताजीले ज़ोहर से मुतअल्लक़ जो अहदीस हैं वोह मन्सूख़ हैं (देखिए : तहावी 138/1)

दलील हज़रत मुगीरा बिन शोबा (रज़ि.) की यह हदीस है -

قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهجير ثم قال إنّ شدة الحر من فيح جهنم فابردوا بالصلاة.

हज़रत मुगीरा बिन शोबा (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम को सख़्त गर्मी में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई फिर आप (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमाया बेराक़ गर्मी की सख़ती जहन्नम के जोरा से है, लिहाज़ा तुम लोग ज़ोहर की नमाज़ ठण्डा करके (ताख़ीर से) पढ़ा करो।

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हो गया कि गर्मियों में ताजीले ज़ोहर का हुक्म मन्सूख़ हो गया।

☆☆☆

(12) असर की नमाज़ को जल्दी पढ़ना मुस्तहब है या ताखीर से

जसल्लल्ले अहज़ाज़

ताखीर से पढ़ना मुस्तहब है।

दलील :-

عن علي بن شيبان قال قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بِيضَاءَ نَقِيَّةٍ.

(म्बू छकर 59/1)

तारजुमा :-

हज़रत अली इब्ने शैबान (रज़ि.) फरमाते हैं कि हम लोग मदीना तय्यिबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए (तो हम ने देखा कि) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े असर को आफताब के सफ़ैद और साफ़ रहने तक मुअख़्ख़र करते हैं।

عن رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير العصر. (مسند احمد 2/673)

फ़ाइदा :-

हज़रत राफ़े बिन ख़दीज (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ को ताखीर से पढ़ने का हुकम फरमाते थे।

जसल्लल्ले और मुक़त्लिदीज

जल्दी पढ़ना मुस्तहब है।

दलील :-

यह लोग "तिर्मिज़ी शरीफ़ 41/1" की इस रिवायत को इस्तिदलाल में पेश करते हैं :

عن عائشة انها قالت قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر و الشمس في حُجْرَتِهَا لم يظهر الفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا.

हज़रत आइशा (रज़ि.) फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन के (हज़रत आइशा रज़ि. के) हुजरे में असर की नमाज़ पढ़ी, जबकि धूप हुजरे से चढ़ी नहीं थी, यानि फ़र्श पर थी, दीवार पर नहीं चढ़ी थी।

इस से मालूम हुआ कि आप (सल्ल.) असर की नमाज़ को जल्दी पढ़ते थे।

जवाब :-

यह है कि इस हदीस शरीफ़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर की नमाज़ को ताखीर से पढ़ना साबित होता है, न कि जल्दी पढ़ना। लिहाज़। यह हदीस ग़ैर मुक़त्लिदी के ख़िलाफ़ हमारी दलील

عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَخْرَجَ مَا لَا يَقْتَسِمُهُ يُعَادِرُ بِهِ اللَّيْلَ.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 288/1)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने अबी मुलैका (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ाई फिर भाल निकाल कर उस को तकसीम करने लगे तो रात जल्दी आ गई।

फ़ाहदा :-

मज़कूरा तीनों हदीसों से मालूम हुआ कि आप (सल्ल.) असर की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ते थे, लिहाज़ा इस में ताख़ीर मुस्तहब होगी।

नोट :

ताख़ीरे असर से मुत्अल्लिक मज़ीद रिवायात तिर्मिज़ी 42/1, इलाउस् सुन्न 36/2, नस्बुर रायह 1/251 में देखी जा सकती हैं। नीज़ आसारे साहाना (रज़ि.) को मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 288/1 पर देखा जा सकता है।

☆☆☆

वसल्लम असर की नमाज़ पढ़ाते जब कि सूरज बलन्द होता, चुनांचे कोई जाने वाला अख़ाली तक जाता (अवाली वोह जगहें कहलाती हैं जो मदीना तय्यिबा से मशरिफ़ की जानिब तकरीबन आठ मील या उस से कुछ फ़ासले पर आबाद हैं) (हशिया 12, बुख़ारी 123/1) और वोह अहले अवाली के पास पहुँच जाता, हालांकि सूरज बलन्द ही रहता।

है, न कि उनकी हमारे ख़िलाफ़। क्योंकि यहाँ पर हज़रे से मुराद हज़रत आइशा (रज़ि.) का हज़रा है।

जाहिर है कि इस सूरत में धूप के अन्दर आने का रास्ता सिर्फ़ दरवाज़े से ही हो सकता है और हज़रत आइशा (रज़ि.) के कमरे का दरवाज़ा छोटा था, इस लिए उस में धूप उसी वक़्त अन्दर आ सकती थी जब कि सूरज मग़रिब की तरफ़ काफी नीचे आ चुका हो। जो आप (सल्ल.) के असर की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ने पर दलालत करता है। (माख़ज़ अज़ दहें तिर्मिज़ी 409/1)

ग़ैर मुक़ल्लिदीन हज़रत अनस (रज़ि.) की इस रिवायत को भी दलील में पेश करते हैं :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةً حَتَّىٰ يَنْذَهَبَ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فِيأَتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةً.

तरजुमा :-

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि

वजह इस्तिदलाल यह है कि असर की नमाज़ के बाद इतना लम्बा सफ़र जब ही हो सकता है जब कि असर की नमाज़ जल्दी होती हो।

जवाब :-

(1) असर की नमाज़ के बाद इतना लम्बा सफ़र करना ताख़ीरे असर के बावजूद भी मुमकिन है, खास तौर से गर्मियों में।

(देखिए : मजारीफ़ुन् सुन्न 67/2)

(2) इस हदीस शरीफ़ में इस की सराहत नहीं है कि यह सफ़र पैदल होता था या सवारी से मुमकिन है कि अवाली तक का सफ़र सवारी से होता हो। जो ताख़ीरे असर के बावजूद भी मुमकिन है।

(देखिए : तहवी 1/140)

(3) यह हदीस मुज़तरब है (जो काबिले इस्तिदलाल नहीं), चूनांचे हज़रत इमाम तहावी (रह.) फ़रमाते हैं :

فقد اضطرب حديث انس هذا ما روى الزهرى منه بخلاف ما روى اسحاق بن عبد الله وعاصم بن عمرو وابو الابيض.

(तहवी शरीफ़ 140/1)

तहकीक कि हदीस अनस (रज़ि.) मुज़तरब है क्योंकि हज़रत इमाम तहावी (रह.) ने जो रिवायत हज़रत अनस (रह.) से नक़ल की है वोह इस रिवायत के खिलाफ़ है जिस को इमाम इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह, आसिम बिन अमर और अबुल् अब्थज़ ने इससे नक़ल किया है।

लिहाज़ा इस हदीस को इस्तिदलाल में पेश करना दुस्त न होगा।

यह स्लोग हज़रत राफ़े बिन ख़दीज की इस हदीस को भी अपना मुस्तदिल समझते हैं।

إل كُنَّا نصلّي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحرج الجوز فنقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحمًا نضيحاً قبيل مغيب الشمس.

(اخرجه البخارى، مسلم كما فى تحفة الاحوذى 1/140)

हज़रत राफ़े बिन ख़दीज (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असर की नमाज़ पढ़ते फिर ऊँट ज़बह

किया जाता और उस के दस टुकड़े किये जाते फिर उस को पकाया जाता, परस हम सूरज गुरुब होने से पहले ही पके हुए गोश्त को खाते।

बजहे इस्तिदलाल यह है कि इतना वक़्त असर के बाद उसी वक़्त मिल सकता है जब कि असर में ताजील हो।

जवाब :-

यह हदीस भी ताजीले असर की दलील नहीं बन सकती क्योंकि माहिरीन बावरधियों के लिए यह ताख़ीर असर के बाधुजूद भी मुमकिन है, इस लिए कि वोह लोग यह काम जल्दी जल्दी करते होंगे।

(देखिये : मआरिफुस् सुन्न 67/2 रबानी शरीफ 143/1)

☆☆☆

(13) नमाज़े इशा में ताख़ीर अफ़ज़ल है या ताजील

मसलके अहज़ाफ़

ताख़ीर अफ़ज़ल है।

दलील :-

عن ابى برزّة كان النّبىّ صلى الله عليه وسلم يؤخّر العشاء.

(मुक़ामी शरीफ़ 80/1)

मसलके ग़ैर मुक़त्लिदीन

ताजील यानी जल्दी पढ़ना

अफ़ज़ल है।

दलील :-

अल्लाह जाने इन की दलील क्या है।

☆☆☆

तरजुमा :-

हज़रत अबू बरज़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ते थे।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا ان اشق على امتى لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه - قال ابو عيسى حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح.

(तिर्मिज़ी 42/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्कत का ख़ौफ़ न होता तो मैं उन्हें इशा की नमाज़ को तिहाई रात या आधी रात तक मुअख़ज़र करने का हुक्म देता।

हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फरमाते हैं कि यह हदीसे हसन सही है।

عن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 291/1)

तरजुमा :-

हज़रत ज़ाबिर बिन समुरा (रज़ि.) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ते थे।

(14) आमीन को आहिस्ता कहना मुस्तहब है या जोर से मसलकें अहनाफ़

आहिस्ता कहना अफज़ल है।

दलील :-

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

(आताफ़ 55)

तरजुमा :-

अपने रब को गिड़गिड़ा कर और थुपके थुपके पुकारो। अल्लाह तआला हद से तजाबुज़ करने वालों को पसन्द नहीं करते।

फाइदा :-

अल्लाह तआला ने इस आयत करीमा में दुआ को आहिस्ता करने का हुक्म दिया है, आमीन भी दुआ है। चूँकि इस के माना हैं "या अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा लीजिए"। इस लिए इस को भी आहिस्ता कहना मुस्तहब होगा।

चुनांचे हज़रत अता (रह.) फरमाते हैं कि आमीन दुआ है।

قال عطا أمين دعاء.

(बुक्वती शरीफ़ 107/1)

عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال أمين وخفض بها صوته.

मसलकें जोर मुकल्लिदीन

जोर से कहना अफज़ल है।

दलील :-

यह लोग हज़रत वाइल बिन हजर (रजि.) की इस रिवायत को दलील में पेश करते हैं :

قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال أمين ومدبها صوته.

(सिमिजी 57/1)

हज़रत वाइल बिन हजर (रजि.) फरमाते हैं कि मैं ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" पढ़ते हुए सुना और आप (सल्ल.) ने आमीन को कहा और कहते वक़्त अपनी आवाज़ को खींचा।

जवाब :-

यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन को जोर से कहना लोगों को आमीन के इस्तिहबाब की तालीम देने के लिए था, यानि लोगों को यह बतलाने के लिए था कि नमाज़ में सुरह फातिहा के बाद आमीन का कहना मुस्तहब है इस लिए आप (सल्ल.) ने आमीन को जोर से कहा, ताकि लोगों को इस का पता लग जाए कि सुरह फातिहा के बाद आमीन कही जाती है।

फ़ाहदा :-

इन मज़हबों तीनों हदीसों से मालूम हुआ है कि इशा की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ना मुस्तहब है।

नोट :-

ताख़ीरे इशा से मुतअल्लिक मज़ीद रिवायात को मुस्लिम शरीफ 229/1 अबू दाऊद 60/1 इब्ने माजा 49/ मुस्नदे अहमद 221/1 और इलाउस् सुनन 43/2 पर देखा जा सकता है।

☆☆☆

(लिबिंजी 58/1 बइफ़िजालाफे अल्फ़ान मुसन्से
अहमद मुरतबुल् काहिरा 205/3 - सुनने
केहकी 57/2)

तरजुमा :-

हज़रत अल्फ़मा अपने वालिद
से नक़ल करते हैं कि आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
(नमाज़ में) "غیر المغضوب علیهم
والا الضالین" को पढ़ा और आहिस्ता
से "आमीन" को कहा।

मालूम हुआ कि आमीन को
आहिस्ता कहना मुस्तहब है।

☆☆☆

से आमीन हम लोगों को तालीम देने के लिए कही थी।

(देखिए : मआरिफ़ुस् सुनन 406/2)

☆☆☆

इस की ताईद अबुल् बशार
अददौलाबी की किताब "الاسماء"
(197/1, ج) में राविए
हदीस (हज़रत वाइल बिन हज़र
रज़ि.) के इस कौल से होती है जो
मौसूफ़ ने इस हदीस को नक़ल करने
के बाद ज़िक्र किया है, घुनांचे मौसूफ़
(हज़रत वाइल बिन हज़र) इस हदीस
को नक़ल करने के बाद तहरीर
फरमाते हैं :

ما اراه الا ليعلمنا.

यानी मैं (हज़रत वाइल बिन
हज़र रज़ि.) समझता हूँ कि आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर

(15) रुकू के वक़्त रफ़ए यदेन करना मुस्तहब है या न करना

मसलके अहनाफ़

न करना मुस्तहब है।

दलील :-

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا أَصَلَى بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً.

(अब् दाऊद 109/1 तिर्मिज़ी 59/1 निसाई 158/1 मुसनदे अहमद मुस्तहब 168/3)

तरजुमा :-

हज़रत अल्क़मा (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ि.) ने (लोगों से) फ़रमाया कि क्या मैं तुम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ कर न बतलाऊँ?

राबी फ़रमाते हैं कि फिर आप (हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ि.) ने नमाज़ पढ़ी तो सिर्फ़ एक भरतबा (तक़बीरे तहरीमा के वक़्त) हाथ उठाए।

عن براء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح رفع يديه ثم لا يرفعهما حتى يفرغ.

(मुसनफ़ इब्ने अबी शैबा 213/1 मुनने वैहक्ती 77/2 तहावी शरीफ़ 127/1)

मसलके ग़ैर मुक़त्लिदीन

करना मुस्तहब है।

दलील :-

यह लोग बहुत सी रिवायात को इस्तिदलाल में पेश करते हैं, मगर सब से क़बी तरीन रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की ही समझी जाती है। (देखिए : अदिल्लिए कामिला 27/1), रिवायत यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

(बुखारी शरीफ़ 102/1)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप (सल्ल.) नमाज़ के लिए खड़े हुए तो आप (सल्ल.) ने अपने दोनों हाथ उठाए, यहाँ तक कि वोह आप (सल्ल.) के दोनों मुँहों के मुक़ाबिल हो गए और हुज़ूर (सल्ल.) यही

तरजुमा :-

हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो रफ़ए यदैन करते, यानी तक़्बारे तहरीमा के वक़्त और इस के बाद फारिग़ होने तक रफ़ए यदैन नहीं करते थे।

फ़ाईदा :-

मालूम हुआ कि बाद में रफ़ए यदैन मनसूख़ हो गया था लिहाज़ा अब रफ़ए यदैन न करना ही मुस्तहब होगा।

☆☆☆

मनसूख़ हो गया था, चुनांचे अल्लामा ऐनी (रह.) "उम्दतुल् कारी शार्ह सहीह बुख़ारी 273/" में तहरीर फ़रमाते हैं :

وَالَّذِي يَحْتَجُّ بِهِ الْخَصْمُ مِنَ الرَّفْعِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ ابْتِدَاءَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَسَخَ.

यानी रफ़ए यदैन की वोह रिवायत जिस को मुख़ालिफ़ीन दलील में पेश करते हैं कि वोह इब्तिदा ए इस्ताम पर महमूल है बाद में यह हुक़म मनसूख़ हो गया था।

इस की ताईद हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) की इस रिवायत से भी होती है :

إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى رَجُلًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرَّكْعَةِ فَقَالَ لَهُ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَكَهُ.

(अल्ताहफ़ीक़ इब्ने औजी बहवालाह नसबुर रायह)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) ने एक शख्स को नमाज़ में रुकू और रुकू से सर उठाते वक़्त रफ़ए यदैन करते हुए देखा, तो आप (रज़ि.) ने उस से फ़रमाया कि ऐसा (रफ़ए यदैन) न करो। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ए यदैन किया था, फिर तर्क कर दिया।

अमल करते जब रुकू के लिए तक़्बीर कहते, और यही अमल करते जब रुकू से सर उठाते।

जवाब :-

यह है कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायात इतनी मुतआरिज़ हैं कि उन में से किसी एक को तरजीह देना मुश्किल है।

(रसै लिभिज़ी 39/2)

दूसरा जवाब :-

यह है कि यह हदीस मनसूख़ है, क्योंकि रफ़ए यदैन की तमाम रिवायात इब्तिदा ए इस्ताम पर महमूल हैं, कि बाद में यह हुक़म

इस की ताईद उस हदीस शरीफ़ से भी होती है जिस को हज़रत इमाम तहावी (रह.) ने बसनदे सहीह "तहावी शरीफ़ 163/1" में नक़ल किया है :

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ.

हज़रत मुजाहिद फ़रमाते हैं कि मैं ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के पीछे नमाज़ पढ़ी, तो उन्होंने नमाज़ में सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ए यदैन किया।

इस हदीस शरीफ़ को नक़ल करने के बाद हज़रत इमाम तहावी (रह.) लिखते हैं:

यह इब्ने उमर (रज़ि.) हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा यदैन करते हुए देखा, फिर उन्होंने आप (सल्ल.) के बाद रफ़ए यदैन को तर्क कर दिया। ऐसा उसी वक़्त हो सकता है जब कि उन के नज़दीक रफ़ए यदैन का हुक़म मनसूख़ हो गया हो।

मालूम हुआ कि रफ़ए यदैन का हुक़म मनसूख़ हो गया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

☆☆☆

(16) रुकू पाने वाले की यह पूरी रकअत शुमार होगी या नहीं?

मसलके अहलाफ़ शुमार होगी।

दलील :-

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ أَنْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكِعَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّيَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ جِرْصًا وَلَا تَعُدَّ

(बुखारी शरीफ़ 108/ बहसिलालाफ़े अल्फाज़ ज़ब्र वजद 1/ निसाई 100/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू-बकरह (रज़ि.) से रिवायत है कि वोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास (मसिजद में) पहुँचे तो देखा कि आप (सल्ल.) रुकू में हैं तो उन्होंने (रकअत छूटने के खौफ से) सफ में पहुँचने से पहले ही रुकू कर लिया। (नमाज़ के बाद) आप (सल्ल.) से इस का तज़क़िरा किया तो आप (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमाया अल्लाह आप की चाहत को ज़्यादा करे आइन्दा ऐसा न करना।

फ़ाहदा :-

हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि रुकू में शरीक होने वाले की यह रकअत पूरी शुमार होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

मसलके और मुकल्लिदीन

शुमार नहीं होगी। (फ़तावा ए नज़ीरियह 496/1, फ़तावा ए सनाइयह 53/1)

दलील :-

और मुकल्लिदीन हज़रत हदीस शरीफ़ "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ" कि उस शख्स की नमाज़ नहीं होती जिस ने सूरहे फातिहा को नहीं पढ़ा, को दलील में पेश करते हैं और इन तमाम रिवायात को भी पेश करते हैं जो उस मानी में हैं।

(देखिए : मोहफ़तुल अहवज़ी 164/3)

वजहे इस्तिदलाल यह है कि रुकू में शरीक होने वाले से खूबि कयाम और किरात फौत हो जाती है, लिहाज़ा इस की यह रकअत शुमार न होगी।

जवाब :-

यह है कि रुकू हुकमन कयाम के मुशाबेह है, पस जो हुकम मुशाबेह बिही-कयाम का होगा वही मुशाबेह रुकू का भी होगा। देखिए : "फ़तहूल कदीर 420/1", जिसकी दलील हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की यह हदीस है:-

إِذَا أَدْرَكْتَ الْأَمَامَ رَاكِعًا فَرَكِعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَتَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ.

अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने इमाम के अपनी पीठ को सीधा करने से पहले रुकू पा लिया, उस ने नमाज़ को पा लिया यानी उस ने रकअत को पा लिया।

इदीस शरीफ के अन्दर मज़कूर सफ़ज़ "قَبِيلَ أَنْ يَقِيمَ الْأَمَامَ" इस बात की दलील है कि बुख़ारी शरीफ की रिवायत में भी "رُكْعَةً" से मुराद रुकू है।

लिहाज़ा इस से मालूम हुआ कि रुकू पाने वाले की यह रकअत शुमार होगी। यल्लाहु तआला आलम।

☆☆☆

(तिभिन्जी 71/1)। कि जिस ने कोई रकअत पढ़ी और उस में सूरहे फातिहा को न पढ़ा तो उस की नमाज़ न होगी, मगर यह कि वोह इमाम के पीछे हो।

नीज़ हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) फरमाते हैं :

مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ.

(तिभिन्जी 71/1)। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल "उस शख्स की नमाज़ नहीं होती जिस ने सूरहे फातिहा को नहीं पढ़ा" मुन्फरिद (अकेले नमाज़ पढ़ने वाले) के बारे में है।

☆☆☆

(17) तरावीह बीस रकअत हैं या आठ?

मसलके अहनाफ़

तरावीह बीस रक़ात हैं।

दलील :-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي
رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَا الْوُتْرِ.

(मुसन्नाफ़ इब्ने अबी रोबा 163/2, सुनने
बेहकी 496/2)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से
रिवायत है कि रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान
में बित्र के अलावा 20 रकअत
(तरावीह) पढ़ते थे।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانُوا
يَقْرَأُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
بِعِشْرِينَ رَكْعَةً.

(सुनने बेहकी 496/2)

तरजुमा :-

हज़रत साइब बिन यज़ीद (रह.)
फरमाते हैं कि सहबा (रज़ि.) हज़रत
उमर बिन अलख़त्ताब (रज़ि.) के
जमाने में रमज़ान शरीफ़ के महीने में
20 रकअत (तरावीह) पढ़ते थे।

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي
طَالِبٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ
خَمْسَ تَرَوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

मसलके ग़ैर मुक़त्लिदीन

तरावीह आठ रक़ात हैं।

दलील :-

यह हज़रत "बुख़ारी शरीफ़
154/1" में मज़कूर हज़रत आइफ़
(रज़ि.) की इस रिवायत को दलील
में पेश करते हैं।

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ
عَلَى إِهْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

तरजुमा :-

हज़रत आइशा (रज़ि.) फरमाते
हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम रमज़ान में और ग़ैर रमज़ान
में ग़्यारह रकअत (तीन बित्रों के
साथ) से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे।

जवाब :-

यह है कि ग़ैर मुक़त्लिदीनों को
इस हदीस शरीफ़ के समझने में थोड़ा
हुआ है या फिर अहनाफ़ से
मुख़ालफ़त की वजह से अपने ग़लत
मौकूफ़ पर बज़िद हैं, क्योंकि यह
हदीस शरीफ़ तरावीह से मुतअत्तिफ़
है ही नहीं, बल्कि यह हदीस शरीफ़
तहज़ुद से मुतअत्तिफ़ है।

दलील इस बात की यह है कि
हदीस शरीफ़ में रमज़ान और ग़ैर
रमज़ान दोनों की क़ौद है और यह
बात बिल्कुल ज़ाहिर है कि ग़ैर
रमज़ान में तरावीह की नमाज़ होती

(मुनने बैहफी 496/2 कम्पुल् जाम्मल अला
मुस्ने अहमद 315/3)

तरजुमा :-

हजरत अबुल् हस्ना (रज़ि.)
फरमाते हैं कि हजरत अली (रज़ि.)
ने एक शख्स को हुक्म दिया कि वोह
लोगों को 5 तरवीहा में बीस रकअत
पढ़ाये।

عن يحيى بن سعيد أن عَمَرَ بن
الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ
عَشْرِينَ رَكْعَةً.

(मुसन्नफ इब्ने अबी रोबा 162/2)

तरजुमा :-

हजरत यहया बिन सईद फरमाते
हैं कि हजरत उमर (रज़ि.) ने एक
शख्स को हुक्म दिया कि वोह लोगो
को 20 रकअतें पढ़ाये।

عن نافع بن عمر قال كان ابن ابي
مليكة يصلي بنا في رمضان عشرين
ركعة.

(मुसन्नफ इब्ने अबी रोबा 162/2)

तरजुमा :-

हजरत नाफे बिन उमर (रज़ि.)
फरमाते हैं कि इब्ने अबी मुलैका
(रज़ि.) हम को रमजान में 20
रकअत (तरावीह) पढ़ाते थे।

عن عبد العزيز بن رفيع قال كان
أبى بن كعب يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي
رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرِينَ رَكْعَةً وَ
يُؤْتِرُ بِثَلَاثٍ.

(मुसन्नफ इब्ने अबी रोबा 162/2)

ही नहीं। ही तहज्जुद की नमाज़
रमजान और गैर रमजान दोनों में
होती है। लिहाजा मालूम हुआ कि
यह हदीस शरीफ तरावीह से
मुतअल्लिक नहीं है बल्कि तहज्जुद
से मुतअल्लिक है।

घुनांचे शारिहे बुखारी हजरत
अल्लामा हाफिज़ इब्ने हजर (रह.)
“फतहूल् बारी शरहे सहीह बुखारी
27/3” में इस हदीस शरीफ से
मुतअल्लिक तहरीर फरमाते हैं।

و ظهر لي ان الحكمة في عدم الزيادة
على احدئ عشرة ان التهجذ و الوتر
مختص بصلوة الليل.

कि इस हदीस शरीफ से मेरी समझ में
यह आया है कि ग्यारह रकअत पर
ज्यादा न करने की हिकमत यह है कि
तहज्जुद और वित्र की नमाज़
सलातुल् लैल यानि रात की नमाज़
के साथ ख़ास है। मालूम हुआ कि
अल्लामा हाफिज़ इब्ने हजर (रह.)
भी इस हदीस को तहज्जुद पर ही
महमूल करते हैं।

गैर मुकल्लिदीन हजरात हजरत
जाबिर (रज़ि.) की इस रिवायत को
भी दलील में पेश करते हैं :

قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه
و سلم في شهر رمضان ثمان ركعات.
(اخرجه طبراني في الصغير و ابن خزيمة و ابن
عمان في صحيحهما كما في تحفة الاحقوى

(44/3)

तरजुमा

हजरत अब्दुल अजीज बिन

रफी फरमाते हैं कि हजरत उबै बिन कअब (रज़ि.) मदीना भुनख़रा में रमज़ान शरीफ़ में 20 रकअतें पढ़ाते थे और तीन रकअत वित्र।

عن أبي إسحاق عن الحارث أن كان يوم الناس في رمضان بالليل عشرين ركعة ويوتر بثلاث.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी सौबा 162/2)

हजरत अबू इस्हाक़ फरमाते हैं कि हजरत हारिस (रज़ि.) लोगों को रमज़ान शरीफ़ की रातों में 20 रकअत (तरावीह) और 3 वित्र पढ़ाते थे।

عن سعيد بن عبيد ان علي بن ربيعة كان يصلّي بهم في رمضان خمس ترويحات ويوتر بثلاث.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी सौबा 163/2)

हजरत सईद बिन उबीद फरमाते हैं कि हजरत अली बिन रबीआ रमज़ान में लोगों को 5 तरवीहा (20 रकअत) पढ़ाते थे।

फ़ाइदा :-

मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिम और सहाबा किराम (रज़ि.) का तरावीह की 20 रकअतें पढ़ने पढ़ाने का मामूल था। और बिहमिदल्लाह आज भी अहले हक़ का उसी पर अमल है।

हजरत जाबिर (रज़ि.) फरमाते

हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिम ने हम लोगों को रमज़ान में आठ रक़ात पढ़ाईं।

जवाब :-

यह है कि यह हदीस शरीफ़ काबिले इस्तिदलाल नहीं क्योंकि यह सनद के एतबार से कमज़ोर है।

घुनांचे अल्लामा नीमवी (रह.) इस की सनद के मुतअल्लिक़ फरमाते हैं :

رفى اسناده لين.

(आसादुस् सुनन 1391) कि इस की सनद में कमज़ोरी है।

कमज़ोरी की वजह यह है कि इस की सनद में एक रावी ईसा बिन जारियह हैं जिस के बारे में मुहदिसीन हजरत ने कलाम किया है।

घुनांचे हजरत यहया बिन मुईन (रह.) इस के बारे में फरमाते हैं :

عنده منكير

कि उन के पास मुन्कर हदीसों हैं :

हजरत इमाम निसाई (रह.) फरमाते हैं منكر الحديث वोह मुनकिरुल् हदीस है और उन से यह भी मनकूल है कि वोह मतरुकूल हदीस है। (देखिए : मौज़ानुल् एतदाल 311-310/3)

इमाम अबू दाऊद भी इन को

मुन्करुल् हदीस गर्दानते हैं। इमाम साजी और ओकैली ने इन का तज़क़िरा ज़ईफ़ रावियों में किया है।

नीज़ इब्ने अदी (रह.) फरमाते हैं कि इन की अहादीस महफूज़ नहीं।

(देखिय : सहजुलीयुन् सहज़ीय 207/8)

☆☆☆

(18) वित्र की नमाज़ वाजिब है या नहीं?

मसलके अहज़ाफ़

वाजिब है।

दलील :-

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کل
اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم.

(बुखारी 136/1)

हज़रत आइशा (रज़ि.) से
रिवायत है कि रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात
वित्र पढ़ते थे।

عن عبد اللہ بن بريدة عن أبيه
قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ
عليه وسلم يقول الوتر حق فمن
لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن
لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن
لم يوتر فليس منا.

(अबू दऊद शरीफ 201/1)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन बरीदा
अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि
मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना
कि वित्रे हक़ (लाज़िम) है जो शरूअ
वित्र न पढ़े वोह हम में से नहीं। वित्र
हक़ है जो शरूअ वित्र न पढ़े वोह
हम में से नहीं। वित्र हक़ है जो
शरूअ वित्र न पढ़े वोह हम में से
नहीं।

मसलके ग़ैर मुक़दिल्लीन

वाजिब नहीं है, मगर इस की
क़ज़ा है। घुनांधे नवाब साहब
भोपाली फ़रमाते हैं।

वित्र हक़ अस्त बर मुस्लिम
मगर वाजिब नीस्त मअहज़ा क़ज़ा
औ साबित शुदा।

(अरफ़ुल् जादी 133 बहवाल्लह यसाबले फ़ै
मुक़दिल्लीन 1226)

दलील :-

ग़ैर मुक़दिल्लीन हज़रत
“तिर्मिज़ी शरीफ़ 103/1” की इस
रिवायत को दलील में पेश करते हैं।
“عن علي قال الوتر ليس بحتم
كصلواتكم المكتوبة”.

हज़रत अली (रज़ि.) ने इरशाद
फ़रमाया वित्र तुम्हारी फ़र्ज़ नमाज़ की
तरह वाजिब (बमआना फ़र्ज़) नहीं।

जवाब :-

यह है कि इस हदीस शरीफ़ में
लफ़ज़ “حتم” फ़र्ज़ के मआनी में है,
लिहाज़ा अब हदीस का मतलब होगा
कि वित्र की नमाज़ 5 नमाज़ों की
तरह फ़र्ज़ नहीं है (बल्कि वाजिब है)
जैसा कि “كصلواتكم المكتوبة” के
अल्फ़ाज़ इस पर दाल हैं।

हासिल यह हुआ कि हदीसे यज़कूरा

عن علي قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم يا اهل القرآن
اوتروا فان الله وتر يحب الوتر.

(अब्दुलक़दर शरीफ 200/1)

हज़रत अली (रज़ि.) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया ऐ कुरआन वालों (मुसलमानों) वित्र पढ़ा करो, क्योंकि अल्लाह तआला भी वित्र (ताक) हैं वित्र को पसन्द फरमाते हैं।

फ़ाहदा :-

इन मज़हूरा तीनों हदीसों से मालूम हुआ कि वित्र की नमाज़ बाजिब है।

नोट :

युजुब वित्र से मुतअल्लिक मज़ीद रिवायात के लिए देखिए तिर्मिज़ी 103/1, निसाई 190/1, इब्ने माज़ा 182, मुअत्ता इमाम मालिक 144, मुस्नदे अहमद 337/3, कन्ज़ुल् आमाल अला मुस्नदे अहमद 65/2

☆☆☆

जवाब :-

(1) यह है कि यह रिवायात हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की एक दूसरी रिवायात के खिलाफ़ है क्योंकि इस में बज़ाहत है कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) वित्र को ज़मीन पर पढ़ते थे और इस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ मन्सूब करते थे। रिवायात मुलाहिजा फरमाइये।

में युजुब की नफ़ी नहीं की गई है जैसा कि हमारे ग़ैर मुक़त्लिद भाइयों ने समझा है, बल्कि फ़र्ज़ियत की नफ़ी की गई है।

(देखिए : मजाहिफ़ुस सुनन 179/4 और दर्जे तिर्मिज़ी 210/2)

यह लोग हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की इस रिवायात को भी दलील में पेश करते हैं :

ان رسول الله اوتر على بعيرة.

(तोहफ़तुल् अहबज़ी 442/2) कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (अपने) ऊँट पर वित्र की नमाज़ पढ़ी।

बजहे इस्तिदलाल यह है कि अगर वित्र की नमाज़ बाजिब होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस को सवारी पर न पढ़ते बल्कि नीचे उतर कर ज़मीन पर पढ़ते।

(देखिए : तोहफ़तुल् अहबज़ी 442/2)

عن ابن عمر انه كان يصلي على راحلته ويوتر بالارض ويزعم ان رسول الله

صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك.

(तहज़वी शरीफ़ 224/1)

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मरवी है कि वोह अपनी सवारी पर नमाज़ (तहज़जूद नफली नमाज़) पढ़ते थे और खिन्न को ज़मीन पर पढ़ते थे और कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे, यानी खिन्न को आप (सल्ल.) ज़मीन पर पढ़ते थे। आप की पेश कर्दा रिवायत और इस रिवायत में तआरूज़ हो गया। तत्बीक की शकल यह है कि आप की मुस्तदिल रिवायत में मज़कूर खिन्न से मुराद सलातुल् लैल (तहज़जूद की नमाज़) हो। धुनांधे सलातुल् लैल पर खिन्न का इत्लाक अहादीस में मशहूर व मारूफ़ है और सवारी पर तहज़जूद की नमाज़ बिल्इत्तिफ़ाक जाइज़ है।

(याख़ूज़ अज़ दलै तिर्मिज़ी 243/2)

(2) मुम्किन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिन्न की नमाज़ सवारी पर इस के हुकम में ताकीद आने से पहले पहले पढ़ते हों और फिर बाद में जब इस के हुकम में सख़्ती आ गई हो तो इस की रुख़सत न रही हो।

(देखिए : तहज़वी 285/1)

(3) आप की मुस्तदिल रिवायत हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मरवी है, हालांकि उन का अमल अपनी बयान कर्दा रिवायत के ख़िलाफ़ है, जैसा कि ऊपर पढ़ चुके और रावी का अमल अपनी बयान कर्दा रिवायत के ख़िलाफ़ रिवायत को बातिल कर देता है, लिहाज़ा आप का मुस्तदिल बातिल है।

(देखिए : अल्किफ़ायह अला फ़हलू कदीर 159/3)

☆☆☆

(19) वित्र की नमाज़ तीन रकअत हैं या नहीं?

मसलके अहनाफ़

वित्र की नमाज़ तीन रकातें हैं।

दलील :-

عن عائشة يصولى اربعاً فلا تسأل
عن حسنهن و طولهن ثم يصولى
اربعاً فلا تسأل عن حسنهن و
طولهن ثم يصولى ثلاثاً.

(बुखारी 154/1)

तरजुमा :-

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार रकअत नमाज़ पढ़ते थे और ऐसी पढ़ते थे कि तुम उन की खूबी और तूल के बारे में मत पूछो और फिर चार रकअत इसी तरह पढ़ते थे कि तुम उन की खूबी और तूल के बारे में मत पूछो और फिर चार रकअत इसी तरह पढ़ते थे। इस के बाद तीन रकअत (वित्र) पढ़ते थे।

عن على قال كان رسول الله صلى
الله عليه و سلم يوتر بثلاث.

हज़रत अली (रज़ि.) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन रकात वित्र पढ़ते थे।

عن عائشة ان رسول الله صلى الله
عليه و سلم لا يسلم فى ركعتى
الوتر.

मसलके धौर मुकत्लिदीन

वित्र की नमाज़ में तीन रकअतें नहीं हैं बल्कि तीन रकअत वित्र पढ़ने से मना किया गया है।

चुनांचे नवाब साहब भोपाली फरमाते हैं :

वहदीस ईतारियह बसेह रकअत जईफ बल्कि गैर साबित बल्कि अज़ी नहीं आमदह।

(अर्फुल् गाये 1/33 बहवालह मसाइले गैर मुकत्लिदीन 1/46)

तरजुमा :-

तीन रकअत वित्र की हदीस जईफ है बल्कि गैर साबित बल्कि तीन रकअत वित्र पढ़ने की मुमानअत आई है।

दलील :-

यह हज़रात इन तमाम रिवायात को दलील में पेश करते हैं, जिन में तीन रकअत वित्र को मकरूह करार दिया गया है, उन में से बाज़ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बाज़ सहाबा किराम (रज़ि.) से और बाज़ ताबईने इज़ाम (रह.) से मन्कूल हैं। मसलन हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) की यह हदीस :

“لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب.”
(तौहफुल्ल आहबजी 452/2)

तरजुमा :-

तीन रकात वित्र न पढ़ो कि तुम

(निसाई 191/1)

हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की दो रकअतों पर सलाम नहीं फेरते थे, यानी वित्र की तीनों रकअतों को एक सलाम से पढ़ते थे।

फ़ाइदा :-

मालूम हुआ कि तीन रकअत वित्र पढ़ना अहादीसे सहीहा से साबित है।

नोट :

वित्र की तीन रकअतों से मुतअल्लिक मज़ीद रिवायात को "अबू दाऊद शरीफ़ 201/1, इब्ने माजा 182" और "आसारे सहाबा (रज़ि.)" को "मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 163-162/2" पर भी देखा जा सकता है।

☆☆☆

लोग वित्र की नमाज़ को मगरिब के मुशाबेह बनाते हो।

जवाब :-

ग़ैर मुक़ल्लिदों ने इन रिवायात को समझने में ग़लती की है, क्योंकि इन रिवायात का यह मतलब नहीं है जो इन लोगों ने समझा है, और हो भी कैसे सकता है जबकि तीन रकअत वित्र पढ़ना आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिवायाते सहीहा कसीरा से साबित है। बल्कि मक़सद इन रिवायात का यह है कि वित्र में नमाज़े मगरिब की तरह सिर्फ़ तीन रकअत पर इकितफ़ा न करो। बल्कि वित्रों से पहले कुछ रकअत नफ़िल (तहज्जुद) की पढ़ लो।

(फतहूल मुस्लिम 293/2)

☆☆☆

(20) नमाज़ी के सामने से औरत, कुत्ते या गधे के गुज़रने से नमाज़ फ़ासिद होगी या नहीं?

मसलके अहनाफ़

नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी।

दलील :-

عن عائشة ذكر عنهما ما يقطع الصلوة الكلب والحصار والمرأة فقالت شيهتمونا بالحرمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى واني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدولي الحاجة فأكراه ان اجلس فاوذى النبي صلى الله عليه وسلم فانسل من عند رجله.

(बुखारी शरीफ़ 73/1 बइफ़िस्ताफ़े अल्फ़ाज़ मुसलिम शरीफ़ 198/1 अबू दाऊद शरीफ़ 109/1)

तरजूमा :-

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि उन के सामने उन चीज़ों का तज़क़िरा किया गया जो नमाज़ को क़तअ कर देती हैं। यानी कुत्ता, गधा और औरत का तो हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने फ़रमाया कि तुम लोग हम (औरतों) को गधों और कुत्तों के मुशाबेह करार देते हो। ख़ुदा की क़सम मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप (सल्ल.)

मसलके शैर मुक़त्लिदीन

नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।

घुनांघे नवाब साहब हैदराबादी फ़रमाते हैं :

ومرور الحمار والكلب الاسود او المرأة اذا لم تكن سترة.

(फ़न्जुलु हक़ाहक़ 127 बहयालह मसाहले शैर मुक़त्लिदीन 1272) यानी गधा और काला कुत्ता और औरत के गुज़रने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है।

दलील :-

यह लोग "तिर्मिज़ी शरीफ़ 79/1" की इस रिवायत को दलील में पेश करते हैं।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الرجل وليس بين يديه كاخرة الرجل او كواسطة الرجل قطع صلاته الكلب الاسود والمرأة والحمار.

तरजूमा :-

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब आदमी नमाज़ पढ़े और उस के सामने कजावे का अगला या पिछला हिस्सा (यानि कोई आड़) न हो तो उस की नमाज़ को काला कुत्ता, औरत और गधा क़तअ कर देते हैं।

नमाज़ पढ़ते और मैं चारपाई पर आप (सल्ल.) और कबिला के दरमियान लेटी रहती, फिर मुझे कोई ज़रूरत पेश आती तो मैं इस बात को पसन्द न करती कि मैं आप (सल्ल.) के सामने बैठ कर आप (सल्ल.) को तकलीफ़ दूँ। तो मैं आप (सल्ल.) की चारपाई के पाइंती से खिसक कर निकल जाती।

फ़ाहदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि अगर औरत नमाज़ी के सामने से गुज़र जाए तो उस से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती।

عن الفضل ابن عباس قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلية تعشان بين يديه فما بالنا ذلك.

(अब्दु दाऊद 104/1 बहकितलाफ़े तिथिज़ी 79/1, इब्ने माजा 167, मस्नदे अहमद 219/1)

तरजूमा :-

हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए जबकि हम अपने जंगल में थे और आप (सल्ल.) के साथ हज़रत अब्बास (रज़ि.) भी थे, फिर आप (सल्ल.) ने जंगल में नमाज़ पढ़ी और आप

जवाब :-

यह है कि यह हदीस हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की इस हदीस शरीफ़ से मन्सूख़ है।

عن ابن عمر قال لا يقطع الصلوة شئ مما يمر بين يدي المصلي.

तरजूमा :-

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नमाज़ी के सामने से गुज़रने वाली कोई भी चीज़ नमाज़ को नहीं तोड़ती।

(युअल्ला इमाम मालिक 155)

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की यह हदीस ग़ैर मुक़ल्लिदीन की पेश करदा रिवायत को मन्सूख़ होने पर दलालत करती है। क्योंकि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का यह कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का है जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना।

(देखिए : तहानी शरीफ़ 302/1)

लिहाज़ा इस हदीस का इस्तिदलाल में पेश करना दुस्त नहीं।

दूसरा जवाब :-

इस हदीस का यह है, कतए सलात से मुराद फ़सादे सलात नहीं बल्कि इस से मुराद **قطع الوصلة بين المصلي وربه** है। यानी ख़ुशूअ का ख़त्म हो जाना। मतलब यह हुआ कि उन चीज़ों के नमाज़ी के सामने से गुज़रने की वजह से नमाज़ का ख़ुर

(सल्ल.) के सामने सुतरह न था, हमारी गधी और कृतिया आप (सल्ल.) के सामने खेलती थी, आप (सल्ल.) ने उन की कोई परवाह न की।

फाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि गधे और कूत्ते के नमाज़ी के सामने से गुज़रने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती।

ख़त्म हो जाता है, नमाज़ फ़ासिद नहीं होती।

घुनांचे अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) "फतहूल् बारी 589/1" में तहरीर फ़रमाते हैं :

بان المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلوة.

यानी इस से मुराद ख़ुशू का कम हो जाना है, नमाज़ का ख़त्म हो जाना मुराद नहीं है।

☆☆☆

عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلوة شئ وادروا ما استطتم فانما هو الشيطان.

(अबू दाऊद 104/1 मुसन्नफ़ इब्ने अबी रोबा 250/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिम ने इरशाद फ़रमाया कि नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती, फिर भी जहाँ तक हो सके उसे दफ़ा करो, क्योंकि सामने से गुज़रने वाली चीज़ शैतान है।

फाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि किसी भी चीज़ के सामने से गुज़रने की वजह से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती, चाहे औरत हो, गधा हो, या कूत्ता।

☆☆☆

(21) फ़जर की सुन्नतों को नमाज़े फ़जर के बाद

तुलूए आफ़ताब से पहले पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

जाइज़ नहीं है।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

जाइज़ है।

दलील :-

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب.

(बुखारी शरीफ़ 82/1 बहक़ालाके अल्फ़ाज़ अबू दाऊद 181/1, तिर्मिज़ी 45/1, निसाई 96/1, बेहकी 452/3)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़े फ़जर के बाद तुलूए आफ़ताब तक और नमाज़े असर के बाद गुरुबे आफ़ताब तक नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है।

عن ابى سعيد الخدرى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة بعد صلوة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلوة بعد صلوة الفجر حتى تطلع الشمس.

(मुस्लिम् 275/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह

(फ़तावाए नज़ीरियह 523/1)

दलील :-

यह लोग "तिर्मिज़ी शरीफ़ 96/1" की इस रिवायत को दलील में पेश करते हैं -

عن محمد بن ابراهيم عن جده قيس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقیمت الصلوة فصلیت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني اصرى فقال مهلاً يا قيس اصلاتان معاً قلت يا رسول الله انى لم اكن ركعت ركعتى الفجر قال فلا اذا.

हज़रत मुहम्मद बिन इब्राहीम अपने दादा क़ैस (रज़ि.) से रिवायत नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल.) (नमाज़ पढ़ाने के लिए) निकले, चुनांचे नमाज़ खड़ी की गई तो मैं (क़ैस रज़ि.) ने आप के साथ नमाज़े फ़जर पढ़ी, फिर जब आप (सल्ल.) नमाज़े फ़जर से फ़ारिग़ हुए तो आप (सल्ल.) ने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया रुको ऐ क़ैस क्या हो फ़र्ज़ नमाज़ एक साथ पढ़ोगे?

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असर की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ (जाइज़) नहीं, यही तक कि सूरज गुरूब हो जाए और नमाज़ फ़जर के बाद कोई नमाज़ (जाइज़) नहीं, यही तक कि सूरज तुलू हो जाए।

फ़ाइदा :-

दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि नमाज़ फ़जर के बाद फ़जर की सुन्नतों को तुलूए शम्स से पहले पढ़ना जाइज़ नहीं है। (बल्लाहु आलम)

☆☆☆

इबाहत को साबित करती है और अहनाफ़ की पेश करदा रिवायात मुमानिअत को साबित करती हैं और उसूल यह है कि जब दलीले इबाहत और दलीले मन्नुअ में टकराओ हो जाए तो दलीले मन्नुअ को मुअख़्ख़र माना जाता है।

घुनांचे अल्लामा ऐनी (रह.) "उमदतुल् फ़ारी शरहे सहीहल् बुख़ारी 78/5" में तहरीर फरमाते हैं :

"ان المبيح والحاضر اذا تعارضا جعل الحاضر متاخراً"

यानी जब दलीले इबाहत और दलीले मन्नुअ बाहम मुतआरिज़ हो जाती हैं तो दलीले मन्नुअ को मुअख़्ख़र माना जाता है।

जब मुमानअत वाली रिवायात का मुअख़्ख़र होना साबित हो गया तो मालूम हुआ कि आप की पेश करदा रिवायत मन्नुअ है, क्योंकि फ़ाएदा है कि मुअख़्ख़र मुक़द्दम के लिए नासिख़ होती है।

(रेफ़िय : मक़बतुल् फ़िर 146)

जवाब :-

(2) आप की मुस्तदिल रिवायत मुन्कते है, चुनांचे हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इस के मुतअल्लिक फरमाते हैं :

“هذا الحديث ليس بمتصل”

(तिर्मिज़ी 96/1)

यानी इस हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं।

जब बात ऐसी है तो यह हदीस इन रिवायात सहीहा के मुकाबले में क़बिले इस्तिदलाल नहीं हो सकती जो मुमानअत पर दलालत करती हैं।

जवाब :-

(3) आप की मुस्तदिल रिवायत के मुकाबले में अहनाफ़ की मुस्तदिल रिवायात राजेह करार दी जाएंगी, क्योंकि ज़ाबता है कि जब दलीले इबाहत और दलीले हरमत के अन्दर तआरुज़ हो जाता है, तो दलीले हरमत को तरजीह होती है।

(देखिए : मआरिफ़ुस् सुन्न 99/4)

जवाब :-

(4) हमारे नज़दीक आप की मुस्तदिल रिवायत के आख़री अल्फ़ाज़ “فلا” (जो आप की दलील है) “فلا تصلي اذا” (कि इस वक़्त नमाज़ न पढ़ो) के मानी में है। यानी “فلا اذا” इजाज़त के वास्ते नहीं बल्कि इन्कार के लिए है।

(देखिए : मआरिफ़ुस् सुन्न 93/4)

और “فلا اذا” का इस्तेमाल इन्कार के मानी में होता है। चुनांचे देखिए - बुख़ारी शरीफ़ 237/1 की यह हदीस :

ان صفية بن حبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فنكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي؟ قالوا انها قد افاضت، قال فلا انن.

तरजूमा :-

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा हज़रत सफ़िया

बिन्ते हई (रज़ि.) को हैज़ आ गया; (हज़ के मौक़े पर) इस का ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि क्या वोह हम को रोके रखेगी?

सहाबा किराम (रज़ि.) ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) उस ने तवाफ़े इफ़ाज़ा (तवाफ़े ज़ियारत) कर लिया है। तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया तो फिर वोह हम को नहीं रोक सकती।



(23) वित्र की तीन रक़ातें एक सलाम से हैं या दो सलामों से?

मसलके अहज़ाफ़

तीनों रक़ातें एक सलाम से हैं।

दलील :-

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر.

(निसाई 191/1, मुसन्नफ़ इब्ने अबी रोबा 91/2)

तरजुमा :-

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की दो रक़ातों पर सलाम नहीं फेरते थे यानी तीनों रक़ातों को एक सलाम से पढ़ते थे।

عن عمر بن الخطاب انه اوثر بثلاث ركعات لم يفصل بينهن بسلام.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी रोबा 90/2)

तरजुमा :-

हज़रत उमर बिन छात्ताब (रज़ि.) तीन रक़ात वित्र पढ़ते थे और उन के दरमियान सलाम के ज़रीए फसल नहीं फरमाते थे यानी तीनों रक़ातों को एक सलाम से पढ़ते थे।

عن سعيد بن مسيب قال لا يسلم في الركعتين من الوتر.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी रोबा 90/2)

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

दो सलामों से है।

(देखिए : फतावाए सनाइयह 526/1)

दलील :-

यह लोग इस्तिदलाल में मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत को पेश करते हैं -

ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلوة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشى احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.

(तोहफ़तुल् अहवनी 456/2)

तरजुमा :-

एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलातुल् लैल के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलातुल् लैल दो-दो रक़ात हैं। जब तुम में से किसी को सुबह का नमाज़ का ख़ौफ़ हो तो एक रक़ात पढ़ कर पहली पढ़ी हुई नमाज़ को ताक बना ले।

वजह इस्तिदलाल यह है कि हदीस शरीफ़ में आख़री दो रक़ातों के बाद एक रक़ात पढ़ने का तज़क़िरा है। जिस का मतलब यह है कि वित्र की पहली दो रक़ातों के सलाम के

तरजूमा :-

हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रज़ि.) से रिवायत है कि वोह वित्र की दो रकअतों पर सलाम नहीं फेरते थे।

عن الحسن قال اجمع المسلمون على ان الوتر ثلاث لا يسلم الا فى آخرهن.

(मुसन्फ इब्ने अबी रोबा 90/2)

तरजूमा :-

हज़रत हसन (रज़ि.) फरमाते हैं कि मुसलमानों का इस बात पर इज्मा है कि वित्र की 3 रकअतें हैं और तीनों एक सलाम से हैं।

☆☆☆

यह लोग हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की इस रिवायत को भी दलील में पेश करते हैं :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة.

(मुसन्द अहमद 300/4) कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र और शोफआ के दरमियान सलाम के ज़रीए फसल फरमाते थे।

जवाब :-

यहाँ फसल बिस्सलाम से मुराद वित्र की तीन रकअतों के दरमियान फसल नहीं है, बल्कि सलातुल् लैल की आख़री दो रकअतों और वित्र की तीन रकअतों के दरमियान फसल मुराद है।

(देखिए : अलमुल्हिम 312/2)

☆☆☆

बाद एक रकअत और पढ़े। पस मालूम हुआ कि वित्र की तीन रकअतें दो सलामों से हैं।

जवाब :-

यह है कि हंदीस शरीफ का जो मतलब गैर नुकल्लिदीन ने समझा है वोह सही नहीं बल्कि सही यह है कि रात की नमाज़ को दो-दो रकअत करके पढ़ा जाए और आख़री दो रकअतों में बग़ैर सलाम फेरे एक रकअत का इज़ाफ़ा करके उसे ताक बना दिया जाए लिहाज़ा अब आख़री दो रकअतें और यह एक रकअत तीनों मिल कर वित्र की तीन रकअत बग़ैर फसल के हुईं।

(24) तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथों को कानों तक उठाना सुन्नत के मुवाफ़िक है या कन्धों तक?

मसलके अहनाफ़

कानों तक उठाना सुन्नत के मुवाफ़िक है।

दलील :-

عن مالك بن الحويرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه.

(मुस्लिम शरीफ 168/1, निताई 102/1, इब्ने माजा 162, सहीह इब्ने हुब्बान 19913, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 211/1, सुनने बैहकी 25/2)

तरजूमा :-

हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीरे तहरीमा कहते थे तो अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाते थे।

عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ابهاميه في الصلوة الى شحمة اذنه.

(जम् एउद 108/1, मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 211/1)

तरजूमा :-

हज़रत अब्दुल् जब्बार बिन वाहल अपने वालिद से रिवायत

मसलके गैर मुक़त्लिदीन

कन्धों तक उठाना सुन्नत के मुवाफ़िक है।

दलील :-

यह लोग इन रिवायात को इस्तिदलाल में पेश करते हैं जिन में कन्धों तक हाथ उठाने का तज़क़िहा है, मसलन हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की यह रिवायत :

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلوة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه.

(बुखारी 102/1)

तरजूमा :-

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ में तकबीर शुरू करते हुए देखा तो आप ने तकबीरे तहरीमा के वक़्त अपने दोनों हाथ कन्धों तक उठाए।

जवाब :-

यह है कि यह हदीस और इस मज़हबी की तमाम रिवायात उस वक़्त पर महमूल हैं जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ

नकल करते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ में अपने दोनों अँगूठों को कानों की ली तक उठाते हुए देखा है।

عن براء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر رفع يديه حتى نرى ابهاميه قريبا من اذنيه.

(फतवद अहमद 303/4, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 211/1)

तरजुमा :-

हजरत बराब् बिन आजिब (रजि.) फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीरे तहरीमा कहते थे तो अपने दोनों हाथों को इतना उठाते कि हम आप (सल्ल.) के अँगूठों को कानों के करीब देखते।

मालूम हुआ कि तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथों को कानों तक उठाना सुन्नत के मुवाफिक है।

☆☆☆

सर उस से जुड़ा हुआ हो चाहे वोह कोट हो या जुब्बा या और कोई कपड़ा। देखिए : अलूनिहायह फी ग़रीबिल् हदीस वलुअसर 122/1) पहन रखे थे, वोह लोग उन्हीं के अन्दर (तकबीरे तहरीमा के वक़्त) अपने हाथ उठा रहे थे, शरीक ने सीने की तरफ इशारह किया यानी वोह लोग सीने तक हाथों को उठा रहे थे। इस हदीस शरीफ को जिक्र करने के बाद हजरत इमाम तहावी (रह.) तहरीर

सदी की वजह से कपड़े में होते थे।

(देखिए : फतहल् मुल्हिम 11/2)

इस की दलील यह हदीस है :

عن وائل بن حجر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت يرفعه يديه حذاء اذنيه اذا كبر... قال ثم اتيت من العام المقبل وعليهم الاكسية والبرانس فكانوا يرفعون ايديهم فيها و اشار شريك الى صدره.

(तहावी शरीफ 144/1)

तरजुमा :-

हजरत वाइल बिन हजर (रजि.) फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मैं ने आप को तकबीर (तहरीमा) के वक़्त अपने दोनों हाथों को कानों की ली तक उठाते हुए देखा.....(हजरत वाइल रजि. फरमाते हैं कि) फिर मैं आइन्दा साल आप (सल्ल.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और सहाबा किराम (रजि.) ने कम्बल और बरानिस (बरानिस हर ऐसा कपड़ा है जिस का

(24) तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथों को कानों तक

उठाना सुन्नत के मुवाफ़िक है या कन्धों तक?

मसलके अहमाफ़

कानों तक उठाना सुन्नत के मुवाफ़िक है।

दलील :-

عن مالك بن الحويرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه.

(मुस्लिम शरीफ 168/1, निताई 102/1, इब्ने माजा 162, सहीह इब्ने हब्बान 199/3, मुस्नफ़ इब्ने अबी रोबा 211/1, सुने वैहकी 25/2)

तरजुमा :-

हज़रत मालिक बिन हवैरिस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीरे तहरीमा कहते थे तो अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाते थे।

عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ايهاميه في الصلوة اثنى شحمة اذنه.

(अब् दाऊद 108/1, मुस्नफ़के इब्ने अबी रोबा 211/1)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल् जब्बार बिन वाइल अपने वालिद से रिवायत

मसलके गैर मुक़ल्लिदीज़

कन्धों तक उठाना सुन्नत के मुवाफ़िक है।

दलील :-

यह लोग इन रिवायात को इस्तिदलाल में पेश करते हैं जिन में कन्धों तक हाथ उठाने का तज़क़िरा है, मसलन हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की यह रिवायत :

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلوة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه.

(बुखारी 102/1)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ में तकबीर शुरू करते हुए देखा तो आप ने तकबीरे तहरीमा के वक़्त अपने दोनों हाथ कन्धों तक उठाए।

जवाब :-

यह है कि यह हदीस और इस मज़ान्नी की तमाम रिवायात उस वक़्त पर महमूल हैं जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ

नक़ल करते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ में अपने दोनों अँगूठों को कानों की लौ तक उठाते हुए देखा है।

من براه بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر رفع يديه حتى نرى ابهاميه قريبا من اذنيه.

(مسند احمد 303/4, مسند ابن عثيمين 211/1)

तरजुमा :-

हज़रत बराअ बिन आजिब (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीरे तहरीमा कहते थे तो अपने दोनों हाथों को इतना उठाते कि हम आप (सल्ल.) के अँगूठों को कानों के करीब देखते।

मालूम हुआ कि तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथों को कानों तक उठाना सुन्नत के भुवाफ़िक है।

☆☆☆

सर उस से जुड़ा हुआ हो चाहे वोह कोट हो या जुब्बा या और कोई कपड़ा। देखिए : अल्निहायह फी ग़रीबिल् हदीस वल्असर 122/1) पहन रखे थे, वोह लोग उन्हीं के अन्दर (तकबीरे तहरीमा के वक़्त) अपने हाथ उठा रहे थे, शरीक ने सीने की तरफ़ इशारह किया यानी वोह लोग सीने तक हाथों को उठा रहे थे। इस हदीस शरीफ़ को जिक्र करने के बाद हज़रत इमाम तहावी (रह.) तहरीर

सदी की वजह से कपड़े में होते थे।

(देखिए : कतहल् मुस्लिम 11/2)

इस की दलील यह हदीस है :

عن رائل بن حجر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت يرفع يديه حذاء اذنيه اذا كبر... قال ثم اتيت من العمام المقبل و عليهم الاكسية والبرانس فكانوا يرفعون ايديهم فيها و اشار شريك الى صدره.

(सहावी शरीफ 144/1)

तरजुमा :-

हज़रत वाइल बिन हज़र (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मैं ने आप को तकबीर (तहरीमा) के वक़्त अपने दोनों हाथों को कानों की लौ तक उठाते हुए देखा.....(हज़रत वाइल रज़ि. फ़रमाते हैं कि) फिर मैं आइन्दा साल आप (सल्ल.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और सहाबा किराम (रज़ि.) ने कम्बल और बरानिस (बरानिस हर ऐसा कपड़ा है जिस का

(25) नमाज़ में हाथों को नाफ़ के नीचे बांधना सुन्नत के मुवाफ़िक़ है या सीने पर बांधना?

मसलके अहनाफ़

नाफ़ के नीचे बांधना सुन्नत के मुवाफ़िक़ है।

दलील :-

عن ابى جحيفة ان عليا رضى الله عنه قال السنة وضع الكف على الكف فى الصلاة تحت السرة.

(ابو داؤد ٢٠٦١ فى باب وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة رقم الحديث ٧٥٦٦ دار الكتب العلمية بيروت لبنان)

तरजुमा :-

हज़रत जुहैफा से रिवायत है कि हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़रमाया कि नमाज़ में हथेली को हथेली पर नाफ़ के नीचे रखना सुन्नत है।

नोट :

जब सहाबी (रज़ि.) किसी चीज़ पर सुन्नत का इतलाफ़ करे तो उस से मुराद सुन्नते रसूल (सल्ल.) होती है (देखिए : उमदतुलु क़ारी 279/5)। लिहाज़ा इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि नाफ़ के नीचे हाथों का बांधना सुन्नते रसूल (सल्ल.) है।

عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه رضى الله قال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على

मसलके ग़ैर मुक़तलिदीन

सीने पर बांधना सुन्नत के मुवाफ़िक़ है।

(फ़तावय सनाइयह 445/1)

दलील :-

यह लोग घन्ट रिवायतों को दलील में पेश करते हैं। मसलन हज़रत वाइल बिन हज़र (रज़ि.) की यह हदीस :

قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.

(اخرجه ابن خزيمة كما فى تحفة الاحوذى

(٧٩٢)

हज़रत वाइल बिन हज़र (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लाम के साथ नमाज़ पढ़ी तो मैंने देखा कि आप (सल्ल.) ने अपने दायें हाथ को अपने बायें हाथ पर सीने के ऊपर रखा।

जवाब :-

यह है कि यही हदीस "मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा" में भी है मगर इस में "تحت السرة" के बजाए "على صدره" है यानी इस में हाथों को सीने पर रखने के बजाए नाफ़ के नीचे रखने का तज़क़िरा है, बावजूदके हदीस

شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. قَالَ
الشَّيْخُ قَطْرُوبَعًا إِنَّ هَذَا سَنَدٌ جَيِّدٌ.

(इल्माउस्सुन्न 170/2)

तरजुमा :-

हजरत अल्कमा इब्ने वाइल अपने खालिद साहब से रिवायत नकल करते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप (सल्ल.) ने नमाज़ में अपने दायें हाथ को बायें हाथ पर नाफ के नीचे रख रखा था।

عن الحجاج بن حسان قَالَ سَوَّغْتُ
أَبَا وَجَلْرًا أَوْ سَأَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ
أَضَعُ قَالَ يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى
ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَ يَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ
السُّرَّةِ.

(मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 243/1)

तरजुमा :-

हजरत हज्जाज बिन हस्सान (रज़ि.) फरमाते हैं कि मैं ने अबू मिजलज़ से सुना या पूछा कि मैं (नमाज़ में) हाथों को कैसे रखू तो अबू मिजलज़ ने फरमाया कि अपने दायें हाथ की हथेली के बातिन को बायें हाथ की हथेली के जाहिर पर रख कर नाफ के नीचे रखो।

फ़ाइदा :-

मालूम हुआ कि नमाज़ में हाथों को नाफ के नीचे रखना सुन्नत के मुबाफिक है।

☆☆☆

शारीफ एक ही है (देखिए : मआरिफुस् सुन्न 437/2)। नीज़ इब्ने खुज़ैमा में इस रिवायत की सनद में एक रावी मुअम्मिल बिन इस्माईल आए हैं जिसके मुतअल्लिक मुहदिसीने किराम का कलाम है।

घुनांचे इन के मुतअल्लिक हजरत इमाम बुखारी (रह.) फरमाते हैं कि "مؤمل منكر الحديث" यानी मुअम्मिल मुन्किरुस् हदीस है।

इमाम अबू हातिम और इमाम दारे कूत्नी ने मुअम्मिल बिन इस्माईल को कसीरुस् ख़ता यानी बहुत ज़्यादा ग़लती करने वाला करार दिया है।

وقال أبو حاتم كثير الخطاء قال
الدار قطنى كثير الخطاء.

(सहजीयतु तहज़ीब 381-380/10)

यानी इमाम अबू हातिम (रह.) और इमाम दारे कूत्नी ने फरमाया कि (मुअम्मिल) कसरत से ग़लती करते हैं।

नीज़ इमाम अबू ज़रआ (रह.) फरमाते हैं :

في حديثه خطاء كثير.
यानी इसकी हदीस में बहुत ग़लतियाँ हैं।

(देखिए : "आसावुस् सुन्न 1140")

इसी वजह से अल्लामा हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) ने इस हदीस को जईफ़ कहा है, घुनांचे मौसूफ़ "फरहूल

बारी शर्ह सही अल्बुखारी 206/9 में फरमाते हैं :

كذلك مؤمل ابن اسماعيل في حديثه عن الثوري ضعف.

यानी इसी तरह से मुअम्मिल इब्ने इस्माईल अपनी हदीस को सौरी से नकल करने में जर्हफ हैं।

अल्लामा इब्ने कथीम (रह.) ने दावा किया है कि मुअम्मिल इब्ने इस्माईल के अलावा अला सदरिही (सीने पर हाथ रखने) के अल्फाज़ किसी ने नहीं कहे।

(देखिए : "मआरिफुस् सुनन 438/2")

लिहाज़ा इस रिवायत को इस्तिदलाल में पेश करना दुर्कस्त नहीं।

दूसरी हदीस शरीफ जिस को गैर मुकल्लिदीन हज़रत इस्तिदलाल में पेश करते हैं, यह है :

عن قبيصة بن هلب عن ابيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيت يضع هذه على صدره.

(مسند احمد كما في تحفة الاحوذى 807)

हज़रत कबीसा के वालिद साहब फ़रमाते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दायें-बायें फिरते हुए और अपने हाथ को सीने पर रखते हुए देखा।

जवाब :-

इस हदीस शरीफ़ के अन्दर "على صدره" (सीने पर रखने) की ज्यादाती गैर महफूज़ है। देखिए : "आसारुस् सुनन /140" इस के अन्दर कातिब से तस्हीफ़ (ग़लती) हुई है। सही "هذه على هذه" है, यानी हाथ को हाथ पर रखते हुए देखा, न कि सीने पर।

घुनांचे शैख़ ज़हीर अहसन (रह.) शौके नैमवी अपनी किताब "التعليق" में तहरीर फरमाते हैं :

मेरे दिल में यह बात आई है कि यह "على صدره" कातिब की जानिब से तस्हीफ़ (ग़लती) है और सही "يضع هذه على هذه" है।

तौसरी हदीस जिस को यह लोग दलील में पेश करते हैं हज़रत ताऊस की यह मुरसल रिवायत है।

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيَمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.

(رواه ابو نازك كافي تحفة الاحولى 8/117)

हजरत ताऊस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लाम अपने दायें हाथ को बायें हाथ पर रखते फिर उस को सीने पर बाँध लेते थे और आप (सल्ल.) नमाज़ में होते।

जवाब :-

यह हदीस शरीफ भी काबिले इस्तिदलाल नहीं क्योंकि यह रिवायत मुरसल है और मुरसल रिवायत इन लोगों (गैर मुकल्लिदों) के यहीं काबिले हुज्जत नहीं, फिर इस रिवायत को दलील में पेश करना कैसे दुर्हस्त होगा।

दूसरा जवाब :-

यह है कि इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ है "अस्नादे ज़ईफ़" आसारुस्-सुनन 145 क्योंकि इस की सनद में एक राबी सुलैमान बिन मुसा अल-उमवी हैं जिस के मुतअल्लिक हजरत इमाम बुखारी (रह.) फरमाते हैं :

"عنده منكير" उनके पास मुन्कर हदीसों हैं।

इमाम निसाई (रह.) फरमाते हैं :

"وليس بالقوى فى الحديث" कि वोह हदीस में कवी नहीं।

(بيهقي: تهذيب التهذيب 2/227-228 وكذا فى ميزان الاعتدال 2/220)

अल्लामा नीमवी (रह.) फरमाते हैं कि इस बाब में और भी दूसरी रिवायात हैं जो तमाम ज़ईफ़ हैं।

(देखिय : "आसारुस् सुनन 145")

☆☆☆

(26) कलिमाते इक़ामत को दो-दो मरतबा कहना

अफ़ज़ल है या एक-एक मरतबा?

मसलके अहनाफ़

दो-दो मरतबा कहना अफ़ज़ल है।

दलील :-

عن عبد الله بن زيد قال كان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الاذان والاقامة.

(तिर्मिज़ी शरीफ़ 48/1)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ान व इक़ामत शुफ़अन-शुफ़अन यानी दोहरी-दोहरी थी।

عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد الانصاري جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت في المنام رجلاً قام على جذم حائط فاذا نثني واقام مثنى.

(सुनने बैहिकी 420/1)

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला फ़रमाते हैं कि हम से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

एक-एक मरतबा कहना अफ़ज़ल है।

(देखिए : "तोहफतुल् अहवज़ी 498/1")

दलील :-

यह लोग "तिर्मिज़ी शरीफ़ 48/1" की इस रिवायत को इस्तिदलाल में पेश करते हैं।

عن انس بن مالك قال امر بلال ان يُشفع الاذان ويُؤثر الاقامة.

तरजुमा :-

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) को यह हुक्म दिया गया कि बोह कलिमाते अज़ान को दो-दो मरतबा और कलिमाते इक़ामत को वित्रन कहे यानी कलिमाते इक़ामत के एक-एक मरतबा कहे।

जवाब :-

यह है कि "यوتر الاقامة" का यह मतलब नहीं है, जो इन ग़ैर मुक़ल्लिदों ने समझा है बल्कि मतलब इसका यह है कि कलिमाते इक़ामत को कलिमाते अज़ान के मुकाबले में जल्दी-जल्दी एक सौस में कहा जाए, न कि एक-एक मरतबा।

असहाब ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने आप (सल्ल.) के पास आकर कहा कि ऐ अब्दुल्लाह के रसूल (सल्ल.) मैं ने ख़्वाब में एक शख़्स को देखा कि वोह एक दीवार की जड़ में खड़ा हुआ है फिर उस ने अज़ान व इक़ामत (कलिमाते अज़ान व इक़ामत) को दो-दो मरतबा कहा।

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان عبد الله بن زيد الأنصاري مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الأذن والإقامة.

(मुसन्फ इब्ने अबी शैबा 187/1)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला फ़रमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिम के मुअज़्ज़िन हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) अज़ान व इक़ामत (कलिमाते अज़ान व इक़ामत) को दो-दो मरतबा कहा करते थे।

عن ابراهيم قال ان بلالاً كان يثنى الأذان والإقامة.

(मुसन्फ इब्ने अबी शैबा 187/1)

हज़रत इब्राहीम (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत बिलाल (रह.) (कलिमाते) अज़ान व इक़ामत को दो-दो मरतबा कहते हैं।

(देखिए : "फतहूल मुल्हिम 4/2")

दूसरा जवाब :-

इस हदीस का यह है कि यह हदीस मुन्कर है। चुनांचे शैख़ अबु ज़रआ इस के बारे में फ़रमाते हैं :

"فذا حديث مُنكَرٌ"

(किताबुल इलल 194/1 लिइब्ने अबी हातिम बहवालह मआरिफुस सुनन 184/2) यानी यह हदीस मुन्कर है।

तीसरा जवाब :-

तीसरा जवाब यह है कि यह हदीस शरीफ़ मन्सूख़ा है क्योंकि इफ़रादे इक़ामत (इक़ामत के अरुफ़ाज़ को एक-एक मरतबा कहने) का हुक़म इब्तिदा में था, बाद में यह हुक़म मन्सूख़ हो गया।

(بيكته: فتح المله 2/212 اور التعلیق الحسن علی آثار السنن 109/1)

जिसकी दलील "तहावी शरीफ़ 101/1" की यह हदीस शरीफ़ है।

قد روى عن بلال انه كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى.

हज़रत बिलाल (रज़ि.) से मरबी है कि वोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिम के बाद (कलिमाते) अज़ान व इक़ामत को दो-दो मरतबा कहा करते थे।

फाइदा :-

मालूम हुआ कि कलिमाते इकामत भी कलिमाते अज्ञान की तरह दो-दो मरसबा हैं।

☆☆☆

धौथा जवाब :-

धौथा जवाब इफरादे इकामत का हुकम बाज़ अहवाल में इख़्तिसार के पेशे नज़र तालीमन लिस्ज़वाज़ था।

(देखिए : "फतव्वल् मुल्हिम 4/2")

☆☆☆

(27) क्या जुमे की नमाज़ को ज़वाल से पहले पढ़ना

दुरुस्त है?

मसलके अहनाफ़

ज़वाल से पहले पढ़ना जाइज़

नहीं।

दलील :-

عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.

(बुखारी शरीफ 123/1, अबू दाऊद 155/1,

तिर्मिज़ी 112/1, मुस्तद अहमद 37/6, मुनने

बेहकी 190/3)

तरजुमा :-

हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता यानी बाद अज़-ज़वाल।

عن سلمة بن الاكوع عن ابيه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة اذا زالت الشمس.

(मुस्तद अहमद अथी शैबा 445/1)

तरजुमा :-

हज़रत सल्मा अपने वालिद से रिवायत नक़ल करते हैं कि हम लोग जुमे की नमाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक़्त

मसलके ग़ैर मुक़त्लिदीज़
जाइज़ है।

(بنيور الامله 7/1، بحواله مسائل غير مقلدين)

इस बारे में जो रिवायात हैं उन के बारे में ग़ैर मुक़त्लिदीयों ही एक बड़े आलिम शैख़ अब्दुरहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़रमाते हैं कि इस बारे में कोई भी हदीस सही सरीह नहीं।

घुनांचे मौसूफ़ "तोहफ़तुल अहवजी 18/3" में तहरीर फ़रमाते हैं :-

واما ما ذهب اليه بعضهم من انها تجوز قبل الزوال فليس فيه حديث صحيح صريح والله اعلم.

यानी बाज़ लोगों का जो यह मसलक है कि ज़वाल से पहले जुमे की नमाज़ जाइज़ है। सो इस बारे में कोई हदीस सहीह सरीह नहीं है। वल्लाहु आलम।

लिहाज़ा जब इस बारे में कोई हदीस सहीह सरीह है ही नहीं तो हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं।

वाज़ेह रहे कि शैख़ अब्दुरहमान मुबारकपुरी (रह.) इस मसले में

(27) क्या जुमे की नमाज़ को ज़वाल से पहले पढ़ना

दुरुस्त है ?

मसलके अहजाफ़

ज़वाल से पहले पढ़ना जाइज़ नहीं।

दलील :-

عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تعيل الشمس.

(बुखारी शरीफ़ 123/1, अबू दाऊद 155/1, लिर्मिनी 112/1, मुस्तद अहमद 37/6, सुनने बेहकी 190/3)

तरजुमा :-

हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता यानी बाद अज़-ज़वाल।

عن سلمة بن الاكوع عن ابيه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة اذا زالت الشمس.

(मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 445/1)

तरजुमा :-

हज़रत सल्लमा अपने वालिद से रिवायत नक़ल करते हैं कि हम लोग जुमे की नमाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक़्त

मसलके और मुक़ल्लिदीन जाइज़ है।

(بلور الامه 7/1، بحواله مسائل غير مقلدين)

इस बारे में जो रिवायात हैं उन के बारे में और मुक़ल्लिदीन ही एक बड़े आलिम शैख़ अब्दुरहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़रमाते हैं कि इस बारे में कोई भी हदीस सही सरीह नहीं।

घुनांचे मौसूफ़ "तौहफ़तुल अहवज़ी 18/3" में तहरीर फ़रमाते हैं :

واما ذهب اليه بعضهم من انها تجوز قبل الزوال فليس فيه حديث صحيح صريح والله اعلم.

खानी बाज़ लोगों का जो यह मसलक है कि ज़वाल से पहले जुमे की नमाज़ जाइज़ है। सो इस बारे में कोई हदीस सहीह सरीह नहीं है। वल्लाहु आलिम।

लिहाज़ा जब इस बारे में कोई हदीस सहीह सरीह है ही नहीं तो हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं।

खाज़ेह रहे कि शैख़ अब्दुरहमान मुबारकपुरी (रह.) इस मसले में

पड़ते थे जब सूरज ढल जाता।

फाईदा :-

मालूम हुआ कि जुमे की नमाज़ का वक़्त ज़वाल के बाद होता है उससे पहले नहीं।

☆☆☆

यानी ज़ाहिर काबिले ऐतमाद जम्हूर का मसलक है कि जुमे की नमाज़ सिर्फ़ ज़वाल के बाद ही जाइज़ है, ज़वाल से पहले नहीं।

☆☆☆

हनीफ़ा के साथ हैं। घुनांधे मौसूफ़ "तोहफतुल् अहवज़ी 18/3" में तहरीर फरमाते हैं :-

و الظاهر المعول عليه هو ما ذهب اليه الجمهور من انه لا تجوز الجمعة الا بعد زوال الشمس-

(28) जुमे से पहले 4 रकअत सुन्नत हैं या नहीं?

मसलके अहनाफ

जुमे से पहले 4 रकअत सुन्नत हैं।

दलील :-

عن ابى عباس قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة اربعاً الخ.

(इब्ने माजह /79)

तरजुमा :-

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (नमाज़) जुमे से पहले चार रकअत पढ़ते थे।

عن ابن مسعود انه كان يصلى قبل الجمعة اربعاً.

(तिर्मिज़ी शरीफ 118/1, मुसन्नफ इब्ने अबी रोबा 463/1)

हजरत इब्ने मस्कूद (रज़ि.) से मरवी है कि वोह चार रकअत नमाज़ जुमे से पहले और चार रकअत नमाज़े जुमा के बाद पढ़ते थे।

عن ابراهيم قال كانوا يصلون قبلها اربعاً.

(मुसन्नफ इब्ने अबी रोबा 463/1)

मसलके गैर मुकत्लिदीन

जुमे से पहले 4 रकअत सुन्नत नहीं हैं। (देखिए : "अफ्टुल जादी /44 बहवालह मसाहले गैर मुकत्लिदीन /232")

पता नहीं इन्कार की इन गैर मुकत्लिदीन के पास क्या दलील है। अल्बत्ता हाफिज़ इब्ने तैमिया (रह.) इस हदीस शरीफ को पेश करते हैं।

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فاذا رقى المنبر اخذ بلال في اذان الجمعة فاذا كمله اخذ النبى صلى الله عليه وسلم في الخطبة.

यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकल कर मिम्बर पर चढ़ते थे तो फौरन हजरत बिलाल (रज़ि.) अज़ाने जुमा शुरू कर देते थे, और जब वोह अज़ान मुकम्मल कर लेते तो आप (सल्ल.) खूत्बा शुरू फरमा देते।

वजहे इस्तिदलाल यह है कि इस हदीस शरीफ में जुमे से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्सकन नमाज़ पढ़ने का तज़क़िरा

तरजुमा :-

हजरत इब्राहीम (रह.) फरमाते हैं वोह (सहाबा रजि.) जुमे से पहले चार रकअत नमाज़ पढ़ते थे।

फ़ाइदा :-

मालूम हुआ कि नमाज़े जुमा से पहले चार रकअत पढ़ना सुन्नत है।

☆☆☆

नहीं है।

जवाब :-

यह है कि मुम्किन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिम चार रकअत सुन्नत पढ़ कर मस्जिद में तशरीफ लाते हों और इस पर हुक्म लगाना जरूरी है क्योंकि जवाब के बाद आप (सल्ल.) से चार रकअत नमाज़ पढ़ना साबित है।

”انه كان عليه السلام يصلي اذا زالت الشمس اربعاً“

यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिम जवाब के बाद चार रकअत पढ़ते थे।

(देखिए : मअरिफुस् सुन्न 412/4)

नीज़ इस के जवाब में यह भी काफी है कि सहाबा किराम (रजि.) मसलन अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद और हजरत इब्ने उमर (रजि.) वगैरह नमाज़े जुमा से पहले चार रकअत या ज़ाइद या कुछ कम रकअतें पढ़ते थे।

यह कैसे हो सकता है कि सहाबा किराम (रजि.) किसी अमल पर मुदावमत करें, जिस का सुबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिम से न हो।

(देखिए : मअरिफुस् सुन्न 412/4)

☆☆☆

(29) क्या मरदों के लिए चाँदी की अँगूठी के अलावा

चाँदी का जेवर पहन्ना जाइज है?

मसलके अहनाफ

जाइज नहीं है।

दलील :-

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ان رجلاً جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له مالى اجد منك ربح الا صنم فطرحة ثم جاء وعليه خاتم من حديد. فقال مالى ارى عليك حلية اهل النار فطرحة فقال يا رسول الله من اى شئ اتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالاً.

(अब् दाऊद शरीफ 580/2, निसाई 245/2)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदह अपने वालिद से रिवायत नकल करते हैं कि एक शख्स हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उस ने पीतल की अँगूठी पहन रखी थी। आप (सल्ल.) ने उस से फ़रमाया कि मुझे क्या हो गया है कि मुझे तेरे अन्दर बुतों की बू आ रही है, तो उस शख्स ने उस अँगूठी को फेंक दिया। फिर वोह शख्स लोहे की अँगूठी पहन कर आप (सल्ल.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप

मसलके ग़ैर मुकल्लिदीन

जाइज है।

घुनांचे नवाब साहब हैदराबादी लिखते हैं :

ويحرم التحلى بالذهب على الرجال لا التحلى بالفضة.

(कन्जुल् हकाइक 190-91 बहवालह मसाले ग़ैर मुकल्लिदीन 1364)

यानी मरदों के ऊपर सोने का जेवर हराम है, चाँदी का जेवर नहीं।

मालूम नहीं इस मसले में ग़ैर मुकल्लिदीन हज़रत की क्या दलील है, हालांकि शैख़ मुबारक पुरी (ग़ैर मुकल्लिद आलिम) तो चाँदी के जेवर को मरदों के लिए जाइज नहीं समझते, घुनांचे भीसूफ़ "तोहफतुल् अहज़ी 5/313" में तहरीर फरमाते हैं :

सोने और चाँदी के बरतन मर्द य औरत सब पर हराम हैं, इसी तरह चाँदी के जेवर औरतों के लिए मख़सूस हैं।

यही मसलक ग़ैर मुकल्लिदीनों के एक और आलिम अल्लामा सन्आई (रह.) का है।

(देखिए : सुब्नुस्सलाम 2/263)

☆☆☆

(सल्ल.) ने उस से फरमाया कि मुझे क्या हो गया है कि मैं तेरे ऊपर जहन्नमियों का ज़ेवर देख रहा हूँ। तो उस शख्स ने उस को भी फेंक दिया और अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किस चीज़ की अँगूठी पहनूँ?

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चाँदी की पहनो मगर एक मिस्काल से कम हो। (मिस्काल 4 ग्राम 374 मिली ग्राम वज़न का होता है।) "अलऔज़ानुल् महमूदा"

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि मरदों के लिए सिर्फ़ चाँदी की अँगूठी पहन्ना जाइज़ है। और वोह भी एक मिस्काल से कम।

ग़ौर फरमाइये कि जब एक मिस्काल के बराबर या उस से ज़्यादा अँगूठी भी जाइज़ नहीं तो ज़ेवर पहन्ना कैसे जाइज़ होगा।

☆☆☆

(30) क्या रात में मय्यत को दफन करना मम्नूअ है?

मसलके अहनाफ

रात में मय्यत को दफन करना मम्नूअ नहीं है।

दलील :-

عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعد ما دفن بليلة.

(बुखारी शरीफ 178/1)

तरजुमा :-

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फरमाते हैं कि हज़ुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जिस को रात में दफन किया गया।

नोट :

इस हदीस शरीफ पर हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने यह बाब कायम किया है कि "باب الدفن" यानी यह बाब है रात में दफन करने के बयान में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक (रह.) को रात में दफन किया गया।

मसलके गैर मुकल्लिदीन

मम्नूअ है।

धुनांधे खान साहब फरमाते हैं।

دفن موتی در شب منہی عنه است.
(अरफ़ूल् जादी 158 बहवालाह मसाले गैर मुकल्लिदीन 1108) यानी रात में मय्यत को दफन करना मन्ही अनहु यानी मम्नूअ है।

पता नहीं गैर मुकल्लिदीन के पास अपने इस मसले में क्या दलील है हालांकि गैर मुकल्लिदीनों के शैखुल् कुल फिल् कुल हज़रत मौलाना नज़ीर हुसैन देहलवी तो "फतावाए नज़ीरियह 644/1" में जाइज़ लिखते हैं। नीज़ इन के और दो बड़े आलिम अल्लामा सन्आई (रह.) और शैख अब्दुरहमान मुबारकपुरी (रह.) भी जवाज़ के काइल मालूम होते हैं।

(देखिए : "सुबुलुस्सलाम" 225/3, "तोहफतुल अहवनी" - 141/4)

☆☆☆

इस से दो बातें मालूम हुई - (1) हज़रत इमाम बुखारी (रह.) भी इस मसले में हनफिया के मुवाफिक हैं यानी जवाज़ के काइल हैं। (2) हज़रत अबू बकर सिद्दीक (रज़ि.) को सहाबा किराम (रज़ि.) ने रात ही में दफन किया जिस से मालूम हुआ कि रात में मय्यत को दफन करना मम्नूअ नहीं। खरना सहाबा किराम (रज़ि.) रात में दफन न करते।

عن جابر بن عبد الله رأى ناس ناراً في المقبرة فاتواها فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر.

(अबू याकूब शरीफ 451/2)

तारजुमा :-

हजरत ज़ाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि लोगों ने कब्रिस्तान में रोशनी देखी तो वोह वहाँ आए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतरे हुए हैं।

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراج فاخذه من قبل القبلة، وقال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن.

(तिर्मिज़ी 204/1)

तारजुमा :-

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र में रात को उतरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए धिराग़ रोशन किया गया, आप (सल्ल.) ने (मय्यत को) क़िबले की तरफ़ से लिया।

फ़ाइदा :-

मालूम हुआ कि रात में मय्यत को दफन करना दुस्त है, मय्यत नहीं।

☆☆☆

(31) अमवाले तिजारत में ज़कात फर्ज़ है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

फर्ज़ है।

दलील :-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

(अत् तोबा 1267)

तरजुमा :-

ऐ ईमान वालों उस पाकीजा माल से खर्च करो जो तुम ने कमाया है और उस माल से जो हम ने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा किया है।

फ़ाइदा :-

इस आयते करीमा से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने माले तिजारत में जुजूबे ज़कात को साबित किया है। चुनांचे हज़रत ने बाब काइम किया है।

”باب صدقة الكسب والتجارة“ لقول
اللّٰهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

यानी यह बाब है कमाई और तिजारत के माल में ज़कात से मुतअल्लिक अल्लाह तआला के इस कौल की वजह से ”يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْخ“

(देखिए : ”बुखारी शरीफ 194/1)

मसलके गैर मुक़ल्लिदीन

फर्ज़ नहीं।

ख़ा साहब भोपाली फरमाते हैं।

و از بیجا دریافت شد که ذیلے بر
وجوب زکوٰة در اموال تجارت نیست.

(अरफुल् जादी 165 बहवालह मसाइले गैर मुक़ल्लिदीन 190)

यानी इस जगह से यह बात मालूम हो गई कि अमवाले तिजारत में जुजूबे ज़कात पर कोई दलील नहीं।

ख़ा साहब भोपाली का यह कहना है कि माले तिजारत में जुजूबे ज़कात पर कोई दलील नहीं सही नहीं, इसी वजह से दूसरे गैर मुक़ल्लिद उलमा मसलन अल्लामा सन्-आई (रह.), हज़रत मौलाना अमरतसरी (रह.) और हज़रत मौलाना शम्सुल् हक (रह.) साहब औनुल् माबूद माले तिजारत में जुजूबे ज़कात के काइल हैं, बल्कि मौसूफ़ (शम्सुल् हक रह.) ने तो माले तिजारत में जुजूबे ज़कात पर इज्मा नकल किया है, चुनांचे मौसूफ़ अपनी किताब ”औनुल् माबूद 298/1” में तहरीर फरमाते हैं।

”قال ابن المنذر الاجماع قائم على
وجوب الزکوٰة فى مال التجارة“

और हज़रत मुजाहिद (रह.) भी यही फरमाते हैं :

عن مجاهد في قوله تعالى "انفقوا من ما كسبتم قال التجارة وما اخرجنا لكم من الارض"

यानी इब्ने मुन्ज़िर (रह.) फरमाते हैं कि माले तिजारत में जुजुबे ज़कात पर इज्मा काइम है। 141/4

☆☆☆

यानी हज़रत मुजाहिद (रह.) फरमाते हैं कि तिजारत अल्लाह तआला के कौल "وما اخرجنا لكم من الارض" के तहत दाख़िल है। लिहाज़ा मालूम हुआ कि माले तिजारत में ज़कात फर्ज़ है।

عن سمرة بن جندب قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع-

(अब् दाऊद 218/1)

तरजुमा :-

हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम को उन चीज़ों में से ज़कात देने का हुक्म फरमाते थे जिन को हम ख़रीद व फरोख्त के लिए रखते, यानी माले तिजारत में से।

عن ابن عمر ليس في العروض زكوة الا ما كان للتجارة.

(मुन्ने बेहकी 147/4)

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फरमाते हैं कि सामान में ज़कात नहीं मगर जो तिजारत के लिए हो।

फाइदा :-

मालूम हुआ कि अमवाले तिजारत में ज़कात फर्ज़ है।

☆☆☆

(32) तस्वीर वाली अश्या का इस्तेमाल जाइज़ है या नहीं ?

मसलके अहनाफ़

जाइज़ नहीं।

दलील :-

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب الانقضه.

(बुखारी शरीफ़ 880/2)

तरजुमा :-

हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.)

फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जिस चीज़ में भी तस्वीर देखते उस को तोड़ फोड़ देते।

عن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اشد الناس عذابا عند الله المصورون.

(बुखारी शरीफ़ 880/2)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्क़द (रज़ि.) फरमाते हैं कि मैं ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह तआला के यहाँ सब से ज्यादा अज़ाब तस्वीर बनाने वाले को होगा।

عن ابي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.

(मुस्लिम शरीफ़ 200/2)

तरजुमा :-

हज़रत अबू तल्हा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो, उस में (रहमत के) फरिश्ते दाखिल नहीं होते।

फाइदा :-

मालूम हुआ कि तस्वीर वाली अश्या का इस्तेमाल जाइज़ नहीं।

☆☆☆

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

जाइज़ है। देखिए : "फतावाए

नज़ीरियह 304/3"

पता नहीं इन की दलील क्या है हालांकि शेख़ मुबारकपुरी (रह.) (ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम) तो हनफिया की तरह हुरमत ही के काइल हैं।

(देखिए : तोहफतुल अहवनी 350/5)

☆☆☆

(33) क्या मालदार अहले इल्म के लिए ज़कात का माल जाइज़ है?

मसल्लके अहनाफ़

जाइज़ नहीं।

दलील :-

عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدها المسكين للغنى.

(मू. दाऊद 231/1, इब्ने माजा 1132,

मुअत्ता इमाम अहमद 1179)

तरजुमा :-

हज़रत अता बिन यसार (रजि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि सदका (ज़कात) सिर्फ़ पाँच किस्म के मालदारों के लिए जाइज़ है (1) एक तो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के लिए (2) दूसरे आमिले ज़कात (ज़कात वसूल करने वाले) के लिए (3) तीसरे मदयून कर्जदार के लिए (4) चौथे उस मालदार के लिए जो ज़कात को अपने माल के बदले ख़रीद ले (5) पाँचवे उस शख्स के लिए जिस का कोई फ़कीर पड़ोसी हो और वोह

मसल्लके ग़ैर मुक़त्लिदीन

जाइज़ है क्योंकि वोह "فی سبيل الله" के अन्दर दाख़िल है।

(देखिए : अरफ़ूल् जाटी 169 बहवतलह मसाले ग़ैर मुक़त्लिदीन 256)

दलील इन लोगों की यह है कि अहले इल्म हज़रत क्योंकि दीन के कामों में लगे हुए हैं, इस लिए वोह "فی سبيل الله" के अन्दर दाख़िल हैं, चूँकि मसारिफ़े ज़कात में से यह भी एक मसरफ़ है।

जवाब :-

यह है कि "فی سبيل الله" के अन्दर मालदार अहले इल्म दाख़िल नहीं, बल्कि मुराद इस से मुजाहिदीन हैं, चुनांचे अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.) "तफ़सीरे इब्ने कसीर 366/2" में तहरीर फ़रमाते हैं :

"واما فى سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم فى الديوان."

यानी "فی سبيل الله" में से वोह मुजाहिदीन हैं जिन का हक़ फौजियों के रजिस्टर में मुन्दर्ज नहीं है।

नीज़ ग़ैर मुक़त्लिद आलिम हज़रत मौलाना शौकानी (रह.) भी

सदके की कोई चीज़ जो उस को मिली है, बतौर तोहफा उस को भेज दे।

फाइदा :-

इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि मजकूरा पाँच किस्म के मालदारों के अलावा किसी भी मालदार के लिए ज़कात का माल हलाल नहीं।

लिहाज़ा मालदार अहले इल्म के लिए भी माले ज़कात हलाल न होगा क्योंकि उस का शुमार इन पाँच किस्मों में नहीं है।

عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني.

(तिर्मिज़ी 141/1)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्बर (रज़ि.) से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लल्लु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदके (ज़कात) का माल मालदार को हलाल नहीं।

फाइदा :-

इस हदीस शरीफ से भी मालूम हुआ कि मालदार के लिए ज़कात का माल हलाल नहीं, चाहे वोह अहले इल्म ही क्यों न हो।

☆☆☆

यही फरमाते हैं, चुनांचे मौसूफ निसल
"نيسل الاوطار ۱۳۱/۳" में तहरीर फरमाते
हैं कि :

"قوله في سبيل الله" أي الغازي في
سبيل الله.

यानी "في سبيل الله" से मूत्त
"مجاهد في سبيل الله" है।

☆☆☆

(34) शहीद को कफन दिया जाएगा या नहीं, नीज़ इस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी या नहीं

मसलके अहनाफ़

शहीद को कफन भी दिया जाए गा और उस पर नमाज़ भी पढ़ी जाएगी।

दलील :-

عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد.

(बुखारी शरीफ 179/1)

तरजुमा :-

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (र.ह.) फरमाते हैं कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शूहदाए उहद में से दो-दो आदमियों को एक कपड़े में जमा फरमाते, यानी दो-दो आदमियों को एक कपड़े में कफन देते।

عن عقبية بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى احد بعد ثمانى سنين.

(बुखारी शरीफ 578/2)

तरजुमा :-

हज़रत उक़बा बिन आमिर (र.ज़ि.) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शूहदाए उहद पर आठ साल बाद

मसलके और मुक़ल्लिदीन

शहीद को न कफन दिया जाएगा और न उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी।

चुनांचे नवाब हैदराबादी फरमाते हैं :

”ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بدمه“

(फन्जुल हकाइक 143, बहवाल्लह मसाहले गैर मुक़ल्लिदीन 149)

यानी शहीद को न कफन दिया जाएगा और न उस पर नमाज़ पढ़ी जाएगी। उसे खून के साथ दफन किया जाए गा।

दलील :-

इन हज़रात के पास शहीद को कफन न देने से मुतअल्लिक तो पता नहीं किया दलील है, अल्बत्ता नमाज़े जनाज़ा न पढ़े जाने की दलील में हज़रत अनस बिन मालिक (र.ज़ि.) की हदीस के इन आख़री अल्फ़ाज़ को जो शूहदाए उहद से मुतअल्लिक हैं पेश करते हैं :

”ولم يصل عليهم“ यानी आप (सल्ल.) ने उन पर नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी।

(देखिए : तोहफतुल् अहबजी 83/4)

नमाज़े जनाज़ा पढ़ी।

फ़ाइदा :-

दोनों हदीसों के भजमूए से मालूम हुआ कि शहीद को कफ़न भी दिया जाएगा जैसा कि पहली हदीस में बज़ाहत है और उस पर नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ी जाएगी। जैसा कि दूसरी हदीस में सराहत है।

नोट :

शहीद पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने और कफ़न देने से मुतअल्लिक हदीस शरीफ़ मुन्दर्जा ज़ेल कुतुबे हदीस के अन्दर भी देखी जा सकती है।

(अबू दाऊद 447/2, तिर्मिज़ी 196/1, निसाई शरीफ़ 214/1, इब्ने याज़ा 1109, सुनने बेहकी

12/4)

☆☆☆

जवाब :-

यह है कि यह भी तो मुम्किन है कि आप सरलल्लाहु अलैहि वसल्लाम ने न पढ़ाई हो किसी सहाबी (रज़ि.) ने पढ़ाई हो। क्योंकि जैने उहद में आप खुद ज़ख्मी हो गए थे।

(देखिए : सहाबी शरीफ़ 321/1)

नीज़ हज़रते उक्बा बिन आमिर (रज़ि.) की हदीस से तो साबित होता है कि आप ने उन पर आठ साल के बाद नमाज़े जनाज़ा पढ़ी।

☆☆☆

(35) दौराने खूत्बा कलाम करने से क्या नमाज़े जुमा बातिल हो जाती है ?

मसलतके अहनाफ

नमाज़े जुमा तो बातिल नहीं होती मगर यह मम्नूअ व हराम है।

दलील :-

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت و الامام يخطب فقد لغوت.

(बुखारी शरीफ 127/1, मुस्लिम 1181, तर्मिजी 114/1, निसाई 207/1, इब्ने माजा 118, मसन्दे अहमद 273/2, मुअत्ता इमाम पब्लिक 136)

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब इमाम खूत्बा दे रहा हो तो उस वक़्त अगर तुम ने अपने साथी से यह कहा कि "खामोश रह" तो तुम ने एक बेकार काम किया।

फ़ाहदा :-

हदीस शरीफ से यह बात तो मालूम हुई कि दौराने खूत्बा कलाम करना मम्नूअ है, मगर यह कि नमाज़े जुमा ही बातिल हो जाए यह बात हदीस शरीफ से मालूम नहीं होती, ।

मसलतके ग़ैर मुक़त्लिदीन

नमाज़े जुमा ही बातिल हो जाती है।

नवाब सिद्दीक हसन ख़ाँ भोपाली फरमाते हैं।

وہر کہ دیکھے راگوید "خاموش شو" اورا جمعہ نہا شد زیر کہ حرکت لغو کرد۔

(अरफ़ुल् जादी 142 बहवालह मसाइले ग़ैर मुक़त्लिदीन 264)

यानी जिस शख़्स ने दूसरे से कहा कि "खामोश हो जा", उस की जुमा की नमाज़ न होगी, क्योंकि उस ने लगव हरकत की है।

दलील :-

इन हज़रत की एक दलील तो यही है कि दौराने खूत्बा कलाम करना लगव हरकत है, इस का जवाब तो है कि हर लगव हरकत से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती, अगरचे यह मम्नूअ है।

दूसरे यह हज़रत इन मुन्दर्जा जेल हदीसों को पेश करते हैं :

(1) "من تكلم فلا جمعة له"

कि जिस ने कलाम किया उस की नमाज़े जुमा न होगी।

क्योंकि हर तरह काम से नमाज़ बातिल नहीं होती।

बिलावजह नमाज़ में खुजलाना, खीसना, जमाही लेना, हरकत करना, यह नमाम तरह चीजें हैं, **منه عن** हैं, मगर इन से नमाज़ बातिल नहीं होती। बरुल्लाहु आलम।

☆☆☆

कलाम करता है। उस की नमाज़े जुमा कामिल नहीं होती, सवाब में कमी आ जाती है लेकिन उस के जिम्मे से नमाज़ साफ़ित हो जाती है।

(देखिए : तोहफतुल् अहकमी 32/3)

घुनांचे शैख़ मुबारकपुरी (रह.) (ग़ैर मुकल्लिद आलिम) तहरीर फरमाते हैं:

"قال العلماء معناه لا جمعة له كاملة لاجماع على اسقاط فرض الوقت عنه." यानी उलमा ने फरमाया है कि इसका मतलब यह है कि उस की नमाज़े जुमा कामिल न होगी, इस बात पर इज्मा की वजह से कि इस से वक़्त का फज़ साफ़ित हो गया।

(وكتافي نيل الاوطار 2/67)

यह ऐसा ही है जैसा कि एक हदीस में है **لا صلوة لجار المسجد الا في** "कि मस्जिद के पड़ोसी की नमाज़ नहीं होती मगर मस्जिद में ही।"

(دار فطنی کما فی الفیض القنیر شرح جامع الصغیر 2/167 رقم الحديث 9898)

यानी कामिल नमाज़ नहीं होती, सवाब में कमी आ जाती है। यही ग़ैर मुकल्लिदों के एक दूसरे आलिम अल्लामा सन्-आई फरमाते हैं।

(देखिए : सुबुलुस्तलाम 2/78)

☆☆☆

(2) "والذي يقول له انصت ليس له جمعة"

कि जिस ने किसी से "ख़ामोश रहो" कहा, उस की नमाज़े जुमा न होगी।

(देखिए : तोहफतुल् अहकमी 3/31-30)

जवाब :-

यह है कि यहाँ नफ़ी बराए कमाल है यानी जो शख्स दौराने झुका

(36) बस्ती में अज्ञाने जुमा सुनने वाले पर नमाजे जुमा वाजिब है या नहीं

मसलके अहजाफ

नमाजे जुमा वाजिब है।

दलील :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ.
(الآية: جمعة)

तरजुमा :-

ऐ ईमान वालों! जब जुमे के दिन नमाज के लिए अज्ञान दी जाए तो अल्ताह के जिक्र की तरफ दौड़ो।

फाहदा :-

आयते करीमा से मालूम हुआ कि जुमा की अज्ञान सुनते ही मस्जिद का खड़ कर लेना चाहिए, उस का घर चाहे मस्जिद से कदरे फासले पर ही क्यों न हो।

عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على كل من سمع النداء.

(अबू यऊद शरीफ 151/1)

तरजुमा :-

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाराद फरमाया कि जुमा हर उस मकान पर वाजिब है जो अज्ञान की

मसलके गैर मुकल्लिदीन

नमाजे जुमा वाजिब नहीं है, अगर उस का घर मस्जिद से कदरे फासले पर है।

नवाब साहब मोपाली लिखते हैं:
وبر بعيد المكان واجب نيست اگرچه ندايشنو.

(अरफूल् जादी 1/41 बहवालाह मसलके गैर मुकल्लिदीन 185)

दलील :-

पता नहीं इस मसले में इन की क्या दलील है। हालांकि इन के एक जयिद आलिम शैख मुहम्मद शम्मुल् हक (रह.) तो हदीस शरीफ **كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَأُورِئُوا مِنْ الْعَوَالِي** "الجمعة على كل من سمع النداء" के जेल में तहरीर फरमाते हैं :

فثبت بحديثي الباب ان الجمعة واجبة على من كان خارج المصرو البلد كما كانت واجبة على كل من سمع النداء من اهل البلد.

(औनुल् मलूद 267/13)

तरजुमा :-

पस साबित हो गया कि वाजिब की दोनों हदीसों से कि जुमा वाजिब है

अवाज़ सुने।

फ़ाइदा :-

हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि अज़ान सुनने वाले पर जुमा वाजिब है, अगरचे उसका घर मस्जिद

से कदरे फ़ासले पर हो (इल्ला यह कि कोई मजबूरी हो)।

وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلوة (شمسینی 52/10)

तरजुमा :-

सहाबा किराम (रज़ि) में से बहुत सारे लोगों से मरखी है कि जो शख्स अज़ान को सुने और जवाब न दे, यानी मस्जिद में न आए तो उस की नमाज़ नहीं होती।

नोट :

अज़ान सुन कर मस्जिद में आना ज़रूरी है (मगर मजबूरी में इजाज़त है), इस से मुतअल्लिक़ रिवायत मुस्लिम शरीफ़, 232/1, इब्ने माजा 157 पर भी देखे जा सकती है)।

☆☆☆

وہ اس شاکس پر جو شहर سے باہر ہو
جیسا کہ اہلہ شहर میں سے ہر اک
شاکس پر واجیب ہے جو ازانے سونے
سونه۔

☆☆☆

(37) कुरबानी में एक बकरी सिर्फ एक आदमी की तरफ से काफी है या तमाम घर वालों की तरफ से ?

मसलके अहनाफ

एक बकरी सिर्फ एक आदमी की तरफ से काफी होती है, तमाम घर वालों की तरफ से नहीं।

दलील :-

عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الأبل والبقر كل سبعة منافي بدنة.

(मुस्लिम शरीफ 424/1, बहकितलाफ अल्फाज, अबू दाऊद 388/2, निसाई 1181, इब्ने माजा 1226, मस्नदे अहमद 335/3, तहावी शरीफ 301/2)

तरजुमा :-

हज़रत जाबिर (रज़ि.) फरमाते हैं कि हम लोग हज का एहराम बान्ध कर (हज के लिए) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले तो आप (सल्ल.) ने हम को हुकम दिया कि हम में से हर सात आदमी एक ऊँट और एक गाय में शरीक हों।

फाहदा :-

इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि एक ऊँट या एक गाय सिर्फ सात आदमियों की तरफ से काफी हो

मसलके गैर मुकत्लिदीन

एक बकरी तमाम घर वालों की तरफ से काफी है चाहे घर के अन्दर कितने ही अफराद हों।

(देखिए : तोहफतुल् अहवजी 76/5, फताववर नज़ीरियह 245/3)

दलील :-

यह लोग "तिर्मिज़ी शरीफ 276/1" की इस रिवायत को दलील में पेश करते हैं :

عن عطاء بن يسار يقول سألت ابا ايوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي الشاة عنه و عن اهل بيته.

तरजुमा :-

हज़रत अता बिन यसार (रज़ि.) फरमाते हैं कि मैं ने हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरबानी कैसे हुआ करती थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक आदमी अपनी और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी की कुरबानी कर देता था।

जवाब :-

यह है कि यह हदीस शरीफ

सकती है, उस से ज्यादा नहीं।

काबिले गौर बात है कि ऊँट और गाय इतने बड़े जानवर तो सिर्फ सात आदमियों की तरफ से काफी हों और बकरी इतना छोटा जानवर पूरे खानदान की तरफ से काफी हो जाए, चाहे घर में 100 अफराद हों।

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال ان على بدنة وانا موسر بها ولا اجدها فاشترتها فامرأة النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياة فيذبحن.

(इब्ने माजह 1226, इत्नाउम् मुन्न

205.....17)

तरजुमा :-

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से

रिखायत है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अज़ किया कि मेरे ज़िम्मे ऊँट है और मैं उस की बुइत रखता हूँ, मगर ऊँट मिलता नहीं कि मैं उसे खरीदूँ। तो आप (सल्ल.) ने उसे हुकम दिया कि वोह सात बकरी खरीदे और उन्हें (ऊँट के बदले) ज़बह करे।

फाइदा :-

इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि सात बकरियाँ एक ऊँट के काइम मक़ाम हैं और एक ऊँट सिर्फ सात आदमियों की तरफ से काफी होता है, लिहाज़ा एक बकरी सिर्फ एक आदमी ही की तरफ से काफी होगी, उस से ज्यादा नहीं।

☆☆☆

नफली कुरबानी के बारे में है, वाज़िब कुरबानी के बारे में नहीं, जिस की बात चल रही है। क्योंकि यह हदीस उस शख्स के बारे में है जो फकीर होता, जिस पर कुरबानी वाज़िब न होती, वोह एक बकरी अपनी तरफ से ज़बह कर देता था फिर उस से खुद भी खाता और अपने घर वालों को भी खिलाता।

(देखिए : हाशियाए तिभिन्नी 276/1)

दूसरा जवाब :-

यह है कि यही शिरकत से मुराद सवाब में शिरकत है, न यह कि एक बकरी दो या दो से ज़ाइद की तरफ से काफी हो जाए।

(देखिए : हाशियाए पिरकत 127)

☆☆☆

(38) जिस जानवर पर बचक़ते ज़बह "बिस्मिल्लाह" न पढ़ी गई हो, क्या उसको खाने के वक़्त "बिस्मिल्लाह" का पढ़ना काफी होगा?

मसलके अहनाफ़

काफी न होगा, उस का खाना जाइज़ नहीं, हराम है।

दलील :-

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.

(इआम / 121)

तरजुमा :-

जिस (जानवर) पर (बचक़ते ज़बह) अल्लाह तआला का नाम न लिया गया हो उस को मत खाओ।

फाइदा :-

आयते करीमा से मालूम हुआ कि जिस जानवर पर बचक़ते ज़बह "बिस्मिल्लाह" न पढ़ी गई हो, उस का खाना जाइज़ नहीं।

☆☆☆

यानी हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बचक़ते ज़बह "बिस्मिल्लाह" का पढ़ना भूल गया तो "बिस्मिल्लाह" पढ़ कर खा ले।

(اخرجه الدار قطنی کما فی فتاوی ثانیة ۸۹/۲)

जवाब :-

इस का ग़ैर मुक़ल्लिदों के ही एक बड़े, मशहूर मुस्तनद आलिम हज़रत मौलाना अबू सईद शरफ़ुद्दीन देहलवी से लीजिए, मौसूफ़ फरमाते हैं :

इस जानवर का खाना हराम है, इस लिए कि नस्से सरीह किताबुल्लाह के खिलाफ़ है और यह हदीस जिस को मौलाना सनाउल्लाह अश्रितसरी ने ज़िक्र किया है, सही नहीं।

(ماخوذ از فتاوی ثنائیه ۸۹/۲)

☆☆☆

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

खाने के वक़्त "बिस्मिल्लाह" पढ़ना काफी है।

(देखिए : अरफ़ुल् जायी / 241, बहवालाह

मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन 270)

नवाब साहब मोपाली फरमाते हैं।

و حق آنست که نزد اکل کافی ست اگر نزد ذبیح معلوم نباشد.

यानी अगर ज़बह के वक़्त "बिस्मिल्लाह" का पढ़ना मालूम न हो तो खाने के वक़्त काफी है।

दलील :-

यह लोग हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) के इस कौल से इस्तिदलाल करते हैं -

"فان نسی ان یسمی حین یدبح فیسم ثم یأکل"

(39) काफिर के कुत्ते का किया हुआ शिकार हलाल है या नहीं?

मसलके अहनाफ

हलाल नहीं बल्कि नाजाइज़ व हाराम है।

दलील :-

عن عدی بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال اذا ارسلت كلبك و ذكرت اسم الله فكل فان اكل منه فلا تأكل فانه انما امسك على نفسه قلت فان وجدت مع كلبى كلباً آخر فلا ادري ايهما اخذه قال فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره.

(मुस्लिम शरीफ 145/2)

तारजुमा :-

हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं ने कुत्ते (के शिकार) के बारे में पूछा, तो आप (सल्ल.) ने इरशाद फरमाया कि जब तू "बिस्मिल्लाह" पढ़ कर अपने कुत्ते को (शिकार पर) छोड़े तो उस से खा और अगर कुत्ते ने उस में से कुछ खा लिया तो उस से मत खा, क्योंकि उस ने शिकार को अपने लिए रखा है (हज़रत अदी (रज़ि.) फरमाते हैं) मैं ने कहा अगर मैं अपने कुत्ते के साथ किसी दूसरे कुत्ते को पाऊँ (तो क्या हुकम है) और मुझे यह मालूम नहीं कि किस ने इस को पकड़ा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस को मत खा, इसलिए कि तूने अपने कुत्ते पर तस्मियह पढ़ी है, दूसरे पर नहीं।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन
हलाल है।

नवाब साहब भोपाली फरमाते

हैं:

"و دليل بر عدم حل صيد كلب
مرسل كافر قائم نيست"

(अरफ़ूज़ नावी 1238, बहवालह

मसाहले ग़ैर मुक़ल्लिदीन 1326) यानी काफिर के छोड़े हुए कुत्ते के शिकार के हलाल न होने पर दलील काइम नहीं। दलील तो मौजूद है (देखिए : मसलके अहनाफ)

☆☆☆

फाहदा :-

इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि अगर मुसलमान भी अपने कुत्ते को बगैर "बिस्मिल्लाह" पढ़े किसी शिकार पर छोड़ दे तो उस के किये हुए शिकार का खाना जाइज़ नहीं। लिहाज़ा काफिर के कुत्ते का किया हुआ शिकार बदरजए ऊला नजाइज़ व हराम होगा।



(40) क्या इस्तिम्ना बिल्-यद बवकते जरूरत मुबाह है ?

मसलके अहजाफ

इस्तिम्ना बिल्-यद (हाथ से मनी निकालना) नाजाइज व हराम है।

दलील :-

و الذين هم لفروجهم حفظون الا
على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم
فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراءه
ذلك فاولئك هم الفدون-

(المؤمن / 7)

तर्जुमा :-

और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर अपनी औरतों पर या अपनी बान्दियों पर, सो उन पर कोई इल्जाम नहीं, फिर जो कोई इस के अलावा ढूँडे (कजाए शाहवत का रास्ता) सो वोह ही हद से बढ़ने वाले हैं।

फाइदा :-

इस आयते करीमा के अन्दर कजाए शाहवत के सिर्फ दो रास्ते बयान किये गए हैं। (1) मन्कूहा औरत (2) बान्दी, उस के अलावा कजाए शाहवत के तमाम रास्ते मन्नुअ और हराम करार दिये गए हैं, लिहाजा इस्तिम्ना बिल्-यद

मसलके गैर मुकत्लिदीन

बवकते जरूरत मुबाह है।

नवाब साहब भोपाली फरमाते हैं:

بالجمله استنزال منى بكف يا
چيزی از جمادات نزد دعاء حاجت
مباح است.

(अरफुल् जादी 1207 बहवालाह मसाइले गैर मुकत्लिदीन 1332)

यानी जरूरत के वकत हाथ से या जमादात में से किसी चीज के जरिए मनी निकालना मुबाह है।

इस मसले में मालूम नहीं इन हजरात की क्या दलील है। हालाकि गैर मुकत्लिदीनों के एक मशाहूर आलिम हजरात मौलाना सनाउल्लाह साहब अघ्रितसरी (रजि.) तो एक सवाल के जवाब में तहरीर फरमाते हैं :

جल्फ (استمناء باليد) हराम है। कुराने पाक में "فمن ابتغى وراءه" जो शख्स बीबी या बान्दी के अलावा शाहवत रानी की राह तलाश करे वोह हद से

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
 العادون

गुज़रने वाला है।

(फतवाए सनाइयह 350/2)

☆☆☆

के तहत दाखिल होकर नाजाइज़ व हाराम होगा।

☆☆☆

(41) क्या परदे का हुकम सिर्फ अज़वाजे मुतहहरात के साथ ख़ास है ?

मसलके अटलाफ़

परदे का हुकम अज़वाजे मुतहहरात के साथ ख़ास नहीं, बल्कि परदा तमाम मोमिना औरतों पर फ़र्ज़ है।

दलील :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ
نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَابِيبِهِنَّ.

(अल्-अहज़ाम 159)

तरजुमा :-

ऐ नबी अपनी बीवियों, लड़कियों और मोमिनों की औरतों से कह दें कि वोह अपने ऊपर अपनी थोड़ी सी चादरें लटका लें।

फ़ाइदा :-

इस आयते करीमा से मालूम हुआ कि परदे का हुकम सिर्फ अज़वाजे मुतहहरात के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमान औरतों के लिए यह हुकम है।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

परदा सिर्फ अज़वाजे मुतहहरात के साथ ख़ास है।

नवाब साहब भोपाली फ़रमाते हैं:

و آية حجاب مختص بازواج رسول
خداست.

(अरफ़ुल् जादी /42 बइवालह मसाले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /262)

यानी परदे की आयत रसूल (सल्ल.) की बीवियों के साथ ख़ास है।

मालूम नहीं दलील इन हज़रात की क्या है।

☆☆☆

☆☆☆



(42) बगैर गवाहों के निकाह दुरुस्त होता है या नहीं?

मसलके अहनाफ

बगैर गवाहों के निकाह दुरुस्त नहीं होता।

दलील :-

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا لا تنكحن انفسهن بغير بينة - الصحيح ما روى عن ابن عباس قوله "لا نكاح الا ببينة".

(तर्मिजी 210/1)

तरजुमा :-

हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वोह औरतें जानिया हैं जो बगैर गवाहों के अपना निकाह खुद कर लेती हैं। (हजरत इमाम तर्मिजी (रह.) को इस हदीस के अन्दर कलाम है हजरत फरमाते हैं) सही वोह रिवायत है जिस को

मसलके और मुकल्लिदीन

निकाह दुरुस्त है।

“لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل” (यानी बगैर वली और दो आदिल गवाहों के निकाह दुरुस्त नहीं) सही नहीं है।

(देखिए अरफूल जादी /17 महवालह

मसादले गैर मुकल्लिदीन /121)

गोया इन हजरत की इस मसले में दलील यह है कि हदीस शरीफ “لا نكاح الا بولي الخ” सही नहीं।

जवाब :-

यह है कि हदीस शरीफ “لا نكاح الا ببينة” (बगैर गवाह निकाह दुरुस्त नहीं है) तो सही और काबिले इस्तिदलाल है। इस की तो हजरत इमाम तर्मिजी (रह.) ने तसहीह फरमाई है।

(देखिए : तर्मिजी शरीफ 210/1)

☆☆☆

हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) ने इस तरह बयान किया है कि “बगैर गवाहों के निकाह दुरुस्त नहीं”।

फाइदा :-

हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि बगैर गवाहों के निकाह दुरुस्त नहीं और यह हदीस शरीफ सही है जो कि काबिले इस्तिदलाल है। वल्लाहु आलमु बिससवाब।

☆☆☆

(43) जो मछली मरकर पानी के ऊपर आ जाए तो

उस का खाना जाइज़ है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

उस का खाना जाइज़ नहीं है।

दलील :-

حرمت عليكم الميتة.

(मल्पावद 13)

तरजुमा :-

तुम्हारे ऊपर मुरदा हराम है।

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالقى البحر او جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفي فلا تأكلوه.

(इब्ने माजा 1234 बहरीनल्लफ़े अल्फ़ाये सुनने बहकी 255/9, मुसन्नफ़ इब्ने अमी रोबा 248/4)

फाइदा :-

हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिस मछली को समन्दर डाल दे या उसे पीछे छोड़ दे तो उसको खाओ और जो मछली समन्दर में मरकर ऊपर आ जाए तो उसे मत खाओ।

फाइदा :-

मालूम हुआ कि मछली मरकर पानी के ऊपर आ जाए तो उसका खाना जाइज़ नहीं।

मसलके ग़ैर मुक़त्लिदीन

ऐसी मछली का खाना जाइज़

नहीं।

(देखिए : तोहफ़ातुल अहनी 191/1)

यह लोग इस हदीस शरीफ़ को

दलील में पेश करते हैं :

عن عمر وانه سمع جابراً يقول غزونا جيش الخبط و امر علينا ابو عبيدة فجمعنا جوعاً شديداً فالقى البحر حوتا ميتالم يرى مثله يقاله له العنبر فاكلنا منه نصف شهر.

(اخرجه البخارى كما فى تحفة الاحوذى

(191/1)

तरजुमा :-

हज़रत अमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि उन्होंने हज़रत जाबिर (रज़ि.) को यह कहते हुए सुना कि हम ने दरख्त को पत्ते खाने वाले लश्कर के साथ मिल कर जिहाद किया और हमारे अमीर हज़रत अबू उबैदा (रज़ि.) थे। हम को सख्त भूक लगी हुई थी कि समन्दर ने एक मुरदा मछली डाल दी, इस जैसी मछली हम ने कभी न देखी थी, इस (मछली) को अम्बर कहा जाता है। हम इस मछली को 15 दिन तक खाते रहे।

जवाब :-

जवाब यह है कि इस के ताफी होने की सराहत नहीं है। ताफी उस मछली को कहते हैं जो किसी ख़ारिजी सबब के बग़ैर खुद बखुद समन्दर में मर जाए। इस के बरख़िलाफ़ अगर कोई मछली किसी ख़ारिजी सबब की वजह से मसलन शिद्ते हरारत या शिद्ते बुरुदत से या तलातुमे अम्वाज से किनारे पर पहुँच कर पानी के दूर चले जाने की वजह से मर जाए तो ताफी नहीं होती और उस का खाना हलाल होता है। इस मज़क़ूरा हदीस में भी ज़ाहिर यही है कि वोह मछली पानी के छोड़ कर चले जाने की वजह से मरी थी, लिहाज़ा उस की हिल्लत महल्ले निज़ाअ् नहीं देखिए।

(इसँ तिर्मिज़ी 283/1)

यानी यह मछली मरकर पानी के ऊपर नहीं आई थी बल्कि पानी के छोड़ कर चले जाने के वजह से मरी थी, जिसका खाना बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है लिहाज़ा इस हदीस को इस्तिदलाल में पेश करना दुख्त नहीं।

यह लोग "तिर्मिज़ी शरीफ़ 21/1" की इस रिवायत को भी दलील में पेश करते हैं :

"هو الطهور ماؤه الحل ميتة"

यानी समन्दर का पानी पाक है और उस का मुरदार हलाल है।

जवाब :-

यह है कि यहाँ बकौले हज़रत शेख़ुल् हिन्द (रह.) "الحل" से मुशद हलाल नहीं है बल्कि ताहिर है।

(इसँ तिर्मिज़ी 283/1)

ग़ैर मुकल्लिद हज़रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) के इस क़ौल को भी दलील में पेश करते हैं :

"السمة الطافية حلال"

यानी ताफी मछली हलाल है।

इस के चन्द जवाबात मुलाहज़ा फरमाए -

जवाब :-

(1) यह कौले सहाबी (रज़ि.) है जो आप के यहाँ हुज्जत नहीं।

(देखिए : "फ़तावार् नज़ीरियह 340/1" बहवालह मसाइले ग़ैर मुकल्लिदीन /12)

जवाब :-

(2) इस में शदीद इज्तिराब है।

जवाब :-

(3) अगर खिल्फ़ज़ इस की सनद को सही मान भी लिया जाए तो भी यह एक सहाबी (रज़ि.) का इज्तिहाद है जो हदीसे मरफू के मुकाबले में हुज्जत नहीं हो सकता।

जवाब :-

(4) मुमकिन है इस में मय्यिता मछली से भुराद वोह हो जो अस्बाब ख़ारिजियह की बिना पर मरी है।

(माख़ुल अज़ - "दरतै तिमिज़ी 1911")

☆☆☆

(44) मस्से ज़कर नाकिजे खुजु है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

ज़कर को छूने से ख़ुजु नहीं
दृष्टता।

इलील :-

عن قيس بن طلق عن أبيه قال
قدمنا على نبي الله صلى الله عليه
وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا
نبي الله ما ترى في مس الرجل نكوه
بعد ما يتوضأ فقال صلى الله عليه
وسلم هل هو الا مضغة منه او بضعة
منه.

(ابو داود شريف ٢٤/١ باختلاف اللفظ ترمذي)

شريف ٢٥/١ نسائي ٢٠/١ ابن ماجه

٢٧/١ مستد احمد ٢٢/٤ معجم كبير للطبراني

٣٣/٨ صحيح ابن حبان ٢٢٣/٢ موطا امام

محمد (٥٦)

तर्जुमा :-

हज़रत कैस बिन तल्क अपने
बाबिलद से रिवायत नकल करते हैं
कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में
हज़िर हुए तो एक देहाती शख़्स आप
(सल्ल.) की ख़िदमत में आया और
उस ने कहा कि अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस
शख़्स के मुतअल्लिक आप
(सल्ल.) का क्या हुक़म है जिस ने
ख़ुजु करने के बाद अपने ज़कर को
छू लिया हो।

मसलके शैर मुक़तिलिदीन

ख़ुजु दृष्ट जाता है।

(देखिए : फतववाय सनाइयह 614/1)

दलील :-

यह लोग तिर्मिज़ी शरीफ़ 125,
की इस रिवायत को दलील में पेश
करते हैं :

عن بسرة بنت صفوان ان النبي صلى
الله عليه وسلم قال من مس نكوه فلا
يصلى حتى يتوضأ.

हज़रत बूसरा बिनते सफ़वान
(रजि.) से रिवायत है कि नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया कि जिस ने अपने
ज़कर को छूआ तो वोह नमाज़ न
पढ़े, यही तक कि वोह ख़ुजु कर ले।

जवाब :-

यह है कि यहाँ मस्से ज़कर से
मुराद ज़कर को हाथ से छूना नहीं है
बल्कि मुराद ज़कर व फ़र्ज का
मिलना है। (जो आदतन ख़ुरूजे मज़ी
से ख़ाली नहीं होता)। आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
बयान करने का यही मक़सद था।
लेकिन औरतों की मौजूदगी की वजह
से इस की सराहत नहीं की।

(देखिए : "फैज़ुल समाई शर्ह निसाई 1118)

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरशाद फ़रमाया कि वोह (ज़कर) तो सिर्फ़ उस के गोशत की एक बोटी है, यानी उस के छूने से वुजु नहीं टूटता।

”عن ابن عباس قال ليس في مس الذكر وضوء.“

(موطأ محمد، ٥٢)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया कि ज़कर को छूने से वुजु नहीं टूटता।

عن ابن مسعود سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال ان كان نجسا فاقطعه.
(موطأ محمد، ٥٤)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) से मस्से ज़कर की वजह से वुजु के बारे में पूछा गया तो आप (रज़ि.) ने फ़रमाया कि अगर ज़कर नापाक है तो उसे काट दो।

फ़ाइदा :-

मालूम हुआ कि मस्से ज़कर नाकिज़े वुजु नहीं है।

नोट :

”मुअत्ता इमाम मुहम्मद 53-57” में मज़ीद ”आसारो सहाबा” को देखा जा सकता है।

☆☆☆

नीज़ काबिले ग़ौर बात है कि पेशाब पाख़ाना वग़ैरह जो نجس العين हैं, उन के छूने से जब वुजु नहीं टूटता तो ज़कर तो पाक है, उस के छूने की वजह से बदरजए उल्ला नहीं टूटना चाहिए।

☆☆☆

(45) आक़िला, बालिगा का निकाह खली की इजाज़त के बग़ैर दुरुस्त है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

आक़िला, बालिगा का निकाह खली की इजाज़त के बग़ैर भी दुरुस्त है।

दलील :-

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

(अल्बकरा /230)

तरजूमा :-

फिर अगर उस औरत को तलाक़ दी यानी तीसरी बार तो वोह औरत उस के लिए हलाल नहीं, जब तक कि उस के अलावा किसी और ख़ाविन्द से निकाह न करे।

فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف.

(अल्बकरा /230)

तरजूमा :-

तो तुम उन (औरतों) को उस अग्र से न रोको कि वोह अपने शौहरो से निकाह कर लें। जबकि बाहम सब क़ायदे के मुवाफ़िक़ रज़ामन्द हों।

فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسن بالمعروف.

(अल्बकरा /234)

मसलके व़ैर मुक़त्लिदीन दुरुस्त नहीं।

(देखिए : "फ़तावाए नज़ीरियह 400/2" और "तोहफ़तुल् अहवशो 197/4")

दलील :-

यह लोग "तिर्मिज़ी शरीफ़ 208/1" की इस रिवायत को इस्तिदलाल में पेश करते हैं :

عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي.

हज़रत अबू मुसा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लुल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि बग़ैर खली के निकाह नहीं होता।

जवाब :-

यह है कि यहीं खली से मुराद वोह शख़्स है जिस को विलायत बुज़आ हासिल है। मसलन सगीरह के लिए उस के वालिद, बान्दी के लिए उस के आक़ा, और आक़िला, बालिगा के लिए उस की ज़ात।

(देखिए : "तहावी शरीफ़ 8/2")

अब हदीस शरीफ़ का मतलब होगा कि नाबालिगा बच्ची का निकाह

तरजुमा :-

जब (वोह आरतें) अपनी इहत पूरी कर लें तो तुम को कुछ गुनाह न होगा, इस बात में कि वोह आरतें अपनी जात के लिए कुछ कार्रवाई (निकाह की) करें, कायदे के मुवाफिक।

फाइदा :-

इन मजकूर तीनों आयतों के अन्दर निकाह की निस्बत खुद औरत की तरफ की गई है, वली की तरफ नहीं, जिस से मालूम हुआ कि (आकिला, बालिगा) औरत अपने निकाह की खुद मुख्तार है। वली की इजाजत इसके लिए शर्त नहीं।

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لايم احق بنفسها من وليها.

(मुस्लिम 455/1, अबू दाऊद 284/1, तिर्मिजी 210/1, निसाय 64/2, मुजत्ता इमाम मालिक /189)

तरजुमा :-

हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रौड औरत अपने निकाह की ज्यादा मुस्तहिक है, वली के मुकाबले में।

फाइदा :-

इस हदीस शरीफ से भी मालूम हुआ कि आकिला, बालिगा का

उस के वालिद की इजाजत के बगैर, बान्दी का निकाह उस को आफ़ा की इजाजत के बगैर और आकिला, बालिगा का निकाह उस की अपनी इजाजत के बगैर दुस्त न होगा।

दूसरा जवाब :-

यह है कि यह हदीस नाबालिगा बच्ची और मजनुना के बारे में है कि उन दोनों का निकाह वली की इजाजत पर मौकूफ है।

(देखिए : "हाशियाए मिस्कात 270")

यह लोग "तिर्मिजी शरीफ 208/1" ही को एक दूसरी रिवायत को भी दलील में पेश करते हैं :

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل.

हजरत आइशा (रजि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत ने अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह किया उस का निकाह बातिल है, उस का निकाह बातिल है, उस का निकाह बातिल है।

इस हदीस शरीफ को चन्द जवाबात मुत्ताहज़ा फरमायें :

(1) खुद हजरत आइशा सिदीका (रजि.) का अमल इस हदीस के खिलाफ है, क्योंकि आप (रजि.) ने

निकाह खली की इजाजत पर मौकूफ नहीं।

अपने चाई हज़रत अब्दुर रहमान (रज़ि.) की लड़की का निकाह इन (हज़रत अब्दुर रहमान) की गैर मौजूदगी में किया है, और उसूल यह

है कि राबी का अमल अगर अपनी बयान करदा रिवायत के खिलाफ हो तो वोह रिवायत को बातिल कर देता है।

(दिक़्ते: "العناية على فتح القدير ١٥٩/٣")

लिहाज़ा इस हदीस को इस्तिदलाल में पेश करना दुक़स्त नहीं है।

(2) हज़रत आइशा (रज़ि.) का इस हदीस के खिलाफ अमल करना इस के मन्सूख होने की दलील है।

(दिक़्ते: "العناية على الكفاية على فتح القدير ١٥٩/٣")

(3) इस हदीस शरीफ का मदार हज़रत इमाम जोहरी (रज़ि.) पर है हालांकि नस्स के मुख़ालिफ होने की वजह से उन्होंने इस का इन्कार किया है, लिहाज़ा इस को रह कर दिया जाएगा।

(दिक़्ते: "العناية على الكفاية على فتح القدير ١٥٩/٣")

☆☆☆

(46) चाँदी, सोने के ज़ेवर में ज़कात है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

चाँदी सोने के ज़ेवरों में ज़कात फ़र्ज़ है।

दलील :-

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يديها من ذهب فقال لها اتعطين زكوة هذا فقالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيمة سوارين من النار. الحديث

(अबू दाऊद शरीफ़ 218/1)

तरजुमा :-

हज़रत अमर बिन शुएब अपने वालिद से वोह अपने दादा से रिवायत नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उस के साथ उस की बेटी भी थी। जिस के हाथ में सोने के दो भारी कँगन थे। आप (सल्ल.) ने उस से फरमाया कि क्या तुम इस की ज़कात देती हो? उस ने कहा नहीं। तो आप (सल्ल.) ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हें यह पसन्द है कि अल्लाह तआला क़यामत के दिन तुम को इन दोनों कँगनों के बदले आग के दो कँगन पहनाए।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

ज़कात फ़र्ज़ नहीं है।

(देखिए : "फ़तावाए सनाहयह 297/1")

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكوة.

तरजुमा :-

हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ेवर में ज़कात नहीं है।

जवाब :-

इस का ग़ैर मुक़ल्लिदी के ही एक ज़रियद आलिम हज़रत मौलाना अब्दुरहमान मुबारकपुरी (रह.) से लीजिए। मौसूफ़ पहले अपना मसलक लिखते हैं :

मेरे नज़दीक चाँदी और सोने के ज़ेवर में जाहिर और राजेह कौल ज़कात के ख़ुबूब का है, इस पर बाहूत सी अहादीस दलालत करती हैं। और फिर इस हदीस का जवाब लिखते हैं: कि इस का जवाब दिया गया है कि यह हदीस बातिल है। इस की कोई असल नहीं। इमाम बेहिकी ने अपनी "معرفة" (किताब) के अन्दर फरमाया है कि जो हदीसे मरफू **ليس في الحلي زكوة** हज़रत जाबिर (रज़ि.)

عن ام سلمة قالت كنت البس
اوضاحاً من ذهب فقلت يا رسول
الله اكنز هو فقال ما بلغ ان يؤدى
زكوة فزكى فليس بكنز.

(अबू दाऊद शरीफ 218/1)

तरजुमा :-

हज़रत उम्मे सल्मा (रज़ि.)
फरमाती हैं कि मैं सोने का ज़ेवर
पहनती थी, मैं ने पूछा या रसूलुल्लाह
क्या यह कन्नज़ है आप ने

इरशाद फरमाया कि जो निसाब ज़कात को पहुँच जाए और उस की ज़कात अदा
कर दी जाए तो वोह कन्नज़ नहीं है।

عن عبد الله بن شداد ابن الهاد انه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى
الله عليه وسلم فقالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في
يدي فتحات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن اتزين لك يا
رسول الله قال اتؤدين زكوتهن قلت لا او ما شاء الله قال هو حسبك من
النار.

(अबू दाऊद 218/1)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन शदाद (रज़ि.) फरमाते हैं कि हम ज़ौजए नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास आए तो हज़रते
सिद्दीका (रज़ि.) ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे
पास सशरीफ़ लाए तो मेरे हाथ में सोने की अँगूठी देख कर फरमाया ऐ आइशा
यह क्या है? मैं ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ने इस
को इस लिए पहना है ताकि मैं इस के ज़रीए आप (सल्ल.) के वास्ते ज़िन्नत
करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस की ज़कात
देती हो? मैं ने कहा नहीं तो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद

से मरबी है वोह बातिल है, उस की
कोई असल नहीं है।

(देखिए : "तहफतुल अरवगी 226/3")

नीज़ ग़ैर मुकल्लिदों ही के एक
दूसरे जय्यद आलिम अल्लामा
सन्आई (रह.) भी चाँदी, सोने के
ज़ेवर में वुजूबे ज़कात के काइल हैं।

(देखिए : "सुबुलुसलाम 263/2)

वल्लाहु आलामु बिस्सवाब।

☆☆☆

फ़रमाया कि यह तुम्ह को जहन्नम के लिए काफी है।

फ़ाइदा :-

इन तीनों हदीसों से मालूम हुआ कि चाँदी, सोने के ज़ेवरात में ज़कात फर्ज है।

☆☆☆

(47) मिट्टी खाना जाइज है या नहीं?

असलके अहनाफ़

मिट्टी खाना जाइज नहीं।

दलील :-

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
من اكل الطين فكانما اعان على قتل
نفسه.

(बुखारे बेहकी 12/10)

तरजुमा :-

हजरत अबू हुरैरा (रज़ि.) से
रिवायत है कि रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने
मिट्टी खाई गोया उस ने अपने आप

को कतल करने में इआनत की।

عن سليمان من اكل الطين حوسب على ما نقص من لونه و نقص من جسده.

(کنز العمال علی مسند احمد 1/191)

हजरत सुलेमान (रज़ि.) फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मिट्टी खाई, उस से
उसके रंग और जिस्म में जो नुक़स पैदा होगा, उस से उसका हिसाब लिया जाए
गा।

फाइदा :-

मालूम हुआ कि मिट्टी खाने की वजह से बदन को ज़रूर पहुँचता है, लिहाज़ा
इस का खाना जाइज न होगा।

☆☆☆

असलके गैर मुक़ल्लिदीन

जाइज है।

नवाब साहब भोपाली फरमाते

हैं:

”واما اكل التراب پس در منع ازان
دليلة نیامدم.“

(अरफ़ुल जादी 237 बहवाहल मसाले गैर
मुक़ल्लिदीन /350)

यानी मिट्टी खाने की मुमानअत
पर कोई दलील नहीं आई।

जवाब :-

दलील तो मौजूद है, देखिए
असलके अहनाफ़।

☆☆☆

(48) मुज्तर के लिए हराम चीज़ का भर-पेट खाना जाइज़ है या नहीं?

मसलके अहमक

बक़दरे ज़रूरत जिस से जान बच सके खाना जाइज़ है। पेट भर कर नहीं।

दलील :-

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه.

(अल्बक़रा 1173)

तरजुमा :-

जो शय्यस बेताब हो जाए बशर्तेकि न तो तालिबे लज़ज़त हो और न तजावुज़ करने वाला हो (ज़रूरत से ज़्यादा खाने वाला न हो) तो उस पर कोई गुनाह नहीं यानी हराम चीज़ के खाने में।

फ़ाइदा :-

रईमुल् मुफ़सिरीन हज़रत इब्ने अब्बास (सल्ल.) "ولا عـاد" (इद से तजावुज़ करने वाला न हो) की तफ़सीर "ولا يشبع منها" से करते हैं यानी पेट भर कर न खाए, चुनांचे देखिए - "तफ़सीर इब्ने कसीर 205/1" इस में है :

"ولا عا... عن ابن عباس لا يشبع منها."

इस से मालूम हुआ कि हालते इज़्तिरार में बक़दरे ज़रूरत ही खाना जाइज़ है, पेट भर आसूदा होकर खाना जाइज़ नहीं।

☆☆☆

मसलके और मुक़त्लिदीन

भर-पेट खाना जाइज़ है।

नवाब साहब हैदराबादी फ़रमाते हैं :

ومن اضطر جاز له اكل المحرم ولو الى الشبع.

(कन्जुल् हक़ाईक 1187 बहज्जालह मसाहले कै मुक़त्लिदीन 1329)

यानी जो शय्यस हराम खाने पर मजबूर हो जाए, उसके लिए जाइज़ है कि वोह पेट भर कर ख़ूब आसूदा होकर भी खा सकता है।

अल्लाह जाने इन की क्या दलील है।

☆☆☆

(49) नमाजे इदैन में तकबीराते जवाइद 6 हैं या 12

मसलके अहनाफ़

नमाजे इदैन में तकबीरात
जवाइद छः 6 हैं।

दलील :-

عن ابى عائشة جليس لابي هريرة
ان سعيد بن العاص سأل ابا موسى
الاشعري و حذيفة ابن اليمان كيف
كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يكبر فى الاضحى و الفطر
فقال ابو موسى كان يكبر اربعا
تكبيرة على الجنائز فقال حذيفة
صدق فقال ابو موسى كذلك اكبر فى
البصرة حيث كنت عليهم.

(अबू हाऊद 163/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू आइशा से रिवायत
है जो हज़रत अबू हरैरह (रज़ि.) के
हम नशॉं हैं कि हज़रत सईद बिन
अल-आस (रज़ि.) ने हज़रत अबू
मूसा अल-अशअरी (रज़ि.) और
हज़रत हुज़ैफा (रज़ि.) से पूछा कि
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम (नमाजे) इंदुल् अज़्हा और
इंदुल् फित्र में तकबीर किस तरह
कहते थे, हज़रत अबू मूसा अशअरी
(रज़ि.) ने फ़रमाया कि नमाजे
जनाज़ा की तरह चार तकबीर कहते
थे (हर रकअत में चार तकबीर रूकू

मसलके गैर मुकल्लिदीन

तकबीराते जवाइद 12 बारह हैं।

(देखिए : "फतावाए नजोरियह 630/1 और
फतावाए सनाइयह 613/1)

यह लोग चन्द हदीसों को दलील
में पेश करते हैं हालांकि इन में से
एक हदीस भी सही सनद के साथ
भरवी नहीं है, मुलाहज़ा फरमाइये।

पहली हदीस :

عن عبد الله عن ابيه عن جده ان
النبي صلى الله عليه وسلم كبر فى
العيدين فى الاولى سبعا قبل القراءة
وفى الآخرة خمسا قبل القراءة.

(तिमिज़ी 119/1)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है
कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने (नमाजे) इदैन की पहली
रकअत में किराअत से पहले सात
तकबीरें कहीं और दूसरी रकअत में भी
किराअत से पहले पाँच तकबीरें कहीं।

जवाब :-

यह है कि इस हदीस की सनद
में एक रावी कसीर इब्ने अब्दुल्लाह
ज़ईफ़ हैं।

(देखिए : "मअरिफ़ुम् सुन्न 436/4")

घुनांचे इस के बारे में हज़रत
इमाम बुद्धारी (रह.) फरमाते हैं कि

की तकबीर के साथ) तो हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने फ़रमाया कि अबू भूसा (रज़ि.) ने फ़रमाया कि मैं इसी तरह तकबीर कहता था जब मैं बसरा में अमीर था।

फ़ाइदा :-

हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम (रज़ि.) का नमाज़े इंदैन में छः तकबीरात ज़वाइद कहने का मामूल था।

عن عبد الله بن مسعود قال التكبير في العيدين اربع كالصلوة على الميت.

(शिवरानी 305/9, रक़्क़ुल् हदीस 9522)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि इंदैन में (नमाज़े इंदैन की हर रकअत में रूकू की तकबीर के साथ) चार तकबीरें हैं, नमाज़े जनाज़ा की तरह।

फ़ाइदा :-

इससे भी मालूम हुआ कि नमाज़े इंदैन में तकबीराते ज़वाइद छः हैं।

☆☆☆

फ़रमाते हैं कि वोह झूठ के अरकान में से एक रुकन है।

हज़रत इब्ने हिब्बान फ़रमाते हैं : उन के पास "عن ابيه عن جده" का एक मौजू (गढ़ा हुआ) नुस्खा था।

यह मुन्किरुल् हदीस है।

इमाम अबू हातिम फ़रमाते हैं : मुन्किरुल् हदीस है नीज़ ज़ईफ़ुल् हदीस है।

इमाम निसाई (रह.) फ़रमाते हैं कि मतरूकुल् हदीस है।

और इमाम हाकिम (रह.) फ़रमाते हैं कि उन से मरबी बहुत सारी रिवायात के बारे में दिल गवाही देता है कि वोह मौजू है।

قال البخاري منكر الحديث وقال ابو حاتم منكر الحديث، ضعيف الحديث... وقال النسائي، متروك... قال الحاكم... روى عنه احاديث يشهد القلب انها موضوعة.

(تهذيب التهذيب 418/8)

और तकरीबुल् तहज़ीब /309 में हाफ़िज़ इब्ने हज़र अस्कलानी (रह.) मुख्तसर यू लिखते हैं :

كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني ضعيف من السابعة.

नोट :

तरजुमा ऊपर ज़िक्र कर दिया गया है।

इन के बारे में हज़रत इमाम शाफ़ई (रह.) और इमाम दाऊद (रह.)

قال الشافعيّ و ابو داؤد انه ركن من اركان الكذب و قال ابن حبان له نسخة موضوعة عن ابيه عن جده.

(نيل الاوطار ٥٩٨/٢)

दूसरी हदीस :

ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد. ثنتي عشرة تكبيرة سبعة في الاولى و خمسا في الآخرة.

(اخرجه احمد و ابن حبان كما في تحفة الاحوذى ١٦٧/٣)

तरजुमा :-

हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद में बारह तकबीरें कहीं, सात पहली रकअत में और पाँच दूसरी रकत में।

जवाब :-

इस हदीस की सनद भी मज़बूत नहीं क्योंकि इस का मदार **“عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي”** पर है जिस को मुहद्दिसीने इज़ाम ने जर्इफ़ करार दिया है।

(ديكتهم : آثار السنن ٤٩٤/١ تعليق الاحسن على آثار السنن ٤٩٤/١ و معارف السنن ٤٣٨/٤)

चुनाचे इमाम अबू हातिम इन के बारे में फ़रमाते हैं :

“لين الحديث” यानी मज़बूत रावी नहीं है, **“ليس بقوى لين الحديث”**

हज़रत इमाम निसाई (रह.) भी यही फ़रमाते हैं :

“ليس بذلك القوى” यानी यह रावी मज़बूत नहीं है।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) फ़रमाते हैं :

“فيه نظر” यानी इस में नज़र यानी कमज़ोरी है।

(देखिए : “तहज़ीबुल तहज़ीब 299/5”)

تقريب التهذيب ص : ٢٩٠٥. पर **“عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي يعلى الثقفي صدوق و يخطى و نهيم من السابقة.”**

तीसरी हदीस :

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر و الاضحى

في الأولى سبع تكبيرات و في الثانية خمساً.

(اخرجه ابو داؤد كذا في تحفة الاحوذى ١٥٠٢)

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिम इंदुल् फ़ित्र और इंदुल् अज़हा की पहली रकअत में सात तकबीरों और दूसरी रकअत में पाँच तकबीरों कहते थे।

जवाब :-

इस की सनद भी मज़बूत नहीं है क्योंकि इस की सनद में एक रावी "عبد الله ابن لهيعة" है जिस को हज़रते मुहदिसीने किराम ने ज़ईफ़ करार दिया है।

धुनांचे हज़रत इब्ने मुईन (रह.), इमाम अबू हातिम, और हज़रत इमाम अबू ज़रआ (रह.) ने इस की तज़ईफ़ की है।

(देखिए : अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) की किताब "तहज़ीबुल्ल तहज़ीब 378/5")

हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने "كتاب العلل" के अन्दर बयान फरमाया है कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीस शरीफ़ को ज़ईफ़ करार दिया है।

ونكر الترمذى في "كتاب العلل" ان البخارى ضعف هذا الحديث.

(ديكهي "نيل الاوطار: ٥٩٩:٢")

नीज़ शैर मुकल्लिन्दों के ही मशहूर आलिम शैख़ अब्दुरहमान मुबारकपुरी ने इस का एतराफ़ किया है। धुनांचे मौसूफ़ "तोहफ़तुल्ल अहवज़ी /653" पर तहरीर फरमाते हैं :

وفي اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف

यानी इस की सनद में (एक रावी) इब्ने लुहैआ हैं जो कि ज़ईफ़ हैं। हाकज़ा।

(في نيل الاوطار: ٥٩٩:٢)

☆☆☆

(50) देहात के छोटे-छोटे गाँवों में नमाज़े जुमा दुरुस्त है या नहीं

मसलके अहनाफ़ दुरुस्त नहीं है।

दलील :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّوْا لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ نُكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. آيَة.

(الجمعة: 10)

तरजुमा :-

ऐ ईमान वालों जब जुमे के दिन नमाज़ के लिए अज़ान दी जाए तो ज़िक्रुल्लाह की तरफ़ दौड़ो और ख़रीद-व-फ़रोख़्त छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो।

फिर जब नमाज़ (जुमा) हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल (रोज़ी) तलाश करो।

फ़ाहदा :-

इस आयते करीमा से साफ़ इशारा मिलता है कि जुमा ऐसी जगह होता है जहाँ ख़रीद-व-फ़रोख़्त होती हो, और जहाँ आदमी रोज़ी तलाश कर सके।

मसलके ग़ैर मुक़त्लिदीन

दुरुस्त है ("फ़तावाए सनाइयह

612/1")

दलील :-

यह लोग शब्द हदीसों को दलील में पेश करते हैं, आप हर हदीस को मज़ जवाब मुलाहज़ा फ़रमायें :

पहली हदीस :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان اول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثا قرية من قرى البحرين قال عثمان قرية من قرى عبد القيس.

(ابوداؤد: 102/1)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि इस्लाम में मदीना मुनव्वरा के अन्दर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में पढ़े जाने वाले जुमे के बाद जो जुमा सब से पहले पढ़ा गया वोह वोह जुमा है जो बैहरैन के क़रयह जवासा में पढ़ा गया।

हज़रत इमाम उस्मान (जो इब्ने अबी शैबा इमाम दाऊद के उस्ताद हैं) फ़रमाते हैं कि वोह अब्दे क़ैस के

ज़ाहिर है कि यह बात सिर्फ़ शहर को हासिल है गाँव को नहीं।

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم و العوالي-

(बुखारी शरीफ़ 123/1)

तरजुमा :-

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाजए मोहतरमा हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) फरमाती हैं कि लोग अपने घरों और अवाली से जुमा पढ़ने के लिए (मदीना तय्यिबा में) बारी बारी आते थे।

नोट :

अवाली वोह गाँव और जगहें हैं जो मदीना तय्यिबा से मशिरक़ की जानिब तक़रीबन आठ मील के फासले पर या उस से कम फासले पर आबाद थीं।

(देखिए : "हशियाए बुखारी 123/1")

फ़ाइदा :-

उन लोगों का मदीना तय्यिबा जुमे के लिए बारी बारी आना दो बातों की तरफ़ इशारा करता है।

(1) उन गाँव वालों के ऊपर जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं थी वरना यह लोग बारी बारी न आते बल्कि सब लोग आते।

(2) अवाली के अन्दर जुमा नहीं

करयों में से एक करया है।

वजहे इस्तिदलाल यह है कि इस हदीस शरीफ़ के अन्दर जवासा के लिए लफ़्ज़े "قرية" का इस्तेमाल हुआ है और "قرية" के मआनी आते हैं गाँव के जिस से मालूम हुआ कि जवासा गाँव था जिसमें नमाज़े जुमा पढ़ी गई, पस साबित हो गया कि गाँव में नमाज़े जुमा दुख्त है।

जवाब :-

यह है कि मज़क़ूरा हदीस से इन लोगों का इस्तिदलाल दो दावों पर मबनी है।

(1). लफ़्ज़े "قرية" के मआनी "गाँव" के आते हैं।

(2). जवासा जहाँ नमाज़े जुमा पढ़ी गई वोह गाँव था।

आप बित्तरतीब दोनों का जवाब मुलाहज़ा फ़रमायें।

हम आपके सामने दोनों की तहकीक़ पेश करते हैं।

लफ़्ज़े "قرية" की तहकीक़ :

लफ़्ज़े "قرية" के मआनी अगरचे गाँव के आते हैं, मगर यह लफ़्ज़ बसा औकात शहर के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि क़ुरआने करीम में طائف और مكة المكرمة के लिए लफ़्ज़े "قرية" का इस्तेमाल किया है। हालांकि यह दोनों बिल्इत्तिफ़ाक़

होता था, खरना यह लोग जुमे के लिए मदीना तय्यिबा न आते बल्कि अपने वहाँ पढ़ लेते।

मालूम हुआ कि जुमा देहात के छोटे-छोटे गाँवों में दुरुस्त नहीं। हीं बड़े गाँव और कस्बे को उलमा ने शहर के साथ लाहिक़ किया है, लिहाज़ा इनमें नमाज़े जुमा जाइज़ है।

एक मरतबा हज़रत उस्मान (रज़ि.) के ज़माने में इंदुल् अज़हा के दिन जुमा पड़ गया, तो आप (रज़ि.) ने नमाज़े इंदुल् अज़हा पढ़ाने के बाद फ़रमाया :

يا ايها الناس ان هذا يوم قد اجتمع
لكم فيه عيد ان فمن احب ان ينتظر
الجمعة من اهل العوالي فلينظر
من احب ان يرجع فقد اذنت له.

(बुखारी शरीफ़ 835/2)

तरजुमा :-

ऐ लोगों ! विला शुबहा तुम्हारे लिए इस दिन में दो इंदैन (इंदुल् अज़हा और जुमा) जमा हो गई हैं, पस जो शख़्स अहले अब्वाली में से जुमे का इन्तिज़ार करना चाहे वोह इन्तिज़ार करे और जो शख़्स (घर) लौटना चाहे तो मैं उस के लिए इजाज़त देता हूँ।

फ़ाहदा :-

इस हदीस शरीफ़ से भी मालूम हुआ कि अहले अब्वाली पर जुमा याज़िब न था खरना हज़रत उस्मान (रज़ि.) उन को बग़ैर जुमा पढ़े घर

शहर हैं।

”ولا شك ان مكة مصر وكذا الطائف.“

(التعليق الحسن على آثار السنن 1: 449).

यानी इस में कोई शक़ नहीं कि “मक्का” और “ताइफ़” दोनों शहर हैं, दोनों से मुतअल्लिक़ आयत मुलाहज़ा फ़रमायें। बारी तआला इरशाद फ़रमाते हैं :

”وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.“

(زخرف 37)

तरजुमा :-

उन्होंने (काफ़िरों ने) कहा कि यह क़ुरआन दोनों बस्तिर्यों (मक्का व ताइफ़) में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाज़िल नहीं किया गया।

नीज़ क़ुरआने मुक़द्दस ने एक दूसरे शहर “अनुषाक़िबे” के लिए भी लफ़्ज़े “قرية” का इस्तेमाल किया है। चुनांचे इरशादे बारी तआला है।

”واضرب لهم مثلاً اصخب القرية اذ
جاؤها المرسلون“ - (يس 13)

तरजुमा :-

और आप (सल्ल.) इन के सामने “قرية” वालों की एक मिसाल बयान कीजिए, जबकि उनके पास रसूल आए।

यहाँ “قرية” से मुरद शहर “अनुषाक़िबे” है, चुनांचे इमामुल् मुफ़सिरीन हज़रत इब्ने अब्बास(रज़ि.),

होना जरूरी है जैसे हमारे यहाँ गुलालता, शिकराखा वगैरा बड़े गाँव हैं। छोटे-छोटे गाँवों में जुमा दुख्त नहीं।

नोट :

जिन जगहों पर नमाजे जुमा दुख्त नहीं वहाँ इदैन की नमाज पढ़ना जाइज न होगा, क्योंकि जुमा व इदैन दोनों के शाराइत एक हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

☆☆☆

लिहाजा इस हदीस को इस्तिदलाल में पेश करना सही नहीं है।

दूसरी हदीस शरीफ जिसको यह लोग दलील में पेश करते हैं "अबू दाउद शरीफ :153/1" की यह रिवायत है कि हज़रत अब्दुर्रहमान अपने वालिद कअब बिन मालिक (रज़ि.) के मुतअल्लिफ़ फरमाते हैं :

انه كان اذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لا سعد بن زرارة فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لا سعد بن زرارة قال لانه اول من جمع بناهزم النبيت من هرة بنى بياضة في نقيع الخضعات قلت كم كنتم يومئذ قال اربعون.

तरजुमा :-

हज़रत कअब बिन मालिक (रज़ि.) जब जुमे के दिन अज़ान की आवाज़ सुनते तो हज़रत अस्अद बिन ज़रारह (रज़ि.) के लिए रहमत की दुआ करते। हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि मैं ने अपने वालिद से इस की वजह पूछी कि जब आप (रज़ि.) अज़ान की आवाज़ सुनते हैं तो हज़रत अस्अद बिन ज़रारह के लिए रहमत की दुआ करते। तो उन्होंने फरमाया क्योंकि वोह ही पहले शख्स हैं, जिन्होंने हरे बनी बियाड़े के अन्दर मकामे नबीत में हमें जुमे की नमाज पढ़ाई। नقيع ख़ुसुआत "हरे बनी बियाड़े" के अन्दर है जिसे ख़ुसुआत कहा जाता है।

हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं ने कहा कि आप लोग उस दिन कितने थे? उन्होंने फरमाया चालीस (40)।

जवाब :-

यह है कि इस हदीस शरीफ़ को भी इस्तिदलाल में पेश करना दुख्त नहीं है

"ان اسم حصن البحرين"

(नीज़ुल् अबतार :514/2)

यानी "जवासा" "बैहरैन" के एक किले का नाम है।

ज़ाहिर है कि किला सिर्फ़ शहरों में होता है, गाँवों में नहीं।

(هكذا في آثار السنن: ٤٤٧-٤٤٨، التعليق

الحصن على الآثار السنن: ٤٤٨)

मालूम हुआ कि हदीस शरीफ़ में जिस जगह जुमा पढ़ने का जिक्र है वोह गाँव नहीं था बल्कि शहर था।

क्योंकि इन हज़रात ने यह जुमा महज़ अपने इज्ताहाद से फर्जियते जुमा से पहले पढ़ा था, न कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से।

घुनांचे अल्लामा नीमवी (रह.) "آثار السنن: ६६८" में तहरीर फरमाते हैं:

ان جميعهم هذا كان برأيهم قبل ان تشرع الجمعة لا بامر النبي ﷺ.

यानी इन लोगों ने यह जुमा मशरूइयते जुमा से पहले महज़ अपनी राय से पढ़ा था, न कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से।

इस की तफ्सील "نيل الاوطار" बहवालह "مصنف عبد الرزاق: ५६६", "नीज़: ६०/२" की रिवायत में मौजूद है जो बसन्दे सहीह मरवी है जिस में वज़ाहत है कि इन हज़रात ने यह जुमा मशरूइयते जुमा से पहले पढ़ा था।

जिस को इस की तफ्सील देखनी हो वोह इन मज़कूर किताबों में देख ले। यहीं तिवालत के खौफ की वजह से तफ्सील को तर्क किया जाता है।

दूसरा जवाब :-

यह है कि इस हदीस की सनद में एक रावी "मुहम्मद बिन इस्हाक" हैं। जो घुनांचे गैर मुकल्लिदों के ही एक मशहूर आलिम काज़ी शौकानी (रह.) अपनी किताब "نيل الاوطار: ५०९/२" में तहरीर फरमाते हैं :

"وفي أسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال مشهور."

यानी इसकी सनद में "मुहम्मद बिन इस्हाक" हैं। जिसके बारे में कलाम मशहूर है।

तीसरा जवाब :-

यह सहाबी का फेअल है, जो गैर मुकल्लिदों के यहाँ हुज्जत नहीं।

तीसरी हदीस :

जिसको यह लोग दलील में पेश करते हैं, यह है।

"عن كعب بن عجرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في اول جمعة حين قدم المدينة في مسجد بنى سالم."

(تاريخ المدينة: ٦٨/١ كما في التلخيص للمصنف: ٤٤٩ على آثار السنن)

तरजुमा :-

हज़रात कअब बिन उजरा (रज़ि.) फरमाते हैं, कि नबीए करीम (सल्ल.) ने

सबसे पहले जुमे की नमाज़, जब आप (सल्ल.) मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए, मस्जिद बनी सालिम में पढ़ी।

वजह इस्तदलाल यह है कि बनी सालिम एक छोटा सा गाँव था।

जवाब :-

यह है कि मुहल्ला बनी सालिम मदीना तथियबा के मज़ाफात में दाखिल था, लिहाज़ा इसमें नमाज़े जुमा अदा करना मदीना तथियबा में अदा करने के हुक्म में है। यही वजह है कि सोरत की किताबों में "أول جمعة صلاها بالمدينة" यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जुमा मदीना तथियबा में पढ़ा। के अल्फाज़ आए हैं "التعليق" "حيث قالوا فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة" (الحسن على آثار السنن: 401) यानी उलमा ने कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा मदीना तथियबा में पढ़ा।

चौथी हदीस :-

जिसको यह लोग दलील में पेश करते हैं हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की यह है :

"انهم كتبوا الى عمر رضي الله تعالى عنه يسألونه عن الجمعة فكتب جمعوا حيث ما كنتم"

यानी हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फरमाते हैं कि उन्होंने जुमे की नमाज़ के बारे में पूछने के लिए हज़रत उमर (रज़ि.) के पास खत लिखा तो उमर (रज़ि.) ने जवाब दिया कि तुम नमाज़े जुमा पढ़ो, जहाँ कहीं भी हो।

जवाब :-

अल्लामा ऐनी (रह.) इस के जवाब में फरमाते हैं कि "جمعوا حيث ما كنتم" के मानी हैं "جمعوا حيث ما كنتم من الامصار"

(आसादुस् सुन्न: 456)

यानी तुम जुमा पढ़ो जहाँ कहीं भी तुम शहर में हो। वल्लाहु आलम।

दूसरा जवाब :-

यह है कि गैर मुकल्लिदों के यहाँ सहाबी (रज़ि.) का कौल हुज्जत नहीं है। लिहाज़ा उन का सहाबी के कौल को दलील में पेश करना दुस्त नहीं।

(51) इमाम के पीछे मुक़्तदी का सूरते फ़ातिहा पढ़ना कैसा है ?

असलके अहलाफ़

मुक़्तदी का इमाम के पीछे सूरते फ़ातिहा का पढ़ना जाइज़ नहीं।

इस्लील :-

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

(الاعراف 7: 204)

तरजुमा :-

और जब कुरआन पढ़ा जाए तो उस को कान लगा कर सुनो और तवज्जोह के साथ बिल्कुल ख़ामोशी इख़्तियार कर लो ताकि तुम पर रहम किया जाए।

फ़ाइदा :-

इस आयते करीमा से मालूम हुआ कि बक्ते किराअत इस को ग़ौर से सुनना और ख़ामोशी इख़्तियार करना ज़रूरी है। लिहाज़ा इमाम की किराअत के बक्त मुक़्तदी का किराअत करना जाइज़ न होगा बल्कि इमाम की किराअत को सुनना ज़रूरी होगा।

यह आयते करीमा नमाज़ ही से भुतअल्लिक् नाज़िल हुई, घुनांचे देखिए "सुनने बेहकी 155/2" की यह रिवायत।

عن مجاهد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في-

असलके ग़ौर मुक़्तलिदीन

मुक़्तदी के लिए सूरते फ़ातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है, इसके बग़ैर नमाज़ न होगी।

(फ़तावाए नज़ीरियह : 398/1)

यह लोग चन्द हदीसों को इस्तिदलाल में पेश करते हैं आप हर हदीस को मअ जवाब मुलाहज़ा फरमाइये।

पहली हदीस :

عن عباد بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

(बुख़ारी शरीफ़ : 104/1)

तरजुमा :-

हज़रत उबादह बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स की नमाज़ नहीं होती जो सूरते फ़ातिहा न पढ़े।

जवाब :-

यह है कि यह हदीस इमाम और मुन्फ़रिद (अकेला) के बारे में है, मुक़्तदी के बारे में नहीं है। और यह

الصلاة فسمع قراءة فتى من الانصار
فنزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا
له وانصتوا.

तरजुमा :-

हज़रत मुजाहिद (रज़ि.)
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़
के अन्दर किराअत फ़रमा रहे थे तो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अन्सार में से एक नौजवान की
किराअत सुनी तो आयते करीमा
” و اذا قرئ القرآن فاستمعوا
واذا قرئ القرآن فاستمعوا
” नाज़िल हुई :

रईसुल् मुफ़रिसरीन हज़रत इब्ने
अब्बास (रज़ि.) भी यही फ़रमाते हैं
कि यह आयते करीमा नमाज़ के बारे
में नाज़िल हुई है।

” عن ابن عباس..... هذا في الصلوة.”
(सुने बेहकी : 155/2)

عن ابى موسى الاشعري (في حديث
طويل) ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا
و علمنا صلواتنا فقال اذا صلينا
فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم
فاننا كبر فكبروا وفي رواية اخرى
وانا قرأاً فأنصتوا. قال مسلم هذا
عندى صحيح.

(मुस्लिम शरीफ़ 174/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू मुसा अशअरी

बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे
हैं, बल्कि सहाबीए रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत
जाबिर (रज़ि.) इस हदीस शरीफ़ का
यही मतलब बयान फ़रमाते हैं।
चुनांचे देखिए (तिर्मिज़ी 71/1)

” من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام
القران فلم يصل الا ان يكون وراء
الامام.”

तरजुमा :-

कि जिस ने कोई रकअत पढ़ी
जिसमें उस ने सूरते फ़ातिहा को नहीं
पढ़ा तो उस की नमाज़ न होगी। मगर
यह कि वोह इमाम के पीछे हो।

हज़रत इमाम अहमद बिन
हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस
के बारे में फ़रमाते हैं :

” ان هذا اذا كان وحده.”
यानी यह हदीस उस सूरत में है
जबकि नमाज़ी मुन्फ़रिद हो, यानी
अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो, इमाम के
पीछे न हो।

नीज़ हज़रत सुफ़यान सौरी
(रह.) भी इस हदीस को मुन्फ़रिद ही
के हक़ में मानते हैं।

(दिक़्क़े : ”التعليق الحسن على آثار السنن : 108”)

लिहाज़ा मालूम हुआ कि यह
हदीस ग़ैर मुक़ल्लिदीन के मसलक पर
सही नहीं, अगरचे सही है।

(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने तक़रीर फ़रमायी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने हमारी सुन्नत को बयान किया और हमें हमारी नमाज़ सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम नमाज़ पढ़ो तो तुम अपनी सफ़ों को सीधी रखो और फिर तुम में से कोई इमामत करे। फ़स जब इमाम तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो और एक दूसरी रिवायत में (यह भी) है कि जब इमाम किराअत करे तो तुम ख़ामोश हो जाओ।

हज़रत इमाम मुस्लिम (रह.) फ़रमाते हैं कि "وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا" मेरे नज़दीक सही है।

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا.

(نسائي: 107/1, ابن ماجه: 61, مسند احمد 197/2, سنن دارمی 227/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इमाम इसी लिए मुक़रर किया जाता है कि उस की इफ़तिदा की जाए। लिहाज़ा जब वोह

दूसरा जवाब :-

यह है कि "لا صلوة لمن لم يقرأ" "فصاعد" की ज़्यादाती सही रिवायत से साबित है। "قد صبح فيه زيادة قوله: فصاعداً"

(मआरिफ़स सुन्न : 222/3)

इस का एतराफ़ ग़ैर मुक़ल्लिदों के शैख़ुल् इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल् वफ़ा सनाउल्लाह साहब अमरतसरी (रह.) ने भी दबी ज़बान से किया है।

चुनांचे मौसूफ़ एक साइल के जवाब में तहरीर फ़रमाते हैं :

"सूरहे फ़ातिहा की तो ताकीद मज़ीद है। एक हदीस में "فصاعداً" का लफ़्ज़ आया है।

(फ़ताववर सानियह : 587/1)

गोया अब पूरी हदीस शरीफ़ इस तरह हुई :

"لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً"

यानी इस शज़्त की नमाज़ नहीं होती जो सूरते फ़ातिहा और कुछ ज़ाहद यानी सूरह न पढ़े।

इससे मालूम हुआ कि सूरत मिलाने का भी वही हुक़म है जो सूरहे फ़ातिहा का है।

"فما هو جوابكم في ضم السورة فهو جوابنا في الفاتحة."

तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो और जब वोह किराअत करे तो तुम खामोश हो जाओ।

फाइदा :-

इस हदीस शरीफ से भी मालूम हुआ कि मुक़तदी के लिए इमाम के पीछे किराअत करना जाइज़ नहीं।

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقرأه الامام له قراءة.

(इम्ने माजा 161, मुस्तद अहमद 339/3, सुन्ने बैहकी 1159/2, सुन्ने दारे सुतनी 323/1)

तरजुमा :-

हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके लिए इमाम हो यानी जो इमाम के पीछे हो, उस के लिए किराअत इमाम की किराअत है यानी उस के लिए इमाम की किराअत काफी है।

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام، "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فقولوا آمين.

(बुखारी : 108/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

हासिल यह है कि हमारे ग़ैर मुक़ल्लिदीन भाई इमाम के पीछे सुरहे फातिहा के पढ़ने के वुजूब के फाइदा हैं, मगर सुरत मिलाने के नहीं। जबकि हदीस शरीफ में "فصاعداً" की ज़्यादती से ज़म्मे सुरत (यानी सुरत मिलाने) का वुजूब भी साबित होता है।

अब जो जवाब ग़ैर मुक़ल्लिदीन ज़म्मे सुरत का देंगे, वही जवाब हमारा सुरहे फातिहा के बारे में होगा।

मुम्किन है कि यह हज़रत इस का यह जवाब दें कि यह हदीस मुक़तदी के बारे में नहीं है, बल्कि मुन्फरिद या इमाम के हक़ में है। बस हमारा मुद्दा साबित हो गया।

दूसरी हदीस :-

हदीस शरीफ जिस को यह लोग दलील में पेश करते हैं हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की है।

"من صلى صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج ثلاثاً غير تمام فقيل لابي هريرة انا نكون وراء الامام قال اقرأ بها فى نفسك."

(मुस्लिम शरीफ : 169/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया

इरशाद फरमाया कि जब इमाम ^{عیر} "المغضوب عليهم ولا الضالین" कहे तो आमीन कहो।

फाइदा :-

इस हदीस शरीफ से भी मालूम हुआ कि मुक़तदी इमाम के पीछे किराअत नहीं करेगा, क्योंकि आप सल्लल्ल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़तदी के "आमीन" कहने को इमाम के "ولا الضالین" कहने पर मुअल्लक किया है। अगर मुक़तदी के जिम्मे "सूरहे फ़ातिहा" का पढ़ना वाजिब होता तो आप (सल्ल.) मुक़तदी के "आमीन" कहने को इमाम के "ولا الضالین" के कहने पर मुअल्लक न फ़रमाते। बल्कि खुद मुक़तदी के "ولا الضالین" कहने पर मुअल्लक फ़रमाते हैं। मालूम हुआ कि मुक़तदी इमाम के पीछे किराअत नहीं करेगा।

عن ابی هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك الصلوة.

(बुखारी शरीफ : 82/1)

तारजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्ल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस ने नमाज़ की रकअत (रुकू) को पा लिया, उसने

कि जिस शख्स ने कोई नमाज़ पढ़ी और इसमें सूरहे फ़ातिहा का नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज़ नामुकम्मल है। आप सल्लल्ल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात तीन बार फरमायी। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से पूछा गया कि हम कभी इमाम के पीछे होते हैं (तो क्या करें) आप (रज़ि.) ने फ़रमाया कि इस (सूरहे फ़ातिहा) को अपने दिल ही दिल में पढ़ लिया कीजिए।

जवाब :-

यह है कि इस हदीस शरीफ को घन्द युजूह की बुनियाद पर ग़ैर मुकल्लिदीन का दलील में पेश करना दुस्त नहीं।

(1) हदीस शरीफ से सिर्फ इतना साबित होता है कि मुक़तदी इमाम के पीछे सूरहे फ़ातिहा को सिर्फ दिल ही दिल में पढ़े। जबान से तलफ़फ़ुज़ न करे। जबकि उन लोगों का दावा यह है कि मुक़तदी जबान से तलफ़फ़ुज़ करे, लिहाज़ा इस्तिदलाल दुस्त नहीं।

(2) इस हदीस शरीफ के दो जुज़ हैं : एक मरफू (हुज़ुर अक़दस सल्लल्ल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित) जिसमें सिर्फ इतना है कि सूरहे फ़ातिहा के बग़ैर नमाज़ नामुकम्मल है। लेकिन यह बात दूसरे दलाइल की रौशनी में इमाम और मुन्फरिद के बारे में है, मुक़तदी के हक में नहीं।

पूरी नमाज़ को पा लिया।

फ़ाइदा :-

हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि रुकूअ में शरीक होने वाले की यह रकअत पूरी शुमार होगी। अगर मुक़तदी के ऊपर "सूरहे फ़ातिहा" का पढ़ना वाजिब होता तो रुकूअ में शरीक होने वाले की यह रकअत शुमार न होती। हालांकि इस हदीस से साबित होता है कि इस की यह रकअत शुमार होगी। क्योंकि यहाँ हदीस में मजकूर लफ़ज़ "रकअत" से मुराद रुकूअ है। जिसकी तफ़्सील हम बउन्वान "रुकूअ पाने वाले की यह रकअत शुमार होगी या नहीं" के तहत कर चुके हैं, वही मुलाहज़ा कर लिया जाए।

عن جابر بن عبد الله من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل أن يكون وراءه الامام.

(तिर्मिज़ी : 171/1)

तरजुमा :-

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि जिस ने कोई रकअत ऐसी पढ़ी जिस में सूरहे फ़ातिहा को न पढ़ा तो उस की नमाज़ न होगी, मगर यह कि वोह इमाम के पीछे हो।

उसके बाद हज़रत इमाम तिर्मिज़ी लिखते हैं कि "هذا حديث حسن صحيح" यह हदीस हसन सही है।

दूसरा जुज़ हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) पर मौकूफ़ है, जिसमें दिल ही दिल में पढ़ने की बात है। सो इस के दो जवाब हैं।

(1) यह जवाब हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का अपना इज्तिहाद है। जो अहादीसे भरफूआ के मुक़ाबले में हुज्जत नहीं।

(2) बाज़ हज़रत ने इसकी यह तौजीह की है कि बाज़ मरतबा "فی نفسی" का मुहावरा हालते इन्फ़राद के लिए भी इस्तेमाल होता है, लिहाज़ा अब "أقرأ بهافي نفسك" के मअानी हुए। "أقرأ بهاحال كونك" यानी मुन्फ़रिद होने की हालत में सूरहे फ़ातिहा पढ़।

(मावज़ अज़ दसे तिर्मिज़ी : 84/2)

तीसरी हदीस :

जिस को ग़ैर मुक़ल्लिसदीन हज़रत दलील में पेश करते हैं यह है।

"عن ابي قتادة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقراون خلفي؟ قلنا نعم، قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب."

(सुनने बैहिकी : 166/2)

तरजुमा :-

हज़रत अबू क़तादह अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क्या तुम

عن ابن عمر انه كان سئل هل يقرأ
أحد مع الامام قال اذا صلى أحدكم
مع الامام فحسبه قراءة الامام. كان
ابن عمر لا يقرأ مع الامام.

(ملطامحمد: १०७)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने उमर से पूछा गया कि क्या कोई इमाम के साथ किराअत करेगा? तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जब तुम में से कोई इमाम के साथ नमाज़ पढ़े तो उसके लिए इमाम की किराअत काफी है।

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) इमाम के पीछे किराअत नहीं करते थे।

हज़रत इमाम बेहिकी (रह.) ने यह अल्फाज़ और बढ़ाये हैं "جهر" यानी चाहे जैहरी नमाज़ हो या सिर्री। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम के साथ किराअत नहीं करते थे।

(सनन बेहरी: १०७२)

عن ابى هارن قال سألت ابا سعيد
عن القراءة خلف الامام فقال يكفيك
ذاك الامام.

(مصنف ابن ابي شيبة: २३१/१)

तरजुमा :-

हज़रत अबू हारान (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं ने हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से इमाम के पीछे किराअत करने के बारे में पूछा, तो उन्होंने फ़रमाया, तेरे लिए

लोग मेरे पीछे किराअत करते हो? हम ने जवाब दिया हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सूरहे फ़ातिहा के अलावा कुछ न पढ़ा करो।

जवाब :-

बेशक यह रिवायत ग़ैर मुक़ल्लिदीन के मसलक पर सरीह है लेकिन सही नहीं।

क्योंकि इसकी सनद में एक रावी "मालिक बिन यहया" ज़ईफ़ है।

धुनांचे इब्ने हब्बान (रह.) ने इन के बारे में कलाम किया है, नीज़ इमाम बुखारी (रह.) ने फ़रमाया कि इस की हदीस में नज़र है।

مالك بن يحيى... تكلم فيه ابن حبان
وقال البخارى: فى حديثه نظر.

(ميزان الاعتدال: ६२९/३)

लिहाज़ा यह हदीस मसलके अहनाफ़ के दलाइल के मुक़ाबले में हुज़्जत नहीं बन सकती।

ख़ुलासए कलाम यह हुआ कि ग़ैर मुक़ल्लिदीनों के मसलक पर जो रिवायत सही है वोह सरीह नहीं। और जो सरीह है वोह सही नहीं।

वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।

☆☆☆

इमाम की किरात काफी है।

عن الوليد بن قيس قال سألت سويد بن غفلة أقرأ خلف الامام فى الظهر و العصر فقال لا.

(मुसनिफ़ इब्ने अबी शैबा : 331/1)

तरजुमा :-

हज़रत वलीद बिन क़ैस फ़रमाते हैं कि मैं ने सुवैद बिन ग़फ़ला से पूछा कि क्या जोहर और असर की नमाज़ में इमाम के पीछे किरात करूँ? तो उन्होंने फ़रमाया नहीं।

قال زيد بن ثابت من قرأ خلف الامام فلا صلوة له.

(किताबुल् आसार : 183/1)

तरजुमा :-

हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) ने फ़रमाया कि जिस ने इमाम के पीछे किरात की उस की नमाज़ नहीं हुई।

عن على من قرأ خلف الامام فقد خالف السنة.

(किताबुल् आसार : 183/1)

तरजुमा :-

हज़रत अली (रज़ि.) ने इरशाद फ़रमाया कि जिसने इमाम के पीछे किरात की उसने सुन्नत की मुख़ालफ़त की।

फ़ाईदा :-

इन आसारे सहाबा रिज़्यानुल्लाहि अलैहिम अज्मईन से भी मालूम हुआ कि इमाम के पीछे मुत्लकन किरात करना जाइज़ नहीं। सहाबा किराम (रज़ि.) हम से ज़्यादा अहादीसे नबविय्यह को समझने वाले थे। लिहाज़ा मैं अपने ग़ैर मुक़ल्लिदीन भाइयों से निहायत मुअदिबाना दरख़्वास्त करता हूँ कि वोह ग़ैर-व-फ़िक़्र से काम लें, और हदीस पर महज़ दावे को छोड़ कर इस पर अमल करने की कोशिश करें, अवाम को यह कह कर गुमराह न करें कि इमाम के पीछे सुरते फ़ातिहा को न पढ़ने वालों की नमाज़ नहीं होती।

अल् अब्द अबू उज़ैर मुहम्मद रफ़ीक़ (बिन सईद अहमद) कासमी ज़ालिफ़ी, मेवाती।

8 रमज़ानुल् मुबारक सन-1429 ई.

(52) मुसाफहा दो हाथों से है या एक से ?

मसलके अहनाफ

मुसाफहा दो हाथों से मसनून है।

दलील :-

عن ابن مسعود يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن.

(बुखारी शरीफ : 926/2)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्क़द फ़रमाते हैं कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे "تشهد" सिखलाया, इस हाल में कि मेरा एक हाथ आप (सल्ल.) के दोनों हाथों के दरमियान था। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे क़ुरआन की सूरात सिखाई।

फ़ाहदा :-

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीस शरीफ़ से मुसाफ़हे के दोनों हाथों से होने पर इस्तिदलाल किया है। हज़रत ने इससे पहले एक बाब काहम किया है : "باب المصافحة" यानी यह बाब है मुसाफ़हे के बयान में। फिर इसके बाद इस हदीस पर बाब काहम किया।

"باب الاخذ باليدين" صافح حماد بن زيد ابن مبارك بيديه.

मसलके वौर मुक़ल्लिदीन

एक हाथ से सुन्नत है।

(देखिए : "तोहफतुल अहवनी : 329/1")

घुनांचे मशहूर ग़ैर मुक़ल्लिदीन आलिम हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी (रह.) फरमाते हैं :
اعلم ان السنة ان تكون :
المصافحة باليد الواحدة
यानी जान लो कि मुसाफ़हा एक हाथ से सुन्नत है।

(तोहफतुल अहवनी : 429/1)

ग़ैर मुक़ल्लिदीन हज़रत उन रिवायतों को दलील में पेश करते हैं जिन में बवज़ते मुसाफ़हा लफ़्जे "يد" वाहिद आया है।

जवाब :-

लफ़्जे "يد" जिन्स के लिए बोला जाता है। जो एक हाथ और दो हाथ दोनों को शामिल है।

لان المراد من اليد في هذه العبارات هو الجنس.

(श्लाउस् सुन्न : 327/17)

"يد" बिल्खुसूस जब लफ़्जे "يد" इज़ाफ़त के साथ इस्तेमाल हुआ हो तो आम तौर पर जिन्स के मशहानी मुराद होते हैं : क़ुरआने मुक़द्दस और अहादीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अन्दर लफ़्जे "يد" बतौर जिन्स इस्तेमाल हुआ है।

(फ़ख़री सरीक : 926/2)

यानी यह बात है मुसाफ़हे के दो हाथों से होने के ख़यान में। हज़रत हम्माद बिन ज़ैद (रज़ि.) ने इब्ने मुबारक (रज़ि.) से दोनों हाथों से मुसाफ़हा किया।

रहा इस हदीस से इस्तिदलाल, तो वोह इस तरह है। कि हदीस शरीफ़ में ज़िक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्ने मस्कूद (रज़ि.) को सिखलाया तो उस वक़्त इब्ने मस्कूद (रज़ि.) का हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों के दरमियान था, लिहाज़ा मालूम हुआ कि मुसाफ़हा दोनों हाथों से है।

عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين التقيا فاخذ احدهما بيد صاحبه الا كان حقا على الله ان يحضر دعائهما ولا يفرق ايديهما حتى يغفر لهما.

(मुन्द अहमद : 338/17)

तर्जुमा :-

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब दो मुसलमान मुलाक़ात करते वक़्त एक-दूसरे के हाथ अपने हाथ में लेते

अरुलाह तआला इरशाद फ़रमाते हैं :

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك.

(बनी इस्माइल 129)

यानी अपना हाथ अपनी गरदन से बन्धा हुआ न रख।

देखिए यहाँ लफ़्जे "يد" बज़ाहिर वाहिद है मगर इस से एक हाथ मुराद किसी ने नहीं लिया।

हदीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" यानी मुसलमान वोह है जिस के ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज़ रहें।

देखिए यहाँ भी "يد" का लफ़्ज़ मुफ़रद और वाहिद है मगर यहाँ एक हाथ मुराद लेना ग़लत है।

इसी तरह एक रिवायत में आप (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमाया "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده"।

(मिरकात : 434)

यानी तुम में से जो कोई बुराई को देखे तो उस को अपने हाथ से बदल दे।

यहाँ भी लफ़्जे "يد" वाहिद है मगर इससे एक हाथ मुराद लेना ग़लत है।

(ماخوذ از "اربعين حق ٩٨")

ख़ुलासए कलाम यह है कि अहादीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में (बबक़ते मुसाफ़हा)

हैं तो अल्लाह तआला उनकी दुआ ज़रूर क़बूल फ़रमाते हैं। और उनके हाथों के जुदा होने से पहले उन की मग़फ़िरत फ़रमा देते हैं।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ में "अिदी" का लफ़्ज़ है, जो "يد" की ज़मा है। और जमा का इत्लाक़ कम-से-कम तीन पर होता है। लिहाज़ा साबित हुआ कि मुसाफ़हा चार हाथों यानी दो हाथों से है।

☆☆☆

लिहाज़ा अब भी ग़ैर मुक़ल्लिदों का इस पर अड़े रहना कि, नहीं मुसाफ़हा सिर्फ़ एक हाथ से सुन्नत है, ख़्वाह मख़्वाह की ज़सारत है।

☆☆☆

लफ़्ज़े "يد" का बाहिद होना मुसाफ़हा एक हाथ से होने की दलील नहीं बन सकता, लिहाज़ा इन रिवायात को दलील में पेश करना दुस्त नहीं। ख़ल्लाहु आलम बिस्सवाब।

नीज़ ग़ैर मुक़ल्लिदों के माया नाज़ बुज़ुर्ग़ हज़रत मौलाना बहीदुज़्ज़मी साहब, अपनी किताब "तिसिरुलबारी شرح بخारी" में तहरीर फ़रमाते हैं : मुसाफ़हा दोनों हाथों से सुन्नत है और एक हाथ से भी।

(53) एक मजलिस की तीन तलाकों तीन वाकें अ
होती हैं या एक?

मसलके अहनाफ़

एक मजलिस की तीन तलाकों तीन ही वाकें अ होती हैं। इस के बाद औरत बिल्कुल्लियह फौरी तौर पर निकाह से खारिज हो जाती है। बगैर हलालाए शरीआ के शौहरे अव्वल के पास नहीं आ सकती। यानी तीन तलाकों के बाद पहले इहत (तीन हज़ या हामिला है तो वजए हमल तक) गुजारे गी, फिर किसी आदमी से निकाह करेगी, वोह जौजे सानी निकाह के बाद सोहबत करे, उस के बाद यह दूसरा शौहर अपनी खुशी से तलाक दे दे, या उस का इन्तिकाल हो जाए तो फिर दोबारा इहत गुजारने के बाद यह औरत शौहरे अव्वल के पास आ सकती है।

वाजेह रहे कि निकाह बरारतें तहलील जाइज़ नहीं, यानी इस शर्त पर निकाह करना कि दुखूल के बाद तलाक दे देगा, जाइज़ नहीं।

दलील :-

الطلاق مرتن فامسك بمعروف او تسريح باحسن... فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

(المطهرة: 120)

मसलके गैर मुक़तलिदीन

एक मजलिस की तीन तलाकों एक ही तलाके रजई वाके होती है तिहाज़ा उस औरत को बगैर हलालह व बगैर निकाह के रखा जा सकता है।

दलील :-

عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابى بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم اناة فلو افضناهم عليهم فامضاه عليهم.

(मुस्लिम : 477/1)

दलील :-

हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बक्र सिदीक (रज़ि.) के अहद और हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िलाफत के पहले दो सालों में तीन तलाकों एक थीं।

हज़रत उमर (रज़ि.) ने फरमाया कि लोगों ने इस काम में जल्दी करना शुरू कर दिया, जिसमें उन को खील थी। अगर हम तीन तलाकों के हुकम को नाफिज़ कर दें तो मुनासिब होगा

तरजुमा :-

तलाक़ **رجعی** है दो बार तक, उस के बाद दस्तूर के मुवाफ़िक रख लेना या भली तरह से छोड़ देना... फिर अगर उस औरत को तलाक़ दी, यानी तीसरी बार, तो अब हलाल नहीं है उस को खोह औरत, उस के बाद यहाँ तक कि उसके सिवा एक और शौहर से निकाह करे।

फ़ाइदा :-

इस आयते करीमा के अन्दर तीन तलाकों के बाद औरत को कुरआने मुक़द्दस ने शौहरे अब्बल के लिए हराम करार दिया है, जबतक खोह दूसरे शौहर से निकाह न करे (और सोहबत भी)। जिससे मालूम हुआ कि तीन तलाकों के बाद औरत फ़ौरन निकाह से ख़ारिज हो जाती है।

वाज़ेह रहे कि कुरआने मुक़द्दस ने मुत्तक़न तीन तलाकों के बाद औरत को हराम करार दिया है, एक मजलिस या अलग-अलग मजलिस की कोई कैद नहीं लगाई है। जिस से साबित हुआ कि तीन तलाकों तीन ही वाक़ेअ होती हैं, चाहे एक मजलिस में दी जाएँ या अलग-अलग मजलिस में। और यह बात हम अपनी तरफ़ से नहीं कह रहे हैं बल्कि मुफ़त्सिरीन य मुहद्दिसीन हज़रत ने इस आयत के यही मज़ानी समझे हैं।

घुनांचे उन्होंने इस हुक़म को नाफ़िज़ कर दिया।

वजहे इस्तिदलाल यह है कि हुज़ुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर हज़रत उमर बिन अल्ख़त्ताब (रज़ि.) के ज़माने के पहले दो सालों तक तीन तलाकों एक थीं।

जवाब :-

हदीस शरीफ़ का यह मतलब नहीं है जो ग़ैर मुक़ल्लिदों ने समझा है, बल्कि मतलब इसका यह है कि पहले जब तलाक़ के लफ़ज़ को तीन भरतबा बोलते थे। मसलन कहते थे "तुझे तलाक़", "तुझे तलाक़", "तुझे तलाक़", तो उन का मक़सद तीनों लफ़ज़ों से तलाक़ देना नहीं होता था बल्कि सिर्फ़ पहले लफ़ज़ से तलाक़ देने की नियत होती थी।

बाकी दूसरे और तीसरे लफ़ज़ से महज़ ताकीद का इरादा होता था, अज़सरे नौ तलाक़ देने की नियत न होती थी। सच्चाई और अमानतदारी का दौर था, इस लिए उन की ताकीद की नियत का एतबार करते हुए तलाक़ भी एक ही शुमार होती थी, मगर जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) का ज़माना आया तो लोग उस लफ़ज़ ("तुझे तलाक़", "तुझे तलाक़", "तुझे तलाक़") का बक़सरत इस्तेमाल

चुनांचे मशाहर मुफ़्फ़िसर अल्लामा कुरतबी (रह.) तहरीर फ़रमाते हैं :

“ان المطلق ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعاً”

यानी तीन तलाकों वाली औरत, तलाक़ देने वाले शौहर के लिए हलाल नहीं, यहाँ तक वोह किसी दूसरे शौहर से निकाह न करे और तीन तलाकों के एक साथ होने और जुदा-जुदा होने में कोई फ़र्क नहीं है यानी दोनों का हुक़म एक ही है।

अल्लामा निज़ामुद्दीन नैशापुरी (रह.) फ़रमाते हैं :

“ولا رجعة بعد الثلاث وهذا تفسير جواز الجمع بين الطلقات الثلاث. هو أليق بنظم الكلام”

यानी तीसरी तलाक़ के बाद रजअत नहीं है और (आयत की) यह तफ़्सीर तीन तलाकों के जमा को जाइज़ फ़रार देती है। और यही नज़्मे कलाम के ज़्यादा मुनासिब है।

(तफ़्सीर غرائب القرآن على تفسير طبري: 2-191)

इमाम अबू बक्र जस्सास (रह.) आयते पाक “الطلاق مرتين” के तहत तहरीर फ़रमाते हैं :

“الآية تدل على وقوع الثلاث معاً”

करने लगे। अब चूँकि लोगों में सदाक़्त और अमानत भी पहले जैसी नहीं रही थी, इस लिए पूछने पर कह देते थे कि हमारी मुराद तो ताक़ीद की थी। (हालाकि उन की नियत दूसरे और तीसरे लफ़्ज़ से अज़सरे नौ तलाक़ देने की होती थी)

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि०) ने देखा कि लोग इस का नाजाइज़ फ़ाइदा उठा रहे हैं तो आप (रज़ि०) ने उफ़ की बिना पर एलान फ़रमा दिया कि अब जो शाख़्स इस तरह तलाक़ देगा, हम उन को तीन ही नाफ़िज़ करेंगे, उस की नियत का एतबार न होगा, बल्कि ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ का एतबार होगा।

यह मतलब है हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) की हदीस के इन लफ़्ज़ों का :

“كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ.”

अल्लामा नखवी (रह.) ने, इस जवाब को असह कह कर बयान फ़रमाया है।

(देखिए : “शरहे मुस्लिम / 388/1”)

नीज़ “फ़तहूल् बारी 277/9” वग़ैरह में भी यह जवाब मौजूद है।

वाज़ेह रहे कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने यह फ़ैसला सहाबा किराम (रज़ि.) की मौजूदगी में किया था। किसी सहाबी (रज़ि.) ने

यह आयत तीन तलाकों के एक साथ बाकेअ होने पर दलालत करती है।

(احكام القرآن: لجصاص 1/288)

फिर आगे लिखते हैं :

”فالكتاب والسنة واجماع السلف
توجب ايقاع الثلاث معا.”

यानी किताब-व-सुन्नत और इज्माए सल्फ का यही फौसला है कि एक साथ दी गई तीन तलाकों बाकेअ हो जाती हैं।

हजरत इमाम बुखारी (रह.) ने भी इस आयते करीमा के यही यानी समझे हैं कि तीन तलाके बाकेअ हो जाती हैं चाहे एक मजलिस में दी जाएं या अलग-अलग मजलिस में। घुनांचे मौसूफ (रह.) ने “बुखारी शरीफ 291/2” में एक बाब काइम किया है।

”باب من اجاز الطلاق الثلاث لقوله
تعالى ”الطلاق مرتان”

यानी यह बाब है तीन तलाकों के जाइजे करार देने के बयान में कौले बारी तआला ”الطلاق مرتان” की वजह है।

هكذا فهم البخارى معنى الآية الخ-

(كتاب الاطلاق في حكم الطلاق الثلاث: 287)

بمعواله فتاوى رحيمية: (288)

हजरत इमाम बैहकी (रह.) ने भी अपनी जामेअु तरीन किताब

आप (रजि.) के इस फौसले की मुखालफत नहीं की। हालांकि यही वोह सहाबा किराम (रजिवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन) भी मौजूद थे, जो इस बात से खूब वाकिफ थे, कि तीन तलाक वाली औरत का अहदे नबवी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) में क्या हुकम था।

(देखिय : ”तहाबी शरीफ 34/2”)

अगर हजरत उमर का यह फौसला कुरआन व हदीस के खिलाफ होता, तो सहाबा किराम (रजि.) उस की जरूर मुखालफत करते।

इसलिए मानना पड़ेगा कि हदीस इब्ने अब्बास (रजि.) का जो मतलब गैर मुकल्लिदों ने समझा है वोह हरगिज़-हरगिज़ दुरुस्त नहीं। सहाबा किराम (रजि.) आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के हर कौल व अमल के बारे में हमसे ज्यादा वाकिफ थे। आखिर उन्होंने इस हदीस का यह मतलब क्यों नहीं समझा जो आज के गैर मुकल्लिदीन समझते हैं। क्या हजरत उमर फारूक (रजि.) का यह फौसला कुरआनुल् मुकदस व हदीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ था।

(अल्अयाजु बिल्लाह) अगर नहीं, और यकीनन नहीं तो यह गैर मुकल्लिदीन आखिर इस को क्यों नहीं मानते।

जबकि बतकाजाए कुरआने करीम

"السّنن الكبیر: ۷/۲۲۲" में इस आयते करीमा पर यह बाब काहम करके "باب ما جاء فی امضاء الطلاق" "باب ما جاء فی امضاء الطلاق" यानी यह बाब है तीन तलाकों के नाफ़िज़ होने के बयान में, अगरचे वोह एक साथ दी गई हों। वाज़ेह कर दिया कि आयते करीमा में तीन तलाकों का हुक़म आम है। चाहे एक मजलिस में दी जाएं, या अलग-अलग मजलिस में, बहरहाल तीनों वाक़ेअ़् हो जाएंगी।

नीज़ अल्लामा इब्ने हज़म ज़हिरी (रह.) आयते पाक "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح" "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح" के तहत लिखते हैं।

"فهذا يقع على الثلاث مجموعة و مفرقة و لا يجوز أن يختص بهذه الآية بعض ذلك دون بعض بغير نص"

यानी तीन तलाकों का यह हुक़म (औरत का हराम हो जाना) आम है, चाहे यह तीन तलाकों एक साथ दी गई हों या अलग-अलग और इस आयते करीमा को बाग़ैर नस्स के किसी एक शक़ल के साथ ख़ास करना जाइज़ नहीं।

मालूम हुआ कि तीन तलाकों चाहे एक साथ दी जाएं या अलग-अलग, तीनों वाक़ेअ़् हो जाती

व हदीसे रसूलुल्लाह (सल्ल.) सहाबा किराम की पैरवी बिल्ख़ासूस ख़ुलफ़ाए राशिदीन (हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ि., हज़रत उमर फारूक़ रज़ि., हज़रत उसमान ग़नी रज़ि. और हज़रत अली रज़ि.) की इत्तिबा हर मुसलमान पर ज़रूरी है।

घुनांधे इरशादे रब्बानी है :

"الذین ان مکنتهم فی الارض اقام الصلوة و اتوا الزکوة و امرؤ بالمعروف و نهوا عن المنکر۔"

(الحج: ۴۱)

यानी वोह लोग (सहाबा रज़ि.) के अगर हम इनको मुल्क में क़ुदरत दें, तो नमाज़ को काहम करें, ज़कात दें, और मलाइयों का हुक़म करें, और बुराइयों से रोकें।

नीज़ रसूलुल्लाह सल्लुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया-
"فعلیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسکوا بها و عضوا علیها بالنواجد."

(अबू दाउद शरीफ-635/2)

बस तुम पर लाज़िम है, कि मेरी सुन्नत और मेरे इन ख़ुलफ़ा की सुन्नत जो राहे बाब और हिदायते मआब है, तो उस को धाम लो। और उसे डाढ़ों से मज़बूती से पकड़ लो।

नोट :-

फैसलाए फारूकी को सियासत

हैं और इस के बाद औरत हराम हो जाती है। बगैर इलालाए शरीआ के उस को अपने पास रखना खुली हुई हराम कारी है। यानी यह कहना कि अग्रयते करीमा में अलग-अलग तीन तलाकों मुराद हैं, जाइज़ नहीं।

पहली हदीस :

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 791/2" में मजहबूरा बाब "باب من اجاز الطلاق الثلاث" के तहत "حضرت عويمر عجلاني" की बानी रिवायत को जिक्र किया है। कि जब वोह अपनी बीवी से لعان कर चुके तो उन्होंने उन को (एक साथ) तीन तलाकों दे दीं।

فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا

यानी जब हज़रत "عويمر عجلاني" और उन की बीवी لعان से फारिग हो गए तो हज़रत "عويمر" ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह (सल्ल.) अगर मैं अब भी इस को साथ रखूँ तो इस का मतलब यह होगा कि मैं ने झूठ बोला, फिर उन्होंने अपनी अहलिया को तीन तलाकों दे दीं।

(बुख़ारी शरीफ़ 791/2, मुस्लिम 489/1, अबू दाऊद 305/1, निस्तार्ह 83/2)

फ़ाइदा :-

हज़रत "عويمر عجلاني" की इन तीन तलाकों को रसूलुल्लाह

पर महमूल करना ग़लत है। खुद गैर मुकल्लिद आलिम मौलाना इब्राहीम सियालकोटी ने उसकी सफ़ती से तरदीद की है। तफ़सील के लिए देखिए। हमारी किताब "तीन तलाक़ 57-58"

दूसरा जवाब :-

हाफिज़े हदीस इमामुल् ज़रह वल् तादील शेख़ अबू ज़रआ हदीसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) का मतलब बयान फ़रमाते हैं कि आप (सल्ल.) हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) की ख़िलाफ़त से पहले दो सालों तक लोग सिर्फ़ एक तलाक़ देते थे। इसके बाद लोग तीन तलाक़ देने लगे। जिसको हदीस में बयान किया गया

كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ.

(देखिए - "सुन्ने बेहक्की : 338/7")

तीसरा जवाब :-

यह है कि तीन तलाकों के बाद رجعت का हुकम मन्सूख़ हो गया। चुनांचे "अबू दाऊद शरीफ़-297/1" में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ही की यह हदीस शरीफ़ मौजूद है :

ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احق برجعته وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك.

यानी अगर कोई शख़्स अपनी

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज़ फरमा दिया था।

घुनांचे "अबू दाऊद शरीफ 301/1" की एक दूसरी रिवायत में इस की सराहत है।

عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

यानी हज़रत "युसैर एजलानी" ने अपनी अहलिया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तीन तलाकों दे दीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन को नाफिज़ फरमा दिया (तीन को एक करार न दिया)।

दूसरी हदीस :

عن عائشة أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلق فسل النبي صلى الله عليه وسلم اتحل لاول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول.

(बुखारी शरीफ 791/2)

तरजुमा :-

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को तीन तलाकों दे दीं, तो उस औरत ने दूसरे शख्स से निकाह कर

बीवी को तलाक दे देता तो उसको رجعت का हक रहता। और अगर तीन तलाकों दे दे तो رجعت का हुकम मन्सूख हो गया।

यही वजह है कि ख़ुद राबिए हदीस हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने इस हदीस का वोह मतलब नहीं समझा जो ग़ैर मुकल्लिदों ने समझा है। आप (रज़ि.) तीन तलाक वाली औरत को शौहर के लिए हराम करार देते थे। घुनांचे देखिए : "अबू दाऊद शरीफ 299/1" के अन्दर इससे मुतअल्लिक हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का फतवा मौजूद है। और उस की सनद भी सही है।

अल्लामा हाफिज़ इब्ने हज़र (रह.) ने "फतहुल् बारी 277/9" में उस की तस्हीह फरमाई है।

अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) ने भी इसका इनकार नहीं किया, बल्कि साफ़ इकरार किया है।

घुनांचे मौसूफ़ "اغائة اللفهان" 330/1 में तहरीर फरमाते हैं :

"فقد صح بلا شك عن ابن مسعود و علي و ابن عباس الالزام بالثلاث لمن اوقعها جملة."

यानी हज़रत इब्ने मसूद (रज़ि.) हज़रत अली (रज़ि.) और हज़रत इब्ने अब्बास से इकट्ठी तीन तलाकों का लाज़िम करना बिला शक़ व शुबह

लिया, उस ने (सोहबत करने से पहले ही) उस को तलाक़ दे दी। तो आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्याफ़त किया गया कि क्या यह औरत अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो गई? आप (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमाया कि नहीं। जब तक कि दूसरा शौहर उस से सोहबत न कर ले। जैसा कि पहले शौहर ने की।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से भी मालूम हुआ कि एक साथ की दी गई तीन तलाक़ें बाक़ेअ हो जाती हैं। क्योंकि पहले शौहर ने इस औरत को तीन तलाक़ें एक साथ दी थीं।

घुनांचे अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) "फ़तहूल् बारी शरहूल् बुख़ारी 280/9" में इस हदीस के तहत लिखते हैं।

"فإنه ظاهر في كونها مجموعة."

यानी ज़ाहिर यह है कि इस शख़्स ने तीन तलाक़ें एक-साथ दी थीं।

अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी "उमदतुल् क़ारी 237/20" में और अल्लामा माँहम्मद अमीन अल्शानकीती भी "अज़्वाउल् बयान 229/1" में यही फ़रमाते हैं कि इस शख़्स ने तीन तलाक़ें एक-साथ दी थीं।

नीज़ हज़रत इमाम बेहिक़ी ने इस हदीस पर यह बाब फ़ाइद करके

साबित है। मज़ीद जवाबात के लिए देखिए हमारी किताब "तीन तलाक़ 41-42"

दूसरी हदीस :

عن ابن عباس قال، طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقها؟ قال ثلاثاً في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ماتك واحدة فارتجعها إن شئت.

(फ़तहूल् बारी : 362/9)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़रत रुकाना बिन यज़ीद ने अपनी बीवी को एक मजलिस में तीन तलाक़ें दे दीं। जिसपर वोह काफी ग़मगीन हुए। तो नबीए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी अहलिया को कैसे तलाक़ दी? उन्होंने कहा कि एक मजलिस में तीन तलाक़ें दी हैं। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया यह एक ही तलाक़ शुमार होगी। अगर तुम चाहो तो रज़ू कर लो।

जवाब :-

यह है कि हज़रत रुकाना (रज़ि.) की तलाक़ के बारे में एक

"باب ما جاء في امضاء الطلاق
الثلاث وان كن مجموعات"

यानी यह बाब है तीन तलाकों के नाफिज़ होने के बयान में। अगरचे वोह एक-साथ दी गई हों। मज़ीद बज़ेह कर दिया कि उसने अपनी बीवी को तीन तलाक एक-साथ दी थीं।

तीसरी हदीस :

"عن محمود بن لبيد أخبر رسول
الله صلى الله عليه وسلم ان رجلاً
طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً
فقام عضبان ثم قال ايلعب بكتاب
الله وانا بين اظهر كم اسناه على
شرط مسلم."

(زاد المعاد: ٧٤١: ٥٧٦، نصابي: ٨٢/٢)

तरजुमा :-

हज़रत महमूद बिन लबीद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लाम को एक शख्स के बारे में ख़बर दी गई कि उस ने अपनी अहलिया को एक साथ तीन तलाकें दे दी हैं। आप (सल्ल.) गुस्से में खड़े हुए और फरमाया कि किताबुल्लाह के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ।

अल्लामा इब्ने क़थियम (रह.) इस हदीस के बारे में फरमाते हैं कि इस हदीस की सनद मुस्लिम की शर्त के मुताबिक है।

दूसरी रिवायत है जिसमें बज़ाहत है, कि हज़रत रुकाना (रज़ि.) ने अपनी बीवी को एक मजलिस में तीन तलाकें नहीं दी थीं। बल्कि طلاق दी थी। जिसके अन्दर तीन और एक दोनों का एहतमाल था। फिर हज़रत रुकाना (रज़ि.) ने हुजुरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लाम के सामने कसम खा कर बताया, कि उनकी मुराद एक तलाक थी। जिसके बाद आप (सल्ल.) ने उनको रुजू करने का हुकम दिया। इस रिवायत को इमाम अबू दाऊद (रह.) ने "अबू दाऊद शरीफ 330/1" में इमाम हाकिम ने "मस्तुद्रक 199/2" में इमाम तिर्मिज़ी ने "तिर्मिज़ी शरीफ 222/1" में इब्ने माजा ने "इब्ने माजा 148/1" में बयान किया है।

मुहदिसीन हज़रत ने ग़ैर मुक़ल्लिदीन की पेश-क़र्दा रिवायत (जिसमें हज़रत रुकाना के बारे में एक मजलिस में तीन तलाकें देने का तज़क़िरा है।) को इस طلاق बयाने वाली रिवायत के मुक़ाबले में ज़ईफ़ फ़रार दिया है।

चुनांचे हज़रत अबू दाऊद (रह.), हज़रत रुकाना (रज़ि.) के बारे में طلاق बयाने वाली रिवायत को नकल करने के बाद लिखते हैं।

फाइदा :-

हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि एक-साथ की तीन तलाकों बाकेअू हो जाती हैं। अगर बाकेअू न होती, तो आप (सल्ल.) ग़ज़बनाक न होते। बल्कि फरमा देते कि कोई बात नहीं रूजू कर लो।

(दिक्कत: "أضواء البيان" 1/130)

नीज़ काज़ी अबू बकर इब्ने अरबी (रह.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने "عويمر عجلاني" की तीन तलाकों की तरह (जिसका तज़क़िरा पहली हदीस में गुज़र चुका है।) इस शख्स की भी तीन तलाकों को नाफ़िज़ फ़रमा दिया था।

فلم يردّه النبي صلى الله عليه وسلم بل أمضاه كما في حديثه عويمر عجلاني في اللعان حيث أمضى طلاقه الثلاث ولم يردّه.

(तहज़ीबुस् सुन्न अबी दाऊद 129/3 तक़रिबि बहयल्लह उमदतुल असास 128)

यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रद्द नहीं किया बल्कि इसे नाफ़िज़ फ़रमा दिया जैसा कि "لعان वाली عويمر عجلاني" की हदीस में है कि आप (सल्ल.) ने इनकी तीनों तलाकों को नाफ़िज़ फ़रमा दिया, और रद्द नहीं किया।

चौथी हदीस :

عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة

لهذا الصبح من حديث ابن جريج ان ركائة طلق امرأته ثلاثا لانهم اهل بيته وهم اعلم به.

यानी यह रिवायत इब्ने जूरैह की इस रिवायत कि मुकाबले में असह है। जिसमें हज़रत रुकाना (रज़ि.) के तीन तलाकों देने का जिक्र है, क्योंकि इस रिवायत को नक़ल करने वाले हज़रत रुकाना (रज़ि.) के ख़ानदान के लोग हैं। जो उन के बारे में ज़्यादा बाकिफ़यत रखते हैं।

अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) "फ़तहूल बारी शरहे बुख़ारी 275/9-576" में तहरीर फ़रमाते हैं कि :

हज़रत रुकाना (रज़ि.) के बारे में "طلاق البتة" वाली रिवायत को तीन तलाक़ वाली रिवायत से राज़ेह करार देने की यह इल्लत क़वी है। क्योंकि मुमकिन है बाज़ रुवात ने "البتة" को तीन पर महमूल करके कह दिया हो, कि रुकाना (रज़ि.) ने तीन तलाक़ दी थीं। लिहाज़ा इस नुक़ते से हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की हदीस जिसमें तीन तलाक़ का जिक्र है से इस्तिदलाल का मौक़ा ख़त्म होता है।

नीज़ "تلخيص الحبير" 3/240 में अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने तीन तलाक़ वाली हदीस इब्ने अब्बास को जो ग़ैर मुक़स्सिदों की

بنت قيس حدثني عن طلاق قلت
طلقتي زوجي ثلاثا وهو خلع لي
ليمن فاجاز ذلك رسول الله صلى
الله عليه وسلم

(इसे बख़्त 1/45)

हज़रत आभिर अश्-शाब्बी
फ़रमाते हैं कि मैं ने फ़तिमा बिनते
कैस (रज़ि.) से कहा कि मुझे
अपनी तलाक़ का फ़िस्सा बयान
कॉन्सिडर। हज़रत फ़तिमा बिनते कैस
(रज़ि.) ने फ़रमाया कि मेरे शौहर
कमन कर हुए थे (यहाँ से) उन्होंने
मुझे तीन तलाक़ दे दीं, तो
रसूलुस्साह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लतम ने उनको नाफ़िज़ फ़रमा
दिया।

इसे मय्याह (रह.) ने इस हदोस
शरीफ़ पर यह बाब काइम करके
"باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد"
(यानी यह बाब है एक मजलिस की
तीन तलाकों के बयान में) बाय़ेह
कर दिख कि हज़रत फ़तिमा बिनते
कैस (रज़ि.) को उनके शौहर ने क़
तीन तलाकों एक मजलिस में दी थी,
जिनको आप (सल्ल.) ने नाफ़िज़
फ़रमा दिया था।

इसकी ताईद "दरु कुतनी 12/4"
की इस रिवायत से भी होती है।

عن أبي سلمة عن أبيه ان حفص بن
المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس

मुसहिल है, ज़रूफ़ करार दिख है।
चुनंचे इस को जफ़ल करने के क़
निश्चो है وهو معلول ايضاً यह
हदोस भी معلूल कबी ज़रूफ़ है।

अल्लामा नववी (रह.) को
"सहहे मुस्लिम : 423/1" में हज़रत
रुकनन (रज़ि.) के मुतज़ल्लिक तीन
तलाक़ बयानो रिवायत को ज़रूफ़
करार देते हैं। और طلاق البتة कबी
रिवायत की तसदीह फ़रमाते हैं।
चुनंचे निश्चो है :

"ولما تزوية لتي رولها المخالفون
ان ركنا طلق ثلاثا فجعلها واحدة
فرولية ضعيفة ان قوم مجهولين و
لنما الصحيح منها ما قدمنا انه
طلقتها البتة"

कबी रही क़ेह रिवायत जिस को
मुखात्तिलफ़ोन बयान करते हैं कि
हज़रत रुकनन (रज़ि.) ने तीस
तलाकों दी थी। और हुजुरे अफ़हस
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लाय व
इन्को एक करार दिख। क़ रिवायत
ज़रूफ़ है। मजहूल रज़िओं से मरबी है
: हज़रत रुकनन (रज़ि.) की तलाक़
के सिलसिले में सदी रिवायत कबी है,
जिसको हमने पहले बयान किश है।
कि उन्होंने लफ़्ज़े البتة से तलाक़
की थी।

फिर आवे अल्लामा नववी
(रह.) निश्चो है -

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات فى كلمة واحدة فابانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ :-

हजरत अबू सलमा अपने बालिद से रिवायत नक़ल करते हैं कि हजरत حفص بن مغيرة ने अपनी अहलिया फातिमा खिन्ते कौस (रज़ि.) को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिम के अहदे मुबारक में एक-साथ तीन तलाक़ दे दी थीं, तो आप (स०) ने उनसे उनकी औरत को जुदा कर दिया, यानी आप (सल्ल०) ने उन की तीनों तलाक़ों को नाफ़िज़ फरमा दिया।

पाँचवी हदीस :

عن ابراهيم بن عبيد الله بن عباد بن الصامت عن أبيه عن جده قال: طلق بعض آبائى امرأتى الفافانطلق بنوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ان ابانا طلق امرأتنا الفافهل له من مخرج؟ فقال ان اباكم لم يتق الله فيجعل له من امره مخرجاً بانته منه بثلاث على غير السنة وتسع مائة وسبعة وتسعون اثم فى عنقه.

(دار قطنى ٢٠٠٢، محلى ابن حزم ٣٩٢، زاد

المعاد: ٢٥٤)

लफज़े البتّة चूँकि एक और तीन दोनों का एहतमाल रखता है, इसलिए मुम्किन है कि इस ज़रूफ़ रिवायत के रावी ने यह समझा हो कि लफज़े का मقتضى तीन तलाक़े हैं। तो यह समझ कर रिवायत बिल्मअानी कर दी हो। लेकिन रावी ने उसको समझने और रिवायत बिल्मअानी करने में ग़लती की है।

(शरहे मुसलम 448/1)

नीज़ हाकिम (रह.) और इब्ने हब्बान (रह.) ने हजरत रुकाना (रज़ि.) के बारे में बतते वाली रिवायत को तसहीह फरमायी है।

(तल्फ़ीमुल् हबीर 240)

शैख़ शहाबुद्दीन सहाब "इरशाद अस्सारी शरहे सहीहुल् बुख़ारी 12/15" में तहरीर फरमाते हैं :

"والاصح ما رواه ابو داؤد و الترمذى و ابن ماجه ان ركانه طلق زوجته البتّة."

यानी सहीह चोह रिवायत है जिसको इमाम अबू दाऊद इमाम तिरमिज़ी और इब्ने माजा ने नक़ल किया है कि हजरत रुकाना (रज़ि.) ने अपनी अहलिया को तलाक़े बतते दी थी। नीज़ ग़ैर मुक़ल्लिदों ही के एक मशहूर आलिम फ़ज़ी शौकानी (रह.) लिखते हैं :

"و اثبت ما وراه فى قصة ركانه انّه"

तरजुमा :-

हज़रत उबादह बिन अस्-सामित से रिवायत है कि उन के आबाअ में किसी ने अपनी औरत को (एक-साथ) एक हज़ार तलाक़ें दे दीं। तो उन के लड़के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लाम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लाम हमारे वालिद ने हमारी माँ को एक हज़ार तलाक़ें दे दी हैं। क्या उनके लिए (रुजू का) कोई रास्ता है? आप (सल्ल०) ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे वालिद अल्लाह तआला से नहीं डरे, कि उन के लिए कोई रास्ता निकाला जाता, पस उन की बीवी ग़ैर सुन्नत तरीक़े पर तीन तलाक़ों से बाइना हो गई और नौ सौ सत्तानवे (997) तलाक़ों का गुनाह उन की गरदन पर है।

फ़ाइदा :-

मालूम हुआ कि तीन तलाक़ों के बाद औरत निकाह से ख़ारिज हो जाती है। इस के बाद कुछ आसारे सहाबा (रज़ि.) को पेश किया जाता है, ताकि मालूम हो जाए कि सहाबा किराम (रज़ि.) की मुक़दस व पाकीज़ा ज़माअत भी एक मजलिस की तीन तलाक़ों वाली औरत को उसके शौहर के लिए हराम करार देती है।

طلقها البتة لا ثلاثاً.

यानी हज़रत रुकाना (रज़ि.) के तलाक़ के फ़िस्से में सबसे सही रिवायत यह है कि उन्होंने अपनी बीवी को तलाक़े البتة दी थी, न कि तीन।

(बीकूल अवतार - 232/3)

मशहूर मुफ़सिर अल्लामा कुरतुबी भी यही फरमाते हैं। चुनांचे लिखते हैं :

"فَالَّذِي صَحَّ مِنْ حَدِيثِ رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَةَ لَا ثَلَاثًا."

यानी हज़रत रुकाना (रज़ि.) के बारे में सहीह हदीस यही है कि उन्होंने अपनी अहलिया को البتة तलाक़ दी थी, न कि तीन तलाक़।

बहरहाल, ग़ैर मुक़ल्लिदों की पेश करदा यह रिवायत ज़ईफ़ है। इसको इस्तिदलाल में पेश करना दुख़्त नहीं।

☆☆☆

☆☆☆

आसारे सहाबा (रज़ि.) का फैसला

(1) हज़रत उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) का फ़तवा :

عن انس قال كان عمر اذا اتى برجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس او جعه ضرباً و فرّق بينهما.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा : 61/4)

हज़रत अनस (रज़ि.) फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर (रज़ि.) के पास कोई शख्स लाया जाता, जिसने अपनी बीवी को एक मजलिस में तीन तलाकों दीं होतीं, तो आप (रज़ि.) इसको सज़ा देते और दोनों मियाँ बीवी में तफरीक कर देते।

(2) हज़रत उसमान (रज़ि.) का फ़तवा :

عن معاوية بن ابي يحيى قال جاء رجل الى عثمان بن عفان فقال طلقت امرأتى الفأ فقال بانك منك بثلاث.

(زاد المعاد: 208/5، محلى ابن حزم 299/9)

हज़रत मुआवियह बिन अबू यहया बथान फरमाते हैं कि एक शख्स हज़रत उसमान बिन अफ़फ़ान के पास आया और कहा कि मैं ने अपनी बीवी को एक हज़ार तलाकों दे दीं। आपने फरमाया तेरी बीवी तुझसे तीन तलाकों से जुदा हो गई।

(3) हज़रत अली (रज़ि.) का फ़तवा :

جاء رجل الى بن ابي طالب فقال انى طلقت امرأتى الفأ فقال له على بانك منك بثلاث.

(زاد المعاد: 208/5، سنن كبرى للبيهقى 335/7، محلى ابن حزم 299/9)

हज़रत अली (रज़ि.) के पास एक शख्स आया और कहा कि मैं ने अपनी बीवी को हज़ार तलाकों दे दीं हैं। आप (रज़ि.) ने फरमाया कि तीन तलाकों से औरत जुदा हो गई।

"نيل الاوطار ج 231/6" में अल्लामा शौकानी ने हज़रत अली (रज़ि.) का यह

मसला बयान किया है कि वोह तलाक़े सलासह के बुकूअ के फाइल थे।

एक स्तीफा :

इमाम आमश (रह.) फरमाते हैं कि कूफे में एक बूढ़ा शाख्स था। जो हज़रत अली (रज़ि.) की तरफ मन्सूब करके फतवा दिया करता था। कि जब आदमी अपनी बीवी को एक मजलिस में तीन तलाक़ें दे डाले तो एक शुमार होगी। लोगों की उसके पास लाइन लगी रहती थी। और इससे यह रिवायत सुनते थे। मैं भी उनके पास गया और उनसे कहा कि क्या आपने हज़रत अली (रज़ि.) से यह रिवायत सुनी है कि जब आदमी अपनी बीवी को एक मजलिस में तीन तलाक़ें दे डाले तो एक वाक़ेअ होगी? बोला ही। मैं ने हज़रत अली से सुना है। मैंने कहा, कि आपने हज़रत अली से यह रिवायत कहीं सुनी? वोह बोले, मैं आपको अपनी किताब दिखाता हूँ। चुनांचे वोह मेरे पास अपनी किताब लेकर आया। मैंने उसमें देखा तो उसमें लिखा हुआ था।

“بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” यह वोह रिवायत है जिसको मैं ने हज़रत अली (रज़ि.) से सुना कि जब आदमी अपनी बीवी को एक मजलिस में तीन तलाक़ें दे दे, तो औरत उससे जुदा हो जाएगी और उस के लिए हलाल न होगी, यही तक कि किसी दूसरे शौहर से निकाह करे।”

इमाम आमश फरमाते हैं कि मैं ने उससे कहा तेरा नास जाए तू ज़बान से कुछ कहता है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। वोह बोले सही यही है। जो इस में लिखा हुआ है। लेकिन यह लोग मुझसे किताब में लिखी हुई रिवायत के ख़िलाफ़ चाहते हैं।

(सुन्ने बैहकी : जिल्द 17 सफ़हा 1356)

(4) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का फतवा :

عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاك رجل فقال انه طلق ثلاثا قال فسكت حتى ظننت انه رادها اليه ثم فقال ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس، يا ابن عباس، و ان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجاً وانك لم تتق الله فلا اجد لك مخرجاً عصيت ربك و بانث منك امرأتك.

(अबू दाऊद शरीफ 299/1)

हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि मैं इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास था, कि

एक शख्स आया और कहा कि उसने अपनी बीवी को (यकबारगी) तीन तलाक़ दे दीं हैं। जिसमें इब्ने अब्बास (रज़ि.) ख़ामोश रहे। यहीं तक कि मैं ने गुमान किया कि आप (रज़ि.) (رجعت) का हुक़म देंगे। फिर फ़रमाया (यानी हज़रत इब्ने अब्बास ने) लोग पहले हिमाकत पर सवार हो जाते हैं और फिर कहते हैं "ऐ इब्ने अब्बास!, ऐ इब्ने अब्बास!" बेशक़ ख़ुदा ने फ़रमाया है कि जो ख़ुदा से डरता है उसके लिए छुटकारे की कोई सूरत होती है और तूने ख़ुदा का ख़ौफ़ न किया, इसलिए तेरे वास्ते कोई छुटकारे की सूरत नहीं है। तूने अपने रब की नाफ़रमानी की और औरत तुझ से जुदा हो गई।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का यह फतवा सही सनद के साथ साबित है। अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हज़र (र०) ने "फतहलु बारी 362/9" में इमाम अबू दाऊद (रह.) के बयान करदा फतवे की तसहीह फरमायी है।

و اخرج ابو داؤد بسند صحيح من طريق مجاهد قال كنت عند ابن عباس الخ.
(फतहलु बारी 362/9)

(5) हज़रत इब्ने मस्क़द (रज़ि.) का फतवा :

عن علقمة قال جاء رجل الى ابن مسعود فقال ائني طلقت امرأتى تسعا و تسعين
فقال له ابن مسعود ثلاث تبينها و سائرهنّ عدوان.

(زاد المعاد: 258/5 محلى ابن حزم 400/9)

हज़रत अल्कमा (रज़ि.) फरमाते हैं कि एक शख्स हज़रत इब्ने मस्क़द (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि मैं ने अपनी अहलिया को 99 तलाक़ें दे दी हैं, हज़रत इब्ने मस्क़द (रज़ि.) ने कहा कि तीन तलाक़ों से औरत जुदा हो जाती है और बक़या तलाक़ जुल्म-व-ज़्यादती हैं।

(6) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) का फतवा :

عن واقع بن سبحان قال عمران بن حسين عن رجل طلق امرأته ثلاثا في
مجلس قال: اثم بربه و حرمت عليه امرأته.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 61/4)

हज़रत वाक़ेअ बिन सुबहान कहते हैं कि हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने एक ऐसे शख्स के बारे में फरमाया कि जिसने एक मजलिस में अपनी बीवी को तीन तलाक़ दे दी, उस ने गुनाह किया, और उसकी औरत उस पर हराम हो गई।

(7)(8) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) व अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल्आस (रज़ि.) का फतवा :

عن محمد بن عیاس ان ابن عباس و ابا هريرة و عبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

(अबू दाऊद शरीफ 299/1, जादुल् मआद 259/5)

हज़रत मुहम्मद बिन अयास से रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर इब्नुल् आस से गैर मदखूल बिहा के बारे में पूछा गया कि अगर उसका शौहर तीन तलाकों दे दे तो क्या हुक्म है? सबने कहा कि वोह उसके लिए उस वक़्त तक हलाल नहीं जब तक किसी दूसरे मर्द से निकाह न कर ले।

(9) हज़रत मुग़ैरा बिन शोअ्बा (रज़ि.) का फतवा :

عن قيس بن ابي حازم انه سمعه يحدث عن المغيرة بن شعبة انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال: ثلاث تحرمها عليه وسبعة وتسعون فضل.

(मुसन्फ इब्ने अबी रोबा 62/4, बेहकी 336/7)

हज़रत क़ैस बिन अबी हाज़िम, हज़रत मुग़ैरा बिन शोअ्बा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि उन (मुग़ैरा बिन शोअ्बा) से ऐसे शख्स के मुतअल्लिक सवाल किया गया कि जिस ने अपनी बीवी को (100) तलाक दे दीं हों तो आप ने फरमाया कि तीन तलाकों ने औरत को शौहर पर हराम कर दिया। और बक़्या सत्तानवे (97) फाज़िल और बेकार हैं।

(10) हज़रत अनस (रज़ि.) का फतवा :

عن شفيق سمع انس بن مالك يقول في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و كان عمر اذا اتى به ارجعة.

हज़रत शफ़ीक़ फरमाते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) इस शख्स को मुतअल्लिक जो सोहबत से पहले अपनी बीवी को तीन तलाकों दे दे,

फरमाते थे कि यह तीन तलाक़े हैं। अब वोह औरत उस के लिए हलाल नहीं, यहाँ तक कि वोह दूसरे मर्द से निकाह करे और हज़रत उमर (रज़ि.) के पास जब ऐसा शख्स लाया जाता तो आप उसको सज़ा देते।

(सुनने साईद बिन मन्सूर 260/3 किस्मे अब्बल बहवाल्ह फतावाए रहीमियह 383/5)

नोट :

सहाबा किराम (रज़ि.) के यह फतावा बतौर नमूने के नक़ल किये गए हैं, वरना इन मज़क़ूर साहाबा किराम (रज़ि.) और दीगर साहाबा (रज़ि.) के मज़ीद फतावा कुतुबे हदीस मसलन "सुनने कुबरा लिल्बैहकी 332,340/7", "मुहल्ला इब्ने हज़म 392-400/9", "जादुल् मआद 257-259/5", "मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 61-62/4", "मुअत्ता इमाम मालिक 199" ख़ैरा में देखे जा सकते हैं।

बहरहाल इन आसारे साहाबा (रज़ि.) से भी मालूम हुआ कि एक मजलिस की तीन तलाक़ें तीन ही बाक़े होती हैं। इसीलिए मुल्ला अली कारी (रह.) "मिशकातुल् मफातीह शरहे मिशकातुल् मसाबीह 438/6" में तहरीर फरमाते हैं :

"وذهب جمهور الصحابة و التابعين و من بعدهم من أئمة المسلمين الى انه يقع ثلاث"

यानी जम्हूर साहाबा किराम (रज़ि.), ताबईन और उनके बाद के अइम्मए मुस्लिमीन इसके काइल हैं कि तीन तलाक़ बाक़े हो जाती हैं।

अल्लामा नववी (रह.) "शरहे मुस्लिम 478/1" में लिखते हैं :

قد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته انت طالق ثلاثا فقال الشافعي و مالك و ابو حنيفة و احمد و جماهير العلماء من السلف و الخلف يقع الثلاث.

यानी जिस शख्स ने अपनी बीबी को कहा तुझे तीन तलाक़! उस के हुक्म में उलमा का इख़िलाफ़ हुआ है। इमाम शाफ़ई (रह.), इमाम अबू हनीफ़ा (रह.), इमाम मालिक (रह.), इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) और जम्हूर उलमा सलफ़-ख़लफ़ फरमाते हैं कि तीन तलाक़ें बाक़े हो जाती हैं।

इमाम अबू बकर जस्सास (रह.) लिखते हैं :

فالكتاب و السنة و اجماع السلف توجب ايقاع الثلاث معا و ان كانت معصية.

यानी किताब-य-सुन्नत और इब्नाए सल्फ का फैसला है कि एक साथ की तीन तलाकें चाकेअू हो जाती हैं अगरचे (यानी एक साथ तीन तलाकें देना) गुनाह है।
(احكام القرآن للجصاص: 1/288)

मराहूर और मुकल्लिद आलिम मौलाना शम्सुल् हक साहब लिखते हैं :

ونهب الائمة الاربعة وجمهور العلماء الى ان الثلاث تقع ثلاثاً.
(عون المعبود: 1/224)

यानी अइम्मए अरबआ और जम्हूरे उलमाए इस्लाम का यही मजहब है कि तीनों तलाकें चाकेअू हो जाती हैं।

नीज सकदी अरब के मुफतीए आजम शैख अब्दुल् अजीज बिन बाज (रह.) सहरीर फरमाते हैं :

जम्हूरे उलमा की राए यह है कि तीनों तलाकें चाकेअू हो जाएगी और औरत शौहर पर हराम हो जाएगी।

(فتاوى علامة عبد العزيز بن باز صفحة 70)

एक मुग़ालता और उस का जवाब

आज लोग यह कह कर मुग़ालता देते हैं कि एक साथ तीन तलाक़ देना धुकि नाजाइज़ और हराम है। लिहाज़ा वाक़ेअ न किया जाए।

जवाब :-

यह है कि वाक़ेअतन नाजाइज़ और हराम है। हम भी मानते हैं, मगर किसी चीज़ का नाजाइज़ व हराम होना, इस पर हुक़म के मुरत्ताब होने के मुनाफ़ी नहीं। इस की बहुत सी मिसालें शरीअते मुतहहरा के अन्दर मौजूद हैं मसलन :

नम्बर-1

हालते हैज़ में तलाक़ देना मम्नूअ है लेकिन अगर कोई तलाक़ दे दे तो वोह वाक़े हो जाती है।

चुनांधे जब हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने अपनी बीवी को हालते हैज़ में एक तलाक़ दी तो औ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन को رجعت का हुक़म दिया अगर हालते हैज़ में तलाक़ वाक़ेअ न होती तो आप (सल्ल.) उन को رجعت का हुक़म क्यों देते।

ولا يجوز أن يومر بالمراجعة من لم يقع طلاقه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد الزمه الطلاق في الحيض... كان كذلك.

(साहवी शरीफ़ 34/2)

नम्बर-2

ज़िना करना हराम है।

(ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة و ساء سيلا.)

(सूफ़े बनी इमार्शल 32)

अगर कोई ज़िना कर ले तो उस पर हद्दे शरई जारी होती है।

(الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الاية.)

(सूफ़े नूर 2)

नम्बर-3

ज़िहार (मर्द का अपनी बीवी को या उस के उस अज़्व को जिस से उस का कुल मुराद लिया जाता हो या उस के किसी ग़ैर मुअय्यन हिस्साए जिस्म को अपने महारिम के ऐसे आज़ा के साथ तशबीह देना कि जिन का देखना उस के लिए हराम है, चाहे वोह महारिमे नस्बी हों या रज़ाई ज़िहार कहलाता है) (शरहै विकायह 113/2) करना हराम है जिस को कुरआन ने सरासर झूठ और बुरा कौल कहा है।

الذین یظهرون منكم من نسائهم ما هن امهتکم ان امهتهم الا الثی ولدنهم وانهم ليقولون منکرا من القول و زورا.)

(سورة مجادله, 2)

मगर इस से बीवी कफ़फारे की अदादगी तक हराम हो जाती है।

(و الذین یظهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا الآیة. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا الآیة.)

(سورة مجادله, 43)

नम्बर-3

शराब हराम है मगर इस के बावजूद अगर कोई बहालते रोज़ा पी ले तो रोज़ा टूट जाता है।

हासिल यह है कि किसी फेअल का हराम होना अलग चीज़ है, और उस पर शरीअत के हुक्म का मुरत्तब होना अलग चीज़ है यानी अमल के हराम होने के बावजूद शरीअत का हुक्म उस पर मुरत्तब होता है। लिहाज़ा बयक वक़्त तीन तलाक़े देना अगरचे मबगूज़-व-हराम है मगर उस पर भी शरीअत का हुक्म मुरत्तब होगा, यानी तीनों तलाक़े वाक़े हो जाएंगे। अगरचे एक साथ तीन तलाक़ देना शरअन मबगूज़ है।

(فالکتاب و السنة و اجماع السلف توجب ایقاع الثلاث معاوان کانت معصية.)

(احکام القرآن للجصاص 288/1)

एक मजलिस की तीन तलाकों से मुतअल्लिक

उलमाए अरब का एक अहम फतवा :

सऊदी हुकूमत की तरफ से एक मजलिस اللجۃ الدائمة للبحوث العلمیة "اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة" काइम है जिस में पूरे मुल्क के अकाबिर, उलमा, व सुल्हा शरीक हैं जिस के तहत मुख्तलिफ मसाइल पर वोह बहस करके अपना आखरी फैसला देते हैं।

इस सिलसिले में उन्होंने एक मजलिस में दो गई तीन तलाकों से मुतअल्लिक कुरआन-व-हदीस के मुसूस के अलावा तफसीर-व-हदीस की 47 किताबें खंगालने और सैर हासिल बहस के बाद फैसला सादिर किया है कि :

एक मजलिस में दी गई तीन तलाकें अहदें नबवी (सल्ल.) में तीन ही समझी जाती रही हैं और उसी पर अमल होता रहा है और उसी के मुताबिक हज़रत उमर फारूक (रजि.) ने उसे बाकाइदा कानूनी शकल दे दी और फिर पूरी उम्मत उस पर अमल करती रही है।

तमाम रिवायतों को नकल करने के बाद मजलिस इस नतीजे पर पहुँची है कि "القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً" (यानी एक जुमले में तीन तलाक देने से तीनों बाकें अत्रो जाती हैं)

इस फैसले में सऊदी अरब के जो अकाबिर उलमा शरीक रहे, उन के अस्माए गिरामी यह हैं :

- (1). शैख अब्दुल् अजीज़ बिन बाज़ (10). शैख सालिह बिन गसून (रह.) (रह.)
- (2). शैख अब्दुल्लाह बिन अब्दुल् हमीद (11). शैख मुहम्मद बिन जुबैर (रह.) (रह.)
- (3). शैख मुहम्मद बिन अमीन (12). शैख अब्दुल् मजीद हसन (रह.) अशशन्कीती

- (4). शैख सुलैमान बिन उबैद (13). राशिद बिन खुनेन (रह.)
- (5). शैख अब्दुल् खय्यात (रह.) (14). शैख सालिह बिन सहदान (रह.)
- (6). शैख मुहम्मद बिन हरकान (रह.) (15). शैख महज़ार अफील (रह.)
- (7). शैख इब्राहीम बिन मुहम्मद आले (16). शैख अब्दुल्लाह बिन ग़दयान
शैख (रह.)
- (8). शैख अब्दुरज़्ज़ाक अफीफी (रह.) (17). शैख अब्दुल्लाह बिन मुनीअ
(रह.)
- (9). शैख अब्दुल् अज़ीज़ बिन सालिह
(रह.)

मशहूर ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना अबू सईद शरफुद्दीन देहलवी (रह.) की मुन्सिफ़ाना शहादत

अख़ीर में हम इस मसले से मुतअल्लिक ग़ैर मुक़ल्लिदों के एक बड़े मशहूर आलिम मौलाना अबू सईद शरफुद्दीन देहलवी (रह.) की मुन्सिफ़ाना शहादत नक़ल करते हैं जिस से मसअलए हाज़ा की हक़ीक़त खुल कर सामने आ जाती है। दरअसल मौलाना देहलवी (रह.) अपनी जमाअत के एक नामवर आलिम मौलाना सनाउल्लाह अम्रितसरी (रह.) के इस फतवे के बारे में कि जिस में मौलाना अम्रितसरी (रह.) ने एक मजलिस की तीन तलाकों के एक तलाक़ होने की निसबत मुहदिसीन की तरफ़ की है, फरमाते हैं।

असल बात यह है कि मुजीब मरहूम ने जो लिखा है कि तीन तलाक़ मजलसे वाहिद की मुहदिसीन के नज़दीक़ एक के हुक़म में है।

यह (तीन तलाक़ को एक मानने का) मसलक़ सहाबा, ताबईन व तबए ताबईन वग़ैरह मुहदिसीन-व-मुतक़दिमीन का नहीं है, यह मसलक़ सात सौ साल बाद के मुहदिसीन का है जो शैख़ुल् इस्लाम इब्ने तैमियह के फ़तावा के पाबन्द और उन के मोतकिद हैं। यह फतवा शैख़ुल् इस्लाम ने सातवीं सदी के आख़िर या अवाइल आठवीं में दिया था, तो उस वक़्त के उलमा ने उन की सख़्त मुख़ालफ़त की थी। नवाब सिदीक़ हसन ख़ाँ साहब ने "اتحاف النبلاء" में जहाँ शैख़ुल् इस्लाम इब्ने तैमियह के تف़रदات लिखे हैं। इस फ़िहरिस्त में तलाक़े सलास का मसला भी लिखा है, कि जब शैख़ुल् इस्लाम इब्ने तैमियह (रह.) ने तीन तलाक़ की एक मजलिस में एक तलाक़ होने का फतवा दिया तो बहुत शोर हुआ, शैख़ुल् इस्लाम और उन के शागिद इब्ने कथियम पर मसाइब बरपा हुए। उन को ऊँट पर सवार करके दूरें मार मार कर शहर में फिरा कर तौहीन की गई। कैद किए गए इस लिए कि उस वक़्त यह मसला अलामते रवाफ़िज़ की थी।

यह फतवा या मजहब आठवीं सदी में वुजूद में आया और अइम्माए अरबअह की तकलीद चौथी सदी हिजरी में राइज हुई। इस (मसलक को मुहदिसीन का मसलक करार देने) की मिसाल ऐसी है जैसे बरेलवी लोगों ने कंबूए ग़सिबाना करके अपने आप को अहले सुन्नत वल्जमाअत मशहूर कर रखा है। औरों को ख़ारिज। या जैसे मौलवी मौदूदी की जमाअत ने अपने आप को जमाअते इस्लामी मशहूर कर दिया है। बावजूद यह कि उन का इस्लाम भी खुद साख़्ता है। जो चौदहवीं सदी हिजरी में बनाया गया।

ولعل فيه كفاية لمن له دراية و الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم يستلونك
احق هو قل اي وربي انه لحق.

(अबू सईद शरफुद्दीन देहलवी, फताव्याए सनाइयह गिल्द 2, सफ़हा 219-220)

मौलाना अबू सईद शरफुद्दीन देहलवी (रह.) की इस मुन्सिफाना शहादत को हर मुन्सिफ मिज़ाज अहले हदीस को ठण्डे दिल से बार-बार पढ़ना चाहिए। मौलाना मरहूम की इस मजकूरा इबारत से मुन्दर्जा ज़ेल चन्द बातें वाज़ेह हो जाती हैं।

(1). एक मजलिस की तीन तलाक़ों को एक शुमार करने का मसलक, सहाबाए किराम (रज़ि.), ताबईन इज़ाम (रह.) व तबए ताबईन (रह.) वगैरह अइम्मा, मुहदिसीन मुतकदिसीन का नहीं है। लिहाज़ा इस को मुहदिसीन का मसलक करार देना ऐसा ही है जैसा कि बरेलवी हज़रत का अपने आप को अहले सुन्नत वल्जमाअत और मौदूदियों का अपने आप को जमाअते इस्लामी कहना।

(2). यह मसलक आठवीं सदी हिजरी में वुजूद में आया है। इस से पहले सात सौ साल तक एक मजलिस की तीन तलाक़ें तीन ही शुमार होती थीं।

(3). तीन तलाक़ों को एक शुमार करने का मसलक रवाफिज़ का है।

इसी लिए अल्लामा इब्ने तैमियह (रह.) ने जब यह फतवा दिया तो उन्हें सख़्त परेशानियों का सामना करना पड़ा।

शैख मुहम्मद बिन अब्दुल् वहहाब और उन के साहबजादे शैख अब्दुल्लाह का मसलक

शैख मुहम्मद बिन अब्दुल् वहहाब के साहबजादे शैख अब्दुल्लाह अपने एक रिसाले "الهدية السنية" में तलाके सलास के मुतअल्लिक अपने और अपने वालिद के मसलक की वजाहत करते हुए तहरीर फरमाते हैं :

"और हमारे नजदीक शैखुल् इस्लाम इब्ने कथियम और उन के उस्ताद शैखुल् इस्लाम इब्ने तैमियह (रह.) अहले हक व अहलुस्-सुन्नत के इमाम व पेशवा हैं और उन दोनों बुजुर्गों की किताबें हमें निहायत अजीज हैं। लेकिन हर मसअले में हम उनके भी मुकल्लिद और पैरोकार नहीं हैं। और मुतअह्दिद मसाइल में उन से हमारा इख़िलाफ मालूम-व-मारूफ है। मिनजुम्ला उन के एक मजलिस की तीन तलाक का मसला है इस में हम (इन दोनों बुजुर्गों की तहकीक के खिलाफ) अइम्मए अरबअह के मुत्तफिका मसलक का इत्तिबा करते हैं। अल्लह।

(बहवालह "शैख मुहम्मद बिन अब्दुल् वहहाब के ख़िलाफ प्रौपगण्डा और हिन्दुस्तानी उलमाए हक पर इस के असरात"। मुसन्निफा मौलाना मुहम्मद मन्ज़ूर नौमानी 63,64)

(देखिए : "फतावाए रहीमियह 5/299")

नीज इमाम शम्सुद्दीन ज़हबी बावुजूद शैखुल् इस्लाम के शागिर्द और मोतफिद होने के इस मसले में सख्त मुख़ालिफ हैं :

(التاج المکمل مصنفه نواب صديق حسن خان صاحب صفحة 286 بحواله
طلاق ثلاثة، صفحة 49).

नोट :

मसअलाए हाज़ा की मज़ीद तफसील के लिए मुलाहज़ा फरमाइये, अहक़र अलख़रा की किताब "तीन तलाक"

गैर मुक़ल्लिदों के लिए लम्हए फ़िक्र

गैर मुक़ल्लिद हज़रात तअस्सुब-व-इनाद को बालाए ताक् रखते हुए मस्अलाए हाज़ा की नज़ाकत व अहमियत के पेशे नज़र अपने मौक़िफ़ में नज़रे सानी करें, क्योंकि आप हज़रात तीन तलाक़ वाली औरत को उस के शौहर के लिए हलाल करार देते हैं जबकि कुरआन-व-सुन्नत व इज्याए उम्मत से साबित होता है कि मुतल्लकाए सलासा अपने शौहर के लिए हलाल नहीं। जैसा कि रिसालए हाज़ा में बित्तफ़सील आप पढ़ चुके हैं।

कारिईने किराम मुतवज्जोह हों

कारिईने किराम इस रिसाले को पढ़ने के बाद आप हज़रत को बाख़ूबी अन्दाज़ा हो गया होगा कि अपने आप को अहले हदीस (ग़ैर मुक़ल्लिदीन) कहने वाला गिरोह वोह कुरान-व-हदीस पर कितना अमल करने वाला है।

आपने महसूस किया होगा कि उनके मसलक की बुनियाद जिन अहादीस पर है वोह अहादीस या तो ज़ईफ़ हैं, या अगर वोह सही हैं तो वोह मन्सूख़ हैं। या फिर इन अहादीस की यह गिरोह (अहले हदीस) अपना मसलक साबित करने के लिए ऐसी तशरीह करता है जो हज़रत मुहद्दिसीन की तसरीह-व-तौज़ीह के ख़िलाफ़ होती है। हालांकि यह लोग बराबर यह दावा करते हैं कि कुरआन व हदीस पर हम (अहले हदीस) अमल करते हैं और हनफ़िया तो इमाम अबू हनीफ़ा की तक़लीद करते हैं और सहीह अहादीस को छोड़ देते हैं। हालांकि यह सरासर उन लोगों का हनफ़िया पर झूठा इल्ज़ाम है। हकीकत से इसका कोई तअल्लुक नहीं, जैसा कि आप हज़रत ने रिसालाए हाजा में हनफ़िया का मसलक भी बनज़रे गाइर पढ़ा होगा कि मसलकं अहनाफ़ कुरआन व हदीस के मुव्बाफ़क है। बल्कि अगर हम यह कहें कि हनफ़ी मसलक कुरआन-व-हदीस के सबसे ज़्यादा करीब है तो बजा होगा।

चुनांचे हमामुल् मुहद्दिसीन हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब देहलवी क़ुदिसा सिररहु अपनी एक किताब "فیوض الحرمین" में तहरीर फ़रमाते हैं :

عرفنی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم ان فی المذهب الحنفی طریقة انیقة،
فی اوفق الطرق بالسنة المعروفة، التي جمعت و نقحت فی زمان البخاری رحمة
اللّٰه!

तरजुमा :-

मुझे (कश्फ़ में) औ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हकीकत

समझायी कि फिकहे हनफी की शकल में एक उम्दा तरीका है। जो दीगर तरीकों से ज्यादा हम-आहंग है। इन अहादीसे मशहूर से जो इमाम बुखारी (रह.) के जमाने में जमा की गई, और उन की तन्कीह की गई (यानी तदवीने हदीस के तीसरे दौर में जो अहादीसे सहीहा मुनक्कह होकर किताबों में मुदव्वन की गई। इन से फिकहे हनफी बनिस्वत दूसरी फिकहों के ज्यादा हम-आहंग है), (बहवालह मुकदमए हदीस और अहले हदीस/ब)

गैर मुकल्लिदीन सीधे-साधे अवाम को महज़ धोका देने के लिए उनसे कहते हैं कि हम तो कुरआन-व-हदीस पर अमल करते हैं और हनफिया इमाम अबू हनीफा को मानते हैं, उनके कौल के मुकाबले में सहीह हदीस को छोड़ देते हैं।

हालाकि अहनाफ इमाम अबू हनीफा (रह.) की तकलीद सिर्फ़ उन मसाइल में करते हैं जिनका हुकम कुरआन-व-हदीस में बाज़ेह न हो, या उनके बारे में अहादीस में बर्ज़ाह तआरुज़ हो, वहाँ अहनाफ इमाम साहब की तकलीद करते हैं क्योंकि अल्लनाह तबारक वतआला ने हज़रत इमाम अबू हनीफा (रह.) को इज्तिहाद का ख़ास मल्का इनायत फरमाया था। नीज़ फरमाने बारी तआला है :

“فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون”

कि अहले इल्म से मालूम कर लो, अगर तुम नहीं जानते।

आप ज़रा सोचें कि जो मसाइल कुरआन-व-हदीस में बाज़ेह नहीं हैं, या उनके बारे में अहादीस भूतआरिज़ हैं। वही अगर हर आदमी अपने तौर से इज्तिहाद करने लग जाए तो दीन तो मज़ाक बन जाएगा।

लोग अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक कुरआन-व-हदीस का मतलब तराशने लगेंगे। घुनांचे एक गैर मुकल्लिद आलिम के यहाँ जाना हुआ तो कहने लगे कि चाय पीना हराम है क्योंकि चाय गर्म होती है।

इसलिए अहनाफ मुजतहद फीहि मसाइल में हज़रत इमाम आजम (रह.) की तकलीद करते हैं। और यह गैर मुकल्लिद कुरआन-व-हदीस से बराबरे रास्त ख़ुद मस्अला मुस्तम्बत करते हैं। हत्ता कि सहाबा किराम (रज़ि.) के फहम पर

उनको एतमाद नहीं। घुनांचे कहते हैं :

“फौले सहाबी हुज्जत नहीं”

(फताववय नज्दियह /340 महबालह मसाइले गैर मुकल्लिदीन /12)

यानी यह लोग जो मतलब समझे, वोह तो हुज्जत हैं। और जो मअानी सहाबी रसूल (सल्ल.) ने समझे हैं, वोह हुज्जत नहीं (استغفر الله)

उसकी एक मिसाल मुलाहजा फरमाइये। हदीस शरीफ لا صلوة الا بفتح الكتاب
“لا صلوة الا بفتح الكتاب” कि सुरहे फातिहा के बगैर नमाज़ नहीं होती।

यह हदीस मुन्फरिद के बारे में है। उस शख्स के बारे में नहीं है जो इमाम के पीछे हो। सहाबीए रसूल (सल्ल.) हज़रत जाबिर (रज़ि.) इस हदीस शरीफ को मुन्फरिद के बारे में ही बताते हैं (तिर्मिज़ी 71/1)। मगर गैर मुकल्लिदीन सहाबी रसूल (सल्ल.) की तसरीह को छोड़कर कहते हैं कि “नहीं यह मुकतदी के बारे में है”।

आप जब इन के मसाइल पर नज़र डालेंगे तो इनके मसाइल सहाबा किराम (रज़ि.) व इज्माए उम्मत वगैरह से टकराते हुए नज़र आएंगे। और मुख्तलफ फीहि मसाइल में यह लोग अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए आसानी की तरफ दौड़ते हुए नज़र आएंगे। इसकी चन्द मिसालें मुलाहजा फरमाइये।

(1). तरावीह बीस रकात है। बिल्कुल इज्माई मसअला है। आज तक हरमैन शरीफैन मे बीस रकअत तरावीह होती चली आ रही हैं। लेकिन गैर मुकल्लिदीन सिर्फ आठ रकअत पढ़ते हैं।

(2). एक मजलिस की तीन तलाफें तीन ही वाक़े होती हैं। पूरी उम्मत का इज्मा है। मगर यह लोग सिर्फ एक तलाफ़ शुमार करते हैं।

(3). चाँदी और सोने के ज़ेवरात में ज़कात फर्ज़ है। अहादीसे सहीहा इस पर दलालत करती हैं। मगर यह लोग कहते हैं कि चाँदी और सोने के ज़ेवरात में ज़कात नहीं।

- (4). माले तिजारत में ज़कात फज़ है, मगर यह लोग कहते हैं कि माले तिजारत में ज़कात नहीं।
- (5). ख़ित्र की तीन रकअत हैं, मगर यह लोग कहते हैं कि तीन रकअत ख़ित्र पढ़ना मन्नुअ है।
- (6). कुरआन शरीफ़ को बग़ैर ख़ुजू के छूना जाइज़ नहीं, मगर यह लोग कहते हैं कि जाइज़ है।
- (7). थोड़ा पानी निजासत गिरने से नापाक हो जाता है, मगर यह लोग कहते हैं कि नापाक नहीं होता।
- (8). हलाल जानवरों का पेशाब नापाक है, मगर यह लोग कहते हैं कि पाक है।
- (9). फ़ौत शुदा नमाज़ों की कज़ा वाजिब है, मगर इन लोगों के यहाँ फ़ौत शुदा नमाज़ों की कज़ा है ही नहीं।
- (10). मनी नापाक है, मगर यह लोग कहते हैं कि मनी पाक है। वग़ैरह, वग़ैरह।

ग़ैर मुक़ल्लिदीन इमाम बुख़ारी (रह.) की अदालत में

इस उन्वान के तहत हम आप हज़रत के सामने ग़ैर मुक़ल्लिदीनों के कुछ ऐसे मसाइल की निशान्दगी करेंगे, जो मसाइल उनके हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) और बुख़ारी शरीफ़ में मज़कूर अहादीसे रसूल (सल्ल.) के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि यह लोग सीधे-साधे अवाम को धोका देने के लिए बात बात पर कहते हैं कि बुख़ारी दिखाओ। बुख़ारी शरीफ़ की हदीस पेश करो। जिस से जाहिल अवाम समझते हैं कि यह लोग اصح़ الكتب بعد كتاب الله تعالى बुख़ारी शरीफ़ पर अमल करते होंगे, हालांकि यह महज़ उन का दावा है अमल नहीं। मुलाहज़ा फ़रमाइये उन के मुन्दर्जा ज़ेल खन्द मसाइल।

मसअला-1

ग़ैर मुक़ल्लिदीन फ़िकह और फ़ुकहए किराम (रह.) के सख्त मुख़ालिफ़ हैं, बिल्ख़सूस फ़िकहे हनफी के जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) फ़िकह को बड़ी अज़मत-व-तक़द्दुस की नज़र से देखते हैं। चूनांचे हज़रत ने "बुख़ारी शरीफ़ 16/1" पर एक बाब काइम किया है "باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين".

यानी अल्लाह तआला जिस के साथ भलाई का इरादह फ़रमाते हैं, उस को फ़काहत फ़िददीन इनायत फ़रमाते हैं। इस बाब के तहत हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने यह हदीस शरीफ़ ज़िक्र फ़रमाई है।

قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيباً يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم : يقول من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين الخ.

तरजुमा :-

हज़रत हमीद बिन अब्दुरहमान (रह.) फ़रमाते हैं कि मैं ने हज़रत मुआविया (रज़ि.) को ख़ुतबा देते हुए सुना, आप (हज़रत मुआवियह रज़ि.)

फ़रमा रहे थे कि मैं ने नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना कि अल्लाह तआला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादह फ़रमाते हैं उसे दीन की फूकाहत इनायत फ़रमाते हैं।
(बुख़ारी शरीफ़ 16/1)

मसअला-2

गैर मुफ़ल्लिदीन के नज़दीक थोड़ा पानी निजासत गिरने से नापाक नहीं होता जब तक कि उस का रँग, बू और मज़ा न बदल जाए। जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक थोड़ा पानी निजासत गिरने से फ़ौरन नापाक हो जाता है, चाहे उस का रँग, बू और मज़ा बदले या न बदले।

चुनांचे हज़रत (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 37/1" पर आब काहम किया है। "باب البول في الماء الدائم" यानी ठहरे हुए पानी में पेशाब करना कैसा है। इस के बाद मुन्दर्जा जेल हदीस शरीफ़ जिक्र फ़रमाई है :

قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم) لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.

तरजुमा :-

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि तुम में से कोई शख्स ठहरे हुए पानी में, जो बह न रहा हो, पेशाब न करे (कि उस के बाद) फिर उसी में गुस्त करने लगे।

तौज़ीह :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि थोड़े पानी में अगर निजासत गिर जाए तो वोह फ़ौरन नापाक हो जाए गा, क्योंकि ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से उस का रँग, बू और मज़े में तबदीली नहीं आएगी।

मसअला-3

गैर मुफ़ल्लिदों के यहाँ मनी पाक है जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक मनी नापाक है। चुनांचे हज़रत मौसूफ़ ने "बुख़ारी शरीफ़ 36/1" पर एक

बाब काहम किया है। "باب اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره" यानी जब कोई मनी बगैरह धोए और उस का असर न जाए।

इस बाब के बारे में मशहूर गैर मुकल्लिद आलिम अल्तामा वहीदुज्जमी साहब तहरीर फरमाते हैं :

"इमाम बुखारी (रह.) ने इस बाब में मनी के सिवा और निजासतों का जिक्र नहीं किया, शायद उन को मनी पर कयास किया। इससे यह निकलता है कि इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक भी मनी नजिस है।

("तैसीदुल बारी 170/1" बहवालह "गैर मुकल्लिदीन इमाम बुखारी (रह.) की अदालत में 1104")

इस के बाद बुखारी शरीफ की रिवायत मुलाहज़ा फरमाइये इस उन्वान के तहत "मनी पाक है या नापाक"

मसअला-4

गैर मुकल्लिदीन के नज़दीक जुमे के दिन गुस्ल करना वाजिब है जबकि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक वाजिब नहीं बल्कि अफज़ल व सुन्नत है।

चुनांचे हज़रत (रह.) ने "बुखारी शरीफ 120/1" पर एक बाब काहम किया है "باب فضل الغسل يوم الجمعة" यानी यह बाब है जुमे के दिन गुस्ल करने की फज़ीलत के बयान में। इस से मालूम हुआ कि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक जुमे के दिन गुस्ल करना वाइसे फज़ीलत व अज़-व-सवाब है वाजिब नहीं।

मसअला-5

गैर मुकल्लिदीन के नज़दीक जुमे की नमाज़ को ज़वाल से पहले पढ़ना जाइज़ है जबकि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक जुमे का वक़्त ज़वाल के बाद शुरू होता है।

चुनांचे हज़रत (रह.) ने "बुखारी शरीफ 123/1" पर एक बाब काहम किया है "باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس وكذلك يذكر عن عمرو علي و النعمان بن بشير و عمرو بن حريث" यानी जुमे का वक़्त उस वक़्त होता है जब सूरज

ढल जाए। ऐसे ही मन्कूल है।

हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत नौमान बिन बशीर और हज़रत अमर बिन हुरैस (रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम) से इस से मुतअस्लिफ़ बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत किताबे हाज़ा में इस उन्वान के तहत मुलाहज़ा फ़रमाएं।

(क्या जुमे की नमाज़ को ज़वाल से पहले पढ़ना जाइज़ है?)

मसअला-6

ग़ैर मुक़ल्लिदों के यहाँ कुत्ते का झूठा पाक है। जबकि "बुख़ारी शरीफ़ 29/1" की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से साबित होता है कि कुत्ते का झूठा नापाक है।

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء
أحدكم فليغسله سبعاً.

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब कुत्ता तुम में से किसी के बरतन से पी ले तो वोह इस को सात मरतबा धोए।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि कुत्ते का झूठा नापाक है वरना बरतन को सात मरतबा धोने का हुक्म न दिया जाता।

मसअला-7

ग़ैर मुक़ल्लिदीन गर्मियों में भी जोहर की नमाज़ को जल्दी पढ़ते हैं। जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) गर्मियों में जोहर की नमाज़ ठण्डी करके यानी ताख़ीर से पढ़ने के फ़ाइल हैं।

घुनांचे मौसूफ़ (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 76/1" पर एक बाब काइम किया है "باب الإبراد بالظهر في شدة الحر" यानी यह बाब है सख़्त गर्मी के मौसम में

जोहर की नमाज़ को ठण्डे (ताखीर से) वक़्त में पढ़ने के बयान में।

बुख़ारी शरीफ की रिवायत किताबे हाज़ा में इस उन्वान के तहत मुलाहज़ा फरमाएं :

मसअला-8

गैर मुकल्लिदीन इशा की नमाज़ को जल्दी पढ़ते हैं, जबकि "बुख़ारी शरीफ 80/1" की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से साबित होता है कि इशा की नमाज़ को ताखीर से पढ़ना अफज़ल है।

عن ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء.

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ को ताखीर से पढ़ते थे।

मसअला-9

गैर मुकल्लिदीन के नज़दीक रुकू में शरीक होने वाले की रकअत शुमार नहीं होती जबकि "बुख़ारी शरीफ 108/1" की इस रिवायत से साबित होता है कि उस की रकअत शुमार होगी।

عن ابي بكره انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فنذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصاً ولا تعد.

तरजुमा :-

हज़रत अबू बकरह (रज़ि.) से रिवायत है कि वोह रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास (मस्जिद में) पहुँचे तो देखा कि आप (सल्ल.) रुकू में हैं तो उन्होंने (रकअत छूटने के खौफ से) सफ में पहुँचने से पहले ही रुकू कर लिया (नमाज़ के बाद) आप (सल्ल.) से इस का तज़क़िरा किया तो आप (सल्ल.) ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तआला आप की चाहत को ज़्यादा

करे, आइन्दा ऐसा न करना।

फाइदा :-

हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि रुकू में शरीक हाने वाले की रकअत शुमार होगी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकरह (रजि.) को रकअत लौटाने का हुकम नहीं फरमाया, हालाकि आप (रजि.) रुकू में शरीक हुए थे।

मसअला-10

ग़ैर मुकल्लिदों के नज़दीक वित्र की तीन रकअत पढ़ना मम्नूअ है जबकि "बुख़ारी शरीफ 54/1" की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की तीन रकअत पढ़ते थे।

عن عائشة..... يصلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلى اربعا
فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلى ثلاثا.

तरजुमा :-

हजरत आइशा (रजि.) से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार रकअत नमाज़ पढ़ते थे और ऐसी पढ़ते थे कि तुम उन की खूबी और तूल के बारे में मत पूछो और फिर चार रकअत इसी तरह पढ़ते थे, इस के बाद तीन रकअत (वित्र) पढ़ते थे।

मसअला-11

ग़ैर मुकल्लिदों के नज़दीक नमाज़ी के सामने से अगर औरत गुज़र जाए तो उस की नमाज़ फासिद हो जाती है जबकि बुख़ारी शरीफ की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से मालूम होता है कि इस की वजह से नमाज़ फासिद नहीं होती।

عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلوة الكلب و الحمار و المرأة فقالت
شبهتمونا بالحرمر و الكلاب و الله لقد رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلى
و انى على السرير بينه و بين القبلة مضطجعة فتبدولى الحاجة فاكراه ان اجلس

فاوذي النبي صلى الله عليه وسلم فانسلم من عند رجليه.

(बुखारी शरीफ 73/1)

तरजुमा :-

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि उन को सामने उन चीज़ों का तक़ीफ़ा किया गया जो नमाज़ को क़तअ कर देती हैं यानी कुत्ता, गधा, और औरत का तो हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने फ़रमाया कि तुम लोग हम (औरतों) को मर्धों और कुत्तों के मुशाबेह करार देते हो। ख़ुदा की क़सम मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिम को देखा कि आप (सल्ल०) नमाज़ पढ़ते और मैं चारपाई पर आप (सल्ल.) के और क़िबले के दरमियान लेटी रहती, फिर मुझे कोई ज़रूरत पेश आती तो मैं इस बात को पसन्द न करती कि मैं आप (सल्ल.) के सामने बैठकर आप (सल्ल.) को तक़लीफ़ दूँ। तो मैं चारपाई की पाइती से खिसक कर निकल जाती।

फ़ाहदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि औरत अगर नमाज़ी के सामने से गुज़र जाए तो उस से नमाज़ फ़ासिद नहीं हुई होती।

मसअला-12

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक फ़जर की सुन्नतों को नमाज़े फ़जर के बाद तुलूए आफ़ताब से पहले पढ़ना जाइज़ है, जबकि बुखारी शरीफ़ को मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से उसका नाजाइज़ होना साबित होता है।

عن ابن عباس^١ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس و بعد العصر حتى تغرب الشمس.

(बुखारी शरीफ़ 82/1)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिम ने (नमाज़े) सुबह के बाद नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है, यहाँ

तक आफ़ताब तुलू हो जाए और (नमाज़) असर के बाद नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है, यही तक कि आफ़ताब गुरूब हो जाए।

मसअला-13

गैर मुक़ल्लिदों के यही फौत शुदा नमाज़ों की कज़ा नहीं है। जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक फौत शुदा नमाज़ों की कज़ा वाज़िब है। घुनांचे मौसूफ़ (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 84/1" पर दो बाब काइम किये हैं :

(१). "باب قضاء الصلوات الاولى فالاولى"

यानी यह बाब है कज़ा नमाज़ों की कज़ा ऊस्ता फिलूऊला की तरतीब से अदा करने के बयान में।

(२). "باب من نسي صلاة فليصل اذا نكر"

यानी यह बाब है उस शख्स के बयान में जो नमाज़ को भूल गया हो तो वोह उस को पढ़ ले, जब उस को याद आए।

बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत किताबे हाज़ा में इस उन्वान के तहत देख ली जाए।

मसअला-14

गैर मुक़ल्लिदीन वित्र की तीन रकअतों को दो सलामों से पढ़ते हैं। जबकि "बुख़ारी शरीफ़ 154/1" की एक रिवायत के आख़री अल्फ़ाज़ "ثم يصلي ثلاثاً" (यानी फिर आप (सल्ल.) तीन रकअत (वित्र) पढ़ते थे) से मालूम होता है कि आप (सल्ल.) वित्र की तीनों रकअतों को एक सलाम से पढ़ते थे।

मसअला-15

गैर मुक़ल्लिदों के यही रात में मय्यत को दफ़न करना मन्ज़ूअ है। जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक दुस्त है। घुनांचे हज़रत ने "बुख़ारी शरीफ़ 178/1" पर एक बाब काइम किया है : "باب الدفن بالليل ودفن أبو بكر" यानी यह बाब है रात में दफ़न करने के बयान में और हज़रत अबू बकर (रज़ि.) रात ही दफ़न किये गए।

बुखारी शरीफ की रिवायत किताबे हाजा में इस उन्वान के तहत मुलाहजा फरमा ली जाए।

मसअला-16

गैर मुकल्लिदों के यहीं मुसाफहा एक हाथ से है जबकि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक मुसाफहा दो हाथों से है, चुनांचे मौसूफ (रह.) ने "बुखारी शरीफ 926/2" पर एक बाब काइम किया है "باب الاخذ باليدين" صافح حماد यानी यह बाब है दो हाथों से मुसाफहा करने के बयान में, हज़रत हम्माद बिन जैद ने इब्ने मुबारक से दो हाथों से मुसाफहा किया।

मसअला-17

गैर मुकल्लिदों के नज़दीक माले तिजारत में ज़कात घाजिब नहीं, जबकि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक माले तिजारत में ज़कात फर्ज़ है। चुनांचे मौसूफ (रह.) ने "इमाम बुखारी शरीफ 194/1" में एक बाब काइम किया है "باب صدقة الكسب والتجارة" यानी यह बाब है कमाई और तिजारत के अन्दर ज़कात से मुतअल्लिक।

मसअला-18

गैर मुकल्लिदों के यहीं तसवीर वाली अश्या का इस्तेमाल जाइज़ है जबकि बुखारी शरीफ की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से इस का नाजाइज़ होना साबित होता है।

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب الانقضه.

(बुखारी शरीफ 179/1)

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जिस चीज़ में भी तसवीर देखते, उस को तोड़-फोड़ देते।

मसअला-19

गैर मुकल्लिदों के यहीं शाहीद को न कफन दिया जाएगा, और न उस पर जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी। जबकि बुखारी शरीफ की मुन्दर्जा ज़ेल दो

रिवायतों के मजमूए से मालूम होता है कि शहीद को भी कफन दिया जाएगा। और उस पर नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ी जाएगी।

(१). عن جابر بن عبد الله قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد.

(बुखारी शरीफ 179/1)

तरजुमा :-

हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शूहदाए उहद में से दो-दो आदमियों को एक कपड़े में जमा फरमाते यानी दो-दो आदमियों को एक कपड़े में कफन देते।

(२). عن عقبى بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى احد بعد ثمان سنين.

(बुखारी, 978/2)

हज़रत उक्बा बिन आमिर (रज़ि.) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शूहदाए उहद पर आठ साल बाद नमाज़े जनाज़ा पढ़ी।

मसअला-20

ग़ैर मुकल्लिदों के नज़दीक एक मजलिस की तीन तलाकों सिर्फ एक तलाक़ वाक़ेअ होती है। जबकि इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक एक मजलिस की तीन तलाकों तीन ही वाक़ेअ होती हैं। चुनांचे हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने "बुखारी शरीफ 791/2" पर एक बाब काहम किया है "باب من اجاز الطلاق" "الثلاث" यह बाब (एक मजलिस की) तीन तलाकों के वाक़े होने के बयान में है। (तफसील किताबे हाज़ा में इस मसअले के तहत देख ली जाए।)

मसअला-21

ग़ैर मुकल्लिदों के नज़दीक पेशाब, पाख़ाने के वक़्त किबले की तरफ़ रुख़ करना जाइज़ है। नाजाइज़ होना तो दरकिनार, मकरूह भी नहीं। (देखिए : "तैसीकल् बारी 170/1" बहवालए "ग़ैर मुकल्लिदीन इमाम बुखारी (रह.) की अदालत में /104).

जबकि "बुखारी शरीफ 26/1" की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से इस का नाजाइज़ होना साबित होता है।

عن ابى ايوب الانصارى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره.

तरजुमा :-

हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब तुम में से कोई पाख़ाने को जाए तो बैतुल्लाह की तरफ न रुख़ करे, न पीठ।

मसअला-22

ग़ैर मुकल्लिदों के नज़दीक आज़ाए वुजु में मवालात (पै दर पै धोना ज़रूरी है, इसको तर्क करना बिदअत है। देखिए : "बदुस्लु अहिल्लाह /28" बहवालए "ग़ैर मुकल्लिदीन इमाम बुखारी की अदालत में 109"

जबकि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक आज़ाए वुजु के धोने में मवालात ज़रूरी नहीं। चुनांचे मौसूफ़ (रह.) ने "बुखारी शरीफ 140" पर एक बाब काइम किया है। "باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر ان ابن عمر انة غسل يانى यह बाब है गुस्ल और वुजु के आज़ा के दरमियान फसल करने के बयान में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) से मन्कूल है कि उन्होंने आज़ाए वुजु के ख़ुश्क हो जाने के बाद पैरों को धोया।

मसअला-23

ग़ैर मुकल्लिदों के नज़दीक औरत को छूना नाकिज़े वुजु है। ("तैसीलु बारी, 142/1" बहवालए "ग़ैर मुकल्लिदीन इमाम बुखारी की अदालत में /114")।

जबकि बुखारी शरीफ़ की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से साबित होता है कि مس امرأة (औरत को छूना) नाकिज़े वुजु नहीं है।

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلى

فأذا قام بسطتهما قالت و البيوت يومئذ ليس فيها مصباح-

(बुखारी शरीफ 56/1)

ज़ौजए मोहतरमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) इरशाद फरमाती हैं कि मैं आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सो जाती, और मेरे पाँव आप (सल्ल.) के किबले में होते। आप (सल्ल.) जब सजदे में जाते तो मुझे छू देते, मैं अपने पाँव समेट लेती। और जब आप (सल्ल.) खड़े होते तो मैं पाँव फैला देती। और इन दिनों घरों में चिराग़ न थे।

मसअला-24

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक इमाम अगर बैठ कर नमाज़ पढ़ाये तो मुक़तदी भी बैठ कर नमाज़ पढ़ें।

(“तैसीब् बारी 439/1”, बहवालए “ग़ैर मुक़ल्लिदीन इमाम बुखारी (रह.) की अदालत में /121”)

जबकि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक इमाम जब बैठकर नमाज़ पढ़ाये तो मुक़तदी खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे। चुनांचे हज़रत मौसूफ़ (रह.) ने “बुखारी शरीफ 91/1” में एक बाब काहम किया **باب حد المريض ان يشهد** “बीमार को किस हद तक जमाअत में आना चाहिए। इस के तहत हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) की हदीस नकल की है। जिसका खुलासा यह है कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरजुल् वफात में जब कूछ इफ़ाकह हुआ तो आप (सल्ल.) ने बैठकर नमाज़ पढ़ाई और मुक़तदियों ने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी।

(बुखारी शरीफ 91/1)

मसअला-25

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक **اعلم بالسنة** (सुन्नत का इल्म ज़्यादा रखने वाल) के मुक़ाबले में **اقرا** (कुरआन का ज़्यादा करी) इमामत का ज़्यादा मुस्तहिक है, जबकि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक **اعلم بالسنة، اقرا** से इमामत का ज़्यादा मुस्तहिक है। चुनांचे इमाम बुखारी ने “बुखारी शरीफ

93/1" पर एक बाब फ़ाइम किया है "باب اهل العلم والفضل احق بالامامة" यानी सबसे ज़्यादा इमामत का मुस्तहिक वोह है, जो ज़्यादा इल्म-व-फज़ीलत वाला हो।

मसअला-26

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक "بِسْمِ اللّٰهِ" को ज़ेहरी नमाज़ों में ज़ेहراً और स़यी नमाज़ों में स़راً पढ़ना चाहिए।

(अफ़्दल जादी /36 बहवालय मज़क़ूर)

जबकि बुख़ारी शरीफ़ की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से साबित होता है कि "بِسْمِ اللّٰهِ" को "سِرّاً" ज़ेहरी और स़िरी दोनों तरह की नमाज़ों में (आहिस्ता) ही पढ़ा जाएगा।

عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم و ابا بكر و عمر كانوا يفتتحون الصلوة بالحمد لله رب العالمين.

तरजुमा :-

हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत अबू बकर (रज़ि.), और हज़रत उमर (रज़ि.) नमाज़ को "الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" से शुरू फ़रमाते थे। यानी "तअव्वुज़ व तस्मियह" को आहिस्ता पढ़ कर "سوره فاتحة" का आगाज़ क़ुरआन का आगाज़ से फ़रमाते थे।

मसअला-27

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक फ़र्ज़ों की अख़ीर दो रकअतों में "सूरहे फ़ातिहा" के बाद कोई दूसरी सूरात पढ़ सकते हैं। चुनांचे देखिए : ("नज़्ज़ुल अबरार 78/1" बहवालय मज़क़ूर)।

जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक फ़र्ज़ की अख़ीर की दो रकअतों में सिर्फ़ सूरहे फ़ातिहा पढ़ी जाएगी। चुनांचे हज़रत मौसूफ़ (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 107/1" पर एक बाब फ़ाइम किया है : "باب يقرأ في الآخريين" यानी यह बाब है अख़ीर की दो रकअतों में सूरहे फ़ातिहा पढ़ने

के बयान में। इस बाब के तहत हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने मुन्दरजा ज़ेल हदीसे मुबारक ज़िक्र की है।

عن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاولين بام الكتاب و سورتين و في الركعتين الآخريين بام الكتاب.

(الحديث)

तरजुमा :-

हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए अकरम सल्लल्लुआल्लैहि वसल्लम ज़ोहर की पहली दो रक़अतों में सूरते फ़ातिहा और दो सूरतें पढ़ते थे और अख़ीर की दो रक़अतों में (सिर्फ) सूरते फ़ातिहा पढ़ते थे।

मसअला-28

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक जुमे की दूसरी अज़ान बिदअत है। देखिए :
("फ़तावाए सत्तारियह 85/3", "फ़तावाए उलमाए अहले हदीस 179/2" बहवालए मज़कूर)।

जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक जुमे की दो अज़ाने मसनून हैं। चूनांचे हज़रत ने "बुख़ारी शरीफ 125/1" पर एक बाब फ़ाइम किया है :
"باب التّأذين عند الخطبة" खुल्से के वक़्त अज़ान देने का बयान। इस के बाद हज़रत ने मुन्दरजा ज़ेल हदीस शरीफ ज़िक्र की है।

عن الزهري قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ان الاذان يوم الجمعة كان اوله حين يجلس الامام على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابي بكر و عمر فلما كانت في خلافة عثمان و كثر الناس امر عثمان يوم الجمعة بالاذان الثالث فاذن به على الزورآء فثبت الامر ذلك.

तरजुमा :-

हज़रत इमाम ज़ुहरी (रह.) फ़रमाते हैं कि मैं ने हज़रत साइब बिन यज़ीद

को यह फरमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में जुमे की अज़ान उस वक़्त होती थी जब इमाम मिम्बार पर बैठ जाता था। फिर जब हज़रत उस्मान (रज़ि.) का दौर ख़िलाफ़त आया, और लोग ज़्यादा हो गए तो हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने तीसरी अज़ान (जुमे की पहली अज़ान) का हुक़म दिया। चुनांचे मक़ामे जोरा पर बोह अज़ान कही गई, और फिर यह एक मुस्तख़िल सुन्नत बन गई।

इस हदीस शरीफ़ से मालूम होता है कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) के दौर ख़िलाफ़त में जब लोगों की कसरत हुई तो आप (रज़ि.) के हुक़म से एक अज़ान का इज़ाफ़ह हो गया। इस दूसरी अज़ान का इज़ाफ़ह सहाबा किराम (रज़ि.) की मौजूदगी में हुआ। किसी ने इस पर नकीर नहीं फरमायी। चुनांचे बिल्इज्मा यह अज़ाने सानी राइज हो गई। और हर ज़माने में इस पर अमल होता रहा, और होना भी चाहिए था। क्योंकि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है:

“فعلیکم بسنتی بسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسکوا بها و عضو علیها
بالنواخذة”

(अबू दऊद शरीफ 635/2)

बस तुम पर लाज़िम है कि मेरी सुन्नत और मेरे इन ख़ुलफ़ा की सुन्नत जो राह याब और हिदायते मआब हैं उसको मज़बूती से धाम लो और डाढ़ों से दबा लो।

मसअला-29

ग़ैर मुकल्लिदीन के नज़दीक ख़िज़्र में دعاءِ قنوت को रुकू के बाद पढ़ना मुस्तहब है।

(फताववर उलमाए ऐहले हदीस 205/3 बहवाल्ल मज़कूर 1142)

जबकि बुख़ारी शरीफ़ की मुन्दर्जा ज़ेल हदीस शरीफ़ से मालूम होता है कि दुआए क़नूत रुकू से पहले क़िराअत के बाद है।

قال عبد العزيز وسأل رجل أنسا عن القنوت أبعـد الركوع أو عند فراغ من

القرأة؟ قال لا بل عند فراغ من القرأة

(बुखारी शरीफ 586/2)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल् अज़ीज़ फरमाते हैं कि एक शख्स ने हज़रत अनस (रज़ि.) से "दुआए कुनूत" के बारे में पूछा कि वोह रुकू के बाद है या किराअत के बाद? तो आप (रज़ि.) ने फरमाया, नहीं, बल्कि वोह किरात के बाद (रुकू से पहले) है।

मसअला-30

गैर मुकल्लिदीन में से बाज़ तो मुसाफते कस्र का सिर से ही इन्कार करते हैं। बाज़ तीन मील और बाज़ नौ मील बताते हैं।

(देखिए : "तैसीख् बारी 136/2", "फतावय सनाइयह 630/1", "फतावय सत्तारियह 57/3",

बहवालए मज़कूर)

जबकि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के नजदीक मुसाफते कस्र 48 मील है। घुनांचे मौसूफ (रह.) ने "बुखारी शरीफ 147/1" पर एक बाब काइम किया है- "باب في كم تقصر الصلوة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوماً وليلة وكان ابن عمر و ابن عباس يقصران و يفتران في أربعة بردو هو ستة عشر فرسخاً" यानी यह बाब है इस बयान में कि कितने (सफर में) कस्र नमाज़ पढ़ी जाए, और नबी (सल्ल.) ने एक दिन व एक रात को सफरे शरई करार दिया है। और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) व इब्ने अब्बास (रज़ि.) चार बुर्द के सफर में नमाज़े कस्र व इफ्तार करते थे। और वोह (चार बुर्द) 16 फरसख का होता है।

फाइदा :-

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) को काइम करदा इस बाब से साबित होता है कि मुसाफते कस्र 48 मील है। क्योंकि 4 बुर्द के 16 फरसख होते हैं और एक फरसख 3 मील का होता है। 16 को 3 में ज़रब दें तो 48 होता है।

मसअला-31

गैर मुकल्लिदों के नज़दीक हालते एहराम में निकाह दुरुस्त नहीं।

(“तोहफतुल अहकमी 88/2” बहबालिय “गैर मुकल्लिदीन इमाम बुखारी (रह.) की अदालत में”)

जबकि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक हालते एहराम में निकाह जाइज़ है। धुनांधे हज़रत ने “बुखारी शरीफ 248/1” पर एक बाब काइम किया है : **باب تزويج المحرم** यानी यह बाब है मोहरिम के निकाह के बयान में। इस के बाद मौसूफ (रह.) ने यह हदीस शरीफ जिन्न की है।

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूनह (रज़ि.) से इस हाल में निकाह किया कि आप (सल्ल.) मोहरिम (हालते एहराम में) थे।

मसअला-32

गैर मुकल्लिदीन के नज़दीक हुरमते रज़ाअत कम-से-कम पाँच भरतबा दूध घूसने से होती है।

(तैसीरुल बारी 2317)

जबकि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक रज़ाअत कज़ील हो या कसीर, हुरमते रज़ाअत साबित हो जाती है। धुनांधे हज़रत मौसूफ (रह.) ने “बुखारी शरीफ 764/2” पर एक बाब काइम किया **باب من قال لا رضاع بعد** **حولين لقوله تعالى حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وما يحرم من قليل** यानी यह बाब है उस शख्स की दलील के बयान में जो कहता है कि दो बरस के बाद फिर रज़ाअत से हुरमत साबित न होगी। क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया है “और बच्चे वाली औरतें दूध पिलायें अपने बच्चे को, दो बरस पूरे, जो कोई चाहे पूरी करे दूध की मुहत और रज़ाअत कज़ील हो या

कसीर, उस से हुरमत साबित हो जाएगी।”

इस बाब से मालूम हुआ कि हजरत इमाम बुखारी (रह.) के नजदीक बच्चा थोड़ा दूध पिये या ज़्यादा, उस से हुरमते रज़ाअत साबित हो जाती है। बच्चे का तीन बार घूसना या पीच बार घूसना शर्त नहीं।

मसअला-33

ग़ैर मुकल्लिदों के नजदीक हाइज़ा को दी जाने वाली तलाक़ वाक़ेअ नहीं होती।

(तैसीब्लू नारी 235/7)

जबकि हजरत इमाम बुखारी (रह.) के नजदीक वाक़ेअ हो जाती है। घुनांचे हजरत ने “बुखारी शरीफ 790/2” पर एक बाब काइम किया है “باب اذا طالت الحائض يعتد بذلك الطلاق” यानी अगर हाइज़ा औरत को तलाक़ दी जाए तो वोह तलाक़ शुमार की जाएगी। इस बाब के तहत हजरत इमाम बुखारी (रह.) ने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की हदीस जिन्न की है जिस के अख़ीर में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का यह कौल नकल किया है।

“حسبت على بتطبيقه.”

(जो तलाक़ मैं ने हालते हैज़ में दी थी) वोह मुझ पर शुमार की गई।

मसअला-34

ग़ैर मुकल्लिदों के नजदीक क़ुरबानी के चार दिन हैं। जबकि “बुखारी शरीफ 835/2” पर मुतअहद रिवायात मौजूद हैं। जिनसे साफ़ मालूम होता है कि क़ुरबानी सिर्फ़ तीन दिन जाइज़ है। इससे ज़्यादा नहीं। मुलाहज़ा फ़रमाइये।
मसलन -

عن سلمة بن الاكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة وبقى في بيته منه شئى.

(अलहदीस)

तरजुमा :-

हज़रत सल्म्या बिन अक़बअ फ़रमाते हैं कि नबीए करीम (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमाया कि जो तुम में से क़ुरबानी करे तो वोह इस हालत में सुबह न करे कि तीसरे दिन के बाद भी उसके घर क़ुरबानी के गोशत में कुछ बाकी हो।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि क़ुरबानी के गोशत को तीन दिन से ज़्यादा रखना मना है। जब तीन दिन से ज़्यादा क़ुरबानी का गोशत रखना सही नहीं, तो तीन दिन से ज़्यादा यानी चौथे दिन क़ुरबानी करना कैसे जाइज़ होगा।

नोट :

तीन दिन से ज़्यादा क़ुरबानी के गोशत को रखने की मुमानज़त बाद में ख़त्म हो गई थी। अल्बत्ता, क़ुरबानी न करने का हुक्म बदस्तूर बाकी रहा। जैसा कि दीगर अहादीस और शुरुअ में मुफ़स्सल मज़कूर है।

ग़ैर मुक़ल्लिदों के और भी बहुत से मसाइल हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के इज्तिहाद के मुख़ालिफ़ हैं। मज़ीद तफ़सील के साथ देखिए हज़रत यौलाना अनवार ख़ुरशीद महेज़िल्लाहुल् आली की किताब "ग़ैर मुक़ल्लिदीन इमाम बुख़ारी की अदालत में" बाकी इन मज़कूरा मसाइल से आप हज़रात के सामने यह बात रोज़े रौशन की तरह अर्थी हो गई होगी कि ग़ैर मुक़ल्लिदीन हज़रात जो बात बात पर हज़रत इमाम बुख़ारी और बुख़ारी शरीफ़ की दुहाई देते हैं, यह महज़ इनका दावा है, अमल नहीं। यह सिर्फ़ सीधे-साधे अवाम को धोखे में डालने का हरबा है। वरना ग़ैर मुक़ल्लिदीन का बुख़ारी शरीफ़ पर दूर तक भी अमल नहीं। अल्लाह तआला इनके मक़-ख-फ़रेब से उम्मतए मुस्लिमा को महफूज़ फ़रमाएँ! आमीन!

ग़ैर मुक़ल्लिदीन और मक़ामे सहाबा (रज़ि.)

सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ही की वोह पाकीज़ा व मुक़द्दस जमाअत है जो दीन के अब्बलीन सुतून हैं, जिन्होंने दीन को बराहे रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है, जिन्होंने दीन की ख़ातिर बड़ी बड़ी मशक़क़तों को बरदाश्त किया है। यही वोह क़ुदसी सिफ़ात जमाअत है जिस के ज़रीए दीने इस्लाम हम तक पहुँचा। क़ुरआने मुक़द्दस से ले कर जुमला ज़ख़ीराए अहादीस उन्हीं के ज़रीए से हम तक पहुँची है।

यही वजह है कि क़ुरआन-व-हदीस में सहाबा किराम (रज़ि.) की नुरानी जमाअत को बड़ी अज़मत व तक़द्दुस की नज़र से देखा गया है। मुलाहज़ा फ़रमाइये। हम आप के सामने उन में से चन्द आयात और कुछ अहादीस को पेश करते हैं, फिर उस के बाद सहाबा किराम (रज़ि.) के बारे में ग़ैर मुक़ल्लिदीन के मौक़फ़ को उजागर किया जाए गा।

सहाबा किराम (रज़ि.) क़ुरआन की रौशनी में :-

बारी तआला इरशाद फ़रमाते हैं :

(१). محمد رسول الله و الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبغفون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من اثر السجود.
(فتح ११)

तरजुमा :-

मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और जो लोग आपके साथ हैं, सहाबा किराम (रज़ि.) वोह काफ़िरों पर ज़ोर आवर हैं और आपस में मेहरबान हैं। (ऐ मुख़ातिब) तु उनको देखेगा। कभी रूकू कर रहे हैं, कभी सजदा कर रहे हैं। अल्लाह के फ़ज़ल और रज़ामन्दी की जुस्तुज़ में लगे हुए हैं। इनकी निशानी सजदों की तासीर से इनके चेहरों पर साफ़ नुमायी है।

तरजुमा :-

हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया (जहन्नम की) आग उस मुसलमान को नहीं छूएगी जिस ने मुझे देखा या उसे देखा जिस ने मुझे देखा।

عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدى فمن احبهم فحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك أن يأخذه.

(ترمذی کما فی مشکوٰۃ ۷۰۰۴)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ़फ़ल (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह तआला से डरो, मेरे बाद उन को निशाना मत बनाना, जो उन से मुहब्बत करेगा, तो मेरी मुहब्बत की वजह से उन से मुहब्बत करेगा और जो उन से बुराज़ रखेगा तो मुझ से बुराज़ रखने की वजह से उन से बुराज़ रखेगा। जिस ने उन को तकलीफ पहुँचाई, सहकीक कि उस ने मुझे तकलीफ पहुँचाई और जिस ने मुझे तकलीफ पहुँचाई उस ने अल्लाह तआला को तकलीफ पहुँचाई और जिस ने अल्लाह को तकलीफ पहुँचाई तो करीब है कि वोह उस की पकड़ कर ले।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم.

(مشکوٰۃ ۷۰۰۴)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा (रज़ि.) सितारों के मानिन्द हैं, पस (उन में से) जिस की भी तुम इतिबा कर लगे, हिदायत पा जाओगे।

नीज़ :-

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्खुसूस ख़ुलफ़ाय राशिदीन (हज़रत अबू बकर सिद्दीक (रज़ि.), हज़रत उमर (रज़ि.), हज़रत उस्मान (रज़ि.) और हज़रत अली (रज़ि.)) के बारे में फ़रमाया :

”فعلیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسکوا بها و عضوا علیها بالنواخذة“

(अबू यऊद शरीफ 1635)

तुम पर मेरी सुन्नत और इन ख़ुलफ़ा की सुन्नत की इत्तिबा लाज़िम है। जो राहयाब और हिदायते मआब हैं। सुन्नते ख़ुलफ़ा को थाम लो और इस सुन्नते ख़ुलफ़ा को दाढ़ों से मज़बूत पकड़ लो।

इस हदीसे मज़कूर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नते ख़ुलफ़ा को मज़बूत थामने की पुरज़ोर अल्फ़ाज़ में उम्मत को ताक्कीद फ़रमाई है।

यह तो था सहाबा किराम अलैहिम अजमईन का मक़ाम-व-मरतबा, क़ुरआन-व-हदीस की रौशनी में, अब आप मुलाहज़ा फ़रमाएं सहाबा किराम (रज़ि.) का मक़ाम ग़ैर मुक़ल्लिदीन की नज़र में।

तरजुमा :-

हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लुआह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया (जहन्नम की) आग उस मुसलमान को नहीं छूएगी जिस ने मुझे देखा या उसे देखा जिस ने मुझे देखा।

عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدى فمن احبهم فحببى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك أن يأخذه.

(ترمذی کما فی مشکوٰۃ / ۵۰۴)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ़फल (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लुआह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह तआला से डरो, मेरे बाद उन को निशाना मत बनाना, जो उन से मुहब्बत करेगा, तो मेरी मुहब्बत की वजह से उन से मुहब्बत करेगा और जो उन से बुग़ज़ रखेगा तो मुझ से बुग़ज़ रखने की वजह से उन से बुग़ज़ रखेगा। जिस ने उन को तकलीफ पहुँचाई, तहकीफ़ कि उस ने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई और जिस ने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई उस ने अल्लाह तआला को तकलीफ़ पहुँचाई और जिस ने अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाई तो करीब है कि वोह उस की पकड़ कर ले।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم.

(مشکوٰۃ / ۵۰۴)

रसूलुल्लाह सल्लल्लुआह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा (रज़ि.) सितारों के मानिन्द हैं, पस (उन में से) जिस की भी तुम इत्तिबा कर लोगे, हिदायत पा जाओगे।

नीज :-

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्खुसूस खुलफाए राशिदीन (हजरत अबू बकर सिद्दीक (रज़ि.), हजरत उमर (रज़ि.), हजरत उस्मान (रज़ि.) और हजरत अली (रज़ि.)) के बारे में फरमाया :

“فعلیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسکوا بها و غضوا علیها
بالنواجذ”

(अबू दाऊद शरीफ 1635)

तुम पर मेरी सुन्नत और इन खुलफा की सुन्नत की इत्तिबा लाज़िम है। जो राहयाब और हिदायते मआब हैं। सुन्नते खुलफा को धाम लो और इस सुन्नते खुलफा को दाढ़ों से मज़बूत पकड़ लो।

इस हदीसे मज़कूर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नते खुलफा को मज़बूत धामने की पुरजोर अल्फाज़ में उम्मत को ताकीद फरमाई है।

यह तो था सहाबा किराम अलैहिम अजमईन का मक़ाम-व-मरतबा, कुरआन-व-हदीस की रौशनी में, अब आप मुलाहज़ा फरमाएं सहाबा किराम (रज़ि.) का मक़ाम ग़ैर मुकल्लिदीन की मज़र में।

मक़ामे सहाबा (रज़ि.) ग़ैर मुक़ल्लिदीन की नज़र में

ग़ैर मुक़ल्लिदों के एक जथियद आलिम भियी नज़ीर हुसैन देहलवी (रह.) लिखते हैं:

”قول صحابی حجت نیست“

यानी सहाबी का कौल दीन में हुज़्जत (दलील) नहीं।

(“फतवावर नज़ीरियह 340/1” बहवाल्लए “सहाबा किराम (रज़ि.) का मक़ाम और ग़ैर मुक़ल्लिदीन का मौकफ 122”)

ग़ैर मुक़ल्लिदों के एक दूसरे बड़े आलिम नवाब वहीदुज़्जमी साहब फरमाते हैं:

”ولا يلتزمون نكر الخلفاء... لكونه بدعة“

(ग़ैर मुक़ल्लिदीन) ख़ुतबाए जुमे में ख़ुलफ़ाए राशिदीन (हज़रत अबु बकर सिद्दीक (रज़ि.), और हज़रत उमर (रज़ि.) वगैरा) का ज़िक्र नहीं करते, क्योंकि यह बिद्अत है।

मौसूफ़ एक दूसरी जगह लिखते हैं:

منه يعلم ان من الصحابة من هو فاسق كالوليد و مثله يقال في حق معاوية و عمر و مغيرة و سمره.

यानी इस से मालूम हुआ कि कुछ सहाबा फ़ासिक हैं जैसे वलीद (बिन उक्बा), ऐसे ही मुआवियह, अमर, भुगैरा (बिन शोअबा) और सुमूरा (बिन मुन्दुब) के हक़ कहा जाएगा (कि वोह भी फ़ासिक थे), (نعوذ بالله)

(नज़्ज़ुल् अबरार बहवाल्लए मज़्ज़ुल्)

एक दूसरी जगह लिखते हैं :

و يستحب الترضى لأصحابه غير أبي سفيان و معاوية و عمرو بن العاص و
مغيرة بن شعبان و سمرة بن جندب.

(कन्जुल इन्क़िब 1234 काकलर सहायक विद्यम के बारे में गैर मुकल्लिदों का नज़र नज़र
114)

सहायक विद्यम (रजि.) के सात तरजी यानी उन के नाम के बाद **رضى**
"رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ" लगाना मुस्तहब है मगर अब सुफ़यान, मुआवियह, अमर बिन
अल्आस, मुग़रा बिन शोअ्बा, और सुमरा बिन जुन्दुब के अलावा।

गैर मुकल्लिदों के एक और उदाहरण इज़रत मौलाना जूनियरी लिखते हैं:

"पस आओ मुझे बहुत से सफ़-सफ़ मोटे-मोटे मसहल ऐसे हैं कि इज़रत
फारूके आजम ने उनमें ग़स्ती की और आपका इतिफ़ाक़ है कि **فِي الْوَأَقِعِ**
इज़रत फारूके आजम (रजि.) देखनर थे।

(तरीके मुक़्मदी 141 काकलर मन्ज़ूर 124)

क्या ग़ैर मुक़ल्लिदीन का अपने आप को अहले-हदीस कहना सही है ?

कारिईने किराम खुद फैसला करें कि इस सब के बावजूद क्या ग़ैर मुक़ल्लिदीन का अपने आप को अहले हदीस कहना सही है। और उनका यह दावा करना कि क़ुरआन-व-हदीस पर हम अमल करते हैं, हनफिया तो इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की तक़लीद करते हैं।

हालांकि यह उनका महज़ दावा है। हकीकत से इसका कोई तअल्लुक नहीं। और यह ऐसा ही है जैसे एक फिरका है, अहले क़ुरआन जो कहता है कि हमारे लिए सिर्फ़ अल्लाह की किताब "क़ुरआन" काफी है। अहादीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि, अहादीसे नबविय्या क़ुरआने मुक़दस की तफ़सीर है। बग़ैर अहादीसे रसूल (सल्ल.) के क़ुरआन पर अमल करना नामुम्किन है।

ऐसे ही यह लोग भी कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं। हमारे लिए सिर्फ़ क़ुरआन-व-हदीस काफी है। बाकी रहा इज्माए उम्मत और क़यास, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं। हम तो हर मसअले को क़ुरआन-व-हदीस से निकाल लेते हैं।

इनके इस दावे के पेशे नज़र कि हमको सिर्फ़ क़ुरआन-व-हदीस काफी है, उनकी ख़िदमत में चन्द सवालालत पेश करते हैं, जिनका जवाब यह लोग सिर्फ़ क़ुरआन-व-हदीस से दें। इज्माए उम्मत, क़यास और किसी इमाम के कौल को पेश न करें।

ग़ैर मुक़ल्लिदीन की ख़िदमत में हमारे चन्द सवालात

1. स्लाउडस्पीकर पर अज़ान कहना कैसा है? सिर्फ़ क़ुरआन-व-हदीस से जवाब दें।
2. जिन कैसिटों में क़ुरआन पाक भरा हुआ हो, उनको बग़ैर वुजू के छूना जाइज़ है या नहीं?
3. हवाई जहाज़ में अगर कोई नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ होगी या नहीं?
4. घड़ी बांधना कैसा है?
5. टेप रिकार्डर से आयाते सजदा सुनी, बताइये कि सजदए तिलावत वाजिब हुआ या नहीं?
6. इन्जेक्शन व गुलुकोज़ से रोज़ा टूटता है या नहीं?
7. रेल में बग़ैर टिकट सफ़र करना कैसा है?
8. प्रोविडेंट फ़न्ड पर ज़कात है या नहीं?
9. धरमा लगाकर नमाज़ पढ़ना व पढ़ाना कैसा है?
10. मशीन के ज़रीए किये गए ज़बीहे का क्या हुक़म है?

खुलासए कलाम

खुलासए कलाम यह है कि गैर मुकत्लिदों का अपने आप को अहले-हदीस बतलाकर यह दावा करना कि कुरआन-व-हदीस पर सिर्फ हम अमल करते हैं। बाकी रहे हनफी, तो वोह इमाम अबू हनीफा (रह.) की तकलीद करते हैं, सरासर अवाम को धोखा देना और हनफिया के खिलाफ प्रोपगैन्डा करना है। वरना हकीकत में अहनाफ कुरआन-व-सुन्नत के सबसे ज्यादा करीब हैं। जैसा कि आप हजरात को रिसालए हाजा को पढ़कर महसूस हुआ होगा।

इन लोगों ने महज सीधे-साथे अवाम को धोखे में डालने के लिए अपने ऊपर "कुरआन-व-हदीस" का खूबसूरत टाइटल लगा रखा है।

दुआ है अस्लाह रब्बुल् इज्जत इनको हिदायत नसीब फरमाये, और उम्मत मुस्लिमा को इनके फरेब से महफूज फरमाये। (आमीन! या रब्बल् आलमीन)

मुहम्मद रफीक कासमी

6 रजब 1430 हिजरी

गैर मुकल्लिदीन की चन्द खुसूसियात

आप जब इन गैर मुकल्लिदीनों को जरा करीब से देखेंगे, तो इनकी मुन्दजा जेल चन्द खुसूसियात आपके सामने नुमायी होगी।

1. बात-बात पर बहस-व-मुबाहसा करना। नाहक जिद व हद-धरमी क्री खजह से अपनी गलत बयानी पर अड़े रहना।
2. बघवते नमाज अगर उनकी मसाजिद का मुआयना किया जाए, तो नंगे सर नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे।
3. इनमें अक्सर, बल्कि बहुत से उलमा की भी दाढ़ी कटी हुई नजर आएगी।
4. इनके बहुत से उलमा भी पेंट-शर्ट पहने हुए नजर आएंगे।
5. पाजामा टखनों से नीचे मिलेगा।
6. इनके अन्दर कुरआने करीम के हुफ्फाज बहुत ही कम मिलेंगे।
7. इनके उलमा के अन्दर भी कोई मुत्तकी व परहेजगार बुजुर्ग नजर नहीं आएगा।
8. अँग्रेजी फैशन सबसे ज्यादा गैर मुकल्लिदीनों में मिलेगा।
9. नवाफिल पढ़ते ही नहीं, बल्कि बसा औकात सुन्नते मोअक्कदह को भी छोड़ देते हैं। नमाज के वक़्त इनकी मसाजिद का मुआयना कर लिया जाए।
10. नमाज में पैर इतने चौड़े करके खड़े होते हैं कि देखने वाले को मजहका खेज सुरत मजर आती है।
11. गुफ्तगु में बदज़बानी का खूब मुजाहिरा करते हैं।
12. अस्ताफे उम्मत की शाम में गुस्ताखी करना इनकी आम आदत है।

फिरकए गैर मुकल्लिदियत के बारे में ज़रूरी मालूमात

फिरकए गैर मुकल्लिदियत की मुख्तसर सरगुमिशत यह है कि इस फिरकए की इक़िदा 1246 में हज़रत शाह इस्माईल शाहीद (रह.) के ज़माने में हो गई थी। मगर इस की मुनज़ज़म शकल आप की वफ़ात के बाद 1246 के बाद वुजूद में आई।

इस फिरकए नौपैद के बानी मशहूर गैर मुकल्लिद आलिम मौलाना अब्दुल् हक़ बनारसी हैं। वरना इससे पहले हिन्दुस्तान में इस फिरकए (गैर मुकल्लिदियत) का नाम-व-निशान भी नहीं था।

ख़ुद मशहूर गैर मुकल्लिद आलिम नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ साहब तहरीर फरमाते हैं:

“ख़ुलासए हाल हिन्दुस्तान के मुसलमानों का यह है, कि जब से यहाँ इस्लाम आया, चूँकि अक्सर लोग बादशाहों के तरीक़े और मज़हब को पसन्द करते हैं। इस वक़्त से लेकर आजतक़ यह लोग हनफी मसलक पर काइम रहे और हैं। और इसी मज़हब के आलिम और फ़ाज़िल काज़ी और मुफ़्ती और हाकिम होते रहे हैं।

(तरगुमाने वहाबियह 110 बहालालय मुहाज़रए इन्वियह बरघौजूए रदे गैर मुकल्लिदियत 13)

उलमा का रद्दे अमल :-

जब बानिए फिरकए गैर मुकल्लिदियत मौलाना अब्दुल् हक़ बनारसी ने अपने मज़हब (गैर मुकल्लिदियत) को फैलाना शुरू किया तो चारों तरफ़ से उलमाए किराम ने उन की गुमराही का फतवा दिया।

जिन में हज़रत शाह इस्हाक़ साहब (रह.) देहलवी मुतवफ़फ़ा 1262 हि., मुफ़्ती सदरुद्दीन साहब (रह.), ख़ाँ बहादुर देहलवी मुतवफ़फ़ा 1285 हि., (और

मौलाना मुहम्मद अब्दुरब साहब के क़लिद माजिद) मौलाना अब्दुल् ख़ालिफ़ साहब (रह.) मुतवफ़फ़ा 1246 हि. (उस्ताद-ब-सुसर मौलवी नज़ीर हसन) खास तौर से क़बिले जिक्क़ हैं।

बल्कि उलमाए हरमैन शरीफ़ैन ने तो (इस के बानी मौलाना अब्दुल् हक बनारसी के) क़त्ल का फ़त्वा दे दिया था मगर किसी तरह से वहाँ से भाग कर बच निकला।

(تنبيه الضالين بهوالة مذکور)

एक दूसरे मशहूर ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना शाहजहाँ पुरी मुतवफ़फ़ा 1338 हिजरी अपनी "معركة الاراء" किताब "الارشاد الى سبيل الرشاد" 13 में लिखते हैं।

"कुछ अरसे से हिन्दुस्तान में एक ऐसे ग़ैर मानूस मज़हब के लोग नज़र आ रहे हैं। जिस से लोग बिल्कुल ना आशाना हैं। पिछले ज़माने में शाज़-ब-नादिर इस ख़याल के लोग कहीं हों तो हों मगर इस कसरत से देखने में नहीं आए, बल्कि उन का नाम अभी थोड़े दिनों से सुना है, अपने आप को तो वोह "अहले-हदीस" या "मुहम्मदी" या "मुबहिहद" कहते हैं, मगर मुख़ालिफ़ फ़रीक़ में उन का नाम "ग़ैर मुक़ल्लिद" या "ला मज़हब" लिया जाता है।"

(बहवास्त्र ग़ैर मुक़ल्लिदीन की डायरी 249)

जमाअते गैर मुकल्लिदीन पर अँग्रेजों का साया

दुनिया में जब भी कोई खिलाफे हक फिरका खुद में आता है, तो जरूर उस के पीछे कुछ नापाक अजाइम व मकासिद होते हैं।

इस फिरके के सिलसिले में जो बात बाजेह तौर पर सामने आती है वोह यह है कि इस फिरके के पीछे अँग्रेजों का हाथ है।

क्योंकि इस्लाम दुश्मन अनासिर अँग्रेजों के बारे में जो इन के उलमा की तहरीरात हैं, उन से यह बात साफ समझ में आती है।

कबल इस के कि इन के उलमा की तहरीरों को पेश किया जाए, यह बताना जरूरी मालूम होता है कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर उलमाए हक, मशाइख व औलिया अल्लाह सब अँग्रेजों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अँग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फत्वा दिया। अँग्रेजों की हर मूहाज पर मुखालफत की। "तहरीके रेशमी रूमाल" वगैरा इसी सिलसिले की मजबूत कड़ी हैं। जिस के नतीजे में अँग्रेजों ने उलमा व औलिया अल्लाह पर जुल्म-व-सितम के वोह पहाड़ तोड़े कि जिस के तसख्खुर से भी बदन कांप जाता है।

उलमाए हक में से कितनों को फौसी के फन्दे पर लटकाया गया, कितनों को दहकती हुई आग में डाला गया, कितनों को गोलियों का निशाना बनाया गया, कितनों को जेलों में सड़ाया गया और काला पानी भेजा गया। मुस्लिम औरतों की इज्जत-व-अस्मत को तार-तार किया गया। मगर किसी गैर मुकल्लिद आलिम ने अँग्रेजों की मुखालफत नहीं की। खुद गैर मुकल्लिद आलिम नवाब सिद्दीक हसन ख़ाँ साहब भोपाली (जो गिरोहे अहले-हदीस के बड़े मायानाज आलिम हैं) को इस का एतराफ है।

घुनाचे मौसूफ "तरजुमाने वहाबियह /21" पर लिखते हैं :

"ऐसा आज तक नहीं पाया गया कि जिस ने दावाए इत्तिबाए कुरआन व हदीस करके (यानी अहले-हदीस होकर) (अँग्रेज) सरकार से मुखालफत किसी

कस्म की किसी शहर में की हो, या खुद जिहाद का इरादा या दूसरों को इस पर आमादह किया हो (बहवालय "गैर मुकल्लिदीन की डायरी /86")

बल्कि इन के उलमा ने हमेशा अँग्रेजों की खुशनुदी हासिल करने की भरपूर कोशिश की। यह ही नहीं, इस से आगे बढ़कर अँग्रेजों की हिमायत में जिहाद के खिलाफ रसाइल जारी किये, जिन में अँग्रेजों से लड़ने को बिल्कुल हराम और बग़ावत कहा गया। इन की इस वफ़ादारी को देखते हुए अँग्रेजों ने भी उन को इन्आमात से नवाजा, किसी को जागीर दी और किसी को شمس العلماء का लफ़्ब दिया।

घुनाचे मौलाना मुहम्मद हुसैन बटावली ने एक रिसाला लिखा "الاقتصاد" जिस में मौलाना ने अँग्रेजों से लड़ने वालों के बारे में क्या कुछ लिखा है, मुलाहजा फरमाइये :-

मौसूफ तहरीर फरमाते हैं:

"इस गवर्नमेंट से लड़ना या इन से लड़ने वालों की किसी नौअ से मदद करना सरीह ग़दर और हराम है /49"।

रिसाले के इसी सफ़हे में लिखते हैं:

गज़वए 1857 ई० में जो मुसलमान शरीक हुए थे वोह सख्त गुनहगार और बहुकमे कुरआन-व-हदीस वोह मुफ़िसद-व-बागी व बदकिरदार थे।

(बहवालय गैर मुकल्लिदीन की डायरी /49)

गैर मुकल्लिदीनों के एक दूसरे बड़े आलिम नवाब सिद्दीक हसन ख़ौ साहब घोपाली ने अँग्रेजों की हिमायत में एक रिसाला जारी किया "ترجمان وهابية" इस में देखिए, नवाब साहब ने क्या-क्या गुल खिलाए हैं।

मौसूफ रिसालाए मज़कूरा के सफ़हा 17 पर लिखते हैं :

"फ़िक्र करना उन लोगों का, जो अपने हुक़मे मज़हबी से जाहिल हैं, इस अम्र में है कि हुक़मते ब्रिटिश मिट जाए और यह अमन-व-अमान जो हासिल है फ़साद के परदे में जिहाद का नाम ले कर उठा दिया जाए, सज़त नादानी व बेयुक्फ़ी की बात है।

(बहवालय मज़कूर /74)

इसी रिसाले के सफ़हा 18 पर लिखते हैं :

"क़तुबे तारीख़ देखने से मालूम होता है कि जो अमन-ख-आसाइश व आज़ादगी इस हुकूमते अँग्रेज़ में तमाम मख़ज़ूक को नसीब हुई है किसी हुकूमत में न थी।"

इसी तहरीके अहले-हदीस की एक शाख़ "गुरबाए अहले-हदीस" है। जिस के बारे में खुद एक ग़ैर मुक़ल्लिद मुहम्मद मुबारक साहब लिखते हैं :

"जमाअते गुरबाए अहले हदीस की बुनियाद मुहदिसीन की मुख़ालफ़त पर रखी गई थी। सिर्फ़ यही मक़सद नहीं बल्कि "तहरीके मुजाहिदीन" यानी सय्यद अहमद बरेलवी की तहरीक (जिहाद) की मुख़ालफ़त करके अँग्रेज़ों को ख़ुश करने का मक़सद पिनहां था।

(अनयाए अहनाफ और तहरीके मुजाहिदीन /48 बहवालाए मुहाज़रए इलिययह बर-मीज़ए रदे ग़ैर मुक़ल्लिदियत /8)

ग़ैर मुक़ल्लिदों के शैख़ुल्-कूल फिल्-कूल, मियाँ नज़ीर हुसैन के शागिद मौलवी तलतुफ हुसैन फरमाते हैं :

"अँग्रेज़ी गवर्नमेंट हिन्दुस्तान में हम मुसलमानों के लिए खुदा की रहमत है। (अल्-अयाज़ बिल्लाह)

(الحياة بعد المآة / ٩٣ بحواله منكور)

तवालत के ख़ौफ़ की वजह से इसी पर इकितफ़ा किया जाता है। तफ़सील के लिए देखिए : ("ग़ैर मुक़ल्लिदीन की डायरी" मुसन्नफ़ा हज़रत मौलाना अबू बकर गाज़ीपुरी मद्देज़िल्लाहुल् आली)

अहले-हदीस नाम की इब्तिदा

पहले इन्होंने अपने आप को "मुवहिहदीन" का लफ्ज दिया, उस के बाद "मुहम्मदी" फिर अपने आप को "गैर मुकल्लिद" मशहूर किया, मगर यह भी इन को रास नहीं आया।

इन के बाज़ अकाइद की वजह से अक्वाम ने इन्हें "वहाबी" कहना शुरू कर दिया। "वहाबी" का लफ्ज इनके लिए माली से ज्यादा सख्त था। तो इन्होंने अपनी जमाअत के लिए "अहले-हदीस" नाम तजवीज़ किया और फिर बाकाइदा अंग्रेज़ी हुकूमत को यह दरख्वास्त देकर इस नाम को अपने लिए अलाट कराया। देखिए : "गैर मुकल्लिदीन की डायरी /255-256"।

"अहले हदीस" नाम अलाट कराने के लिए ब्रिटिश हुकूमत की खिदमत में दी गई दरख्वास्त मुलाहज़ा फरमाइये :

"बखिदमत जनाब सैक्रेटरी गवर्नमेंट। !

मैं आप की खिदमत में सुतूरे जेल पेश करने की इजाज़त और मुआफी का ख्वासतगार हूँ। सन-1886 ई० में मैं ने माहवारी रिसाला "اشاعة السنة" में शाएअ किया था, जिस में इस बात का इज़हार था कि लफ्जे वहाबी जिस को उम्मून बागी और नमक हराम के मआनी में इस्तेमाल किया जाता है। लिहाज़ा इस लफ्ज का इस्तेमाल मुसलमानाने हिन्दुस्तान के उस गिरोह के हक में जो अहले-हदीस कहलाते हैं और हमेशा से सरकारे अंग्रेज़ के नमक हलाल और खैर-ख्वाह रहे हैं, और यह बात बार-हा साबित हो चुकी है, और सरकारी खत-व-किताबत में तसलीम की जा चुकी है

हम कमाले अदब-व-इन्किसारी के साथ गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि वोह सरकारी तौर पर इस लफ्ज "वहाबी" को मन्सूख करके इस लफ्ज के इस्तेमाल से मुमानअत का हुक्म नाफिज़ कर दे और इन को "अहले-हदीस" के नाम से मुखातिब किया जाय।

(اشاعة السنة ٢٤ بحواله مذکور ٢٥٦)

इस मज़हब के दरखवास्त के बाद अंग्रेज हुकूमत ने इन के लिए "अहले-हदीस" नाम अलाट कर दिया।

पूरी तारीखे इस्लाम में कोई एक वाक़ेआ भी ऐसा नहीं मिलेगा, कि किसी मुस्लिम जमाअत ने अपना मज़हबी व मसलकी नाम किसी ग़ैर मुस्लिम हुकूमत से अलाट कराया हो।

नोट :

जब इन्होंने देखा कि सऊदी उलमा अपने नामों के साथ "सलफी" लिखते हैं तो इन्होंने भी उन से दौलत बटोरने के लालच में अपने नामों के साथ "सलफी" लिखना शुरू कर दिया। अब अपने नामों के साथ "सलफी" का टाइटल लगाकर खलीज मुमालिक से खूब दौलत समेट रहे हैं।

(ماخوذ از حاشیة علی مسائل غیر عقلمین ٢٥٦)

जमाअते गैर मुकल्लिदीन अपने उलमा की नज़र में

जमाअते गैर मुकल्लिदीन जो "कुरआन-व-हदीस" के नाम पर लोगों को गुमराह करती है, दीन की मन-मानी तशरीह करती है। असलाफ़े उम्मत यहाँ तक कि दीन के अख्तलीन सुतून सहाबाए किराम (रज़ि.) की मुक़द्दस व बा-बरकत जमाअत व खुलफ़ाए राशिदीन को भी अपनी ज़बान-व-कलम के ज़रीए निशाना बनाने से गुरेज़ नहीं करती।

इन की इस नाशाहस्ता हरकत पर अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए इसी जमाअत के अक्वाबिर उलमा ने इम जमाअत के बारे में जो तअस्सुरात पेश किये हैं, वोह मुन्दर्जा ज़ेल हैं।

नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ साहब भोपाली जो गैर मुकल्लिदीनों के यहाँ ख़ातिमुल् मुहद्दिसीन-व-मुज्ताहिद समझे जाते हैं, वोह इन गैर मुकल्लिदीनों ही के बारे में तहरीर फ़रमाते हैं-

"इम ज़माने में एक शोहरत पसन्द और रियाकार फिरके ने जन्म लिया है जो हर किस्म की ख़ामियों और नकाइस के बावजूद अपने लिए कुरआन व हदीस के इल्म और इस पर आमिल होने का दावे-दार है।"

(الحظة في ذكر الصحاح السنة ١٥٢٠ بحواله غير مقلدين كي ذائري ٢٤٩)

मज़ीद फ़रमाते हैं :

"इन लोगों को देखोगे कि यह महज़ अल्फ़ाज़े हदीस की नक़ल पर इकितफ़ा करते हैं। और हदीस की फ़हम और उसके मआनी व मफ़ाहीम में ग़ौर-व-ख़ौज़ की तरफ़ तवज्जोह नहीं करते। इन लोगों का गुमान है कि महज़ अल्फ़ाज़ का नक़ल कर लेना काफी है।"

हालाकि यह ख़याल हकीकत से दूर है, क्योंकि हदीस से मक़सूद तो हदीस की फ़हम और उसके मआनी में ग़ौर-व-फ़िक़र करना है। न कि सिर्फ़ अल्फ़ाज़े हदीस की नक़ल पर इकितफ़ा करना।

और लिखते हैं:

“यह जाहिल (यानी गैर मुकल्लिदीन) तो इनका हदीस के साथ बड़े से बड़ा मुलुक यह है कि यह चन्द ऐसे मसाइल को इख्तियार कर लेते हैं जो इबादात के अन्दर मुज्तहिदीन और मुहद्दीसीन के माबैन इख्तिलाफी हैं। मुआमलात से मुतअल्लिक मसाइल जो रोजमर्रा पेश आते हैं, उनसे इन्हें कोई वास्ता नहीं। और उन का सारा इत्तिबाए हदीस फकत यह है कि इस इख्तिलाफ को नकल करते रहते हैं। जो अहम्मए मुज्तहिदीन और मुहद्दीसीन के दरमियान इबादात में वाकैअ हुआ है, न कि इतिफाकात के अन्दर

मजीद लिखते हैं :

यह हदीस पर अमल करने के बजाए, ज़बानी जमा-खर्च और सुन्नत की इत्तिबा के बजाए शैतानी तसवीलात (बहकववे) पर इक्तिफा करते हैं। और फिर उस के ऐने दीन होने का एतकाद रखते हैं।

आगे लिखते हैं:

“मैंने उनको (अहले हदीसों) को बारहा आजमाया लेकिन मैंने इनमें से किसी को ऐसा नहीं पाया जिसे सालिहीन के तरीके पर चलने की रगवत हो, या वोह अहले इमान की सीरत के मुताबिक चलता हो। बल्कि मैंने तो इनमें से हर एक को कमीनी दुनिया में मुन्हमिक और उसके रद्दी साज़-व-सामान में मुस्तगरक, जाह-व-माल को जमा करने वाला, हलाल-व-हराम की तमीज़ के बगैर, माल का लालच रखने वाला पाया।”

(बहवालाए मज़कूर 1250-252)

“बाज़ अहबाब अहले हदीस की आदत हो गई है, कि किसी आयत या हदीस के जो मानी खुद समझते हैं, किसी दूसरे के लिए इसके खिलाफ समझने का हक तसलीम नहीं करते।”

(اعظم دروی 157 بحوثه مذکور 170)

और تنبيه الضالين में है।

“सोबानी व मुबानी इस तरीकए नौइहदास (गैर मुकल्लिदीयत) का अब्दुल हक है। जो चन्द रोज से बनारस में रहता है। और हज़रत अमीरुल् मुमिनीन (सय्यद शहीद अहमद) ने ऐसी हरकते नाशाइस्ता के बाइस अपनी जमाअत से

उसको निकाल दिया, और उलमाए हरमेन ने उसके कत्ल का फतवा लिखा। मगर किसी तरह भाग कर वहाँ से बच निकला।

(تنبيه الضالين بر حاشية نظام اسلام، 17 بحواله منكور 200)

मशहूर गैर मुकल्लिद आलिम मौलाना अब्दुल् जब्बार साहब और मौलाना अब्दुल् तब्बाब साहब गज़नवी फरमाते हैं:

“हमारे इस ज़माने में एक फिरका नया खड़ा हुआ है, जो इत्तिबाए हदीस का दावा रखता है। मगर यह लोग इत्तिबाए हदीस से किनारे हैं। जो हदीसों सलफ और खलफ के यही मामूल-बिहा हैं। उनको अदना सी कुब्वत और कमजोर सी जिरह पर मरदूद कह देते हैं। और सहाबा के अक्वाल और अफ़आल को एक बे-ताक़त क़ानून और बेनूर से क़ानून के सबब फेंक देते हैं। और इन (अहदीसे नबविख्या और फरमुदाते सहाबा) पर अपने बेहुदा ख़यालों और बीमार फिक्रों को मुक़दम करते हैं। और अपना नाम मुक़िफ़क रखते हैं।

(फतवा उलमाए अहले-हदीस 179-80 बहवालए गैर मुकल्लिदियत पर एक मज़र 15)

गैर मुकल्लिदों के एक दूसरे मायए-नाज़ बुजुर्ग नवाब साहब हैदराबादी अपनी मशहूर किताब “لغات الحديث” में तहरीर फरमाते हैं:

गैर मुकल्लिदीन का गिरोह जो अपने तई अहले-हदीस कहते हैं, उन्होंने ऐसी आजादी इख़्तियार की है कि मसाइले इज्माई की भी परवाह नहीं करते, न सलफे सालिहीन, सहाबा और ताबईन की

बाज़े अवाम अहले-हदीस का यह हाल है कि उन्होंने सिर्फ़ रफ़ए यदैन और आमिन बिन जहर को अहले-हदीस होने को काफी समझा है। बाक़ी और आदाब, और सुनन और अख़लाके नबवी (सल्ल.) से कुछ मतलब नहीं। ग़ीबत, झूठ, इफ़तिरा से कुछ बाक नहीं करते। अइम्मए मुज्तहिदीन (रिज़वानुल्लाह अज्मईन) और औलिया अल्लाह और हज़रते सूफिया के बारे में बेअदबी और गुस्ताख़ी के कलिमात ज़बान पर लाते हैं। अपने सिवा तमाम मुसलमानों को मुशिरक और काफिर समझते हैं। बात-बात पर हर एक को मुशिरक और क़बर परस्त कह देते हैं।

(बहवालए मज़कूर 1254)

यह तअस्सुरात हैं इस फिरकए गैर मुकल्लिदियत के बारे में खुद इन्हीं के उलमा के।

(علمك بسني، ابو داؤد، 2/230)

दुआ है कि अल्लाह तआला इन लोगों को हिदायत नसीब फ़रमाये, और उम्मत मुस्लिमा को इनके फ़रेब से महफूज़ फ़रमाये। आमीन! या रब्बल् आलमीन!

आज बिहम्दिल्लाह बरोज़ जुमेरात बाद-मगरिब 8 रजब 1430 हि. मुताबिक 2 जौलाई 2009 यह रिसाला इख़िताम पज़ीर हुआ।

बन्दा बारगाहे ईजदी में दुआ-गो है कि अल्लाह रब्बुल् आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा को सही मअानी में कुरआन-व-सुन्नत की इत्तिबाअ करने वाला बनाये। नीज़ इस रिसाले को शरफ़े कबूलियत से नवाज़ कर बन्दे के लिए ज़ख़ीराए आख़िरत, और उम्मत मुस्लिमा के लिए रहनुमाई का ज़रीआ बनाये!

”و ما ذاك على الله بعزیزة، آمین یا ربّ العالمین۔“

ख़ाक़सार अबू उज़ैर मुहम्मद रफ़ीक़ कासमी बिन सईद अहमद
खादिमुत्-तदरीस मदरसतुल्-उलूम मदरसा हुसैन बख़्शा, जामे मस्जिद देहली-6